# अ नु क्र म णि का


| | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| | **प्रस्तावना** | | ६८ |
| **अध्याय-1** | 1.1 | लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि | 1-3 |
| | 1.2 | प्रशासनिक स्थिति एवं बजट | 3-4 |
| | 1.3 | अन्वेषण की अधिकारिता | 5-6 |
| | 1.4 | जांच व अन्वेषण करने की प्रक्रिया | 6-7 |
| | 1.5 | प्रचार-प्रसार | 7-8 |
| | परिशिष्ट-ए से परिशिष्ट-ए-1 | | 9-12 |
| **अध्याय-2** | **निष्पादित कार्य** | | |
| | 2.1 | समग्र कार्य | 13 |
| | 2.2 | प्रारंभिक जांच के प्रकरण | 13-14 |
| | 2.3 | अन्वेषण के प्रकरण | 14 |
| | 2.4 | अनुशंसा के प्रकरण | 15 |
| | 2.5 | विशेष प्रतिवेदन | 15-16 |
| | 2.6 | विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण | 16 |
| | 2.7 | अनुतोष के प्रकरण | 16 |
| | परिशिष्ट-1 से 7 | | 17-32 |
| **अध्याय-3** | **अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण** | | 33-52 |
| **अध्याय-4** | **विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों का विवरण** | | 53-112 |
| **अध्याय-5** | **अनुतोष के प्रकरणों का विवरण** | | 113-138 |
| **अध्याय-6** | **लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता** | | |
| | 6.1 | लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे | 139 |
| | 6.2 | लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जावे | 140-150 |
| | 6.3 | अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की जावे | 150-152 |
| | परिशिष्ट- बी से बी-1 | | 153-154 |
| **अध्याय-7** | ❖ लोकायुक्त सम्मेलन | | 155 |
| | ❖ लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि | | 156 |
| | ❖ 26वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के फोटोग्राफ | | 157 |
| | ❖ गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ की गई बैठकों के फोटोग्राफ्स व न्यूज कटिंग्स | | 158-169 |

# परिशिष्ट अनुक्रमणिका


| परिशिष्ट | परिशिष्ट का विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| A | बजट वर्ष 2011-2012 | 9 |
| A-1 | अधिनियम की धारा 2(i)(iv)(d) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं | 10-12 |
| 1 | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि के दौरान् प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों तथा लंबित शिकायतों को दर्शित करने वाला | 17 |
| 2 | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि के दौरान् संस्थित प्रारंभिक जांच प्रकरणों, निपटाये गये प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण | 18 |
| 3 | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि के दौरान् संस्थित अन्वेषण प्रकरणों, निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों तथा लंबित रहे अन्वेषण प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण | 18 |
| 4 | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रेषित प्रतिवेदनों को दर्शित करने वाला विवरण | 19-20 |
| 4A | 1.5.2007 से 31.3.2011 की कालावधि में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रेषित प्रतिवेदनों तथा उन पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शित करने वाला विवरण | 21-26 |
| 5 | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि में धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदनों का विवरण | 27-28 |
| 5A | 1.5.2007 से 31.3.2012 की कालावधि में धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदनों का विवरण | 29-30 |
| 6 | लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों का विवरण | 31 |
| 7 | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि के दौरान् लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से दिलाये गये विभागवार अनुतोष प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण | 32 |
| B | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री को धारा 14(3) के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की सेवाएं उपयोग लेने की सहमति प्रदान करने हेतु लिखा गया पत्र दिनांक 18.8.11 | 153 |

| | | |
|---|---|---|
| B-1 | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री को धारा 14(3) के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की सेवाएं उपयोग लेने की सहमति प्रदान करने हेतु लिखा गया स्मरण पत्र दिनांक 16.9.11 | 154 |

## प्रस्तावना

लोकायुक्त के रूप में मेरी 5 वर्ष की पदावधि 30 अप्रेल, 2012 को समाप्त होगी। इस प्रकार लोकायुक्त के रूप में कार्य करते हुए मेरे कार्यकाल का यह पांचवा व अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन है जो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उप-धारा (4) के अनुसरण में मेरे द्वारा 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि में अधिनियम के अधीन सम्पादित किये गये कार्यों के संबंध में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. 26वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 25.1.12 को प्रस्तुत किया गया था। कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक: प.6(1)का/क-3/शिका/11 दिनांक 15.12.2011 के अनुसार 23वें, 24वें एवं 25वें वार्षिक प्रतिवेदनों को दिनांक 26.8.2011 को राजस्थान विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। इस प्रकार अब केवल 26वां और यह 27वां वार्षिक प्रतिवेदन ही सदन के पटल पर रखे जाने शेष हैं।

3. पूर्व प्रतिवेदनों की भांति वर्तमान प्रतिवेदन में भी लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, प्रशासनिक स्थिति एवं बजट, अन्वेषण की अधिकारिता, जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया, लोकायुक्त संस्था का प्रचार-प्रसार, निष्पादित कार्य, सांख्यिकी, सुझावों और ऐसे मामलों के सारांश का समावेश है जिनमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रतिवेदन व विशेष प्रतिवेदन और अन्य सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई हैं।

4. दिनांक 31.3.2011 को कुल 857 शिकायतें लंबित थीं। प्रतिवेदनाधीन अवधि (1.4.2011 से 31.3.2012 तक) में 3495 शिकायतें और संस्थित की गई जो अपने आप में एक रिकार्ड है। यदि इनमें से भंग माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर आये 1502 प्रकरणों को हटा भी लिया जावे तो भी यह आंकाड़ा 1993 होता है जो संस्था के इतिहास में सर्वाधिक है। इस प्रकार कुल 4352 शिकायतों में से प्रतिवेदनाधीन अवधि में 1846 शिकायतों का निस्तारण किया गया व 2506 शिकायतें दिनांक 31.3.2012 को लंबित रहीं। यदि भंग माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर आये प्रकरणों का खुलासा किया जावे तो स्थिति इस प्रकार है कि 24.10.11 से 31.3.12 की अवधि में भंग माथुर आयोग से स्थानान्तरित प्रकरणों के संबंध में 1502 प्रकरण संस्थित किये गये जिनमें से 18 प्रकरण 6 माह की अल्पावधि में निस्तारित किये गये। वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 31.3.12 को भंग माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर आये 1484 प्रकरण लंबित रहे।

4.1 6 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को 3 विभिन्न लोकसेवकों के विरूद्ध प्रतिवेदन मय अनुशंषा के प्रेषित किये गये व 4 प्रकरणों में धारा 12(3) के अन्तर्गत विशेष प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किये गये।

4.2 लोकायुक्त सचिवालय के इतिहास की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि प्रतिवेदनाधीन अवधि में निपटाई गई शिकायतों में से 155 शिकायतें ऐसी थी जिनमें इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा 325 दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ की गई/निर्णीत की गई। उनमें से कतिपय मामलों में लोकसेवकों को राज्य सेवा से पदच्युत किये जाने, परिनिन्दा व वार्षिक वेतनवृद्धि के रोके जाने आदि के दण्ड से दण्डित किया गया है। मेरे सम्पूर्ण कार्यकाल में 341 तथ्यात्मक प्रतिवेदन के प्रकरणों में 686 दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर विभागीय कार्यवाहियां की गई।

4.3 इस वर्ष निपटाये गये कुल प्रकरणों में से 64 ऐसे प्रकरण थे जिनमें शिकायतकर्ताओं को लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से अनुतोष प्राप्त हुआ। इनमें वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, परन्तु संबंधित विभागों द्वारा उन पर कार्यवाही कर शिकायतकर्ताओं को वांछित अनुतोष प्रदान कर दिया जो लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

5. विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त राजस्थान में आते रहते हैं। उन्हें राजकीय अतिथि भी घोषित किया जाता है, परन्तु बार-बार अनुरोध करने पर भी प्रोटोकोल ऑफिसर की सेवाएं नहीं दी जाती हैं। यहां तक कि राजस्थान के लोकायुक्त को भी यात्रा पर जाने-आने पर प्रोटोकोल ऑफिसर की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। लोकायुक्त सचिवालय में एक तो स्टाफ कम है और इस कार्य के लिए कोई प्रशिक्षित भी नहीं है। अतः मजबूरी में राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रोटोकोल ऑफिसर की सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है। इस कार्य के लिए लोकायुक्त सचिवालय में एक प्रोटोकोल ऑफिसर का नवीन पद सृजित करने हेतु कार्मिक विभाग को पत्र क्रमांकः एफ 1(31)लोआस/1973/पार्ट-III/1281-1982 दिनांक 29.5.08, समसंख्यक स्मरण पत्र दिनांक 9.8.08, पत्र क्रमांकः एफ.50(1)लोआस/2008/5145-48 दिनांक 21.10.08 एवं स्मरण पत्र दिनांक 16.5.11 द्वारा अनुरोध किया गया। बजट प्रस्ताव में भी मांग की गई, परन्तु अभी तक **प्रोटोकोल ऑफिसर के पद का सृजन नहीं किया गया है**।

5.1 जनता को लोकायुक्त संस्था की विद्यमानता एवं कार्य की जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में लगभग तीन चौथाई जिलों में जाकर जिलास्तरीय अधिकारियों एवं गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन किया गया। इससे लोगों में काफी जागरूता आई है और प्राप्त होने वाली शिकायतों में भी प्रतिवर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि प्रचार-प्रसार का कार्य सतत् रूप से किये जाने की आवश्यकता है। **यह कार्य एक जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा उचित ढंग से किया जा सकता है**।

5.2 इस परिस्थिति में मैं राज्य सरकार अनुरोध करना चाहूँगा कि वह **लोकायुक्त सचिवालय में प्रोटोकोल व जनसम्पर्क के कार्य के निष्पादन के लिए एक प्रोटोकोल ऑफिसर का नवीन पद सृजित करें** एवं आवश्यक बजट भी आवंटित करें। जब तक नवीन पद का सृजन नहीं कर दिया जाता है तब तक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्यरत एक प्रोटोकोल ऑफिसर तथा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में कार्यरत एक जनसम्पर्क अधिकारी को इस सचिवालय के कार्य हेतु निर्देशित किया जावे।

6. मैं इस प्रतिवेदन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहूँगा कि **लोकायुक्त सचिवालय के लिए अलग वेब पोर्टल का निर्माण करवाया जा रहा है**। इसका लाभ यह होगा कि इसके माध्यम से कोई भी परिवादी सीधे अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ उसका स्टेटस भी जान सकेगा। संबंधित पक्षों को विचाराधीन एवं निर्णीत प्रकरणों की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। ऑन लाइन पत्राचार संभव हो जाने के कारण शिकायतों का निस्तारण भी त्वरित हो सकेगा। इस वेब पोर्टल पर लोकायुक्त अधिनियम एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमों, प्रशासनिक एवं स्टाफ की स्थिति, प्रतिवर्ष प्राप्त बजट एवं विधानसभा के पटल पर रखे जा चुके वार्षिक प्रतिवेदन आदि को भी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि जिज्ञासु लोग इनका लाभ उठा सकें।

7. 120 करोड़ की आबादी वाला हमारा यह राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। 26 जनवरी, 2012 को हमने एक गणतंत्र के रूप में 62 वर्ष पूरे कर 63वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। जितना बड़ा गुलामी का समय था- यवनों-हूणों के आक्रमण से लेकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी तक- उसे देखते हुए छः दशकों में हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, यह कोई कम बात नहीं है। हमारे यहां ईमानदार व मेहनतकश लोगों की भी कोई कमी नहीं है परन्तु इनके अपवाद भी कम नहीं है। आज हमारे गणतंत्र की स्थिति यह बनादी गई है कि जिन पर नैतिकता के उच्च प्रतिमान स्थापित करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वे ही भारतमाता की इज्जत को तार-तार करने का काम कर रहे हैं। 62 वर्ष का गणतंत्र हमसे कुछ प्रश्न भी पूछता है। क्या आज हमारा यह गणतंत्र देश के सभी वर्गो की रक्षा करने का अश्वासन देता है? विगत 62 वर्षो में जो घोटाले क्रमशः सामने आए हैं, जिनसे सारे विश्व की नजर में इस देश की भ्रष्ट छवि बनी है। क्या हम उससे मुक्त हो सकते हैं? क्या हमारे जनप्रतिनिधि देश की आम जनता की आजादी व बेहतरी के लिए हंसते-हंसते कुर्बान हुए अनाम हजारों-लाखों शहीदों के सपनों एवं सिद्धान्तों पर खरे उतरते हैं? क्या वे जनता की सभी समस्याओं का समाधान कर पाने में सक्षम हैं? चलिए क्षमता की बात छोड़ें, क्या वे उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? प्रतिवर्ष की भांति पिछले वर्ष भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोकसेवकों पर इलेक्ट्रोनिक व प्रिन्ट मीडिया में कई घोटालों एवं काण्डों में लिप्त होने के आरोप लगते रहे। उनमें से कई को जेल भी जाना पड़ा। वे प्रायश्चित करने व आत्मावलोकन करने के लिए स्वेच्छा से जेल नहीं गये, बल्कि यह सब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की सक्रियता एवं दृढ़ता के कारण संभव हो पाया है।

8. जहां तक भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं उन्मूलन का सवाल है, इसके लिए लोकपाल/लोकायुक्त संस्था की भूमिका एवं महत्व के बारे में अब सभी जान चुके हैं। वर्ष 1973 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखकर बनाये गये राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का अधिनियम संख्या 9) में आज के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए संशोधनों की आवश्यकता है ताकि यह संस्था अपने बनाये जाने के प्रयोजन को सिद्ध कर सके। इस संबंध में पूर्व में प्रस्तुत सभी वार्षिक प्रतिवेदनों में संशोधन करने सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए सुझाव दिये जाते रहे हैं। राज्य सरकार ने सुशासन हेतु दिये गये सुझावों की भावना के अनुरूप 'राजस्थान लोकसेवा के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011' बना कर अच्छा कार्य किया है। परन्तु सरकार को यह भी देखना चाहिए कि लोकायुक्त अधिनियम में दी गई ''अभिकथन'' एवं ''लोकसेवक'' की परिभाषाएं बहुत ही संकीर्ण हैं और उन्हें तत्काल संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

9. इसी अनुक्रम में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि लोकायुक्त संस्था के पास अन्वेषण के प्रयोजनार्थ स्वयं की कोई अन्वेषण एजेन्सी नहीं है। सचिव एवं उप सचिव द्वारा ही यह कार्य लिया जाता रहा है। इनमें से भी कभी सचिव और कभी उप सचिव का पद रिक्त रहता है। वर्तमान में पिछले लगभग डेढ़ साल से उप सचिव का पद रिक्त है। ऐसी स्थिति में स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी न होने के कारण अन्वेषण का कार्य जनाकांक्षा के अनुरूप किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार को लोकायुक्त संस्था को स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी प्रदान करने, अन्वेषण के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की सेवाएं लेने हेतु सहमति प्रदान करने व लोकायुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर पर्यवेक्षणीय शक्ति प्रदान करने हेतु लगभग सभी प्रतिवेदनों में सुझाव दिये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये इन सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया गया है अन्यथा इस संबंध में आदेश दिये जा सकते थे।

10. यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है कि आज का युवा भारत किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के नाम पर भीड़तंत्र व भ्रष्टाचार का राज नहीं चाहता। वह किसी भी स्थिति में अपने देश को अशिक्षा, असुरक्षा, बेरोजगारी एवं भुखमरी से जूझते हुए नहीं देखना चाहता है। क्या युवा भारत के सपने पूरे होंगे? कहीं वह कुंठित, दुखी, विक्षुब्ध स्थिति में होकर हिंसा पर तो उतारू नहीं हो जाएगा? अभी भ्रष्टाचार के विरूद्ध खड़े हुए आंदोलन में जिस तरह युवा भारत ने भागीदारी की है, उससे लगता है कि लावा उबल रहा है। सभी संबंधित को इस संकेत को समझ लेना चाहिए, समय रहते एवं जल्दी चेत जाना चाहिए। हम सभी को भूख, भय, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, सम्प्रदायवाद, जातिवाद एवं बेरोजगारी मुक्त एक प्रगतिशील भारत के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए और इसके लिए जो भी आवश्यक है, वह सभी उपाय तुरन्त ही करना चाहिए अन्यथा यह न हो कि हमारा यह प्यारा भारत कहीं भ्रष्टाचार, भूख, साम्प्रदायिकता एवं आरक्षण के झगड़ों की आग में झुलस जाये। आंखें बंद कर लेने से संकट को टाला नहीं जा सकता।

11. मैं यह कहना चाहूँगा कि लोकायुक्त अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत जो अधिकतम किया जाना संभव था, उतना करने का प्रयास मैंने किया है और मैं अपने द्वारा निष्पादित कार्य से संतुष्ट हूँ। परन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि पर्याप्त स्टाफ, शक्तियां एवं अन्वेषण एजेन्सी आदि उपलब्ध कराये गये होते तो इस संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में और बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं राज्य सरकार से फिर से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-6 में दिये गये सुझावों अनुसार राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में वांछित संशोधन किये जावें, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जावे, अन्वेषण एजेन्सी उपलब्ध कराई जावे तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर पर्यवेक्षणीय शक्ति प्रदान की जावे ताकि भ्रष्टाचार की शिकायतों के संबंध में तुरन्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जाना संभव हो सके व इस संस्था को बनाये जाने के प्रयोजन को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाना संभव हो सके।

अंत में मैं सरकार एवं लोकायुक्त सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके सहयोग के बिना मेरा द्वारा लोकायुक्त पद के गुरूत्तर दायित्व का निर्वाह कर पाना संभव नहीं हो सकता था।

(जी.एल.गुप्ता)
लोकायुक्त

# अध्याय–1

## लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम स्केण्डीनेवियन देशों में की गई। आधुनिक ऑम्बुड्समैन की जड़ें स्वीडन के जस्टिस ऑम्बुड्समैन (ऑम्बुड्समैन फोर जस्टिस) में ढूँढी जा सकती हैं, जहां इस संस्था की स्थापना सन् 1809[1] में की गई थी। स्वीडिश शब्द 'औम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्बता, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं स्थिति के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है। यह संस्था 20वीं शताब्दी में तब तक विस्तार नहीं पा सकी जब तक कि स्केण्डिनेवियन देशों –फिनलैण्ड (1919), डेनमार्क (1955) एवं नॉर्वे (1962) में इसे नहीं अपना लिया गया। ऑम्बुड्समैन संस्था की लोकप्रियता 1960 के दशक के पूर्व में तब काफी बढ़ी जब राष्ट्रमण्डल एवं अन्य यूरोपियन देशों में इसकी स्थापना की गई। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैण्ड (1968), यूनाइटेड किंगडम (1967), अधिकतर कनाडियन प्रदेश (1967), तन्जानिया (1968), इजराइल (1971), प्यूर्टो रिको (1977), ऑस्ट्रेलिया (1977 संघीय स्तर पर एवं 1972–1979 राज्य स्तर पर), फ्रांस (1973), पूर्तगाल (1975), ऑस्ट्रिया (1977), स्पेन (1981) एवं नीदरलैण्ड (1981)। इसके अतिरिक्त 7 ऑम्बुड्समैन के कार्यालय अफ्रीका में, 17 एशिया में (भारत को छोड़ कर), 11 ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक में, 10 कैरेबियन एवं लैटिन अमेरिकन देशों में, 41 यूरोपियन देशों में, 6 कनाडा में एवं 10 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किये गये। इतने देशों में ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना ने जवाबदेह, पक्षपातरहित, पारदर्शी सुशासन प्रदान करने में इसके महत्व को साबित किया है।

उपर्युक्त परिदृश्य में एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता महसूस की गई जिसके द्वारा किया गया प्रशासन का पुनरावलोकन सस्ता, शीघ्र, स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित हो। यह एजेन्सी स्केन्डीनेवियन एवं अन्य देशों में प्रचलित **ऑम्बुड्समैन** और भारत में कई राज्यों में स्थापित **लोकायुक्त संस्था** के सिवाय दूसरी कोई नहीं हो सकती। श्री पी.वी.गजेन्द्रगढ़कर, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पुस्तक *''ला, लिबर्टी एण्ड सौशल जस्टिस''* में यह बात दृढ़तापूर्वक कही है कि जब तक हम ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधान मण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा।

लोकायुक्त संस्था एक प्रभावकारी एवं ऐसा दक्ष प्रशासन, जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है। मूलतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग करने की आदत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, और साधारण व्यक्तियों, जिनके पास सरकारी या राजनीतिक दबाव

---

1 इन्टरनेशनल ऑम्बुड्समैन इन्स्टीट्यूट, एडमॉन्टन अलबर्टा, कनाडा द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार।

या पहुंच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त संस्था का सृजन विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा किया गया है।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने भी ***''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस आफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज''*** विषयक अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार की व्याप्ति, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले जन आक्रोश पर विचार किया और जन अभियोग निवारण के लिये तथा दुर्व्यवस्था से उद्भूत हुई भ्रष्टाचार या अन्याय का अधिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त की कानूनी संस्थाओं की सिफारिश की थी। कई बार के प्रयासों के बावजूद अभी तक भी केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं हो पाई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी अपनी चौथी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है।

जहां तक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रश्न है, सबसे पहिले लोकपाल संस्था की स्थापना उड़ीसा राज्य में वर्ष 1970 में की गई थी, परन्तु 1995 में लोकपाल अधिनियम पुनः प्रवृत किया गया। महाराष्ट्र में वर्ष 1972, बिहार में वर्ष 1974, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977, मध्य प्रदेश में वर्ष 1981, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1983, कर्नाटक में वर्ष 1984, आसाम में वर्ष 1986, गुजरात में वर्ष 1988, दिल्ली में वर्ष 1995, पंजाब में वर्ष 1996, केरल में वर्ष 1998 एवं हरियाणा में वर्ष 1997 में इस संस्था की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 2002 में पुनः प्रवृत्त किया गया। झारखण्ड राज्य में संस्था की स्थापना वर्ष 2001 में, छत्तीसगढ़ व उत्तराखण्ड में वर्ष 2002 में तथा पश्चिम बंगाल में वर्ष 2007 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई।

हमारे राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963) ने अपने प्रतिवेदन में 'औम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी जिसका कार्य सरकार की कार्यपालिक कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही या तो अवैध हो या अन्यायपूर्ण, मनमानी अथवा विद्यमान नियमों या स्थापित पूर्वोदाहरणों की घोर उल्लंघनकारी तथा उन मामलों, जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट अभिकथन सन्निहित हो, में अन्वेषण करना हो। उसकी अधिकारिता का प्रसार समस्त मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, उप मंत्रियों, सिविल सेवकों तथा राज्य की सेवा में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के, जहां तक उस हैसियत में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का संबंध है, कार्यो तक होना था, परन्तु विधि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्व कोई क्षेत्राधिकार नही था। यद्यपि जन अभियोगों की देखभाल के लिये राज्य में जन अभियोग निराकरण विभाग का एक अलग तंत्र पहले से ही विद्यमान था, किन्तु सरकार के विद्यमान तंत्र में किसी ऐसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं था, जिसमें मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच और अन्वेषण किया जा सके।

अतएव, जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये और स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिये मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध, पद के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार, आदि की शिकायतों को देखने और उनमें अन्वेषण करने के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये **1973 का राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश सं. 3 24 जनवरी, 1973** को प्रख्यापित किया गया था तथा 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अधिसूचित किया गया था कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत होगा। इस अध्यादेश को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी। यह अधिनियम भी उसी तारीख से अर्थात् 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत हुआ समझा गया जिस तारीख को अध्यादेश प्रवृत हुआ था।

## 1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि की प्रशासनिक स्थिति निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| | | स्थाई | अस्थाई | |
| 1. | सचिव | 1 | - | - |
| 2. | उप सचिव | 1 | - | 1 |
| 3. | सहायक सचिव | 1 | - | - |
| 4. | निजी सचिव | 2 | - | - |
| 5. | अनुभागाधिकारी | 2 | - | - |
| 6. | वरिष्ठ निजी सहायक | 1 | - | - |
| 7. | निजी सहायक | 2 | - | - |
| 8. | आशुलिपिक | 1 | - | 1 |
| 9. | सहायक | 1 | - | - |
| 10. | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | - | - |
| 11. | वरिष्ठ लिपिक | 3 | - | - |
| 12. | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | 1 | - | - |
| 13. | कनिष्ठ लिपिक | 7 | - | - |
| 14. | जमादार | 2 | - | - |
| 15. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 10 | - | 1 |
| 16. | तामील कुनिन्दा | 2 | - | 1 |

वर्ष 2011-12 की कालावधि में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 6(2)का/क-3/शिका/11 दिनांक 27.9.11 के द्वारा भंग माथुर आयोग से संबंधित पत्रावलियों की जांच हेतु अधिकतम एक वर्ष अथवा जांच कार्य समाप्त होने तक, जो भी पहिले हो, की अवधि के लिए निम्नलिखित पद स्वीकृत किये गये:-

| क्र. सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | विशेषाधिकारी | 1 | सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के अधिकारी |
| 2. | विशेषाधिकारी | 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा (चयनित वेतनमान) |
| 3. | सहायक विधि परामर्शी | 1 | सैकण्डमेंट बेसिस पर विधि विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर |
| 4. | सहायक लेखाधिकारी | 1 | सैकण्डमेंट बेसिस पर निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा प्रतिनियुक्ति पर |
| 5. | सहायक नगर नियोजक | 1 | सैकण्डमेंट बेसिस पर जेडीए/नगर निगम/नगर नियोजन/नगरीय विकास विभाग/निदेशक, स्वायत्त संस्था द्वारा प्रतिनियुक्ति पर |
| 6. | निजी सहायक | 2 | सैकण्डमेंट बेसिस पर कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर |
| 7. | वरिष्ठ लिपिक | 1 | सैकण्डमेंट बेसिस पर कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर |
| 8. | कम्प्यूटर (मैन विद मशीन) | 3 | संविदा पर वित्त विभाग के परिपत्रों अनुसार |
| 9. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2 | भूतपूर्व सैनिकों की सोसायटी माध्यम से सेवाएं नियमानुसार संविदा पर अथवा सैकण्डमेंट बेसिस पर कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर |
| | योग:- | 13 | |

भंग माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर आये प्रकरणों के जांच कार्य के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को विशेषाधिकारी नियुक्त करने के लिए बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन एवं सहमति प्रदान नहीं की गई। इसी प्रकार सहायक विधि परामर्शी, सहायक लेखाधिकारी, सहायक नगर नियोजक एवं निजी सहायक के एक-एक पद पर भी कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये गये। इस कारण से जांच कार्य को गति प्रदान नहीं की जा सकी।

वर्ष 2011-2012 का बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-ए** में दिया गया है।

## 1.3 अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है। अधिनियम की धारा 2(i) में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है :-

(i) राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री,

(ii) राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति,

(iii) (a) जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,

(b) नगर निगम का प्रत्येक महापौर और उप-महापौर, नगरपालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,

(iv) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात्:-

(a) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,

(b) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),

(c) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यूनत राज्य सरकार द्वारा धारित है,

(d) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (i) के उप खण्ड (iii) के भाग (a) व (b) तथा धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (iv) के भाग (a) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं **परिशिष्ट-'ए-1'**

में दी गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (iv) के भाग (b), (c) व (d) के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

## 1.4 जांच व अन्वेषण करने की प्रकिया

**''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण''** के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह सचिवालय लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करता है। परीक्षण के पश्चात् यदि शिकायत में लगाये गये आरोप अधिक स्पष्ट न हों, तो उसमें लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और यदि मामला प्रथम दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रतीत हो, तो उसमें प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका अवलोकन करके अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है व आवश्यक होने पर आपत्तियों पर पुनः टिप्पणी भी मांगी जाती है। **यदि तथ्यात्मक प्रतिवेदन व आपत्तियों का परीक्षण किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है और यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में, या तो कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को लिखा जाता है, या इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने, या सीधे ही, अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।**

इस सचिवालय स्तर पर प्रांरभिक जांच करने के दौरान् परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो प्रारंभिक जांच को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है। **यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाते हैं, तो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाता है।** अन्वेषण प्रारंभ करते ही संबंधित लोकसेवक को नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब/स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र एवं उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये, भेजा जाता है, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे एवं उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। **अन्वेषण के दौरान् संबंधित लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।**

अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं, तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं **इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है तथा यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में अन्वेषण प्रतिवेदन धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है।**

यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जावे, परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, **तो इस संस्था द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाये या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जावे कि जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाये या जिससे कि आम लोगों को अनुचित अपहानि न हो।**

## 1.5 प्रचार-प्रसार

लोकायुक्त संस्था के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित कराने के उद्देश्य से मेरे कार्यकाल में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:-

| 1.5.2007 से 31.3.2011 की कालावधि की बैठकों का विवरण | | | 1.4.2011 से 31.3.2012 की कालावधि की बैठकों का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| जिले का नाम | गैर सरकारी संगठन | जिला स्तरीय अधिकारी | जिले का नाम | गैर सरकारी संगठन | जिला स्तरीय अधिकारी |
| झुन्झूनू | 10.9.07 | 10.9.07 | झालावाड़ | 29.4.11 | 29.4.11 |
| सवाईमाधोपुर | 16.1.08 | 16.1.08 | पाली | 26.5.11 | 26.5.11 |
| भरतपुर | 16.2.08 | 16.2.08 | सिरोही | 27.5.11 | 27.5.11 |
| धौलपुर | 7.3.08 | 7.3.08 | माउन्ट आबू | 28.5.11 | - |
| राजसमन्द | 8.9.08 | 8.9.08 | माउन्ट आबू | 29.5.11 | - |
| उदयपुर | 9.9.08 | 9.9.08 | जालौर | 30.5.11 | 30.5.11 |
| चूरू | 27.1.09 | 27.1.09 | जोधपुर | 31.5.11 | 31.5.11 |
| टोंक | 16.3.09 | 16.3.09 | अलवर | 30.8.11 | 30.8.11 |
| कोटा | 17.3.09 | 17.3.09 | बांसवाड़ा | 8.9.11 | 8.9.11 |
| बूंदी | 18.3.09 | 18.3.09 | उदयपुर | 9.9.11 | 9.9.11 |
| अजमेर | 29.5.09 | 29.5.09 | राजसमन्द | 10.9.11 | - |
| अलवर | 25.3.10 | 25.3.10 | जैसलमेर | 27.12.11 | 27.12.11 |
| चित्तौड़गढ़ | 16.11.10 | 16.11.10 | बाड़मेर | 28.12.11 | 28.12.11 |
| भीलवाड़ा | 18.11.10 | 18.11.10 | भरतपुर | 25.1.12 | 25.1.12 |
| | | | दौसा | 4.3.12 | 5.3.12 |

बैठकों में लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकारक्षेत्र, कार्य प्रणाली व शिकायत कैसे प्रस्तुत की जावे, के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से इस संस्था के बारे में

आम लोगों को समुचित जानकारी देने का आग्रह किया गया। उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि वे सूचना के अधिकार के बारे में भी आमजन को जागरूक करने की पहल करें।

जिला स्तरीय अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाये जाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने का आग्रह किया गया जिससे कि अकमर्ण्यता, पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों को उत्पन्न होने का अवसर ही न मिले। उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि जब भी किसी शिकायत के बारे में उनसे तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो वे तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि शिकायत प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही की जा सके। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि उनके विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत होने पर उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

**परिशिष्ट–'ए'**

## वित्तीय वर्ष 2011–12 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

| क्र.स. | बजट शीर्ष | मूल अनुदान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01–संवेतन | 16,000,000 | 15,400,000 | 14,300,257 |
| 2. | 03–यात्रा व्यय | 225,000 | 175,000 | 20,481 |
| 3. | 04–चिकित्सा व्यय | 225,000 | 360,000 | 359,397 |
| 4. | 05–कार्यालय व्यय | 560,000 | 600,000 | 598,875 |
| 5. | 06–वाहनों का क्रय | 600,000 | 643,000 | 642,949 |
| 6. | 07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण | - | 22,000 | 19,062 |
| 7. | 08–वृत्तिक और विशिष्ठ व्यय | 50,000 | 40,000 | 17,917 |
| 8. | 14–सत्कार व्यय | 4,000 | 4,000 | 430 |
| 9. | 28–विविध व्यय | 1,000 | - | - |
| 10. | 36–वाहनों का किराया | 150,000 | 70,000 | 61,551 |
| 11. | 37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं | 8,000 | 8,000 | 5,184 |
| 12. | 41–संविदा व्यय | 90,000 | 178,000 | 155,026 |
| 13. | 89–अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान | 22,000 | 24,000 | 23,230 |
| | **कुल योग :** | **17,935,000** | **17,524,000** | **16,204,359** |

नोट:–वर्ष 2011–12 के लेखों का अंक मिलान कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अत: वास्तविक व्यय विभागीय व्ययों के अनुसार है।

**परिशिष्ट–'ए–1'**

**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क–3) विभाग**
**अधिसूचना**

क्रमांक: एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 75

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नगरपालिका परिषदें– | जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर |
| 2. | नगर सुधार न्यास– | जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर |

राज्यपाल के आदेश से,
ह0 (राजेन्द्र पाल सिंह)
शासन उप सचिव

---

**कार्मिक (क–3) विभाग**
**अधिसूचना**
**जयपुर, दिसम्बर 12, 1988**

एस.ओ.202:– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक होगा।

(संख्या एफ. 6(1) डी.ओ.पी/ए–3/75)
राज्यपाल के आदेश से,
हरि शंकर टण्डन, उप शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क-3) विभाग**

क्रमांक: एफ.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 10.7.89

**अधिसूचना**

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नगरपालिका परिषदें- | ब्यावर, चूरू, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, भरतपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा। |
| 2. | नगर सुधार न्यास- | भरतपुर, भीलवाड़ा |

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

---

**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क-3) विभाग**

क्रमांक: प.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 9.12.96

**अधिसूचना**

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(झ) (iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में किसी भी नगरपालिका की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

Law (Legislative Drafting) Department
(Group-II)
Jaipur,April 5, 2008

No. F.2(19)Vodjo/2/2007.-In pursuance of clause (3) ofArticle 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following transation in the English language of the Rajasthan Lokayukta tatha Up-Lokayukta (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (2008 Ka Adhiniyam Sankyank 13):-

(Authorised English Translation)

# THE RAJASTHAN LOKAYUKTAAND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT)ACT, 2008

(Act No.13 of 2008)

[Received at the assent of the Governor on the 3rd day ofApril, 2008]

An
Act

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-LokayuktasAct, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) ThisAct may be called the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment)Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, RajasthanAct No.9 of 1973.-In sub-clause (iii) of clause (i) of section 2 of the Rajasthan Lokayukta and Up-LokayuktasAct, 1973 (Act No.9 of 1973),-

(i) in part (a), for the existing expression "the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 (RajasthanAct 37 of 1959)", the expression **"the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994)"** shall be substituted; and

(ii) in part (b), after the word "Every" and before the word "President", the expression **"Mayor and Deputy Mayor** of a Municipal Corporation," shall be inserted.

Principal Secretary to the Government

## अध्याय–2

# निष्पादित कार्य

## 2.1 समग्र कार्य

### (1) 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त एवं निपटाई गई कुल शिकायतों का विवरण:–

दिनांक 31.3.11 को **857** शिकायतें कार्यवाही हेतु लम्बित थी, 1.4.11 से 31.3.12 की अवधि में 3495 शिकायतें और प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 4352 शिकायतों में से 1846 शिकायतों का इस कालावधि में निस्तारण किया गया व दिनांक 31.3.12 को 2506 शिकायतें लंबित रही जिसका विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

इन प्रकरणों में भंग माथुर आयोग के स्थानान्तरित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में भंग माथुर आयोग से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुए प्रकरणों के संबंध में 24.10.11 से 31.3.12 की अल्पावधि में 1502 प्रकरण संस्थित किये गये जिनमें से 18 प्रकरण निस्तारित भी कर दिये गये हैं। वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 31.3.12 को 1484 प्रकरण लंबित रहे।

1.4.79 से 31.3.12 की कालावधि की कुल शिकायतों का विवरण **परिशिष्ट–1बी** में दिया गया है।

### (2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि की कुल शिकायतों का विवरण:–

| कालावधि | विगत वर्ष की शेष शिकायतें | वर्ष में प्राप्त शिकायतें | कुल योग | निस्तारित शिकायतें | वर्षान्त शेष शिकायतें |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | 2894 | 1267 | 4161 | 3040 | 1121 |
| 1-4-08 to 31-3-09 | 1121 | 1246 | 2367 | 1357 | 1010 |
| 1-4-09 to 31-3-10 | 1010 | 1147 | 2157 | 1307 | 850 |
| 1-4-10 to 31-3-11 | 850 | 1408 | 2258 | 1401 | 857 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 857 | 3495 | 4352 | 1846 | 2506 |

## 2.2 प्रारंभिक जांच के प्रकरण

(1) 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.11 को **10** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित थी, 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में **15** नवीन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल **25** प्रकरणों में से उक्त कालाविध में **1** प्रकरण को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, **2** प्रकरणों को मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, **2** प्रकरणों को अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किया गया। **2** प्रकरणों को अन्वेषण प्रारंभ कर दिये जाने के कारण स्थानान्तरित किया गया व **1** प्रकरण में धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन मय सिफारिश के प्रेषित किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल **8** प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निपटारा किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.3.12 को **17** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही।

(2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि के प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण:–

| कालावधि | विगत वर्ष के शेष प्रकरण | वर्ष में प्रारंभ नवीन प्रकरण | कुल योग | निस्तारित प्रकरण | वर्षान्त शेष प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | 32 | 36 | 68 | 22 | 46 |
| 1-4-08 to 31-3-09 | 46 | 24 | 70 | 26 | 44 |
| 1-4-09 to 31-3-10 | 44 | 7 | 51 | 35 | 16 |
| 1-4-10 to 31-3-11 | 16 | 3 | 19 | 9 | 10 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 10 | 15 | 25 | 8 | 17 |

## 2.3 अन्वेषण के प्रकरण

(1) 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.11 को 14 प्रकरणों में अन्वेषण लंबित था, 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में **3** नवीन प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ किया गया। इस प्रकार कुल **17** अन्वेषण प्रकरणों में से उक्त कालावधि में **2** प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया, 5 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को सिफारिशें प्रेषित की गई जिनमें से एक प्रकरण संख्या 18(7)2000 की दो लिंक पत्रावली संख्या 18(5)2000 एवं 18(6)लोआस/2000 होने के कारण 2 अतिरिक्त प्रकरण दर्शाये गये हैं। इस प्रकार इन लिंक प्रकरणों को जोड़ने के पश्चात् उक्त अवधि में कुल 7 **अन्वेषण** प्रकरणों का निपटारा किये जाने बाद दिनांक 31.3.12 को 10 अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे।

(2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणों का विवरण:–

| कालावधि | विगत वर्ष के शेष प्रकरण | वर्ष में प्रारंभ नवीन अन्वेषण प्रकरण | कुल योग | निस्तारित प्रकरण | वर्षान्त शेष प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | 12 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 1-4-08 to 31-3-09 | 12 | 17 | 29 | 4 | 25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-09 to 31-3-10 | 25 | 19 | 44 | 17 | 27 |
| 1-4-10 to 31-3-11 | 27 | 5 | 32 | 18 | 14 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 14 | 3 | 17 | 7 | 10 |

## 2.4 अनुशंसा के प्रकरण

(1) 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में **6** प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रतिवेदन मय अनुशंसा के प्रेषित किये गये। इनमें 1 प्रकरण प्रारंभिक जांच, 3 अन्वेषण तथा 2 लिंक प्रकरण सम्मिलित हैं इनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–4** में तथा विस्तृत विवरण **अध्याय–3** में दिया गया है।

(2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि धारा 12(1) के अन्तर्गत के सक्षम प्राधिकारीगण को प्रेषित प्रतिवेदनों का विवरण:–

| कालावधि | धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित प्रतिवेदन |
|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | 3 |
| 1-4-08 to 31-3-09 | 2 |
| 1-4-09 to 31-3-10 | 6 |
| 1-4-10 to 31-3-11 | 11 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 6 |

(3) 1.5.07 से 31.3.11 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये अन्वेषण प्रतिवेदनों एवं उनमें की गई सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शित करने वाले प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–4ए** में दिया गया है। विस्तृत विवरण पूर्व के प्रतिवेदनों में दिया जा चुका है।

## 2.5 विशेष प्रतिवेदन

(1) 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में **4** प्रकरणों में और विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किये गये जिनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–5** में दिया गया है।

(2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि में धारा 12(3) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदनों का विवरण:–

| कालावधि | धारा 12(3) के अन्तर्गत प्रेषित विशेष प्रतिवेदन |
|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | - |
| 1-4-08 to 31-3-09 | - |

| | |
|---|---|
| 1-4-09 to 31-3-10 | 2 |
| 1-4-10 to 31-3-11 | 1 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 4 |

(3) 1.5.07 से 31.3.11 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये गये **3** विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–5ए** में दिया गया है।

## 2.6 लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने पर विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण

(1) 1.4.11 से 31.3.12 तक की कालावधि में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शिकायतों पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा **155** विभिन्न प्रकरणों में **325** विभिन्न लोकसेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ की गई/निर्णीत की गई जिनका का विभागवार संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–6** में तथा इनमें से अधिसंख्य प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अध्याय–4** में दिया गया है।

(2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि की विभागीय कार्यवाहियों का विवरण:-

| कालावधि | प्रकरणों की संख्या | लोकसेवक, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रस्तावित है/लंबित है/निर्णीत हो चुकी है |
|---|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | 49 | 85 |
| 1-5-08 to 31-3-09 | 32 | 74 |
| 1-4-09 to 31-3-10 | 63 | 119 |
| 1-4-10 to 31-3-11 | 42 | 83 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 155 | 325 |
| **कुल** | **341** | **686** |

## 2.7 अनुतोष के प्रकरण

(1) 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप के पश्चात् **64** प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष प्राप्त हुआ जिसका विभागवार संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–7** में तथा इनमें अधिसंख्य प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अध्याय–5** में दिया गया है।

(2) 1.5.07 से 31.3.12 की कालावधि के अनुतोष प्रकरणों का विवरण:-

| कालावधि | अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरण |
|---|---|
| 1-5-07 to 31-3-08 | 138 |
| 1-4-08 to 31-3-09 | 67 |
| 1-4-09 to 31-3-10 | 61 |

| | |
|---|---|
| 1-4-10 to 31-3-11 | 59 |
| 1-4-11 to 31-3-12 | 64 |
| **कुल** | **389** |

**परिशिष्ट–1**

## 1.4.11 से 31.3.12 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई कुल शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

| शीर्ष सं. | विभाग का नाम | 31.3.11 को लंबित शिकायतें | 1.4.11 से 31.3.12 तक प्राप्त शिकायतें | योग कॉलम 1 व 2 | 1.4.11 से 31.3.12 तक की शिकायतों का निपटारा | 31.3.12 को लंबित रही शिकायतें (3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | कृषि | 0 | 18 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | पुलिस | 108 | 307 | 415 | 284 | 131 |
| 4 | सहकारिता | 5 | 41 | 46 | 34 | 12 |
| 5 | शिक्षा | 57 | 107 | 164 | 118 | 46 |
| 6 | कॉलेज शिक्षा | 5 | 14 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | खाद्य एवं आपूर्ति | 5 | 24 | 29 | 21 | 8 |
| 8 | चिकि. एवं स्वा. | 30 | 58 | 88 | 58 | 30 |
| 9 | सा.नि.वि. | 5 | 19 | 24 | 19 | 5 |
| 10 | विद्युत कम्पनियां | 31 | 61 | 92 | 67 | 25 |
| 11 | राजस्व | 136 | 343 | 479 | 329 | 150 |
| 12 | ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज | 69 | 216 | 285 | 155 | 130 |
| 13 | अकाल एव राहत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | यातायात | 8 | 13 | 21 | 18 | 3 |
| 15 | वन | 8 | 24 | 32 | 17 | 15 |
| 16 | यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी | 212 | 295 | 507 | 260 | 247 |
| 17 | जनसम्पर्क | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | आबकारी | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 19 | उद्योग | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 |
| 20 | मुद्रण एवं लेखन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | पशुपालन | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 22 | भंग माथुर आयोग के प्रकरण | 0 | 1502 | 1502 | 18 | 1484 |
| 23 | सिंचाई | 8 | 23 | 31 | 22 | 9 |
| 24 | इं.गा.नहर परि. | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 25 | राणा प्र. सागर/जवाहर सागर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उपनिवेशन | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | न्याय | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 29 | जेल | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | श्रम | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | पी.एच.ई.डी. | 12 | 26 | 38 | 26 | 12 |
| 32 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 9 | 16 | 25 | 18 | 7 |
| 33 | भू-प्रबन्ध | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 34 | सचिवालय | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 35 | विविध | 90 | 263 | 353 | 250 | 103 |
| 40 | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 41 | आयुर्वेद | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 42 | देवस्थान | 7 | 12 | 19 | 10 | 9 |
| 43 | रा.रा.प.प.निगम | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 44 | वाणिज्यिक कर | 9 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 45 | खान एव भूविज्ञान | 3 | 27 | 30 | 14 | 16 |
| 46 | संस्कृत शिक्षा | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 47 | बीमा एवं प्रा.निधि | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | तकनीकी शिक्षा | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| योग:- | | 857 | 3495 | 4352 | 1846 | 2506 |

**परिशिष्ट–2**

## 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि के प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण

| क्र.सं. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 31.3.11 को लम्बित प्रारंभिक जांच | 10 |
| 2. | 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि के दौरान संस्थित प्रारंभिक जांचें | 15 |
| 3. | योग (पंक्ति संख्या 1 व 2) | 25 |
| 4. | जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके | 1 |
| 5. | जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई | – |
| 6. | मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण | – |
| 7. | जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये | – |
| 8. | अनुतोष प्राप्त हो गया | – |
| 9. | मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण | 2 |
| 10. | लोकसेवक न रहने के कारण | – |
| 11. | अन्य कारणों से | 2 |
| 12. | जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया | 2 |
| 13. | जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई | 1 |
| 14. | निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 13) | 8 |
| 15. | 31.3.12 को लम्बित प्रारंभिक जांच | 17 |

---

**परिशिष्ट–3**

## 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

| क.सं. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 31.3.11 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण | 14 |
| 2. | 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये | 3 |
| 3. | योग (पंक्ति संख्या 1 व 2) | 17 |
| 4. | अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण | 2 |
| 5. | मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध प्रकरण | – |
| 6. | अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के कारण | – |
| 7. | लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण नस्तीबद्ध प्रकरण | – |
| 8. | जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा–12(1) के अधीन प्रतिवेदन प्रेषित किये गये | 3 |
| 9. | धारा–12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदन* के प्रकरण के लिंक प्रकरण | 2 |
| 10. | कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 9) | 7 |
| 11. | 31.3.12 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण | 10 |

***नोटः- प्रकरण संख्या 18(7)2000 की लिंक पत्रावली संख्या 18(5)2000 एवं 18(6)लोआस/2000**

**परिशिष्ट–4**

## 1.4.11 से 31.3.12 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

| क्र. सं. | पत्रावली संख्या | लोकसेवक का नाम एवं पदनाम आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण | सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक | अनुशंसा | सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **16(28)2007 प्रा.जां.** | **लोकसेवकः–**श्री महेश यादव, क्लर्क, यू.आई.टी. अलवर<br><br>**आरोपः–**असावधानीपूर्वक कार्य करने जिससे परिवादी की विपक्षी पार्टी को अनुचित लाभ मिला | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर<br><br>सचिव, यू.आई.टी ,अलवर<br><br>13.5.11 | सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे | सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 10.8.11 द्वारा सूचित किया कि लोकसेवक श्री महेश यादव, मुंशी, नगर विकास न्यास, अलवर को उनके कार्यालय के पत्रांक 5685/11 दिनांक 13.7.11 के द्वारा 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। |
| 2 | **16(47)2002 अन्वेषण** | **लोकसेवकः–**श्री रामकुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं<br><br>**आरोपः–**नगरपालिका बोर्ड की पुष्टि कराये बिना, नगरपालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य 'शिवमंदिर से नाईयों की बगीची तक नाला निर्माण वार्ड नं. 25', जिसकी लम्बाई 50+300 अर्थात लगभग 350 मीटर थी, को अपनी मनमर्जी एवं स्वेच्छापूर्वक, 'अमरचन्द के मकान वार्ड नं. 25 से सुजानगढ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते तक नाला निर्माण का कार्य', शक्तियां तथा अधिकारिता ना होते हुए भी, नाले की लम्बाई को लगभग 800 मीटर तक स्वेच्छापूर्वक बढाते हुए, कार्यादेश देकर कार्य करवाने बाबत | माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर<br><br>7.7.11 | राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 तथा राजस्थान म्यूनिसीपल सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 36(3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। | निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकः प. 2(क)(235)लोका/जांच/डीएलबी/11/3467 दिनांक 25.11.11 के अनुसार लोकसेवक श्री रामकुमार आर्य को दिनांक 14.11.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है।<br><br>विभागीय जांच के अंतिम परिणाम की सूचना अपेक्षित है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **35(58)2000**<br>**अन्वेषण** | **लोकसेवकः-**श्री समीर सिंह आई.ए.एस.<br>तत्कालीन जिला कलेक्टर,<br>सवाईमाधोपुर<br><br>**आरोपः-**जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के पद रहते हुए पद का दुरूपयोग करते हुए सवाईमाधोपुर जिले के निवासियों एवं रीको के कर्मचारियों से भारी राशि एकत्र करने एवं श्री बद्री लाल व प्रेमराज से ग्रामसेवक के पद पर नियुक्ति की एवज में रूपये 50,000/- की अवैध रूपये राशि प्राप्त करने। | प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।<br><br>9.12.11 | लोकसेवक को भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। | अनुशंसा की पालना में की जाने हेतु प्रस्तावित या की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है। |
| 4<br>5<br>6 | **18(7)2000**<br>लिंक फाइल<br>**18(5)2000**<br>लिंक फाइल<br>**18(6)2000** | वर्ष 1999-2000 में आबकारी ठेकों में अनियमितताओं के संबंध में। | माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान<br>17.1.12 | भविष्य में आबकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले लाईसेंस की शर्तो में ठेकेदारों द्वारा हैसियत व जमानत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बजाय बैंक गारण्टी प्रस्तुत कराई जावे। | अनुशंसा की पालना में की जाने हेतु प्रस्तावित या की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है। |

**परिशिष्ट–4ए**

## 1.5.07 से 31.3.11 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदन एवं उनमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के प्रकरण

| क्र.सं. | पत्रावली संख्या | लोकसेवक का नाम एवं पदनाम | आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण | सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक | अनुशंसा | सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11(39)2000 | **श्री शिवदत्त गौड़,** तत्कालीन तहसीलदार, बाली<br><br>**श्री जगदीश्वर दयाल,** पटवारी, भू-अभिलेखतहसील बाली, जिला पाली | परिवादी की भूमि को क्रय करने हेतु अनुचित दबाव डालने के लिये पेड़ काटने की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर अनुचित अपहानि पहुंचाने के लिये | माननीय राजस्व मंत्री<br><br>शासन सचिव, राजस्वविभाग<br><br>दि:14.06.07 | दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। | श्री जगदीश्वर दयाल के विरूद्ध विभागीय जांच के उपरान्त उसे दोषमुक्त कर दिया गया है।<br><br>**श्री शिवदत्त गौड़ के संबंध में सूचना अपेक्षित है।** |
| 2. | 23(19)2000 प्रा.जां. | **श्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई उपखण्ड, भंवरगढ़, जिला बारां।** | सेवापुस्तिका खो जाने में लापरवाही बरतने एवं समर्पित अवकाशों हेतु दुबारा आवेदन कर भुगतान प्राप्त करने के संबंध में ही उक्त आदेश से दंडित किया गया जबकि उसके विरूद्ध अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर व रिकार्ड में हेरा-फेरी कर सबूत नष्ट करने, वाउचरों में हेरा-फेरी कर राशि हड़प करने, स्टोर में रहकर स्टोर का सामान गायब करने आदि के आरोप भी प्रमाणित पाये गये थे। | शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। दि:14.06.07 | लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा के आदेश कमांक: अमुअ/सिं/डी.ई./41/87/9719-24 दिनांक 16.6.03 को रिव्यू करके उचित दंडादेश पारित करें | अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की **सूचना अपेक्षित है।** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42(5)99 | **श्री बनवारी लाल शर्मा,** तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। **श्री शिवभगवान राजपुरोहित,** तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। **श्री हरिओम शर्मा,** वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। | श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त व श्री हरिओम शर्मा, व.लि. द्वारा जानबूझ कर वांछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाने व जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथियों में नोटिंग करने तथा श्री शिवभगवान राजपुरोहित द्वारा प्रन्यास के चुनाव में पद का दुरूपयोग व वित्तीय अनियमिताएं करने | माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान शासन सचिव, देवस्थान विभाग, दि:20.06.07 | सीसीए नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे। | श्री हरिओम शर्मा को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।<br><br>श्री बनवारी लाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं।<br><br>श्री शिव भगवान राजपुरोहित के विरूद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही को निर्णय दि: 9.6.11 के तहत् सेवानिवृत्त हो जाने व कोई वित्तीय हानि न होने के कारण ड्राप कर दिया गया है। |
| 4 | 44(9)2000 | **श्री पी.के.देब** आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर। | अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, अजमेर के मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए केवल मरम्मत के आधार पर ही नियमविरूद्ध तरीके से पांच साल के लिए मनोरंजन कर में छूट प्रदान कर राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में। | माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान दि: 26.2.09 | लोकसेवक के विरूद्ध पूर्ण विभागीय जांच की जावे व मनोरंजन कर छूट प्रदान कर राजकोष को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी वसूली कर दण्डित किया जावे । | सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं पाये जाने पर दि: 23.2.10 **महामहिम राज्यपाल** को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। |
| 5 | 11(198)2002 | **श्री समीर सिंह चन्देल** आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर | श्री उदय सिंह व हुकुमराज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पदों पर नियुक्ति दिलाने की एवज में उदयसिंह के भाई सुमेर सिंह व हुकुमराज से एक-एक लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के संबंध में । | माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान दि: 5.3.09 | भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे व आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निलम्बित किया जावे । | सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं पाये जाने पर दि: 23.2.10 **महामहिम राज्यपाल** को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8(10)2007 अन्वेषण | **डॉ. भरत मीणा,** तत्कालीन मेडीकल ज्यूरिस्ट **श्री छिद्दाराम** शर्मा, तत्कालीन मेल नर्स-प्रथम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना | परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में विपक्षी पार्टी को लाभ पहुंचाने की गरज से परिवादी की पुत्रवधु के एक ही दिन में दो भिन्न-2 चोट प्रतिवेदन तैयार किये | माननीय चिकित्सा मंत्री दि:14.9.09 | सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | **श्री छिद्दाराम** को आदेश दिनांक 11.5.09 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया है। **डा. भरतलाल मीणा** को प्रकरण के संबंध में दिनांक 29.8.06 के आदेश से 17 सीसीए के अन्तर्गत भविष्य में सावचेत होकर कार्य करने की चेतावनी दी जा चुकी थी। |
| 7 | 8(39)2004 अन्वेषण | **डॉ. विजय भादू,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक केन्द्र, सूरतगढ़ | भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बनाया जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक जेल में रहना पड़ा। | माननीय चिकित्सा मंत्री दि: 12.10.09 | सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | अनुशंसा की पालना में 2 वर्ष तक भी नहीं किये जाने **पर महामहिम राज्यपाल** को दिनांक 22.11.11 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। |
| 8 | 3(76)2004 अन्वेषण | **श्री लालसिंह,** एस. आई., तत्कालीन थाना प्रभारी, **श्री राजेन्द्र सिंह,** ए.एस.आई., पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला अलवर। | कार्यवाही करने की एवज में रू. 2000 की रिश्वत मांगे जाने, जो नहीं देने पर उल्टा उसे ही 151 में बंद करने बाबत। | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग दि: 4.12.09 | सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | गृह विभाग के पत्र कमांक: प.13(3)गृह-1/ 2010 दिनांक 2.9.11 के अनुसार दोनों लोकसेवकों को दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि भावी प्रभाव के अवरूद्ध किये जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। |
| 9 | 11(191)2004 अन्वेषण | **श्री गोपालराम** बिरदा, तत्कालीन एस.डी.ओ., झुन्झूनू | भूमि सम्परिवर्तन हेतु मांगी गई रिश्वत की राशि नहीं देने पर अनुचित विलम्ब करना व निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र को निर्णीत नहीं किये जाने बाबत। | माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) दि: 4.2.10 | सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | पत्र दि. 6.4.11 के अनुसार 24.3.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। जांच परिणाम **अपेक्षित** है। पत्रावली नस्तीबद्ध की जा चुकी है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46(4)2000 अन्वेषण | **श्री जी.पी.शुक्ला,** तत्कालीन निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।<br><br>**श्री मुरली सिंह**, वाहन चालक, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर। | श्री मुरली सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई एवं<br>श्री जी.पी.शुक्ला द्वारा बिना सत्यापन कराये ही श्री मुरली सिंह के विरूद्ध चल रहे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। | माननीय<br>माननीय<br>मुख्यमंत्री<br>(प्रभारी कार्मिक विभाग)<br><br>शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग<br>आदेश<br>दि: 26.3.10 | सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | अनुशंसा की पालना नहीं किये जाने पर दिनांक 9.6.11 को **महामहिम राज्यपाल को** विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। |
| 11 | 3(29)2009 अन्वेषण | **श्री रामदेव सिंह,** तत्कालीन वृत निरीक्षक., एस.एच.ओ. थाना, चिड़ावा, जिला झुन्झूनू। | अतिक्रमियों को नाजायज लाभ पहुंचाने हेतु रिपोर्ट दर्ज नहीं करने। | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग<br>आदेश<br>दि: 22.3.10 | सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | पुलिस अधीक्षक, झुन्झूनू के निर्णय क्र: डीओबी-763 दि: 30.11.10 के अनुसार लोकसेवक को 17 सीसीए के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। |
| 12 | 10(28)2004 | **श्री आर.के. खण्डेलवाल,** तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निमगम लिमिटेड, सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर | घरेलु विद्युत कनेक्शन की एवज में दो हजार रूपये की रिश्वत की मांग करना, फिर एक हजार रूपये की रिश्वत की राशि प्राप्त करना तथा बाकी एक हजार की राशि नहीं देने पर कनेक्शन में अनुचित विलम्ब करना। | माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग<br><br>दि: 10.5.10 | 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये है।<br>परिणाम की सूचना **अपेक्षित** है। |
| 13 | 3(59)2008 | **श्री दिनेश शर्मा,** तत्कालीन थानाधिकारी, थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर | विवादित भूखण्ड पर अपने भांजे का कब्जा करवाने, पुलिस पर नाजायज दबाव डालने के संबंध में। | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर<br><br>दि: 10.5.10 | 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे। | अनुशंसा के अनुरूप कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 16.2.12 को **महामहिम राज्यपाल** को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। |
| 14 | 3(18)2008 | **श्री जगदीश सिंह,** ए.एस.आई., पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं | रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने के संबंध में। | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर<br><br>दि: 24.5.10 | सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | 17 सीसीए के अन्तर्गत जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8(19)2007 | **डॉ0सम्पत सिंह जोधा**<br>ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना, नागौर | किसान योजना का लाभ दिलवाने के लिए स्वाभाविक रूप से होने पर भी सांप के कांटने होने वाली मृत्यु का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जबकि उस दिन डा.जोधा अवकाश पर थे,जांच प्रारंभ किये जाने पर अभिलेख में छेड़छाड़ कर उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही करने। | माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग<br><br>दि: 16.6.10 | निलम्बित कर 16 सीसीए की कार्यवाही की जावे,एफआईआर दर्ज करवाई जावे।उपस्थिति एवं अवकाश पंजिका के गुम होने के संबंध में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कीजावे। | डा. सम्पत सिंह जोधा को निलम्बित कर एफ. आई.आर. दर्ज करवा दी गई है, परन्तु 16सीसीए के आरोप पत्र जारी होने की सूचना अपेक्षित है।।<br><br>श्री जियाउर रहमान, कनिष्ठ लिपिक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।<br><br>सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही संतुष्ट न होने पर दिनांक 13.9.11 को महामहिम राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।<br><br>शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 29.3.12 अनुसार लोकसेवक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया था। तत्पश्चात् लोकसेवक द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत न करने पर प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए विस्तृत जांच जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। |
| 16 | 16(102)2004 | **श्री राजेश अरोड़ा,**<br>कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका,केसरी-सिंहपुर, श्रीगंगानगर | परिवादी से अनुचित रूप से कमीशन की मांग की जो नहीं देने पर सामुदायिक भवन तुड़वाने की धमकी दी। | प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर<br><br>दि: 16.6.10 | 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | 16 सीसीए में आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10(27)2007 | **वी.के.सेठी,** सहायक अभियन्ता, **गिरधारी लाल सिहाग,** कनिष्ठ अभियन्ता **कुलविन्दर सिंह सन्धू,** कनिष्ठ अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. श्रीगंगानगर | वीसीआर की राशि के पेटे प्राप्त होने होने वाले 10 प्रतिशत कमीशन के लिए बिजली चोरी का झूँठा आरोप लगाना व 5000 रूपये की रिश्वत मांगना। | माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार<br><br>शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर<br><br>दि: 18.6.10 | लागू होने वाले नियमों के तहत् उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। | अनुशंसा की पालना पांच माह तक भी नहीं किये जाने पर **महामहिम राज्यपाल को 1.12.10 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।** 17.8.10 को तीनों लोकसेवकों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये है। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। |
| 18 | 8(41)2003 | **डा. छाया कालरा,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थांवला, जिला नागौर। | श्रीमती गीतादेवी को इलाज हेतु अस्पताल की बजाय अपने घर पर भर्ती रखा तथा 3 हजार रूपये की मांग की व 2 हजार रूपये लिये फिर भी श्रीमती गीतादेवी का सही ढंग से इलाज नहीं किया तथा समय पर रैफर नहीं किया। | माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग<br><br>दि: 29.7.10 | 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 18(8)चिस्वा/2/10 दिनांक 10.2.11 के अनुसार लोकसेवक डा. छाया कालरा को दिनांक 7.2.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। |
| 19 | 35(21)2003 | **श्री राजीव विजय,** तत्का.उप निरीक्षक **श्री बलवीर सिंह** तत्कालीन उप.निरी. परिवहन विभाग, उदयपुर | राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैकिंग का कार्य करते समय वाहनों से राशि वसूल करने | शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज. जयपुर<br>दि: 29.7.10 | 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं।<br>परिणाम की सूचना अपेक्षित है। |
| 20 | 8(30)2005 | **डॉ. हरिओम बंसल,** चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़। | लाठी की चोट को गंभीर चोट बताने की रिपोर्ट बनाने की एवज में 5000 रूपये की रिश्वत लेकर भी। | माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग<br><br>दि: 27.8.10 | 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | 16 सीसीए के आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। पत्रावली नस्तीबद्ध की जाचुकी है। |
| 21 | 44(18)2002 | **श्रीरजनीकान्त कस्वां,** एसीटीओ, एन्टीइवेजन, वार्ड-ा,सर्किल -ा, **श्री मनरूप सिंह,** वाणि.कर निरीक्षक, **श्री महेश कुमार** गोवला, तत्का. स. वाणि. कर अधि, शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट, अलवर | सुविधाशुल्क के बदले बिना टैक्स चुकाये दिल्ली से जयपुर माल परिवहन करने की कहने, नहीं मानने पर बिना एन्ट्री माल परिवहन करने के मामले में झूँठा फंसाने तथा रजिस्टर में की हुई एन्ट्री में कांटछांट करने के संबंध में। | माननीय मंत्री, वित्त विभाग<br><br>प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर<br><br>दि: 7.9.10 | उचित विभागीय कार्यवाही की जावे। | चूँकि निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने हेतु लिखा गया है।<br><br>कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3(200)2005 | **श्री सुरेन्द्र सिंह,** थानाधिकारी, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर | प्राथमिकी दर्ज न करने व चोटों की मेडीकल न करवाने। | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, दि: 14.10.10 | सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। | लोकसेवक की मृत्यु हो चुकी है। |

**परिशिष्ट-5**

## 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किये गये विशेष प्रतिवेदनों का विवरण

| क्र. सं. | पत्रावली संख्या | लोकसेवक का नाम एवं पदनाम जिसके संबंध में विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया | प्रेषित किये जाने की दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | 46(4)2000 | **लोकसेवकः-**<br>▪ **श्री जी.पी.शुक्ला,** अर.ए.एस. तत्कालीन निदेशक, संस्कृत शिक्षा<br>▪ **श्री मुरली सिंह,** चालक, संस्कृत शिक्षा<br><br>**आरोपः**-श्री मुरलीसिंह चालक को फर्जी दस्तावेजात के आधार पर चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने का दोषी पाये जाने के बावजूद भी उसे जानबूझकर विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त करने के संबंध में।<br><br>**<u>विशेष विवरणः-</u>**<br>सक्षम प्राधिकारी माननीय माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) एवं शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग को आदेश दिनांक 26. 3.10 के द्वारा दिनांक 5.4.10 को प्रेषित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा की पालना में कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 9.6.11 को महामहिम राज्यपाल महोदय को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है।)** | 9.6.11 |
| 2. | 8(19)2007 | **लोकसेवकः-डा. सम्पत सिंह,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना, जिला नागौर<br><br>**आरोपः**-ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बावजूद एवं गेनाराम की मृत्यु दिनांक 22.3.06 को होने के बावजूद, उसके परिजनों को राज्य सरकार की योजना के अनुसार 50,000/- का मुआवजा दिलाने के दुराशय से उसकी मृत्यु दिनांक 24.3.06 को होने का प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख फर्जी रूप से तैयार करना। उक्त गलत कृत्य को सही साबित करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपस्थिति पंजिका में बैकडेट में अपने हस्ताक्षर करना तथा इस हेतु अस्पताल के अभिलेख में छेड़छाड़ करना। मृतक परसराम, जिसकी मृत्यु जहर के सेवन से अप्राकृतिक रूप से हुई थी, की मृत्यु की सूचना पुलिस को नहीं देना और न ही पोस्टमार्टम कराना। | 13.9.11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **<u>विशेष विवरणः-</u>**<br>सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 16.6.10 को प्रेषित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा की पालना में 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं किये पर दिनांक 13.9.11 को महामहिम राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।<br><br>**कार्यवाहीः-** शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 29.3.12 अनुसार लोकसेवक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया था। तत्पश्चात् लोकसेवक द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत न करने पर प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए विस्तृत जांच जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।<br>**(अन्वेषण प्रतिवेदन 26वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है)** | |
| 3. | 8(39)2004 | **लोकसेवकः- डा. विजय भादू,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर<br><br>**आरोपः-** आहत रणवीर के लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बनाने जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक जेल में रहना पड़ा<br><br>**<u>विशेष विवरणः-</u>**<br>सक्षम प्राधिकारी माननीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक 12.10.09 को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा की पालना लगभग 2 वर्ष तक भी नहीं किये जाने पर महामहिम राज्यपाल को दिनांक 22.11.11 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है)** | 22.11.11 |
| 4. | 3(59)2008 | **लोकसेवकः- श्री दिनेश शर्मा,** सी.आई. तत्कालीन एस.एच.ओ., पुलिस थाना, ब्रह्मपुरी, जयपुर।<br><br>**आरोपः-** वन विभाग की भूमि पर बेनामी रूप से फर्जी रूप से क्रय करना बता कर अतिक्रमण कर निर्माण कर करने व अनुसंधान अधिकारी पर दबाव बनाने आदि।<br><br>**<u>विशेष विवरणः-</u>**<br>सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 28.4.10 में 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने की गई अनुशंसा की पालना नहीं किये जाने पर महामहिम राज्यपाल को दिनांक 16.2. | 16.2.12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 12 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन 26वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है)** | |

**परिशिष्ट-5ए**

## 1.5.07 से 31.3.11 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किये गये विशेष प्रतिवेदनों का विवरण

| क्र. सं. | पत्रावली संख्या | लोकसेवक का नाम एवं पदनाम जिसके संबंध में विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया | प्रेषित किये जाने की दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | 44(9)2000 | श्री पी.के.देब आई.ए.एस.<br>तत्कालीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।<br>**आरोप:**-पद का दुरूपयोग करते हुए न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, अजमेर के मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए केवल मरम्मत के आधार पर ही नियमविरूद्ध तरीके से पांच साल के लिए मनोरंजन कर में छूट प्रदान कर राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में।<br>**<u>विशेष विवरण:-</u>** अन्वेषण में आरोप पूर्णतया सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक: 26.2.2009 को अन्वेषण प्रतिवेदन प्रेषित कर लोकसेवक के विरूद्ध उस पर लागू नियमों के तहत् पूर्ण विभागीय जांच करने व मनोरंजन कर छूट प्रदान कर राजकोष को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी वसूली कर दण्डित करने की अनुशंसा की गई। अनुशंसानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर दि: 23.2.10 को महामहिम राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।<br>**(अन्वेषण प्रतिवेदन 24वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है)** | 23.2.10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | 11(198)02 | श्री समीर सिंह चन्देल आई.ए.एस.<br>तत्कालीन जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर<br>**आरोपः**–श्री उदय सिंह व हुकुमराज को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पदों पर नियुक्ति दिलाने की एवज में उदयसिंह के भाई सुमेर सिंह व हुकुमराज से एक-एक लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने के संबंध में।<br>**<u>विशेष विवरणः-</u>** अन्वेषण में आरोप सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 5.3.09 को अन्वेषण प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अनुशंसा की गई कि श्री समीर सिंह चन्देल के विरूद्ध भारी शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु सम्बधित नियमों के तहतृ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जावे व आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे निलम्बित करने पर विचार किया जावे। अनुशंसा के अनुरूप कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 23.2.10 को महामहिम राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। **(अन्वेषण प्रतिवेदन 24वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है)** | 23.2.10 |
| 3. | 10(27)07 | **लोकसेवकः-**<br>▪ श्री वी.के.सेठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता,<br>▪ श्री गिरधारी लाल सिहाग, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता<br>▪ श्री कुलविन्दर सिंह सन्धू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीगंगानगर<br><br>**आरोपः**–वीसीआर की राशि के पेटे प्राप्त होने होने वाले 10 प्रतिशत कमीशन के लिए बिजली चोरी का आरोप लगा कर गलत वीसीआर काटना व 5000 रूपये की रिश्वत मांगना।<br><br>**<u>विशेष विवरणः-</u>**<br>**सक्षम प्राधिकारी- माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार** एवं **शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार**, **जयपुर** द्वारा दिनांक 18.6.10 को प्रेषित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा की पालना पांच माह तक भी नहीं किये जाने पर **महामहिम राज्यपाल को दिनांक 1.12.10 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।**<br><br>ऊर्जा विभाग से प्राप्त अ.शा. टीप दिनांक 29.12.10 के अनुसार दिनांक 17.8.10 को विनयम संख्या 6 के तहत् तीनों लोकसेवकों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है। **(अन्वेषण प्रतिवेदन 26वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है)** | 1.12.10 |

परिशिष्ट-6

## 1.4.11 से 31.3.12 की अवधि में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्रवाइयों के प्रकरण

| शीर्ष संख्या | विभाग का नाम | लोक-सेवक | शीर्ष संख्या | विभाग का नाम | लोक-सेवक |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | कृषि | 25 | 23 | सिंचाई | 4 |
| 3 | पुलिस | 14 | 24 | इगानप | - |
| 4 | सहकारिता | - | 25 | राणा प्र.सागर/ज.सागर | - |
| 5 | शिक्षा | 16 | 26 | उपनिवेशन | - |
| 6 | कॉलेज शिक्षा | - | 28 | न्याय | - |
| 7 | खाद्य एवं आपूर्ति | 1 | 29 | जेल विभाग | - |
| 8 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 13 | 30 | श्रम विभाग | - |
| 9 | सार्वजनिक निर्माण | - | 31 | जनस्वा.अभियांत्रिकी | 26 |
| 10 | विद्युत कम्पनियां | 3 | 32 | सामाजिक न्याय एवं अधि. | 5 |
| 11 | राजस्व | 50 | 33 | भू-प्रबन्ध विभाग | 2 |
| 12 | ग्रा.वि.एवं पंचायतीराज | 64 | 34 | सचिवालय | - |
| 13 | अकाल एव राहत | - | 35 | विविध | 42 |
| 14 | यातायात | - | 40 | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | 1 |
| 15 | वन | 1 | 41 | आयुर्वेद | 1 |
| 16 | नविआ/जविप्रा/एलएसजी | 50 | 42 | देवस्थान | - |
| 17 | जनसम्पर्क | - | 43 | आर.एस.आर.टी.सी. | - |
| 18 | आबकारी | - | 44 | वाणिज्यिक कर | 2 |
| 19 | उद्योग | 4 | 45 | खान एव भूविज्ञान | 1 |
| 20 | मुद्रण एवं लेखन | - | 46 | संस्कृत शिक्षा | - |
| 21 | पशुपालन | - | 47 | राज्य बीमा एवं प्रा.नि. | - |
| 22 | भंग माथुर आयोग के प्रकरण | - | 48 | तकनीकी शिक्षा | - |
| | | | | कुल योगः- | 325 |

नोटः-आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में शिक्षा विभाग की लोकसेविका के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा कार्यवाही नहीं करने की शिकायत पर शीर्ष 40 में पत्रावली संख्या एफ.40((2)लोआस/10 संस्थित की गई थी। लोकसेविका को विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही में दण्डित कर दिया गया है। भ.नि.ब्यूरों के किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच नहीं की गई।

**परिशिष्ट–7**

## 1.4.11 से 31.3.12 तक की कालावधि के अनुतोष प्रकरण

| शीर्ष संख्या | विभाग का नाम | संख्या | शीर्ष संख्या | विभाग का नाम | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | कृषि | - | 23 | सिंचाई | - |
| 3 | पुलिस | 2 | 24 | इन्दिरा गांधी नहर परियोजना | - |
| 4 | सहकारिता | - | 25 | राणा प्र. सागर/जवाहर सागर | - |
| 5 | शिक्षा | 7 | 26 | उपनिवेशन | - |
| 6 | कॉलेज शिक्षा | 1 | 28 | न्याय | - |
| 7 | खाद्य एवं आपूर्ति | 3 | 29 | जेल विभाग | - |
| 8 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 1 | 30 | श्रम विभाग | - |
| 9 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | 2 | 31 | जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग | - |
| 10 | विद्युत कम्पनियां | 5 | 32 | सामाजिक न्याय एवं अधि. | 3 |
| 11 | राजस्व | 17 | 33 | भू-प्रबन्ध विभाग | - |
| 12 | ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज | 3 | 34 | सचिवालय | - |
| 13 | अकाल एव राहत | - | 35 | विविध | 7 |
| 14 | यातायात | 1 | 40 | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | - |
| 15 | वन | 1 | 41 | आयुर्वेद | - |
| 16 | नविआ/जविप्रा/एलएसजी | 9 | 42 | देवस्थान | 1 |
| 17 | जनसम्पर्क | - | 43 | राज. राज्य पथ परिवहन निगम | - |
| 18 | आबकारी | - | 44 | वाणिज्यिक कर | - |
| 19 | उद्योग | - | 45 | खान एव भूविज्ञान | - |
| 20 | मुद्रण एवं लेखन | - | 46 | संस्कृत शिक्षा | - |
| 21 | पशुपालन | - | 47 | राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि | 1 |
| 22 | भंग माथुर आयोग के प्रकरण | - | 48 | तकनीकी शिक्षा | - |
| | | | | **योगः** | **64** |

**अध्याय–3**

# अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण
## (1.4.11 से 31.3.12)

### 1. एफ.16(28)लोआस/2007

परिवादी श्री परवीन मंगला पुत्र स्व. श्री गोपाल दास मंगला, एस.सी.एफ.–35, शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर–11डी, फरीदाबाद ने दिनांक 31.5.07 को प्रस्तुत शिकायत में यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा गांव बेलाका व दिवाकरी, जिला अलवर में प्रस्तावित पार्कसिटी टाउन बनाने के लिए मैसर्स ओमवे बिल्ड एस्टेट से भागीदारी की गई। इस संबंध में उनका विवाद रिटायर्ड मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय माननीय वाई.के. सब्बरवाल साहब के समक्ष लंबित है। परिवादी ने आगे आरोप लगाया कि मैसर्स ओमवे बिल्ड एस्टेट के निदेशक श्री जनक गोयल व श्री घनश्याम ने झूंठे व कूटकृत दस्तावेजात बनाकर यूआईटी अलवर में कार्यरत लोकसेवकों की सहायता से झूंठी साक्ष्य गढी। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए शुरूआत में ही इस प्रकरण में दिनांक 23.7.07 प्रांरभिक जांच करने के आदेश दिये गये।

प्रारंभिक जांच के दौरान् पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से परिवादीगण द्वारा लगाया गया यह आरोप निर्विवाद रूप से साबित हुआ कि यूआईटी अलवर की पत्रावली में विवादित मुख्त्यारनामें के पृष्ठ–2 पर 'रॉयल सिटी' पर सफेदा लगाकर 'पार्कसिटी' किया गया है परन्तु निश्चित तौर पर इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई कि यूआईटी अलवर के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी ने मुख्त्यारनामें में 'रॉयल' शब्द को मिटाकर 'पार्कसिटी' करने में सहयोग दिया हो, परन्तु यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट हुआ कि महेश यादव, डीलिंग क्लर्क, जिसने विवादित कूटकृत मुख्त्यारनामें की प्रति अन्य दस्तावेजों पेज 393 से 461/सी यूआईटी की पत्रावली में शामिल किये है, उसने लापरवाही से काम किया तथा इन दस्तावेजों पर किसी प्रकार का ना तो पृष्ठांकन किया, ना ही इनके संबंध में कोई नोटशीट लिखकर, अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत की। इसी वजह से इस मामले में इस लापरवाही के कारण इतना बडा विवाद खड़ा हो गया। अत: प्रथम दृष्टया तौर पर वह असावधानी का दोषी है। यह हो सकता है कि उसके कार्यकाल के दौरान मैसर्स ओमवे के जो अधिकारी नासिर अब्बास व अन्य एजेन्ट आते थे, उस दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी यह किया जाना संभव है, परन्तु यह संबंधित विभाग की जांच का विषय है। इस सचिवालय में जांच के दौरान महेश यादव को साक्ष्य हेतु तलब किया गया तथा इस बाबत स्पष्टीकरण देने का मौका भी दिया परन्तु वह इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इस परिस्थिति में इस सचिवालय स्तर पर अन्वेषण किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई व **श्री महेश यादव, क्लर्क, यू.आई.टी. अलवर** द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण, इनके विरूद्ध **सीसीए नियमों** के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु इनके सक्षम अधिकारी **प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर** को **दिनांक 13.5.11** को अनुशंषा की गई।

इसके अतिरिक्त, **सचिव, यू.आई.टी., अलवर** को भी पत्र **दिनांक 13.5.11** के साथ जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अनुशंषा की गई कि वह इस प्रकरण में श्री महेश यादव, क्लर्क के अतिरिक्त, जांच के दौरान यदि किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की लिप्तता पाई जावे तो उसके विरूद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक करें।

उक्त अनुशंसा की पालना में सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 10.8.11 द्वारा सूचित किया कि लोकसेवक श्री महेश यादव, मुंशी, नगर विकास न्यास, अलवर को उनके कार्यालय के पत्रांक 5685/11 दिनांक 13.7.11 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नि**यम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र** जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। इस यह पत्रावली दिनांक 14.9.11 को नस्तीबद्ध की गई। **विभागीय जांच में लिये गये निर्णय की सूचना अपेक्षित है।**

## 2. एफ.16(47)लोआस/2002

परिवादिया श्रीमती सुशीला शर्मा सहित नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर के 16 पार्षदों ने सम्मिलित रूप से एक शिकायत दिनांक 25.5.02 को इस आशय की प्रस्तुत की कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं ने मीटिंग दिनांक 27.4.02 के मिनिट्स अपनी मनमर्जी से लिखे, जिनकी पुष्टि बाद में कभी भी बोर्ड के सदस्यों द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार अपने आपको बचाने के लिऐ तथा अनियमितताओं को छिपाने के लिए गलत रूप से मिनिट्स लिखे गये। यह भी आरोप लगाया गया कि अधिशाषी अधिकारी ने अधिकृत न होते हुए भी तथा शक्तियां न होते हुए भी मकानों के निर्माण की स्वीकृतियां बोर्ड की स्वीकृति हुए बिना जारी की।

इस प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाये जाने के बाद दिनांक 8.10.02 को प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रारंभिक जांच के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर प्रारंभ में लोकसेवकगण सर्वश्री रामकुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं, श्री आर.पी.शर्मा, सहायक अभियन्ता, श्री रमेश मीणा, अधिशाषी अभियन्ता एवं श्री ललित कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के आदेश दिनांक 3.3.03 को प्रदान किये गये तथा साथ ही आरोपों की गंभीरता को देखते हुए लोकसेवक श्री राम कुमार आर्य, अधिशाषी अधिकारी को निलम्बित करने, श्री ललित कुमार शर्मा का स्थानान्तरण करने व स्थानीय व्यक्ति को उसी नगरपालिका में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त न करने की नीति बनाने की अंतरिम सिफारिश भी उनके सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र दिनांक 11.3.03 के द्वारा की गई। लोकसेवकगण को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.3.03 को नोटिस जारी किये गये परन्तु अनुसंधान के दौरान् यह तथ्य सामने आने पर कि श्री ललित कुमार शर्मा का नाम ललित

कुमार ओझा है तथा श्री आर.पी.शर्मा नाम का कोई सहायक अभियंता, नगरपालिका रतनगढ में कार्यरत नहीं था बल्कि सहायक अभियंता के पद पर श्री पूरणमल शर्मा पदस्थापित थे तथा इस तथ्य की पुष्टि निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 1059 दिनांक 16.7.05 द्वारा की गई, इसलिए प्रकरण में निम्नलिखित लोकसेवकण के विरूद्ध इस सचिवालय द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया गया:-

1. श्री राम कुमार आर्य, अधिशाषी अधिकारी
2. श्री ललित कुमार ओझा, कनिष्ठ अभियंता
3. श्री रमेश मीणा, अधीक्षण अभियंता
4. श्री पूरणमल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता

उक्त लोकसेवकगण को अन्वेषण नोटिस जारी किये गये तथा जवाब तलब किया गया। उन्हें अपने पक्ष में प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया गया।

अन्वेषण के दौरान् पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवक श्री रामकुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी, नगरपालिका, लाडनूं के विरूद्ध नगरपालिका बोर्ड की पुष्टि कराये बिना, नगरपालिका बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य '*शिवमंदिर से नाईयों की बगीची तक नाला निर्माण वार्ड नं. 25*', जिसकी लम्बाई 50+300 अर्थात लगभग 350 मीटर थी, को अपनी मनमर्जी एवं स्वेच्छापूर्वक, 'अमरचन्द के मकान वार्ड नं. 25 से सुजानगढ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते तक नाला निर्माण का कार्य', शक्तियां तथा अधिकारिता ना होते हुए भी, नाले की लम्बाई को लगभग 800 मीटर तक स्वेच्छापूर्वक बढाते हुए, कार्यादेश देकर कार्य करवाने के आरोप प्रमाणित पाये गये। अन्य लोकसेवकगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

अत: अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 30.6.11 की एक प्रति श्री रामकुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं के सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: 16(47)लोआस/002/2980 दिनांक 7.7.11 के द्वारा प्रेषित कर यह अनुशंसा की गई कि लोकसेवक श्री रामकुमार आर्य, के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 तथा राजस्थान म्यूनिसीपल सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 36(3) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से तीन माह में इस सचिवालय को अवगत करावे।

अनुशंसा की पालना में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: प. 2(क)(235)लोका/जांच/डीएलबी/11/3467 दिनांक 25.11.11 के द्वारा यह अवगत कराया कि **उक्त लोकसेवक श्री रामकुमार आर्य को दिनांक 14.11.11 को**

**16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है** जिस पर इस पत्रावली को दिनांक 2.12.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया। **विभागीय जांच के अंतिम परिणाम की सूचना अपेक्षित है।**

## 3. एफ.35(58)लोआस/2000

This complaint was received in this office on 12.10.2000 wherein it was alleged by complainant Shri Mahendra Singh S/o Shri Jai Singh, D-103, Amba Bari, Jaipur that Shri Sameer Singh and his wife Smt. Shubhra Singh, both IAS Officers, got registered a company known as ForestAlternative India Private Limited and its registered office was kept at New Delhi. The company was registered at serial No. 55/76821 and ShriAnand Singh father of Shri Sameer Singh IAS was made Chairman of the Company and Dr. Shiv Narain Singh Gautam resident of D-1, Shyam Nagar, Kanpur was made its Director, who was related to Shri Sameer Singh, was made its Director. The complainant was appointed as General Manger of the Company, but, it was alleged, the work of the Company was being done by IAS husband and wife. It was further stated that the registration and the direction of the Company was done without the permission of the Reserve Bank of India or SEBI and that the two IAS Officers, exercising power because of their status, collected lacs of rupees from the investors. The amount collected by both husband and wife is said to be Rs.1.25 crore. It was further stated that there is no office at the address given in the company papers and that entire 'dak' was received by one ShriAmit Goyal, CharteredAccountant of Delhi, who sent the Dak at 3, Keshav Path, NearAhimsa Circle,Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur. The further case stated in the complaint was that Shri Sameer Singh, who was Collector, Sawai Madhopur, started a hotel known as Ranthambhore Hotel by investing Rs. 6.90 lacs and that during his tenure as Collector, Sawai Madhopur from 1.2.98 to 31.12.98 he sent Rs. 90.36 lacs to Money ForestAlternative Indian Private Limited. It was stated that Shri Sameer Singh was a public servant and his involvement in the business was an illegal act. The further case put up in the complaint was that when the investors demanded their money back, Shri Sameer Singh issued cheques to them, which were dishonoured and even cases under Section 138, Negotiable InstrumentAct have been registered against him.

2. On this complaint, Preliminary Enquiry was ordered and as many as 37 witnesses were examined and 31 documents were produced. On the basis of the material brought on record, as a prima-facie case was found established against Shri Sameer Singh and Smt. Shubhra Singh, husband an wife, investigation under Section 10 of the Rajasthan Lokayukta and Up-LokayuktasAct, 1973 (Act No. 9 of 1973) was ordered. Notices were issued on 19.11.2010 to Shri Sameer Singh and Shubhra Singh in which they were given opportunity to inspect the record of the case and file replies within 21 days along with the documents, on which they wanted to place reliance. The two public servants sought time to file replies vide their letters dated 29.11.2010 and 8.12.2010. Time was given.

3. Shri Sameer Singh filed reply on 29.12.2010 wherein he denied the allegations made in the complaint. He stated that due to a family dispute, complainant Shri Mahendra Singh has levelled baseless allegations against him and, he (Mahendra Singh) was instrumental in prompting certain individuals of bad character into instigating a series of false complaints against him. It was further stated that his uncle Brigadier N.B.Singh, a retiredArmy Officer, wanted to start business of plantation and he, in executing his plan, involved his father Col.Anand Singh.According to the reply, the father of Sameer Singh was a mere formal signatory in the formation of the company ('Money ForestAlternative India Private Limited') and his cousinAditya Singh, who was his friend as well from the childhood, was made Managing Director of the Company. The further case put up in the reply was that in 1996,Aditya Singh met him in Jaipur and asked him for some help in getting some good personnel and as Mahendra Singh was in a desperate need for some employment, he introduced him toAditya Singh who was latter appointed as General Manager. It was stated in the reply that in 1998, his cousinAditya Singh and Mahendra Singh went to Sawai Madhopur, where he was posted as Collector and requested him for advice and help as the plantation companies had been ordered to return the collected amounts forthwith, and upon their request, he advised them to return the amount to the depositors at once and he **assured that he would help including financial help in the matter**. It was specifically denied in the reply that he had collected Rs. 90.36 lacs in Sawai Madhopur or that he had opened any hotel at Sawai Madhopur known as Ranthambhore Hotel. The further case put up by Shri Sameer Singh was that Mahendra Singh, who was annoyed with him for certain reasons, even lodged F.I.R. against him which was registered at No. 241/2000 in Police Station,

Vidhayakpuri and after thorough investigation, Final Report was given in that case.According to him, Mahendra Singh has filed this complaint on the basis of wrong facts just to harass him and that he has managed a few people against him and they have given false statements. It has also been stated in the reply that all the money collected from the depositors have been returned to the depositors but there was a dispute regarding certain amount betweenAditya Singh and Mahendra Singh and both of them approached him or around March-April, 2000 and that time he advised both the persons to settle the issue amicably, however, Mahendra Singh tried to take advantage of his sympathetic attitude and he started pressurizing him for making payments byAditya Singh and himself. It was specifically stated in the reply that he never asked anyone in his official or personal capacity to deposit the money with company or to give money to the complainant.

4. In her short reply dated 29.12.2010, Smt. Shubhra Singh has stated that the complaint is totally false and baseless and the police had already examined the issue involved in the complaint in detail and Final Report was given way back in 2004. It has been stated that Mahendra Singh has filed this complaint on wrong facts with the intention to harass her and her husband.

5. After the two public servants filed their replies, notices were issued to them on 14.2.11 that they could avail an opportunity of cross-examination of the witnesses examined in the Preliminary Enquiry, and they could also produce witnesses in their defence, and also they could themselves appear as witnesses. Both the public servants Shri Sameer Singh and Smt. Shubhra Singh appeared in this office on 6.4.2011 and stated that they did not want to cross-examine any witness examined in the preliminary enquiry and also that they did not want to lead oral or documentary evidence.

6. The gist of the complaint Ex.1 was that Sameer Singh and his wife Shubhra Singh, both members ofAll IndiaAdministrative Service, were whole and sole of the Private Company known as 'Money ForestAlternative India Private Limited' and that they had collected amount from the investors to the tune of Rs. 1.25 crores and there was no land for the plantation but the investors had been cheated by publicising a brochure in which land was shown to be situated in Madhya Pradesh and Rajasthan. The further allegation in the complaint was that Shri Sameer Singh had collected Rs. 90.36 lacs, when he was Collector, Sawai Madhopur from 1.2.98 to 31.12.98 and both Sameer Singh and Shubhra Singh (husband and wife) returned the amount to some of the investors and they even issued cheques which could not be honoured and suits were filed against them.

7. It may be pointed out that in respect of the allegations made in the complaint, F.I.R. No. 241/2000 was lodged in the police. The Police, on investigation, did not find the case established and filed Final Report on 2.4.2004. A reading of the Final Report prepared by the police clearly shows that no sincere efforts were made to go into the allegations. Even the signatures of Sameer Singh and Shubhra Singh were not obtained; nor the signatures of the other persons involved in the company affairs were obtained and nor the documents were sent to F.S.L. for comparison.

8. Be that as it may, we will try to find out whether any case of misconduct is made out against Sameer Singh and Shubhra Singh on the basis of the evidence recorded by this office and the documents produced before us.

9. Shri Mahendra Singh P.W.1 is the complainant. He has tried to support the complaint. He states that in 1995, he had once gone to office of RIICO, Udyog Bhawan, Jaipur for taking loan and that he had some conversation with Sameer Singh who was Executive Director there.According to him, Sameer Singh told him that he could contact him afterwards to know how to get loan and that after two days, when he again met Shri Sameer Singh, he told him that his father Col.Anand Singh was doing business in Delhi, and he wanted to open an office in Jaipur and he could join that office. According to him, they talked for about one month continuously and in October, 1995, the company 'Money ForestAlternative India Private Limited' started working and he joined the company as its Manager in the office located atAmbabari, Jaipur and thereafter in a hotel known as Hotel Rajputana, M.I.Road and in February, 1996, the office was shifted in Kamal Complex, Panch Batti,Archie's Gallery, Jaipur. He states that Sameer Singh had got the pamphlet Ex.2 printed and according to the memorandum Col.Anand Singh and Dr. S.N.S. Gautam were the Directors of the company and it was stated in the pamphlets that the company would execute a plan of plantation in hundreds of acres of land. He then says that the application for registration of the company Ex.3 bears the signatures of Col.Anand Singh,

but afterwards all the documents were signed by Sameer Singh, purported to be signed asAnand Singh and Shubhra Singh signed the documents as Dr.S.N.S.Gautam. He says that Sameer Singh and Shubhra Singh forged the signatures of the two Directors. Mahendra Singh then says that he was given Power ofAttorney Ex.8, and a sum of Rs. 1,18,71,900 was collected from 1159 investors. His further statement is thatAditya Singh was made Director of the Company vide Ex.13 and after some time Sameer Singh became the Collector of Sawai Madhopur and Shubhra Singh became the Collector of Karauli.As the time to return the amount to the investors came, the witness says, he requested both Sameer Singh and Shubhra Singh to return the amount to which they replied that they did not have money. According to him, Sameer Singh and Shubhra Singh had opened accounts of the company by signing as Directors of the company. He says that list Ex. 17 bears the names of those 85 persons from whom the amount was collected, which includes the names of various persons from Sawai Madhopur, Jaipur, Delhi, Kota and Jodhpur and to whom the amount was to be returned.

10. By the testimony of Mahendra Singh, it is established that the company which was formed in the name of 'Money Forest Alternative India Private Limited' belonged to the family of Sameer Singh. Admittedly,Anand Singh was father of Sameer Singh and according to the reply filed by Shri Sameer Singh, Adtiya Singh was his nephew. He was his friend from the child-hood. It is also borne out from the statement of Mahendra Singh that Sameer Singh had taken keen interest in the formation of the company and its working.

11. In these proceedings, we are not concerned much about whether Sameer Singh or Shubhra Singh had cheated the general public or not by issuing the pamphlet to collect the amount in the name of plantation, but this much is certain that Sameer Singh had got Mahendra Singh appointed in the company and he had taken keen interest in the formation and running of the company including collection of amount. Since there is no opinion of the handwriting expert and admittedly in the application for registration,Anand Singh had signed, it cannot be accepted that Sameer Singh or Shubhra Singh had forged the signatures of any person while forming the Company. On the basis of the evidence of Mahendra Singh, we can certainly conclude that Sameer Singh was involved in the affairs of the company; obviously because, as per the version of Sameer Singh himself, his father and uncle had started a business of plantation. It is also established that Mahendra Singh was introduced to the company by Sameer Singh. There is absolutely no reason to disbelieve Mahendra Singh in this regard. It is significant to point out that Sameer Singh was given opportunity to cross-examine the witnesses including Mahendra Singh but he chose to allow his testimony to go unchallenged. Therefore, his version in the reply that Mahendra Singh has made allegations, much less baseless allegations, against Sameer Singh due to a family dispute, cannot be accepted.

12. Now we will go through the statements of other witnesses to know, if there is any evidence to connect Sameer Singh or Shubhra Singh in the collection of the money.

12.1 Shri R.K.Meghwal P.W.1A, who was employed in RIICO, where Sameer Singh was Executive Director, deposes that when Sameer Singh was Collector, Sawai Madhopur, he had demanded from him Rs. 1 lac saying that his brother had met an accident and he was in immediate need of the money, on which, he collected money from his friends Vijay Gupta and Mukesh Saxena, who were then serving in RIICO, and paid Rs. 30,000 to Mahendra Singh **on the instructions of Sameer Singh**. Shri Meghwal says that his money was not returned by Sameer Singh despite demands.

12.2 P.W.3 Shri R.K.Rohilla was also an employee of RIICO, Jaipur. He says that he knew Sameer Singh, who was his Executive Director, once demanded money from him on phone telling that he was in urgent need of the money on which he got money from his relation and paid Rs. 40,000/- to Mahendra Singh **on the instructions of Sameer Singh**.

12.3 P.W.6 Shri Om Prakash says that he was businessman at Sawai Madhopur and that Sameer Singh, Collector once asked him to arrange for some money as he was in need of it, and hence he collected Rs. 2 lacs from his relations and paid to Mahendra Singh **as directed by Sameer Singh** but Sameer Singh has not returned the amount as yet.

12.4 P.W.18 Dr. Beena Chaudhary also says that **Sameer Singh, Collector, Sawai Madhopur demanded 3 lacs rupees from her** on the ground that he had purchased land worth Rs. 4 crore and he was in urgent need of the amount. On this, she says, she went to the chamber of Shri Sameer Singh and paid Rs. 1 lac and again after two days, she went there and paid Rs. 2 lacs to Shri Sameer Singh. She says that she is a private medical practitioner and as she had the money, she paid the same to Sameer Singh. The witness says that thinking that he (Sameer Singh) was Collector, a responsible officer, she did not get anything in writing. According to her, the amount has not been returned to her.

12.5 P.W.19 Shri P.R.Goyal, a government servant says that in September, 1998 **Sameer Singh phoned him and told that he had issued a cheque** which could be dishonoured and therefore he was in urgent need of Rs. 1 lac which he would return within 5 to 7 days. He, therefore, the witness says, arranged the money and went along with Dr. K.D.Gupta, then P.M.O., Sawai Madhopur and **paid a sum of Rs. 1 lac to Sameer Singh** but he did not return the amount despite repeated demands. He says that since Sameer Singh was holding office of Collector, he did not get any writing from him.

12.6 P.W.23 Dr. K.D.Gupta also says that in September 1998 **Sameer Singh, Collector phoned him that he had issued a cheque and there was no money in his account, so he was in need of a sum of rupees one lac** immediately. He further says that he and P.R.Goyal (P.W.19) went to Sameer Singh and paid him a sum of Rs. 1 lac to him.

12.7 P.W.20 Bharat Singh Rajawat also says **that Sameer Singh**, who was Collector, Sawai Madhopur inApril, 1998, **called him and told that he had purchased some land in Jaipur and was in need of money** to the tune of Rs. 23 lacs. On this, he says, on 20th May, 1998, he paid Rs. 1.50 lacs to Sameer Singh, but he has not returned the same despite repeated demands. According to him, he did not get the transaction in writing as Sameer Singh was holding the office of Collector.

12.8 P.W.21 Santokh Singh, a Transporter deposes that in June, 1998 **Sameer Singh called him and stated that he was in immediate need of Rs. 5 lacs** and he should arrange the amount. According to him, he arranged a sum of Rs. 5 lacs from his relations and partner and **paid the same to Sameer Singh** but he has not returned the amount despite repeated demands.

12.9 P.W.24 Fateh Singh, former Field Director of Ranthambhore Tiger Project, Sawai Madhopur says that Sameer Singh was fond of going to jungle and hence he developed relations with him. He then says that 4-5 months before the transfer of Shri Sameer Singh from Sawai Madhopur, **he demanded Rs. 2 lacs from him telling that he was in urgent need of the amount** and his prestige was involved, on which he requested Shri Padam Jain Sarraf of Sawai Madhopur, who arranged Rs. 1 lac and on his message to Sameer Singh that he had arranged the amount, **the Collector sent his Driver Karim to whom he paid a sum of Rs. 1 lacs to be handed over to Sameer Singh**. He then says that Sameer Singh, though, had promised to return the amount in two-three days, but he did not return for years and he had to refund the amount Rs. 1 lac plus interest of Rs. 50,000 to Shri Padam ji from his pension amount.

13. It is, thus, fully established that **Sameer Singh had demanded and collected various sums of money from** P.W.1 Shri R.K.Meghwal, P.W.3 Shri R.K.Rohilla, P.W.6 Shri Om Prakash, P.W.18 Dr. Beena Chaudhary, P.W.19 Shri P.R.Goyal, P.W.20 Bharat Singh Rajawat, P.W.21 Santokh Singh, P.W.23 Dr. K.D.Gupta and P.W.24 Fateh Singh when he was Collector, Sawai Madhopur. There is absolutely no cause to disbelive these witnesses. It is significant to point out that Sameer Singh was given an opportunity to cross-examine these witnesses, but he did not avail of the opportunity and has allowed the statement of these witnesses to go unchallenged. In the reply, the case for Sameer Singh was that Mahendra Singh prompted certain individuals of bad character into instigating false complaints against him. There is absolutely nothing on record to find that any of the witnesses examined was of bad character or that he has deposed at the instance of Mahendra Singh.

14. P.W.4 Ramesh Chand Jain, who was an employee in the RIICO, where Sameer Singh was earlier posted as Executive Director, says that **Sameer Singh had phoned him telling that he was in urgent need of money and he should manage some amount.** According to him, Sameer Singh had phoned him various times, but he could not arrange the amount and did not pay. This statement of Ramesh Chand Jain goes to show that Sameer Singh had tried to collect some amount from him, but as Ramesh Chand could not arrange the amount, he (Sameer Singh) did not get the amount. His testimony shows that in 1998 Sameer Singh was in need of money.

15. There is yet other set of witnesses, who depose that Sameer Singh had demanded money from them and they had paid the same to him, but after some time, Sameer Singh had returned the amount to them. In this category, the persons are P.W.5 Shri Gulab Singh, P.W. 8 Madhusudan Singh, P.W.10 & P.W. 37 ShriAmit Goyal (examined twice) and P.W.22 ShriAbhimanyu Singh. All these witnesses depose **that Sameer Singh**, while he was Collector, Sawai Madhopur, **had demanded various sums from them.**According to their statements P.W.5 Shri Gulab Singh had paid in May-June Rs. 1.40 lacs, P.W.8 Shri Madhusudan Singh paid Rs. 25,000/-, P.W.10 & P.W.37 ShriAmit Goyal paid Rs. 1.00 lac and P.W.22 ShriAbhimanyu Singh paid Rs. 1.00 lac to Sameer Singh. It is important to note thatAmit Goyal andAbhimanyu Singh had paid cheques in the name of 'Money ForestAlternative India Private Limited'.All these four witnesses say **that after some time, Sameer Singh had returned the amount to them.** P.W.22 ShriAbhimanyu Singh says that he had to report the matter to the Police and thereafter **Sameer Singh gave a cheque of Rs. 91,000/- and Rs. 9,000/- are still due to him**.

16. By the testimony of aforesaid four witnesses, it is again proved that when Sameer Singh was Collector, Sawai Madhopur, he had demanded loan from these four persons and collected the same; but returned the same after some time. Needless to repeat that Sameer Singh has not cross-examined these witnesses also. Therefore, there is no cause to disbelieve their statements in these proceedings.

17. There is one more witness whose evidence needs to be referred to. He is P.W. 21 (Renumbered as P.W. 28) Shri Hansraj. He says that he was Sarpanch and he had good relations with Shri Sameer Singh, Collector.According to him, on **7.2.99, Sameer Singh went** to his house in village Madhukalan and **told him that he was in need of Rs. 10-15 lacs as his father required money for the business**. He says that he had promised to make arrangement within 5-7 days and on 14.2.99 when Sameer Singh again visited his house in village Madhu Kalan, **he paid Rs. 12.50 lacs to Sameer Singh** which he had collected from his relations, family members and other persons. He says that he got the agreement **Ex. 27** written by Shanti Lal which **bears the signatures of Shri Sameer Singh** atA to B which is a photo copy. It is stated that Sameer Singh had taken loan of Rs. 12.50 lacs on 14.2.99 on interest at the rate of 2% per month; and he (witness) stood surety for that amount. Hansraj further says that on 27.2.99 Sameer Singh again went to his village and demanded Rs. 6 lacs more and hence after collecting money from his relations and adding his own money, **he paid Rs. 6 lacs to Sameer Singh on 28.02.99** but he did not get any writing for this amount. The witness then says that he requested Sameer Singh to return the amount various times but he did not return the amount but after some time, he (Sameer Singh) sent a cheque of Rs. 2 lacs Ex. 28 but when he deposited the cheque in his account, the same was dishonoured as there was no balance of the account holder. The sum total of the statement of Shri Hansraj is that Sameer Singh had cheated him and he paid a sum of Rs. 17.50 lacs to Sameer Singh as he was the Collector of the area. He deposed to have sent notice Ex. 30 also to Sameer Singh.

17.1 There is no cause to disbelieve this statement of Hansraj.At the cost of repetition, it is stated that Sameer Singh did not want to cross-examine this witness also. In his reply, Sameer Singh has not stated as to why Hansraj has given statement against him. What Sameer Singh has stated in the reply was that Mahendra Singh prompted certain individuals of bad character into instigating false complaints against him. It is not understood as to why Hansraj would come under the influence of Mahendra Singh.Also there is nothing on record to believe that Hansraj was a man of bad character. By his testimony, it is established that Sameer Singh had borrowed Rs. 17.50 lacs from Hansraj and had even given a cheque to him towards part payment, but the same was not honoured.

18. By the testimony of all the aforesaid witnesses, it is established that Sameer Singh had borrowed various sums from various persons when he was Collector, Sawai Madhopur. The collection of the amount was for the 'Money

ForestAlternative India Private Limited' or not, cannot be definitely said, but the circumstances are that during the same period, the Company of his father and uncle was doing business and it had collected various sums in the name of plantation from the investors and there was the directions of the Reserve Bank of India to return the amount to the investors immediately. This circumstance goes to show that Sameer Singh had collected the amount for the purpose of the business of the Company.

19. Shri Sameer Singh was not an ordinary person when he collected the amount from the residents of Sawai Madhopur District or from the persons, who were in service of his previous office. Certainly he has violatedAll India Services (Conduct) Rules, 1968 (hereinafter called "the Rules of 1968"). Rule 13 of the Rules of 1968 clearly says that no member of the service shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade or business (sub-clause (a) of clause (1) or take part in the registration, promotion or management of any bank or other company for commercial purposes (sub-clause (e) of clause (1). Sameer Singh had definitely acted against the mandate of Rule 13(1)(a) and (e) when he demanded and collected various sums of money from several persons. It is a fit case in which the CompetentAuthority is directed to hold disciplinary enquiry against Shri Sameer Singh.

20. There is yet another piece of evidence against Sameer Singh. Shri Badri Lal P.W. 19 (renumbered as P.W.26) and his son Premraj Saini P.W. 20 (renumbered as P.W.27) have also given evidence against Sameer Singh and Smt. Shubhra Singh. It has been stated by them that **Sameer Singh had demanded Rs. 50,000/- for giving appointment to Premraj on the post of Gram Sevak and that they had paid amount to** Sameer Singh, but no orders of appointment were issued. Hence they demanded back the amount which was not returned; instead a cheque was issued by Sameer Singh which was later dishonoured. There is also no cause to discard this evidence also. It may be, in the complaint there was no allegation that Sameer Singh, had taken money for giving appointment to Premraj, but this cannot be ground to discard this testimony. Mahendra Singh, complainant, had filed the complaint. He might not be in the knowledge of this fact. When Premraj and his father Badri Lal came to know about the inquiry being conducted against Shri Sameer Singh, they have appeared to depose.As already stated, the two witnesses have not been cross-examined by Sameer Singh despite opportunity given to him. Therefore, their testimony can safely be acted upon. It is established by their evidence that Sameer Singh had taken a sum of Rs. 50,000/- from Badri Lal as illegal gratification assuring him to give employment to Premraj as Gram Sevak.

20.1 This was another mode of collecting amount by Sameer Singh, then Collector Sawai Madhopur.

20.2 According to the statement of Badri Lal, Sameer Singh had given a cheque of the account of Smt. Shubhra Singh, which was not honoured by the Bank for want of money in her account. Even taking this part of statement as true, no case can be found to have been established against Smt. Shubhra Singh as Sameer Singh being husband of Smt. Shubhra Singh might have asked his wife to sign a cheque of her account and the wife (Shubhra Singh) signed the same without the knowledge of any transaction. That being so, the evidence of Badri Lal and Premraj does not connect Smt. Shubhra Singh.

21. The upshot of the forgoing discussion is that there is enough material on record on which the allegations made in the complaint against Sameer Singh are substantiated. There is also evidence that Shri Sameer Singh had got illegal gratification of Rs. 50,000/- from Badri Lal for giving appointment to his son Premraj.

22. The complaint was filed against Shubhra Singh also. There is, however, no material on record on which it can be found that she was also involved in the collection of money. The only evidence against her regarding the allegations in the complaint is in the statement of Mahendra Singh when he says that Shubhra Singh had signed for Dr. S.N.S.Gautam, on second page of Form No.18, which indicates that Dr. S.N.S.Gautam had subscribed hundred shares of rupees 10 each. There is no opinion of the handwriting expert regarding the signatures. There is no other material on record which can go to show that Shubhra Singh was involved in the registration or management of the company or the collection of the amount for the company.

23. It is, thus, a clear case, where Shri Sameer Singh, a member of the IndianAdministrative Service, had abused his official position as Collector, Sawai Madhopur by collecting huge amount from the residents of Sawai Madhopur District and employees of RIICO (the office where Shri Sameer Singh was earlier posted). Shri Sameer Singh had also abused his official position when he obtained illegal gratification of Rs. 50,000/- from Badri Lal & Premraj. It is really shocking that Shri Sameer Singh, a member of IndianAdministrative Service, was indulged in such a practice and thereby he brought the name of service to disrepute.

24. Therefore, while sending a copy of Investigation Report dated 29.11.2011 along with the relevant documents and other evidence to the competent authority Hon'ble Chief Minister, Rajasthan vide letter No. F.25(38)LAS/2000/U/s12/9019 dated 9.12.2011 as required under Section 12(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-LokayuktasAct 1973 (Act No.9 of 1973**), it was recommended that disciplinary proceedings for major penalty should be held against Shri Sameer Singh, then Collector, Sawai Madhopur under the relevant Rules** and it is for the Hon'ble Chief Minister to consider the suspension of Shri Sameer Singh keeping in view the nature of allegations made and evidence produced against him in these proceedings. The allegations against Smt. Shubhra Singh were not established.

The action taken or proposed to be taken in compliance of the recommendations is still awaited.

**4. एफ.18(7)लोआस/2000**

**5. लिंक फाइल एफ.18(5)लोआस/2000**

**6. लिंक फाइल एफ.18(6)लोआस/2000**

यह परिवाद श्री वेद प्रकाश सैनी, भारत ट्रेक्टर्स के सामने, हनुमानगढ़ ने आबकारी ठेकों में की गई अनियमितताओं के संबंध में प्रस्तुत दिनांक 8.8.2000 को प्रस्तुत किया। इसी तरह की एक शिकायत श्री जोगेन्द्र सिंह राजपूत निवासी जयपुर से दिनांक 13.7.2000 को प्राप्त हुई थी जिसे प्रकरण संख्या एफ. 18(5)लोआस/2000 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। एक अन्य शिकायत श्री माधूसिंह एण्ड पार्टी, ठेकेदार शराब, पीलीबंगा ग्रामीण समूह एवं अन्य ठेकेदार गण से दिनांक 8.8.2000 को प्राप्त हुई थी जिसे प्रकरण संख्या एफ. 18(6)लोआस/2000 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। उक्त दोनों शिकायतों को इस प्रकरण संख्या एफ. 18(7)लोआस/2000 के साथ लिंक करके प्रारंभिक जांच की गई। तत्पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के तहत श्री प्रदीप सैन, तत्कालीन आयुक्त, आबकारी विभाग के विरूद्ध दिनांक 29.9.09 को अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

इस क्रम में लोकसेवक श्री प्रदीप सैन, तत्कालीन आयुक्त, आबकारी विभाग को नोटिस दिनांक 29.9. 09 जारी किया गया तथा उनके द्वारा समस्त पत्रावली की नकले प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 30.8. 10 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब के अलावा उनके द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य में स्वंय का शपथपत्र पेश किया गया।

जवाब व शपथपत्र में उन्होनें निम्न बिन्दु उठाये:-

1. उन्होनें आयुक्त पद का चार्ज 7.7.99 को ग्रहण किया था। 20.11.2000 तक वे इस पद पर रहे जबकि 2 वर्ष की सेटलमेन्ट अवधि 1999 से 2001, जो दिसम्बर, 1999 में प्रारंभ हुई तब

वे आयुक्त नहीं थे तथा प्रारंभिक नीलामी प्रक्रिया फरवरी से मार्च, 1999 की अवधि में भी वे आयुक्त नहीं थे। जुलाई, 1999 में जब उन्हें विरासत में विभाग की खराब स्थिति प्राप्त हुई तो उन्होनें खराब स्थिति को अच्छी में बदलने का प्रयत्न किया।

2. कई वर्षो से यह प्रक्रिया थी कि सेटलमेन्ट के दौरान टेण्डर फरवरी में मांगे जाकर तथा वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती थी। सरकार द्वारा यह तय किया जाता था कि कौन-कौनसे ग्रुप बनाये जायेंगे तथा प्रत्येक ग्रुप की रिजर्व कीमत, टेण्डर की शर्ते व लाईसेन्स की शर्ते सरकार द्वारा तय की जाती थी ना कि आबकारी आयुक्त द्वारा। इसी प्रकार प्रत्येक लाईसेन्स की अनुमति राज्य सरकार देती थी यद्यपि लाईसेन्स आबकारी आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होता था।

3. इसी प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पहले ही टेण्डर की प्रक्रिया व लाईसेन्सों की प्रक्रिया पूर्ण कर ठेकेदारों से सिक्योरिटी व वित्तीय पोषणीयता के प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाते थे तथा लाईसेन्स देने के पूर्व वित्तीय पोषणीयता व सिक्योरिटी का प्रमाणीकरण नहीं किया जाता था बल्कि लाईसेन्स के प्रभाव में आने के पश्चात् ऐसा किया जाता था। वर्ष 1999-2001 का वित्तीय वर्ष सूखे के साथ प्रारंभ हुआ तथा बामुश्किल दिसम्बर, 1999 में सेटलमेन्ट पूरा किया जा सका, जबकि सरकार ने अपने प्रारंभिक दृढ़ रिजर्व प्राइस को कम किया तथा इन ठेको से संबंधित सारे निर्णय सरकार द्वारा ही लिये गये तथा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार को लाईसेन्स जारी किया गया। सरकार ने यह इसलिये किया क्योंकि वह एक दिन का भी राजस्व नहीं खोना चाहती थी तथा उसने वित्तीय पोषणीयता/सिक्योरिटी प्राप्त किये बिना ही लाईसेन्स जारी किये।

4. सरकार ने इस प्रक्रिया में कोई फेरबदल नहीं किया तथा ठेकेदार, सरकार के राजस्व के लोभ के कारण इन नियमों का फायदा उठाकर, इसे प्रयुक्त करते रहे। सरकार ने इस बाबत नियमों में अथवा लाईसेन्स की शर्तो में भी कोई परिवर्तन नहीं किया कि ठेकेदार कितने दिनों में सिक्योरिटी व वित्तीय पोषणीयता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, जिससे ठेकेदारों ने इसका फायदा उठाया।

5. राज्य सरकार की वर्ष 1999 के लिए यह नीति थी कि 2 वर्ष के सेटलमेन्ट के लिए 1997-99 के लिए 216 देशी शराब के ग्रुप व 352 शहरी क्षेत्र के विदेशी मदिरा के ग्रुप/दुकानें बनाये गये, परन्तु समस्याऐं हो जाने से इन ग्रुपो को छोड़कर जिलों के ग्रुप बनाये गये जो सही प्रक्रिया थी व 1997-99 के लिए पूरी गारन्टी राशि प्राप्त हो गई, परन्तु 1999-2001 के लिए सरकार ने सबक न लेकर 67 ग्रुप बना दिये। इस कारण 21.3.99 तक विभाग को 7 बार टेण्डर मंगाने पडे तो भी 67 में से सिर्फ 38 ग्रुप की अंतिम बोलियां छूटी तथा 29 ग्रुप बिना बोली छूटे रह गये। इसके बाद 1.4.99 से 24.5.99 के बीच 9 बार टेण्डर मांगे गये परन्तु 29 पडत ग्रुपों में से सिर्फ 13 के ही टेण्डर उठाये गये। 16 बाकी बचे ग्रुपों को 46 तहसीलों के ग्रुपों में बांटा गया। दिनांक 5.7.99 तक 22 ग्रुप उठ चुके थे। 24 शेष रहे।

6. वित्त विभाग ने 24 पडत ग्रुपों को 47 छोटे म्यूनिसिपल व ग्रामीण ग्रुपों में बांटा परन्तु फिर भी सितम्बर, 99 तक 36 ग्रुप बिना नीलाम हुए रह गये। इनके लिए फिर टेण्डर मंगाये गये

तथा ये आधे दिसम्बर तक उठाये जा सके। परन्तु इनकी जो कीमत प्राप्त हुई वह मूल रिर्जव कीमत के मुकाबले 52 से 68 प्रतिशत कम थी। यहां तक कि कुल रिर्जव प्राईज 811.31 करोड़ के मुकाबले प्राप्त कीमत 691.67 करोड़ ही रही।

श्री प्रदीप सैन ने यह भी बताया कि पूर्व में भी 1999 में सरकार ने स्वंय गंगानगर शुगर मिल के द्वारा दुकानें चलाई थी तथा व्यक्तिगत दुकानों के लाईसेन्स भी दिये थे परन्तु इनसे होने वाली आय, सामान्य आय की 1/6 ही थी चूंकि शराब के बडे ठेकेदारों ने एक-एक दुकान पर कब्जा कर ग्रुप बना लिये। उदाहरणार्थ यह बताया गया कि जयपुर का ग्रुप 123.29 करोड़ में व रेलमगरा का ग्रुप 1. 15 करोड़ में गया। यह भी बताया गया कि सेटलमेन्ट में देरी होने से सरकार पर इस बात का दवाब हुआ कि वह रिजर्व कीमत में कमी करे जबकि शुरू में सरकार का यह मत था कि चाहे कुछ भी हो जाये, वे रिजर्व कीमत कम नहीं करेंगे। इसके अलावा जयपुर व उदयपुर के बडे ग्रुप के लिए 17 प्रतिशत सिक्योरिटी के बिना, केवल 5 प्रतिशत में ही उन्हें संतोष करना पडा तथा कैश सिक्योरिटी जमा कराने की तारीख सरकार द्वारा ही 30.6.99 से बढाकर पहले 30.9.99 व बाद में 31.3.2000 व अन्त में 30.6.2000 तक बढाने को मजबूर होना पडा। चूंकि कैश सिक्योरिटी की समयसीमा सरकार ने बढा दी इसलिए विभाग, ठेकेदारों से सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए 1999-2001 के बीच के अधिकांश ठेकेदारों से सिक्योरिटी व सोल्वेन्सी प्राप्त नहीं की जा सकी तथा यदि इस आधार पर ठेके निरस्त किये जाते तो, सभी जिलों के, जिनमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर के बडे ग्रुप भी शामिल है, के ठेके निरस्त करने पडते व राज्य सरकार को बडी वित्तीय हानि होती। इसी कारण कि ठेकेदारों से वित्तीय पोषणीयता प्राप्त कर जरूरत पडने पर उनको नकद में परिवर्तन करने में होने वाली परेशानी को देखते हुए यह नीति ही 2001-02 में बदल दी गई तथा ठेकेदारों से बैंक गारन्टी प्राप्त करना शुरू कर दिया गया।

यह भी बताया गया है कि राज्य मंत्रीमण्डल ने नीति निर्धारण दस्तावेज में स्पष्ट किया था कि ऐसा कोई भी टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावे जिसमें कोई शर्त हो। परन्तु सरकार की मजबूरी का यह आलम था कि कोई ठेकेदार बोली नहीं लगा रहा था इसलिए सशर्त टेण्डर भी अजमेर, कोटा, देसूरी, सोजत के मामले में स्वीकृत किये गये तथा इनके बारे में हुए कानूनी विवाद उच्चतम न्यायालय तक गये।

इस सरकार की नीति के कारण एक ग्रुप में वे ग्रुप आये जिन्होनें मूल रिजर्व प्राइस में टेण्डर स्वीकृत कराये थे, उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पडा। दूसरे वे व्यक्ति थे जिन्होनें हालात का फायदा उठाते हुए कम दरों पर निविदाऐं स्वीकृत कराई तथा उन्होनें बिना कोई कैश सिक्योरिटी जमा कराये व वित्तीय पोषणीयता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना व्यापार शुरू कर दिया तथा विभाग को कहते रहे कि वे सरकार द्वारा बढाये गये समय में 30.6.2000 तक कैश सिक्योरिटी जमा करा देंगे। ऐसी सभी ग्रुपों का ठेका अप्रेल, 2000 से जुलाई, 2000 के बीच निरस्त किया गया जिनमें हनुमानगढ भी शामिल है।

यह भी बताया गया है कि इस संबंध में विभाग ने राज्य सरकार से लगातार निर्देश प्राप्त किये तथा मुख्यमंत्री के सचिव सी.के. मैथ्यू को एक नोट दिया गया तथा उन्होनें वित्त सचिव, विशेष सचिव, वित्त (राजस्व) व आबकारी विभाग के मुख्य लेखाधिकारी के साथ कोर ग्रुप बनाया जिसने अपने निर्णय को वित्त विभाग के पत्र दिनांक 25.9.2000 द्वारा आबकारी आयुक्त को यह निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर परीक्षण कर तथा तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर राज्य का हित देखते हुए निर्णय लेवे।

इसके पश्चात् श्री प्रदीप सैन ने अपने प्रत्युत्तर में हनुमानगढ के वित्तीय सेटलमेन्ट का विस्तृत विवरण देते हुए बताया है कि इसके दो ग्रुप हनुमानगढ-29.24 करोड़ व रावतसर-18.32 करोड़ थे तथा 16 बार टेण्डर मंगाये गये परन्तु किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके पश्चात् इन दो ग्रुपो को 7 तहसील ग्रुपों में बांटा गया जिसमें से टिब्बी व रावतसर के ठेके उठ ये परन्तु 5 बाकी रहे। इन 5 ग्रुपों को म्यूनिसिपल व ग्रामीण ग्रुपों में बांटकर 10 ग्रुप बनाये गये। 17.7. 99 को इनमें से 3 ग्रुप उठ गये परन्तु 7 ग्रुप बाकी रहे। राज्य सरकार ने 25.11.99 को इन 7 ग्रुपों को बिना रिजर्व प्राईज के टेण्डर मंगाने का निश्चय किया तथा प्राप्त हुए टेण्डर सरकार को विचारार्थ भेजे गये परन्तु सरकार ने टेण्डर में बोली कम होने से उन्हें खारिज कर दिया। इसी प्रकार 4.12.99 के टेण्डर भी कम कीमत होने से खारिज कर दिये गये। इसके पश्चात् सरकार ने प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक टेण्डर व सभी सातों ग्रुप के लिए संयुक्त टेण्डर मंगाने का फैसला किया। इनके अलावा मोहम्मद आमाद, जोगेन्द्र सिंह व जालम सिंह तथा दूसरी एम.एम. पार्टी का सातो ग्रुपों का संयुक्त टेण्डर प्राप्त हुआ। ग्रुपों की पृथक-पृथक बोली में कुल 17.25 करोड़ व सातों ग्रुपों की संयुक्त बोली में मोहम्मद आमाद वगै0 की 15.6 करोड़ की बोली अधिकतम रही। सरकार ने सातों ग्रुपों की पृथक-पृथक बोलियाँ दिनांक 14.12.99 को स्वीकृत की, परन्तु दिनांक 15.12.99 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह आदेश किया कि सातों ग्रुपों के सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नेगोसियेशन में बुलाया जाये, परन्तु एम. एम. ग्रुप के लिये यह शर्त लगा दी थी कि वह 18.50 करोड़ से कम की बोली नहीं लगायेगा। इस आदेश के अनुसरण में सरकार ने सभी ठेकेदारों को नेगोसियेशन के लिए अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित कर बुलाया तथा सीलबन्द लिफाफों में उनकी बोलियां प्रत्येक ग्रुप के लिये पृथक-पृथक व सातों ग्रुप के लिए संयुक्त रूप से मांगी गई तथा निर्देश दिया गया कि 18.50 करोड़ से कम की बोली मंजूर नहीं की जावे। ग्रुपों की पृथक-2 बोली में 18.87 करोड़ की बोली आई। 19 करोड़ की बोली मोहम्मद आमाद वगैरह की व 18.77 करोड़ की बोली एम.एम. पार्टी की आई। सरकार ने निर्देश दिया कि इन ठेकेदारों से पुनः वार्ता की जावे जिस पर मोहम्मद आमाद वगैरह ने 19.60 करोड़ की सहमति दी परन्तु एम.एम. पार्टी 19.55 करोड़ की बोली से आगे नहीं बढी। इस पर राज्य सरकार ने 19.60 करोड़ की बोली स्वीकृत करने का आदेश जारी कर दिया।

प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता की इस शिकायत पर श्री प्रदीप सैन के विरूद्ध जांच करने का आधार पाया गया था कि हनुमानगढ जिले के 7 समूहों का ठेका विभाग ने रिजर्व प्राइस में कटौती

कर 19.60 करोड़ में ही दे दिया जबकि रिजर्व प्राईज 33.40 करोड़ रूपये थी। इसकी धरोहर राशि भी 3.87 करोड़ रूपये के बजाय 52.71 लाख रूपये ही जमा कराई, जिससे 2.34 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ व मई, 2000 में यह नुकसान 3.11 करोड़ रूपये का हो गया, और ठेकेदार ने अन्त में विभाग को ठेंगा दिखाते हुए दुकानें बन्द कर दी। यदि समय पर ठेके उठाये जाते तो 7 ग्रुपों में 105 करोड़ रूपये की आय सरकार को होती।

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि ठेकेदार आबकारी अधिकारी व निरीक्षकों ने सांठगांठ करके बेनामी शराब का ठेका उठाया था। यह भी पाया गया था कि राज्य सरकार ने तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ को सीसीए नियम-16 के तहत आरोप पत्र दिया था तथा प्रमाणित नहीं होने पर उसे पुनः बहाल कर दिया था। यह पाया गया था कि श्री प्रदीप सैन, तत्कालीन आबकारी आयुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

श्री प्रदीप सैन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजों तथा अनुसूचियों से यह प्रमाणित है कि वर्ष 1999-2001 के बीच राज्य सरकार की आबकारी नीति में परिवर्तन के कारण अधिकांश ग्रुपों के शराब के ठेके नहीं उठ पाये तथा अन्ततः सरकार को कदम पीछे हटाने को मजबूर होना पडा व प्रत्येक ग्रुप की रिजर्व प्राइस में कमी की गई। इतना ही नहीं, बडे ग्रुपों को पहले जिला ग्रुपों व बाद में तहसीलों, म्यूनिसिपल व ग्रामीण ग्रुपों में विखण्डित कर छोटे-छोटे ग्रुप बनाये गये तो भी पूरे ठेके नहीं उठाये जा सके। इस संबंध में आबकारी आयुक्त प्रदीप सैन ने लगातार राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त किये। श्री प्रदीप सैन ने 7.7.99 को ही आबकारी आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया जबकि 1999-2001 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति के अनुसार दिसम्बर, 1998 में ही प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी तथा इसके पश्चात् जब 7 पडत ठेके बचे तो उन ठेकों का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व वित्त विभाग के निर्देशानुसार, निर्देश प्राप्त कर, नेगोसियेशन के आधार पर मोहम्मद आमाद, जालम सिंह व जोगेन्द्र सिंह के पक्ष में सबसे बडी बोली होने के कारण, राज्य सरकार के निर्देशों पर 19.60 करोड़ रूपयें में हनुमानगढ के 7 ग्रुपों का कार्यादेश जारी किया गया। यह भी निर्विवादित है कि राज्य सरकार द्वारा, ठेकेदारों द्वारा सिक्योरिटी राशि में कैश सिक्योरिटी जमा कराने के लिए 30.6.2000 तक समयावधि बढ़ा दी गई थी गई। ऐसी स्थिति में सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का महत्व ही नहीं था। कैश सिक्योरिटी जमा नहीं कराये जाने के कारण ही मोहम्मद आमाद वगैरह का ठेका निरस्त कर दिया गया था।

एक आरोप यह है कि मोहम्मद आमाद, जोगेन्द्र सिंह व जालम सिंह शराब के ठेकेदार नहीं है बल्कि बेनामी ठेकेदार है तथा किसी अन्य ठेकेदार के लिए उन्होनें निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। इस संबंध में प्रारंभिक जांच में लिये गये बयानों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह जानता था कि उसे किस कागज पर हस्ताक्षर करने है। उनके द्वारा लिखित संविदाओं पर 13.12.99 को व पुनः 18.12.99 को हस्ताक्षर किये गये है तथा तत्कालीन आबकारी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार बोरड ने अपने बयान में यह बताया है कि जोगेन्द्र सिंह व जालम सिंह शराब की दुकानों पर ही काम करते थे। अतः जोगेन्द्र

सिंह व जालम सिंह का यह बयान हास्यास्पद है कि उन्हें यह पता नहीं था कि वे किस ठेकेदार के लिए काम कर रहे है? मोहम्मद आमाद ने इस सचिवालय द्वारा की गई जांच के बयान में स्वीकार किया कि उसने जालम सिंह व जोगेन्द्र सिंह के साथ मिलकर 1.40 लाख रूपये योगदान कर शराब का ठेका लिया था। जोगेन्द्र सिंह ने भी अपने बयान में यह बताया है कि गंगाजल मील ने खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर करा, उसके नाम से ठेका लिया था। उसने स्वीकार किया है कि ठेका गंगाजल मील चला रहा है।

उक्त तथ्यों से यह जाहिर है कि जोगेन्द्र सिंह, जालम सिंह व मोहम्मद आमाद ने छपे हुए निविदा दस्तावेजों पर यह जानते हुए हस्ताक्षर किये है कि वे किसी अन्य ठेकेदार के बतौर, बेनामी नाम से ठेका ले रहे है तथा उन्होनें भी ठेके की राशि में अपना अंशदान लाभ कमाने के लिए दिया है। यह भी निर्विवादित है कि इस ग्रुप के एक भागीदार जोगेन्द्र सिंह ने दिनांक 18.12.99 को हुए नेगोसियेशन में अन्य भागीदारों का मुख्त्यारनामा पेश कर भाग लिया था तथा जब कैश सिक्योरिटी जमा नहीं कराने का कारण ठेका निरस्त करने का नोटिस दिनांक 17.6.2000 को विभाग द्वारा जारी किया गया तो इस ग्रुप की ओर से जोगेन्द्र सिंह ने आबकारी आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर 1.7.2000 को लिखित जवाब पेश किया था तथा वादा किया था कि वह 50,000/- रूपये रोज जमा करायेगा। **इसलिए उसका यह कथन हास्यास्पद है कि उसे यह पता नहीं कि उसका असली ठेकेदार कौन है ?**

यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त 7 ग्रुपों का ठेका निरस्त होने पर जोगेन्द्र सिंह ने प्रदीप बोरड, जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध व आबकारी आयुक्त प्रदीप सैन के विरूद्ध 5.7.2000 को इस सचिवालय में एक परिवाद (पत्रावली संख्या एफ. 18(5)/लोआस/2000) पेश कर बताया था कि वह भी मोहम्मद आमाद व जालम सिंह के साथ ठेकेदार है तथा उसका व जालम सिंह का 48-48 प्रतिशत का हिस्सा है तथा मोहम्मद आमाद भी उसका भागीदार है जबकि प्रारंभिक जांच के दौरान उसके लिये गये बयानों में उसने सशपथ यह कहा है कि वह मोहम्मद आमाद को न तो जानता था और ना ही उसे पहले कभी देखा था। उसके पास न तो कोई जमीन है और ना ही कोई हैसियत है। **ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जोगेन्द्र सिंह के बयान से शिकायत इस बिन्दु पर निहायत ही बनावटी और अविश्वसनीय हो जाती है।**

इसी प्रकार जालम सिंह व मोहम्मद आमाद के बयानों के संबंध में भी श्री प्रदीप सैन ने अपने प्रत्युत्तर व साक्ष्य में जो स्पष्टीकरण दिये है वे उचित है क्योंकि मोहम्मद आमाद ने स्वंय ने यह स्वीकार किया है कि इस ठेके के लिए उसने अपना हिस्सा रूपये 1.40 लाख दिये थे। निश्चित तौर पर उसने यह राशि इस ठेके में यह जानते हुए लगाई है कि यह उसकी अतिरिक्त आय का साधन होगा। जालम सिंह ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उसने मोहम्मद आमाद और जोगेन्द्र सिंह के साथ मिलकर वर्ष 1999 का शराब का ठेका लिया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसने यह ठेका कमाई करने के लिए लिया था।

इस प्रकार इन तीनों व्यक्तियों की साक्ष्य से स्पष्ट जाहिर है कि इनकी साक्ष्य इस बिन्दु पर अविश्वसनीय है। श्री प्रदीप सैन का यह स्पष्टीकरण व साक्ष्य उचित है कि जब टेण्डर प्रस्तुत किये जाते है तो उच्चतम बोली वाला टेण्डर ही स्वीकार करने का प्रावधान है। उस स्तर पर यह नहीं देखा जा सकता कि निविदादाता किसी अन्य ठेकेदार की एवज में बेनामी टेण्डर प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा बताया गया है कि आबकारी ठेकों के इतिहास में कभी बेनामी निविदा के आधार पर कोई बोली निरस्त नहीं की गई।

यह भी निर्विवादित रूप से प्रमाणित है कि राज्य सरकार ने समय-समय पर ठेकेदारों द्वारा कैश सिक्योरिटी जमा कराने की समयावधि बढाई जो दिनांक 30.6.2000 तक बढाई गई थी। अत: जून, 2000 तक ठेकेदार सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट दे सकते थे। विभाग उन्हें इसके लिए विवश नहीं कर सकता था तथा जून, 2000 में यह ठेका, कैश सिक्योरिटी अथवा सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट पेश नहीं कराने के कारण अन्तत: निरस्त कर दिया गया तथा ठेका निरस्त करते ही श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा एक शिकायत (पत्रावली संख्या 18(5)/लोआस/2000) इस सचिवालय में पेश कर दी गई।

ऐसा कोई तथ्य जांच में नहीं आया है जो यह इंगित करे कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त श्री प्रदीप सैन ने वास्तविक ठेकेदारों से सांठगांठ कर, मोहम्मद आमाद, जोगेन्द्र सिंह व जालम सिंह को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए व राज्य सरकार को वित्तीय हानि कारित करने की नीयत से शराब के ठेके वर्ष 1999-2001 में स्वीकृत किये हो।

प्रारम्भिक जाँच में यह राय व्यक्त की गई थी कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त श्री प्रदीप सेन एवं जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ श्री ओमप्रकाश सनाढ़य ने शराब के ठेकेदारों से मिलीभगत कर वर्ष *1999-2000 श्री मोहम्मद आमान, जोगेन्द्र सिंह व श्री जालम सिंह* के नाम जारी कर दिये जबकि इन तीनों व्यक्तियों की ठेका लेने की हैसियत नहीं थी, न इसके बारे में जानकारी थी। इस संबंध में श्री ओमप्रकाश सनाढ़य, आबकारी अधिकारी को निलम्बित किया गया तथा नियम 16, सीसीए नियमों के तहत जाँच के बाद आरोप प्रमाणित नहीं होने से फैसला कर समस्त परिलाभ दे दिये थे।

यह निर्विवाद है कि श्री प्रदीप सेन, तत्कालीन आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के निर्देश नं.एफ. 4(12)एफडी/ईक्स/99 दिनांक 14.12.99 के तहत हीं प्रश्नगत उच्चतम निविदा स्वीकृत की गई है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने शराब के ठेकेदारों से मिलीभगत कर यह ठेका मोहम्मद आमाद, जालम सिंह व जोगेन्द्र सिंह के नाम जारी कर दिया।

अन्तत: तत्कालीन आबकारी आयुक्त श्री प्रदीप सेन द्वारा कमांक प.23()आब/लेखा/99 दिनांक शून्य जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये व उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दि: 16.12.99 को सभी अखबारों में विज्ञप्ति निकाली गई तथा टैण्डर प्रस्तुत करनेवालों को नेगोसियेशन करने के लिए दिनांक 18.12.99 को बुलाया

गया तथा नेगोसियेशन में सबसे उच्चतम बोली 19.55 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मोहम्मद आमाद, जालम सिंह व जोगेन्द्र सिंह ने दिया, जिसे स्वीकार किया गया तथा आबकारी आयुक्त द्वारा उसी दिन दिनांक 18.12.99 को जारी क्रमांकः प.23(111)सेटल/आब/99/610 दिनांकः 18.12.99 आदेशानुसार मोहम्मद आमाद वगैरह की निविदा स्वीकार कर उन्हें यह आदेश दिया कि निविदा के संलग्न विस्तृत निर्देशों व शर्तो तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तो के अनुसार निर्धारित अवधि में धरोहर राशि जमा करवाये तथा निर्धारित प्रपत्र, वांछित हैसियत प्रमाण पत्र व जमानती प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जावेगी। यह महत्वपूर्ण है कि इसी आदेश के पीछे पृष्ठ 76 पर यह रिपोर्ट है कि 36,05,000/- नकद व 64,00,000/- रूपये की रसीदें प्राप्त की।

जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ की यह जिम्मेदारी थी कि इन ठेकेदारों से हैसियत प्रमाण पत्र व मौतबिर जमानती तथा नकद अमानत जमा करवायें। इस हेतु उनके द्वारा प्रदर्श 11 से प्रदर्श 21 के नोटिस दिनांक 18.12.99 से ठेके समाप्त होने तक कई बार दिये गये परन्तु इन ठेकेदारों ने यह दस्तावेज पेश नहीं किये। इस पर जिला आबकारी अधिकारी ने लाईसेन्स निरस्त करने के लिए अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर को लिखा। जिनके द्वारा भी पृष्ठ 76 से 81 तक के नोटिस जारी किये गये। अन्त में इनका भी पालन नहीं होने पर जब जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ व अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर द्वारा आबकारी आयुक्त, उदयपुर के ध्यान में यह बात लाई गई तो उनके द्वारा भी ठेका निरस्त करने के नोटिस दिनांक 17.6.2000 (पृष्ठ 83 से पृष्ठ 96/सी तक) जारी किये गये।

निविदा प्रपत्र के अनुसार जो पृष्ठ 105-106/सी पर उपलब्ध है के शर्त आदेश के अनुसार अर्नेस्ट मनी 80,05,000/- रूपये जमा करानी थी, जो जमा करा दी गई थी तथा पृष्ठ 106 की शर्त संख्या 4 के अनुसार बढ़ोतरी राशि की अतिरिक्त जमानतें व हैसियत प्रमाण पत्र दिनांक 29.2.2000 से पूर्व प्रस्तुत कर देने की शर्त लगाई गई थी। इसी प्रपत्र की शर्त संख्या 6;पपद्ध में श्री जालम सिंह व श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा यह बताया गया है कि अनुच्छेद संख्या 4;पपद्ध के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है। यह निर्विवाद है कि श्री जोगेन्द्र सिंह ने 2,50,000/- रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न किया था, जिसके बारे में पृष्ठ 127/सी पर तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने भी लिखा है तथा जो पत्रावली में संलग्न है।

श्री प्रदीप सेन द्वारा जारी मूल लाईसेन्स जो पृष्ठ 139/सी पर उपलब्ध है में स्पष्ट निर्देश आदेश किये गये हैं कि निविदा प्रपत्रों के शर्तो तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तो के अनुसार निर्धारित अवधि में आवंटित धरोहर राशि जमा करायें तथा निर्धारित प्रपत्र में हैसियत व जमानती प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश करें अन्यथा स्वीकृत शर्त निरस्त हो जावेगी। इसकी पुश्त पर आदेश जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजकर बताया गया है कि निविदादाता द्वारा 36,05,000/- रूपये व 44,00,000/- रूपये व 20,00,000/- रूपये जमा कराये गये। पृष्ठ 111/सी पर श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा दी गई 3,50,000 रूपये की सोल्वेन्सी का प्रमाण पत्र है।

आबकारी विभाग, राजस्थान के विस्तृत निर्देश व शर्त जिनसे यह ठेकेदार आबद्ध थे तथा जो पृष्ठ 129/सी से 134/सी पर उपलब्ध है की शर्त 4.2 में यह शर्त थी कि आरक्षित राशि की 5 प्रतिशत राशि के बराबर प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा शर्त 16.1 व 16.2 (पृष्ठ 133/सी) निम्न प्रकार है:-

16.1 हैसियत प्रमाण-पत्र एवं जमानतनामें में वर्णित सम्पत्तियों का अनुज्ञाधारी/जमानती की स्व-अर्जित होना आवश्यक है। यदि सम्पत्तियाँ दाय-प्राप्ति से अर्जित हुई है तो स्वामित्व के स्पष्ट दस्तावेज पेश करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मुस्लिम अनुज्ञाधारी अपने हैसियत प्रमाण-पत्र में अपनी पत्नी या पति की सम्पत्तियों को अंकित नहीं करेगा। हिन्दू विधि के अन्तर्गत आनेवाले अनुज्ञाधारी या जमानतियों के सम्बन्ध में अपनी पत्नी की ऐसी सम्पत्तियाँ शामिल नहीं होगी जो ''स्त्री धन'' की परिभाषा में आती है। इसी प्रकार अविभाजित संयुक्त सम्पत्ति को अनुज्ञाधारी/जमानती के स्पष्ट स्वामित्व में तब हीं माना जावेगा, जब संपत्तियों का वैधानिक एवं यथार्थ विभाजन हो चुका हो।

16.2. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता/अनुज्ञाधारी को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये हैसियत एवं जमानत प्रमाण-पत्र में वर्णित अचल सम्पत्तियों का मूल दस्तावेजों के आधार पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से अनुज्ञा अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

यह निर्विवाद है कि इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा ठेकेदार द्वारा शर्त संख्या 4.2, 16.1 व 16.2 पूर्ण न करने के बावजूद तत्काल कोई रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर अथवा आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नहीं भेजी गई बल्कि वह ठेकेदारों को अपने स्तर पर नोटिस देता रहा तथा मामले को देरी ना करता रहा। अन्त में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मार्च, 2000 में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर को लिखा गया जिसके द्वारा भी नोटिस जारी किये गये तथा आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा जून, 2000 में नोटिस जारी कर 15 जुलाई, 2000 में ठेके समाप्त किये गये।

निर्विवाद तौर पर मुख्यत: शर्तो की पालना न करने व ठेके निरस्त करने के लिए उच्च अधिकारियों के ध्यान में मामला न लाने का दोषी जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़ श्री ओमप्रकाश सनाढ्य था। श्री ओमप्रकाश सनाढ्य को राज्य सरकार ने इन शिकायतों पर निलम्बित कर आरोप पत्र भी दिया किन्तु अन्तत: राज्य सरकार के आदेश (8/सी का पैरा 2) के द्वारा उन्हें आरोप प्रमाणित नहीं होने से बहाल कर दिया गया।

इस प्रकरण में विधान सभा की जन लेखा समिति ने वर्ष 2004-05 में प्रतिवेदन संख्या 98 राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर 31.03.05 को सदन में प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति देखने से जाहिर होता है कि जन लेखा समिति ने इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 39 पर निम्न सिफारिश की :-

> ''अत: समिति सिफारिश करती है कि नियमों के विपरीत बिना धरोहर, जमानत, हैसियत प्रमाणपत्र के अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाये तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में नियम एवं शर्तो की कठोरता से पालना करते हुए बकाया राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया एवं प्रगति से समिति/महालेखाकार को अवगत कराया जाये।''

उप-महालेखाकार ने इस सचिवालय को सूचित किया है कि आबकारी आयुक्त, उदयपुर के वर्ष 1999-2001 के अभिलेखों की जांच की जाकर प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के अध्याय-5 के पैरा 5.2 में शामिल किया गया था, जिसमें हनुमानगढ़ का मामला भी सम्मिलित था। इसे परिशिष्ठ-अ के रूप में संलग्न किया है, जिसमें बिना उचित धरोहर, हैसियत, जमानतों के अनुज्ञा-पत्र जारी करने के कारण एकाकी विशेषाधिकार राशि/अनुज्ञा शुल्क की हानि का पैरा था, परन्तु उप महालेखाकार ने यह स्पष्ट कराया कि इस सिफारिश की क्रियान्विति पूर्ण मानते हुए जन लेखा समिति के वर्ष 2010-11 के 50वें प्रतिवेदन में इसे निर्णित मान लिया गया तथा समिति के निर्णय की प्रति परिशिष्ठ-द के रूप में संलग्न की गई। साथ ही सिफारिश संख्या-3 के संबंध में यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने धरोहर राशि जमा कराने के लिए दिनांक 3.3.99 से 30.6.2000 तक शिथिलता प्रदान की थी। इस संबंध में विभाग के पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की गई है। इसलिए बिना धरोहर राशि जमा कराये, ठेका संचालन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं माना गया।

यह भी बताया गया है कि जन लेखा समिति ने विभाग के उत्तर से सहमत होते हुए सिर्फ यह सिफारिश की है कि शेष बकाया राशि की वसूली हेतु विभागीय स्तर पर ठोस प्रक्रिया अपनाई जाये। इस प्रकार नई सिफारिश ने जवाबदेही निर्धारित करने वाले बिन्दु को समाप्त कर दिया।

इस प्रकरण में ठेकेदारों से हैसियत प्रमाणपत्र/जमानत प्रमाणपत्र अथवा कैश गारण्टी जमा नहीं कराने का आरोप, आबकारी आयुक्त श्री प्रदीप सैन के विरूद्ध लगाया गया, परन्तु अनुसंधान व प्रारंभिक जांच के दौरान आई साक्ष्य से स्पष्ट रूप से कहीं भी यह नहीं प्रमाणित होता कि हैसियत प्रमाण पत्र व जमानत प्रमाणपत्र लेने का दायित्व आबकारी आयुक्त का था। वैसे भी स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने समय-समय पर 30.3.99 से 30.6.2000 की अवधि के लिए शिथिलता प्रदान की थी ताकि राज्य सरकार को राजस्व वसूली में नुकसान न हो।

इस प्रकार, इस प्रकरण में श्री प्रदीप सैन, तत्कालीन आबकारी आयुक्त के विरूद्ध यह आरोप, कि वर्ष 1999-2000 का हनुमानगढ़ ग्रुप का आबकारी ठेका, मोहम्मद आमाद, श्री जालम सिंह व श्री जोगेन्द्र सिंह

को श्री प्रदीप सैन द्वारा आबकारी अधिकारी श्री ओमप्रकाश सनाढ्य व ठेकेदारों से मिलीभगत कर जारी किया, जबकि इन तीनों व्यक्तियों की ठेका लेने की हैसियत नहीं थी, प्रमाणित नहीं होता।

इसी प्रकार प्रारम्भिक जांच में यह आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना था कि आबकारी आयुक्त ने मोहम्मद आमाद, श्री जालम सिंह व श्री जोगेन्द्र सिंह को ठेकों की स्वीकृति जारी की परन्तु ठेकेदारों ने हैसियत प्रमाणपत्र व जमानत प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये, परन्तु हम देख चुके है कि इसके लिए प्रारंभिक दायित्व श्री ओमप्रकाश सनाढ्य का था तथा ऑडिट के ऐतराज व जन लेखा समिति के ऐतराजात के बारे में राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि जून, 2000 तक स्वंय राजस्थान सरकार ने इसके लिए शिथिलता प्रदान कर दी थी तथा हैसियत प्रमाणपत्र व जमानत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया। विधानसभा की जन लेखा समिति ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार भी कर लिया है। अतः इस संबंध में भी कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

परन्तु यह निर्विवाद है कि ठेकों की स्वीकृति जारी करते वक्त हैसियत प्रमाणपत्र, जमानत प्रमाणपत्र व धरोहर राशि जमा कराने के कडे प्रावधान होने के बावजूद, ये राशि जमा नहीं की गई। अतः राज्य सरकार को यह सिफारिश किया जाना उचित होगा कि भविष्य में ठेकेदारों से बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने को कहा जावे तथा ठेके, बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के बाद ही प्रारंभ किये जावे।

लोकसेवक के द्वारा प्रत्युत्तर व साक्ष्य में यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने 2002 के पश्चात् अब ठेकेदारों से बैंक गारण्टी लेना प्रारंभ कर दिया है।

परिणामतः इस प्रकरण में श्री प्रदीप सैन, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, उदयपुर के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं समझा गया तथा सक्षम प्राधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांकः 13.1.12 की एक प्रति पत्र क्रमांकः एफ.18(7)लोआस/2000/u/12/10598 दिनांक 17.1.12 के साथ संलग्न प्रेषित करते हुए **यह सिफारिश की गई कि भविष्य में आबकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले लाईसेंस की शर्तो में ठेकेदारों द्वारा हैसियत व जमानत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बजाय बैंक गारण्टी प्रस्तुत कराई जावे।** सिफारिश की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

# अध्याय–4

## विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण

दिनांक 1.4.11 से 31.3.12 की कालावधि की अधिसंख्य विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

### 1. एफ.2(2)लोआस/2011

इस प्रकरण में राजस्थान पत्रिका के दिनांक 19 अप्रेल, 2011 के अंक में ''बेहिसाब घोटाला, नहीं हुई कार्रवाई'' एवं ''करौली- खुल रही हैं घोटाले की परतें, मौके पर नहीं मिला फार्म पॉण्ड'' शीर्षक से छपे समाचार के आधार पर स्वप्रस्तावानुसार प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई।

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः प.2(3)कृषि/ग्रुप-1/2010 दिनांक 26 सितम्बर, 2011 एवं 14.10.11 के द्वारा अवगत कराया कि करौली जिले में वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में फार्म पॉण्ड (खेत तलाई) निर्माण, फव्वारा व बूंद-बूंद सिंचाई योजना में हुई अनियमितताओं के लगे आरोपों के संबंध में विभाग द्वारा 11 टीमों का गठन कर भौतिक सत्यापन करवाया गया जिसमें पाया गया कि कृषकों से प्राप्त होने वाले आवेदनों के अनुसार स्थापित किये गये फव्वारा संयंत्र, ड्रिप व फार्म पॉण्ड निर्माण का गलत भौतिक सत्यापन कर अनुदान वितरित कर दिया गया। अत्यधिक गंभीर अनियमितता बरतने वाले 6 लोकसेवकों में से सेवानिवृत्त हो चुके 2 लोकसेवकों के विरूद्ध पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्यरत 4 **कृषि पर्यवेक्षकों सर्वश्री सुरेश चन्द शर्मा, रामफल मीणा, देवीसिंह पालीवाल एवं रामचन्द्र कुम्हार**,
**श्री आर.एस.कुमावत**, उप निदेशक, कृषि (विस्तार) एवं **श्री एस.के.महावर**, उप निदेशक, कृषि (विस्तार) को निलम्बित कर **नियम 16/18 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करदी गई है। न्यूनतम अनियमितता बरतने वाले **अन्य 17 लोकसेवकों** (सहायक कृषि अधिकारीगण सर्वश्री **बृजवासी मीणा** एवं **बत्तीलाल मीणा,** कृषि पर्यवेक्षकगण **सर्वश्री हंसराज जाट, देवीसिंह, सतीश चन्द जैन, महादेव प्रसाद शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पतराम कोली, उमेशचन्द, बृजकिशोर, अमृतलाल मीणा, चन्द्रपाल शर्मा, जवाहर लाल बघेल, धूपराम कोली, चौथमल, गोपाल प्रसाद, धनसिंह**) को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार **16 सीसीए** के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी तथा संबंधित फर्मो/डीलरों के विरूद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लिखा गया है।

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 11.10.11 के अनुसार धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर एवं दौसा जिले में वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में अनुदान पर वितरित किये गये फव्वारा सैट्स एवं निर्मित फार्म पौण्ड का रेण्डम भौतिक सत्यापन करने हेतु 11 टीमों का गठन कर दिया गया है। परिपत्र दिनांक 11.10.11 के अनुसार अनियमितता में दोषी पाई गई फर्मो/डीलरों पर राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत् कार्य करने पर रोक लगादी गई।

## 2. एफ.3(202)लोआस/2009

यह परिवाद श्रीमती सुलफा पत्नी रामसुजान निवासी अम्बरपुर राजाखेड़ा, धौलपुर ने दिनांक 2.2.10 को प्रस्तुत किया। परिवाद में कथन किया कि उसके साथ दिनांक 17.10.10 को भीमसेन द्वारा मारपीट कर बलात्कार करने का प्रयास किया गया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना, राजाखेड़ा पर दर्ज कराने गये, परन्तु श्री बिहारी लाल, एस.आई. ने मुल्जिम से मोटी रकम लेकर बलात्कार की रिपोर्ट के बजाय केवल छेड़ाछाड़ की दर्ज की। अत: उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 1.7.10, पत्र दिनांक 19.10.10 व 30.3.11 के द्वारा परिवादिया के आरोप को सही बताते हुए अवगत कराया कि यदि बलात्कार की रिपोर्ट समय पर दर्ज करली गई होती तो परिवादिया को न्यायालय में जाकर दूसरा अभियोग पंजीबद्ध नहीं कराना पड़ता। इसके अभाव में पीड़िता का मेडीकल भी नहीं करवाया जा सका। यह भी अवगत कराया कि इस संबंध में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी **श्री विजयपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक** तत्कालीन थानाधिकारी थाना राजाखेड़ा, **श्री बिहारी लाल, उप निरीक्षक,** थाना राजाखेड़ा, **श्री वासुदेव प्रसाद, एच.सी. नं. 245** तत्कालीन एच.एम. थाना राजाखेड़ा व **निर्भानसिंह कानि. नं. 409** थाना राजाखेड़ा के विरूद्ध **16/18 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय जांच प्रारंभ की जा चुकी है। यह भी अवगत कराया गया कि अभियोग संख्या 13/10 दिनांक 18.1.10 धारा 323, 341, 341,354 ता.हि. एवं 27/10 दिनांक 2.2.10 धारा 323, 341, 376 ता.हि. थाना राजाखेड़ा की पुन: अन्वेषण किये जाने पर अभियोग संख्या 27/10 की घटना का सही होना पाये जाने पर अभियुक्त भीमसैन का अपराध प्रमाणित पाया गया है व उसकी गिरफ्तारी शेष है। यह पत्रावली दिनांक 1.9.11 को नस्तीबद्ध कर दी गई।

## 3. एफ.3(12)लोआस/2010

इस प्रकरण में परिवादी श्री निनुआ उर्फ नन्नूसिंह ने दिनांक 9.4.10 को शिकायत प्रस्तुत कर अपराध संख्या 107/10 धारा 143, 323, 341, 447, 379 ता.हि. थाना डीग के अनुसंधान में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया और दोषी दण्डित कराये जाने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के पत्र दिनांक 18.10.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसंधान अधिकारी **श्री रणवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक** को अनुसंधान में लापरवाही का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध

17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई। विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर उसे निर्णय दिनांक 30.6.11 के द्वारा **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 4. एफ.3(66)लोआस/2010

यह प्रकरण श्री नेम प्रकाश खण्डका संतकुमार खण्डका, निवासी डी-192, जगदीश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर की शिकायत पर दिनांक 4.6.10 को दर्ज किया गया। परिवाद में **श्री कैलाश चन्द बोहरा, पुलिस निरीक्षक एवं श्री चांद सिंह, उप निरीक्षक**, पुलिस थाना सदर जयपुर शहर (दक्षिण) के विरूद्ध परिवादीगण को परिवाद सं. 202 में रात्रि में थाने में बुलाकर अभद्र व्यवहार किये जाने, अभियोग संख्या 327/09 का अनुसंधान सही ढंग से नहीं करने, अनुचित रूप से गिरफ्तार करने आदि की शिकायत की गई।

इस शिकायत के संबंध में कार्यवाही किये जाने पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 22.10.10 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त दोनों लोकसेवकगण को जांच में दोषी पाये जाने पर दिनांक 12.10.10 को **16/18 सीसीए** के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। यह पत्रावली दिनांक 27.6.11 को नस्तीबद्ध करदी गई है।

## 5. एफ.3(226)लोआस/2010

इस प्रकरण में श्री कुन्दन कुमार ईश्वर निवासी मानसरोवर, जयपुर की शिकायत दिनांक 8.2.11 पर कार्यवाही करने पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.5.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया थानाधिकारी, पुलिस थाना, विद्याधर नगर, जयपुर **श्री आहद खां**, पुलिस निरीक्षक एवं **श्री भगवान सहाय**, सहायक उप निरीक्षक को धारा 207 एम.बी. एक्ट का इस्तागासा जानबूझकर अदालत में विपक्षी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अत्यधिक देरी से पेश करने का दोषी पाया गया। तदुपरान्त उक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त दोनों लोकसेवकों को आदेश दिनांक 12.9.11 के द्वारा **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 6. एफ.3(227)लोआस/2010

यह प्रकरण श्रीमती मधुदेवी शर्मा पत्नी श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, वार्ड नं. 11, सूरजगढ़, जिला झुन्झूनू के परिवाद दिनांक 5.2.11 के आधार पर दिनांक 9.2.11 को दर्ज किया गया। परिवाद में आरोप लगाया गया कि उसने उसके साथ की गई मारपीट के संबंध में पुलिस थाना, सूरजगढ़ में श्री सत्य प्रकाश, ए. एस.आई. रिपोर्ट दी थी जिन्होंने मेडीकल करवाया, परन्तु कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। दिनांक 1.11. 10 को न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 200/10 दर्ज की गई। परन्तु फिर भी श्री सत्यप्रकाश ने जांच करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि परिवादिया के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई मेडीकल नहीं हुआ।

पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ने अवगत कराया कि जांच में परिवादिया की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने के पर **श्री सत्यप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना, सूरजगढ़ के विरूद्ध 17 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही जाकर आरोप सिद्ध पाये जाने पर आदेश दिनांक 29.9.11 के द्वारा **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 7. एफ.3(56)लोआस/2011

इस प्रकरण में सुश्री राज सांखला की शिकायत पर जांच के उपरान्त अभियोग संख्या 339/08 धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. के अनुसंधान में बरती गई लापरवाही के संबंध में **श्री भंवरदान रत्नू, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, उदयमंदिर**, एवं **श्री बिरमा राम, सहायक उप निरीक्षक, तत्कालीन पुलिस थाना, उदयमंदिर** हाल महिला थाना, जोधपुर शहर को दिनांक 7.10.11 को **17 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। श्री रामेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत, जोधपुर को पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने पर पत्र दिनांक 7.10.11 के द्वारा लिखित चेतावनी दी जा चुकी है।

## 8. एफ.3(123)लोआस/2011

परिवादी श्री प्रकाशवीर मान, वरिष्ठ अध्यापक, वार्ड नं.22, आदर्श कोलोनी, चिड़ावा ने यह शिकायत दिनांक 5.9.11 को प्रस्तुत की। परिवाद में श्री माईधन सिंह, ए.एस.आई. व श्री विरेन्द्र जाखड़, एस.एच.ओ., पुलिस थाना, चिड़ावा के विरूद्ध राजनैतिक दबाव एवं रिश्वत लेकर परिवादी एवं उसके एक सहकर्मी श्री ब्रह्मासिंह के विरूद्ध झूँठा मुकदमा 195/11 धारा 323, 353 भादस दिनांक 9.2.11 की घटना बता कर 12.2.11 को दर्ज करने व परिवादी के साथ की गई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने आदि के आरोप लगाये गये।

इस परिवाद में पुलिस अधीक्षक, झुन्झूनू से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 11.2.12 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण संख्या 195/11 के संबंध में की गई शिकायत की जांच कराये जाने पर परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री माईधनसिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, चिड़ावा को 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच में दोषी सिद्ध होने पर निर्णय दिनांक 30.12.11 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि परिवादी से की गई मारपीट के प्रकरण संख्या 43/2011 में बाद अनुसंधान मुलजिम मीरसिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 332, 353 भादस प्रमाणित पाये जाने पर नतीजा जरिये चार्जशीट नम्बर 239ए/11 दिनांक 23.11.11 को किता की जा चुकी है। मुकदमा हाजा में चालान पेश न्यायालय करने व मुल्जिम की गिरफ्तारी पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से रोक है।

## 9. एफ.5(58)लोआस/2008

यह परिवाद सुश्री अनामिका रत्नू पुत्री श्री वेददान रत्नू ग्राम घोड़ारण पोस्ट ऊंटवालिया, तहसील व जिला नागौर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे 300 रूपये जमा करवाने पर भी राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय, पांचला सिद्ध, खींवसर, जिला नागौर द्वारा द्वेषतापूर्वक साइकिल नहीं दी गई जबकि जबकि अन्य दो छात्राओं को बिना आवेदन किये व राशि जमा न करवाने पर भी साइकिलें देदी गई।

इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 10.2.09, 13.3.09, 6.8.09 एवं 13.1.10 द्वारा शिकायत को निराधार व झूठी बताया।

इस सचिवालय द्वारा प्रस्तुत जवाबों से संतुष्ट न होने पर आगे कार्यवाही की गई। अंततः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 2.3.10 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, नागौर से जांच करवाकर यह सूचित किया कि परिवादिया ने अपनी हिस्सा राशि स्कूल में जमा नहीं करवाई थी, इसलिये वह राजकीय योजनान्तर्गत साइकिल प्राप्त कराने के लिए पात्र नहीं थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जिन दो छात्राओं से सत्र 2007-08 में क्रमशः रसीद संख्या 49 तथा 59 के द्वारा 300-300 रूपये प्राप्त नहीं किये गये हैं, उन छात्राओं द्वारा विद्यालय छोड़ दिये जाने के कारण उन्हें साइकिल नहीं दी गई।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया तत्कालीन कक्षाध्यापक **श्री भंवरदान रत्नू, वरिष्ठ अध्यापक**, जो वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निम्बोला में कार्यरत हैं, के विरूद्ध छात्रा मधु सोलंकी का नाम स्कॉलर रजिस्टर में पृथक होने के बावजूद लापरवाहीपूर्वक कृत्य करते हुए उसकी 300/- रूपये की रसीद काटने तथा संस्था प्रधान **श्री प्रहलाद सिंह शक्तावत** द्वारा छात्रा मधु सोलंकी व सुमित्रा कंवर के आवेद पत्रों के साथ निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होते हुए भी आवेदन पत्र प्रमाणित करने का दोषी पाया गया। फलस्वरूप उनके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् दोष सिद्ध होने पर आदेश दिनांक 20.7.11 के द्वारा **श्री प्रहलाद सिंह शक्तावत** को **दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने तथा श्री **भंवरदान रत्नू** को **एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 10. एफ.5(89)लोआस/2008

यह परिवाद **श्री सूरजकरण पुरोहित, व्याख्याता,** राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर के विरूद्ध कूटरचना करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के आरोप के संबंध में प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच कराये जाने पर अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 14.10.09 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक को दिनांक 2.9.09 को **निलम्बित किया जा चुका है।** पत्र दिनांक 20.7.11 के अनुसार लोकसेवक को दिनांक 14.6.10 को **16 सीसीए के** अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जा चुका है व विभागीय जांच लंबित है।

महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेन्ज, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 16.12.11 के अनुसार उक्त लोकसेवक के विरूद्ध अभियोग संख्या 2/09 धारा 420, 467, 471 भादस पुलिस थाना, सदर, जिला बीकानेर में बाद

अनुसंधान उसके विरूद्ध फर्जी प्रमाण पत्र बना कर रूपये 2,10,000/- रूपये का लॉन हासिल करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

## 11. एफ.5(30)लोआस/2009

## 12. एफ.5(14)लोआस/2009

परिवादी श्री ओमवीर सिंह ने एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि श्री कृष्णगोपाल शर्मा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नागर, जिला धोलपुर ने अपने पुत्र दीनबन्धु शर्मा को शिक्षा मित्र के रूप में दिनांक 20.11.08 से 28.2.09 तक लगा कर उसका मानदेय आहरित किया जबकि उक्त अवधि में दीनबन्धु शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालपुर में कम्प्यूटर अनुदेश के रूप में कार्यरत था।

इस शिकायत के संबंध में कार्यवाही किये जाने पर विभाग ने जांच में आरोप सही पाये जाने पर अवगत कराया कि उक्त लोकसेवक के विरूद्ध **17 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई और विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर आदेश दिनांक 12.5.11 के द्वारा उसे **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 13. एफ.5(65)लोआस/2009

श्री बाबूखां निवासी उनियारा वार्ड नं. 3, जिला टोंक ने यह शिकायत प्रस्तुत कर लोकसेवक **श्री ईशाक मोहम्मद रंगरेज, प्रधानाध्यापक,** राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीमगंज, टोंक के विरूद्ध पोषाहार का गबन करने व शाला समय से पूर्व शाला छोड़ने आदि के आरोप लगाये।

इस शिकायत के संबंध में प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 24.8.11 के अनुसार शिकायत की जांच करने पर लोकेसेवक के विरूद्ध पोषाहार का गबन करने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया, परन्तु सत्र 2008-09 के मिड डे मील के रजिस्टर के कॉलम संख्या 12 एवं 13 में प्रत्येक दिन का शेष नहीं दर्शाने तथा दिनांक 4.7.09 को शाला समय से पूर्व ही शाला छोड़ने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध दिनांक 14.6.11 को **16 सीसीए के** अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है व विभागीय जांच अभी लंबित है। पत्रावली दिनांक 4.1.12 को नस्तीबद्ध करदी गई।

## 14. एफ.5(82)लोआस/2009

यह प्रकरण श्री शिवचरण सैकड़ा पुत्र श्री केदारमल सैकड़ा निवासी गीजगढ़ तहसील सिकराय जिला दौसा की शिकायत पर दिनांक 23.3.10 को दर्ज किया गया जिसमें श्री **प्रकाश चन्द शर्मा, अध्यापक,** राजकीय उच्च माध्यमिक रेलवे, दौसा के विरूद्ध अपनी भाभी श्रीमती सुशीलादेवी के वार्ड पंच के चुनाव में खुला समर्थन करने, प्रचार करने व मतदान समाप्त होने तक मतदान केन्द्र पर रहने का आरोप लगाया गया।

अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.5.11 के द्वारा अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त लोकसेवक के विरूद्ध **17 सीसीए** के अन्तर्गत दिनांक 3. 5.11 को ज्ञापन एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। इस पर पत्रावली दिनांक 27.6.11 को नस्तीबद्ध करदी गई।

पत्र दिनांक 17.10.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय जांच में कार्मिक के विरूद्ध दोष सिद्ध न होने पर जांच को कार्यालय आदेश दिनांक 28.6.11 द्वारा ड्रॉप कर दिया गया है।

## 15. एफ.5(33)लोआस/2010

यह प्रकरण में श्रीमती मंजू निवासी जोधपुर के परिवाद पर दर्ज किया गया जिसमें श्री रामेश्वर छंगाणी के विरूद्ध विभिन्न तारीखों में जोधपुर पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित होने के उपरान्त भी उपस्थिति पंजीका में हाजिरी अंकित करने का आरोप लगाया। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 9.5.11 द्वारा अवगत कराया कि **लोकसेवक श्री रामेश्वर छंगाणी, कनिष्ठ लिपिक**, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पादरू (बाड़मेर) को दिनाक 5.8.02 से लगातार विभिन्न तारीखों पर पारिवारिक न्यायालय, जोधपुर में बिना अवकाश स्वीकृत कराये, बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लिये उपस्थित होने और उपस्थिति पंजीका में उपस्थिति अंकित करने के आरोप के संबंध में दिनांक 3.12.10 उसे **16 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। परिवाद दिनांक 16.9.11 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

## 16. एफ.5(38)लोआस/2010

श्री मोहम्मद अली, संयोजक, उमस, बाप एवं सदस्य जागरू नागरिक मंच फलोदी जिला जोधपुर ने यह शिकायत दिनांक 27.8.07 को प्रस्तुत कर पंचायत समिति, बाप क्षेत्र में सामुदायिक मुखियाओं व एस. डी.एम.सी. सदस्यों का फर्जी प्रशिक्षण दिखा कर राशि अपनी जेब में डालने का आरोप लगाया व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.6.08, 2.6.09, 6.7.09, 3.8.10, 9.11.10 एवं 9.6.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण में हुई अनियमित भुगतान राशि रूपये 1355/- मय ब्याज सीआरसीएफ श्री राम प्रकाश तिवाड़ी से प्राप्त करली गई है। इस प्रकरण में रामप्रकाश तिवाड़ी, तत्कालीन सीआरसीएफ मुख्य रूप से एवं श्री आर.एस.राजावत, पर्यवेक्षक उदासीनता हेतु दोषी पाये गये हैं। श्री रामप्रकाश तिवाड़ी के खिलाफ पुलिस थाना जाम्बा में धारा 409 भादस के तहत् एफ.आई.आर. सं. 26/23.6.09 दर्ज करवादी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह राजावत, पूर्व बीआरसीएफ, बाप को दिनांक 23.6.09 एवं श्री रामप्रकाश तिवाड़ी को दिनांक 15.7.10 को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिये जाकर विभागीय कार्यवाही की गई। श्री राजेन्द्र सिंह राजावत,

पूर्व बीआरसीएफ एसएसए बाप वर्तमान प्रबोधक, राउप्रावि, मोहरा, पं.सं. बाप, जिला जोधपुर को आदेश दिनांक 13.1.10 के द्वारा अपने स्तर पर अनियमितता बरता जाना नहीं पाये जाने के कारण भविष्य में कार्य के प्रति उदासीनता नहीं बरते जाने की चेतावनी दी जाकर विभागीय जांच को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार श्री राम प्रकाश तिवाड़ी, पूर्व सीआरसीएफ, ग्राम पंचायत, ननेउ, पं.सं. बाप, जिला जोधपुर को आदेश दिनांक 23.5.11 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 17. एफ.5(41)लोआस/2010

यह परिवाद श्री देरावर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी मीठड़ा तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर ने दिनांक 27.8.10 को श्री गुमनाराम, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुथारों का तला, ग्राम पंचायत, मीठड़ा, ब्लॉक बाड़मेर के विरूद्ध शाल में कक्ष निर्माण की राशि को हड़पने, निर्माण में अनियमितता करने आदि के गंभीर आरोप लगाये।

उक्त शिकायत की जांच कराये जाने के उपरान्त अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 28.12.10 द्वारा अवगत कराया कि जांच में लोकसेवक गुमनाराम जाखड़ पूर्व एस.डी.एम.सी. अध्यक्ष, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मीठड़ा को राजकीय राशि का दुरूपयोग करने, कार्य पूर्ण नहीं करने व वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाया गया है। उसके द्वारा राशि रूपये 96,000/- अनियमित रूप से आहरित करने पर उससे उक्त राशि मय ब्याज रूपये 1,13,632/- वसूल कर लिये गये हैं। पत्र दिनांक 19.4.11 के अनुसार लोकसेवक को दिनांक 8.4.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जिस पर यह परिवाद दिनांक 20. 5.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया। विभागीय जांच का परिणाम अभी तक अपेक्षित है।

## 18. एफ.5(47)लोआस/2010

इस प्रकरण में श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव द्वारा **श्री मनोहर सिंह यादव**, बॉस्केटबाल प्रशिक्षक, **श्री राधेश्याम पंचोली,** उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा एवं **श्री राम प्रसाद कुम्हार**, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कोटा के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने की शिकायत की गई।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में दोषी पाये जाने पर **श्री राम प्रसाद कुम्हार** को दिनांक 15.6.11 को दिनांक 5.8.10 को स्थानान्तरण पर उपस्थिति दिये जाने के उपरान्त बिना आदेश के राजपत्रित उपस्थिति पंजीका में स्वयं के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की तैयारी स्टेडियम में अंकित कर अपने गृह नगर भीलवाड़ा प्रस्थान करने के आरोप में 17 सीसीए के अन्तर्गत, **श्री मनोहर सिंह यादव** को उपस्थिति पंजीका में उपस्थिति नहीं होते हुए भी जाली हस्ताक्षर करने, 16. 11.01 एवे 19.11.01 को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने व मेडीकल पर रहने के बावजूद भी उपस्थिति पंजीका में हस्ताक्षर करने के आरोप में 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई। तदुपरान्त दो विभिन्न आदेश दिनांक 18.10.11 के द्वारा श्री मनोहर सिंह यादव

को दोष सिद्ध होने पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तथा श्री रामप्रसाद कुम्हार को दोषी सिद्ध पाये जाने पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। इस पर यह पत्रावली दिनांक 25.10.11 को नस्तीबद्ध करदी गई।

## 19. एफ.5(58)लोआस/2010

यह प्रकरण परिवादी श्री किशोरी लाल की शिकायत पर दिनांक 2.11.10 को दर्ज किया गया। परिवाद में लोकसेवक श्री सुरजीत कुमार, प्रयोगशाला सेवक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रत्तेवाला, श्रीगंगानगर के विरूद्ध राजस्थान में उसकी जाति 'ओड' को ओ.बी.सी. माने जाने के बावजूद भी हरियाणा सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30.3.88 से सरकार से धोख कर अनुसूचित जाति के अन्तर्गत कोटे में राजकीय सेवा में प्राप्त करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद में कार्यवाही करने पर आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर केश पत्र दिनांक 16.8.11 के अनुसार उक्त लोकसेवक को उक्त आरोप के संबंध में दिनांक 6.8.11 को **16 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्राप्त करदी गई है। तत्पश्चात् प्रकरण को दिनांक 2.9.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है। विभागीय जांच अभी जारी है।

## 20. एफ.7(14)लोआस/2011

परिवादी श्री गिरजानन्द शर्मा पुत्र श्री बालकृष्ण शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, 20, कृष्णा कोलोनी, चन्दा टॉकीज के सामने, निवाई ने दिनांक 23.9.11 को शिकायत प्रस्तुत कर निवाई में श्री धर्मचन्द अग्रवाल, राशन डीलर द्वारा रसद विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से केरोसीन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया।

इस शिकायत में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.11.11 के द्वारा अवगत कराया कि खाद्य विभाग मुख्यालय से स्पेशल टीम भेजकर जांच कराये जाने पर जिला टोंक के निवाई तहसील के शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा आवंटन से अधिक केरोसीन उठाव करने के कारण अधिक उठाव की मात्र की वसूली रूपये 23/- प्रति लीटर की दर से वसूल करने हेतु उन्हें नोटिस जारी किये गये तथा थोक विक्रेताओं द्वारा रोस्टर से अधिक केरोसीन तेल जिन उचित मूल्य दुकानदारों को दिया गया, उनको जिला रसद अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया जिनमें से 16 दुकानदारों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 14 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिये गये। दो उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा अन्तर राशि जमा कराये जाने के लिए मना नहीं की गई थी, इस कारण उनके प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किये गये। श्री धर्मचन्द से रूपये 35,190/- की वसूली करली गई है। 14 डीलरों द्वारा कोई पैसा जमा नहीं कराये जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करादी गई है। एक अन्य डीलर श्री चिरंजी लाल के विरूद्ध भी इसी तरह प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज

करादी गई है। बाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में उक्त 14 डीलरों के प्राधिकार पत्र पुनः बहाल कर दिये गये। इस संबंध में श्री कन्हैया लाल रैगर, तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, निवाई, टोंक को भी दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उसे वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस परिवाद को दिनांक 1.2.12 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 21. एफ.8(25)लोआस/2008

## 22. लिंक फाइल एफ.8(26)लोआस/2008

यह प्रकरण श्री वैभव शर्मा, बी-5, देव नगर, टोंक रोड, जयपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया। परिवाद में लोकसेवक डा. राजकिशोर महेश्वरी, तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर के विरूद्ध 2004 से 2006 तक चयनित आर.पी.सी. शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण बिना प्रति अभ्यर्थी 16/- फीस जमा करवाये ही जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाने आदि के आरोप लगाये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जांच के उपरान्त दोषी पाये गये लोकसेवक डा. राजकिशोर महेश्वरी, तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर के विरूद्ध कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 23.7.09 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है।

## 23. एफ.8(35)लोआस/2008

यह प्रकरण परिवादी श्री रविन्द्र कुमार छाबड़ा, निवासी डेहरा, जिला अलवर की शिकायत पर पंजीबद्ध किया गया जिसमें लोकसेवक डा. जितेन्द्र शेखर, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेहरा, मालाखेड़ा जिला अलवर के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र छाबड़ा से मुकदमें के सिलसिले में 20,000/- रूपये की रिश्वत की मांग करने, 12 बजे के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहने आदि के संबंध में आरोप लगाये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई जांच में उक्त लोकसेवक के दोषी पाये जाने पर उसे कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 8.12.10 के अनुसार दिनांक 6.7.10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन हैं। उक्त स्थिति में यह प्रकरण दिनांक 27.6.11 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 24. एफ.8(25)लोआस/2009

यह प्रकरण श्री शरद कुमार शर्मा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, जिला क्षय निवारण केन्द्र, भरतपुर ने डा.पी. आर.मीणा, जिला क्षय रोग नियंत्रण इकाई, भरतपुर के विरूद्ध की गई शिकायत पर दिनांक 24.7.09 को दर्ज किया गया। चूँकि शिकायत में लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के थे, इसलिये इस परिवाद

को स्वप्रस्तावानानुसार पंजीकृत किया गया। परिवाद में अनुबन्ध के वाहन को कण्डम करने की साजिश करने, स्टाफ को परेशान करने व भगाने, स्टाफ के पेमेन्ट मे देरी करने व डॉट्स के मुफ्त इलाज को चालू करने के लिए पैसे की मांग करने के आरोप लगाये गये।

मामले में कार्यवाही करने पर कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 3.5.11 द्वारा अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये जाने पर डा. पृथ्वीराज मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ, क्षय, जिला क्षय निवारण केन्द्र, भरतपुर को कार्यालय में अभद्र भाषा का प्रयोग करने, स्टाफ के भुगतान में लापरवाही बरतने के आरोप में दिनांक 22.3.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। इस पर यह पत्रावली दिनांक 1.7.11 को नस्तीबद्ध कर दी गई। विभागीय जांच अभी लंबित है।

## 25. एफ.8(25)लोआस/2009

इस प्रकरण में परिवादी श्री दिलीप शर्मा द्वारा डा. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के विरूद्ध कम्प्यूटरों की खरीद में अनयमितता करने तथा बिना जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये ही दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति प्रदान करने के आरोप लगाये गये जो जांच के बाद सही पाये जाने पर कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.1. 10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है।

## 26. एफ.8(40)लोआस/2009

इस प्रकरण में परिवादी श्री दयाराम मेघवाल द्वारा डा. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी आदेश दिनांक 3.7.08 के द्वारा 16 जीएनएम का स्थान परिवर्तन किया, आदेश दिनांक 10.10.08 के द्वारा लेखाकारों का स्थान परिवर्तन किया तथा आदेश दिनांक 2.7.08 के द्वारा श्रीमती वल्सला का स्थान परिवर्तन किया और ऐसा करके राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया।

अन्य लोकसेविका श्री ममता शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेमड़ा के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेमड़ा के अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खैराना जिला झालावाड़ में मरीज गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच नहीं की व राजकीय दस्तावे में कांट-छांट की।

इस शिकायत पर कार्यवाही करने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक 1.3.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ.गजेन्द्र सिंह सिसोदिया को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उक्त आरोपों के संबंध

में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.1.10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है।

इसी अनुक्रम में अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.3.11 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती ममता शर्मा को भी उक्त आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर दिनांक 3.8.10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है। इस पर इस पत्रावली को दिनांक 21.7. 11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 27. एफ.8(46)लोआस/2009

यह प्रकरण श्री शंकर लाल शर्मा, शिवसेना जिला प्रमुख, झुन्झुनू की शिकायत दिनांक 1.1.10 के आधार पर डा. रामचन्द्र बी.सी.एम.ओ., नवलगढ़ के विरूद्ध श्री अशोक कुमार मेल नर्स ग्रेड-2 पीएचसी गोठड़ा को दिनांक 15.4.09 को अपने कार्यालय में बिना किसी आदेश के बुलाकर दिनांक 8.5.09 तक उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाने, इसके बाद वापिस गोठड़ा बिना आदेश के भिजवा दिया तथा दिनांक 15. 4.09 से 8.5.09 तक नियमित ड्यूटी के सभी हस्ताक्षर एक साथ काट दिये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जांच के उपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 1.9.11 के अनुसार लोकसेवक डा.रामचन्द्र, बी.सी.एम.ओ., नवलगढ़ को दिनांक 5.8.11 को ज्ञापन जारी कर 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है, जो अभी विचाराधीन है।

## 28. एफ.8(4)लोआस/2010

यह प्रकरण श्री रामगोडेश्वर, निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज, किशनगढ़ की शिकायत दिनांक 5.4.10 पर दर्ज किया गया जिसमें राजकीय चिकित्सालय, किशनगढ़ में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाये गये और लोकसेवक श्री निरंजन राव, नर्स ग्रेड-2 एवं श्रीमती नीलम बाघ, नर्स ग्रेड-2, जो कि पति-पत्नी भी हैं, के विरूद्ध एक दूसरे की अनुपस्थिति में उपस्थिति पंजिका में एक दूसरे के फर्जी हस्ताक्षर करके उपस्थिति दर्शाने व कांट-छांट करने के आरोप लगाये गये।

जांच में उक्त दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर श्रीमती नीलम बाघ को दिनांक 14.6.11 को तथा श्री निरंजन राव को दिनांक 5.10.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ की जा चुकी हैं जो कि अभी लंबित हैं।

## 29. एफ.8(35)लोआस/2010

यह प्रकरण श्री नौरतमल माली निवासी अराई रोड, वाजेडा बालाजी, पंचायत समिति, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, जिला अजमेर की शिकायत दिनांक 25.11.10 पर दर्ज किया गया जिसमें यज्ञनारायण

चिकित्सालय, किशनगढ़ की नर्स श्रीमती शकुन्तला परिहार व सिस्टर रोसलीन पर परिवादी की पत्नी की डिलीवरी/इलाज की एवज में रूपये मांगने, प्राप्त करने एवं परेशान करने का आरोप लगाया गया।

शिकायत पर कार्यवाही करने पर श्रीमती शकुन्तला परिहार, प्रसाविका एवं श्रीमती रोसलीन बोनीफास, नर्स श्रेणी-2 के विरूद्ध 16 सीसीए में जांच के उपरान्त दोष सिद्ध होने पर आदेश दिनांक 12.10.11 के द्वारा उन्हें दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 30. एफ.10(17)लोआस/2011

यह परिवाद श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व.श्री बालकिशन कोली निवासी शाहपुरा हाल भीलवाड़ा ने दिनांक 12.7.11 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति स्व.श्री बालकिशन कोली की अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भीलवाड़ा के उपखण्ड द्वितीय में हेल्पर के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 17.10.07 को मृत्यु हो गई। परन्तु उसे आज दिनांक तक भी न तो जीपीएफ, ग्रेच्यूटी आदि का भुगतान किया गया है और न ही पेंशन ही चालू की गई है।

प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम ने अपने पत्र दिनांक 20.9.11 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया मृतक कर्मचारी की तीसरी पत्नी है जिसके नाम नामितीकरण नहीं हो रखा था। श्री बालकिशन की मृत्यु दिनांक 18.10.07 को ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हुई थी। श्री बालकिशन सेवाकाल के दौरान् 6084 दिन तक अलग-अलग समय स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहे जिसको पूर्व में पूर्ण नहीं करवाया गया जिसे पूर्ण करवाकर वेतन स्थिरीकरण इत्यादि करवाकर ऐरियर राशि का भुगतान करवा दिया गया है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी, पेंशन, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण, जयपुर के पत्र संख्या 3710 दिनांक 24.8.11 के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा ग्रेच्यूटी राशि रूपये 99,102/- का भुगतान परिवादिया को कर दिया गया है।

यह भी अवगत कराया कि समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिए दोषी लोकसेवकगण श्री आर.एल.जैन, अधिशाषी अभियन्ता, सीएसडी-II, भीलवाड़ा, श्री आर.के.चन्दोलिया, कनिष्ठ अभियन्ता, सीएसडी-II, भीलवाड़ा, श्री किशोर कुमार भण्डारी, वरिष्ठ लिपिक, सीएसडी-II, भीलवाड़ा पूर्ववर्ती राराविम के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1962 के नियम 6 के तहत् दिनांक 20.9.11 को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। परिवादिया ने दिनांक 29.9.11 को पत्र एवं 15.11.11 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि उसे सभी बकाया क्लेमों का भुगतान हो गया है, अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अत: पत्रावली दिनांक 22.11.11 को नस्तीबद्ध कर दी गई। विभागीय जांच अभी लंबित है।

## 31. एफ.11(100)लोआस/2005

श्री गोपी सिंह रावत पुत्र स्व. श्री हजारी रावत निवासी ग्राम जाटिया पोस्ट दांता, तहसील व जिला अजमेर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता के नाम की भूमि को सांवरा के नाम अंकित कर दिया गया जबकि वह भी सांवरा के बराबर का हिस्सेदार है।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.8.09 में शिकायत को सही माना व यह सूचित किया कि नामान्तरण संख्या 28, जो गलत दर्ज किया गया था, में गलत रूप से अंकन के लिए श्री जगदीश नारायण शर्मा, भूमापक एवं जांचकर्ता श्री सीताराम, निरीक्षक तथा प्रमाणीकरणकर्ता तत्कालीन ए.एस.ओ. प्रथम अजमेर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भू-प्रबन्ध विभाग को लिखा जा रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 6.1.11 के द्वारा अवगत कराया कि विषयांकित प्रकरण में तत्कालीन भूमापक श्री जगदीशनारायण शर्मा को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करने हेतु भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 23.4.10 के द्वारा लिख दिया गया है। अन्य दोषी लोकसेवक श्री सुरजाराम, निरीक्षक, तत्कालीन ए.एस.ओ. प्रथम, अजमेर श्री मदनचंद शर्मा कई वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सीताराम नाम का कोई निरीक्षक नहीं रहा है। भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 1.3.11 के अनुसार श्री जगदीश नारायण शर्मा, भूमापक को दिनांक 10.2.11 को 16 सीसीए में कार्यवाही की जाकर भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी जा चुकी है।

,

## 32. एफ.11(4)लोआस/2009

यह प्रकरण श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी जिरोलापाड़ा, पुराना शहर, धौलपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया। परिवाद में लोकसेवक तत्कालीन तहसीलदार, धौलपुर श्री कालूराम गुप्ता को भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.03 एवं किरोडीलाल के वारिसान के प्रार्थना पत्र दिनांक 5.5.05 के आधार पर माचिस फैक्ट्री के साथ मालिकों के नाम का इन्द्राज इंतकाल सं. 487 दिनाक 13.5.05 नियमविरूद्ध व बदनीयतिपूर्वक स्वीकार करने का आरोप लगाया गया। परिवाद में लगाया यह आरोप जांच के पश्चात् प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा लोकसेवक श्री कालूराम गुप्ता को दिनांक 4.3.10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन पत्र एवं आरोप पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् श्री गुप्ता के आर.ए.एस. में पदोन्नत हो जाने के कारण विभागीय जांच की पत्रावली कार्मिक विभाग को हस्तान्तरित करदी गई। संभागीय आयुक्त, भरतपुर के पत्र दिनांक 6.7.10 के अनुसार उक्त लोकसेवक को दिनांक 29.11.06 को राज्य सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत किया जा चुका है।

## 33. एफ.11(6)लोआस/2009

इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि परिवादीगण की ग्राम डिडवाना स्थित 8 बीघा 9 बिस्वा जमीन के संबंध में श्री रमेश चन्द जैन्थ, आर.ए.एस., तत्कालीन सहायक कलक्टर, लालसोट हाल उपखण्ड

अधिकारी, महवा जिला दौसा ने सहायक कलक्टर, लालसोट के पद पर रहते हुए राजस्व दावा 96/09 (63/05) एवं 97/09 (64/05) में बिना सी.पी.सी. के प्रावधानों का पालन किये तथा पक्षकारों को एक्सपार्टी करके मृतक गंगल्या के पक्ष में निर्णय दिनांक 16.3.09 द्वारा दावा डिकरी कर दिया।

शिकायत की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर उक्त लोकसेवक को दिनांक 15.12.11 को कार्मिक विभाग द्वारा 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है जो अभी लंबित है।

## 34. एफ.11(36)लोआस/2009

इस प्रकरण में श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़, तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ़ हाल आर.ए.एस. ने दिनांक 2.3.09 से 31.12.09 की अवधि में तहसीलदार, सूरतगढ़ के पद पर पदस्थापित रहते रोही कस्बा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 492/06 की 75 बीघा बारानी भूमि के खातेदारी अधिकार पत्र दिनांक 22.10.09 को सूर्य प्रकाश के पिता अमीचन्द पुत्र किशनदास जाति बैरागी साकिन सूरतगढ़ को प्रदान कर दिये जबकि प्रार्थी सूर्यप्रकाश के पिता अमीचन्द पुत्र किशनदास को उक्त खसरे में 25 बीघा बारानी भूमि दिनांक 15.7.82 को टी.सी. पर आवंटित हुई थी जिसका टी.सी. आवंटन (पत्रावली संख्या 166/08 में) श्री राठौड़ ने स्वयं ने खारिज कर दिया था। उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त करके तथा बाजार मूल्य की 20 प्रतिशत राशि राज्य हित में जमा करवाने पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए थे, परन्तु श्री राठौड़ ने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचा कर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। इस आरोप के संबंध में लोकसेवक को दिनांक 14.9.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई जो अभी लंबित है।

## 35. एफ.11(112)लोआस/2009

यह परिवाद श्री सवाईसिंह पुत्र श्री मोती सिंह निवासी ग्राम दांतीवाड़ा तहसील एवं जिला जोधपुर ने दिनांक 16.11.09 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दांतीवाड़ा, तहसील जोधपुर के खेत खसरा नं. 239, 240 व 241 की 43 बीघा 17 बिस्वा भूमि की खातेदारी परिवादी के पिता के पक्ष में न्यायालय एस.डी.ओ., जोधपुर ने वाद संख्या 69/67 बद्री बनाम रावत में दिनांक 30.7.74 को दी थी। एस.डी.ओ. ने यह डिक्री दोनों पक्षों के राजीनामा के आधार पर दी थी। राजीनामा के आधार पर परिवादी के पिता ने खातेदारान को रूपये 700/- दिये थे जिस पर खातेदारान बद्रीदान वगैरह ने अपने खातेदारी हकूक परिवादी के पिता मोती सिंह के पक्ष में तर्क कर दिये थे लेकिन इस डिक्री के आधार पर म्यूटेशन इसलिये नहीं भरा जा सका क्योंकि न्यायालय ने कहा कि डिक्री का रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात् म्यूटेशन भरा जायेगा। बारह वर्ष की अवधि बीत गई एवं खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी जिस पर पुनः परिवादी व उसके भाईयों ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर, जोधपुर में प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 325/85 मोतीसिंह बनाम बद्रीदान दिनांक 27.10.86 को पूर्वानुसार डिक्री किया गया। इसके बावजूद भी पटवारी हलका ने म्यूटेशन संख्या 911 बद्रीदान दुर्गादान व प्रतापदान वगैरह के वारिसान के नाम स्वीकृत करवा दिया। परिवादी का आरोप है कि पटवारी ने उससे म्यूटेशन के लिए पचास हजार रूपये की राशि की रिश्वत की मांग की और कहा कि यदि आप देते हैं तो ठीक, नहीं तो सामने वाला पचास हजार रूपये म्यूटेशन कराने के दे रहा है। परिवादी ने दोषी पटवारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस संबंध में कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 30.5.11 व पत्र दिनांक 29.11.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि नामान्तरण संख्या 911 गलत रूप से दर्ज करने के लिए पटवारी श्री सायर सिंह द्वारा की गई नामान्तरण की कार्यवाही संदेहास्पद पाई जाने पर उसके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है और उक्त गलत दर्ज किये गये नामान्तरण को निरस्त करने हेतु तहसीलदार, जोधपुर द्वारा सक्षम न्यायालय जिला कलेक्टर, जोधपुर में रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया गया है।

उक्त स्थिति में यह पत्रावली दिनांक 8.12.11 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दी गई।

## 36. एफ.11(121)लोआस/2009

यह परिवाद श्री अमृत लाल निवासी वार्ड सं. 10, रूगजी की पोल के पास, पोस्ट बालोतरा जिला बाड़मेर ने दिनांक 19.12.09 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.12.08 को राजस्व वाद प्रकरण संख्या 223/08 को निर्णीत कर उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर), बालोतरा ने खसरा नं. 655/1 में 45 बीघा राजकीय भूमि की खातेदारी प्रभुराम पुत्र गोगाराम एवं गिरधारीराम पुत्र गोगाराम निवासी खारचों की ढाणी, मौजा जसोल, तहसील पचपदरा के नाम करदी जबकि इनकी मौके पर कभी कब्जा-काश्त नहीं रही। परिवादी के अनुसार वस्तुतः उक्त खसरा नं. 655/1 की भूमि, जो कि राजस्व रिकार्ड में 12 बीघा 08 बिस्वा थी, को नगरपालिका, बालोतरा के हित में सन् 1995 में अवाप्त किया गया था। मौके पर उक्त भूमि 41 बीघा 13 बिस्वा थी जबकि रिकार्ड में 12 बीघा 08 बिस्वा ही थी। राजस्व विभाग द्वारा अवाप्ति के अवार्ड के अनुसार उक्त पूरी भूमि का मौके पर कब्जा नगरपालिका, बालोतरा को दिनांक 26.3.95 को दे दिया गया था और राजस्व नक्शे में न्यायालय, ए.डी.एम. एवं एल.ए.ओ., बाड़मेर के आदेशानुसार अमल दरामद कर दिया गया था।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने पत्र दिनांक 22.3.10 के द्वारा यह अवगत कराया कि जांच में शिकायत में लगाये गये आरोप सत्य पाये गये हैं और इसमें उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पचपदरा, नायब तहसीलदार, जसोल एवं पटवारी, जसोल को दोषी पाया गया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि **उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा अपनी न्यायिक शक्तियों का गलत एवं बेजा इस्तेमाल सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द किया गया** है। सम्पूर्ण जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि **व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए सामान्य कोर्ट प्रोसीजर्स, सी.पी.सी. रूल्स की भी पालना नहीं की गई तथा तनकीयात कायमी, एवीडेन्स, जिरह कुछ भी नहीं की गई। श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, तत्कालीन तहसीलदार, पचपदरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी को गलत रिपोर्ट भिजवाई गई** तथा **पटवारी हलका द्वारा भी गलत रिपोर्ट दी गई**। श्री दलपत सिंह, उप तहसीलदार, जसोल ने तत्काल म्यूटेशन खोल दिया तथा रजिस्ट्री भी करदी।

इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र तैयार कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को तथा श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, तत्कालीन तहसीलदार, पचपदरा व श्री दलपतसिंह, उप तहसीलदार, जसोल के विरूद्ध 17 सीसीए के तहत् आरोप पत्र तैयार कर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करदी गई है। साथ ही दोषी पटवारी को निलम्बित किया जाकर अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करदी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि चूँकि राजस्व भूमि का हस्तान्तरण किया गया है, अतः राजस्व वाद द्वारा पारित निर्णय व अमल दरामद की गई भूमि को पुनः राज खाता में बहाली हेतु रेफरेन्स व अपील तहसीलदार, पचपदरा के माध्यम से कराई जा रही है। जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 27.8.10 के द्वारा यह भी अवगत कराया कि उक्त राजस्व वाद सं. 223/2008 में दिनांक 24.12.08 को पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रकरण संख्या 813/2010 दर्ज किया गया है। राजस्व मण्डल की खण्डपीठ में प्रस्तुत अपील संख्या 5526/09 में निर्णय दिनांक 3.2.10 में वादग्रस्त आराजी पर यथास्थति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिया गया है। **रेफरेन्स अभी लंबित है।**

जिला कलेक्टर, बाड़मेर के पत्र दिनांक 23.12.10 के अनुसार **श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, तत्कालीन तहसीलदार, पचपदरा, वर्तमान तहसीलदार, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही** व **श्री दलपत सिंह, तत्कालीन उप तहसीलदार, जसोल वर्तमान उप तहसीलदार, गडरारोड** को दिनांक 23.12.10 को तथा **श्री वीरेन्द्र सिंह, निलंबित पटवारी, तहसीलदार कार्यालय, पचपदरा** को दिनांक 5.4.10 को **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र** एवं विवरण जारी कर इन तीनों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है जो अभी लंबित है। इसी प्रकार कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त ज्ञान क्रमांकः प.1(287)कार्मिक/क-3/जांच/2008 दिनांक 5.12.11 के अनुसार श्री **राजेश चौहान, आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा** एवं **श्री रामचन्द्र पोटालिया, तत्कालीन तहसीलदार, सिवाना हाल आर.ए.एस.** को दिनांक 5.12.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्मिक विभाग द्वज्ञरा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र दिये जाकर विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

उपर्युक्त स्थिति में इस प्रकरण को दिनांक 20.12.11 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 37. एफ.11(133)लोआस/2009

यह परिवाद श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सीताराम बैरवा, निवासी 18, भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर से दिनांक 20.12.09 प्राप्त हुआ जिसमें यह कथन किया गया कि उसकी कृषि भूमि खसरा नं. 73/1 रकबा 7 बीघा ग्राम जाबड़, तहसील फागी में स्थित है, उसके संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, सांभरलेक के द्वारा दिनांक 27.2.06 को अस्थाई व दिनांक 10.7.06 को स्थाई स्थगन आदेश दिया गया था कि विवादित सम्पत्ति को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करेंगे। इस आदेश की प्रति

परिवादिया ने तहसील फागी में प्रस्तुत की, जिसका इन्द्राज स्थगन पंजिका के पृष्ठ संख्या 145 क्रम संख्या 1 पर अंकित किया गया। इसके बावजूद तहसीलदार, फागी ने जिलाधीश को दिनांक 6.12.07 को यह सूचना दी कि इस भूमि पर कोई स्थगन अथवा विवाद नहीं है तथा इस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश ने इस कृषि भूमि के आवासीय रूपान्तरण आदेश दिनांक 18.1.08 को कर दिये तथा तहसीलदार, फागी द्वारा इसका नामान्तरण खोल कर विक्रय पत्र दिनांक 23.1.08 को राधेश्याम असोपा, निदेशक, मैसर्स एक्सिस लैण्ड डवलपर्स के पक्ष में सम्पादित कर दिया।

उक्त शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, जयपुर से रिपोर्ट दिनांक 26.4.10 प्राप्त हुई जिसमें यह सूचित किया गया कि जांच करवाये जाने पर शिकायत सही पाई गई है व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। पत्र दिनांक 10.9.10 के साथ जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 19.8.10 की फोटो प्रति प्रेषित कर यह भी सूचित किया गया कि उक्त आदेश के द्वारा उक्त कृषि भूमि के किये गये सम्परिवर्तन के आदेश क्रमांकः 722 दिनांक 18.1.08 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये लोकसेवकगण सर्वश्री भगवती प्रसाद शर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, फागी एवं राधामोहन शर्मा, तत्कालीन पंजीयक लिपिक के विरूद्ध राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 18.7.11 को सीसीए नियम 16/18 के तहत् आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है। अन्य लोकसेवक श्री जयसिंह, पटवारी एवं तहसीलदार श्री सुखराम खोखर को सुनवाई के पश्चात् दोषमुक्त कर दिया गया है। इस पर यह पत्रावली दिनांक 8.12.11 को नस्तीबद्ध की गई।

## 38. एफ.11(146)लोआस/2009

यह परिवाद श्री उत्तम जैन पुत्र श्री केशवचन्द जैन निवासी दीवान मोहल्ला, कामां जिला भरतपुर ने दिनांक 27.1.10 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमती राममूर्ति ने अपने पति स्व. श्री श्रीचन्द यादव, अध्यापक, निवासी गांव नन्देराबास की मृत्यु के बाद मोहनसिंह यादव के साथ पुनर्विवाह कर लिया और पुनर्विवाहित होते हुए भी अवैध रूप से पारिवारिक पेंशन ले रही है। इसकी शिकायत परिवादी ने जिला कलेक्टर, भरतपुर को की जिन्होंने दिनांक 20.2.04 को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, कामां को निर्देशित किया, परन्तु श्री महेन्द्र सिंह चौहान, तहसीलदार ने राशन कार्ड के झूँठे रिकार्ड पर, फर्जी रामवती के फोटो व झूंठे शपथ पत्र को सही मानते हुए झूंठी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी दुबारा जांच करवाये जाने पर परिवादी की शिकायत सही पाई गई।

इस शिकायत पर जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2.9.10 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती राममूर्ति की पारिवारिक पेंशन बंद किये जाने हेतु कोषाधिकारी, भरतपुर व प्रबन्धक, एस.बी.बी. जे, कामां को दिनांक 25.6.10 को निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं व प्रबन्धक के पत्र दिनांक 26.8.10 के अनुसार श्रीमती राममूर्ति की पेंशन रोक दी गई है। राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 5.

1.11 द्वारा इस सचिवालय को श्री महेन्द्र सिंह चौहान को जारी किये गये 17 सीसीए के ज्ञापन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की व प्रति जिला कलेक्टर, भरतपुर को पृष्ठांकित करते हुए यह निर्देशित किया कि उसके विरूद्ध शीघ्र निर्णय पारित किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 15203/10 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.10 के द्वारा पारिवारिक पेंशन की वसूली पर स्थगन आदेश पारित कर दिया।

जिला कलेक्टर, भरतपुर से प्राप्त आदेश दिनांक 7.7.11 के अनुसार लोकसेवक श्री महेन्द्र सिंह चौहान, तत्कालीन तहसीलदार, कामां को अलिखित चेतावनी देते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। इस पर यह पत्रावली दिनांक 11.8.11 को नस्तीबद्ध करदी गई।

## 39. एफ.11(148)लोआस/2009

यह परिवाद श्री गोपाल कंसारा निवासी सुभाष मार्ग, नारायणजी का सेरिया, देवगढ़-मदारिया, जिला राजसमन्द ने दिनांक 1.2.10 को प्रस्तुत किया। परिवाद में श्री गोपाल सिंह चौहान, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़ मदारिया के विरूद्ध आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना स्वीकृति लिये अपने राजकीय निवास के पिछवाड़े उगे हरे वृक्षों को जे.सी.बी. मशीन से उखड़वा दिया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत ताल कांकरोद के ग्रामसेवक श्री गोवर्धन लाल साल्वी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत् फर्जी हाजरी भरकर रूपये 44,000/- का भुगतान उठाने के अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था व वह दिनांक 28.10.09 से 30.10.09 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा परन्तु श्री गोपाल सिंह चौहान, विकास अधिकारी ने तीन माह तक श्री साल्वी के विरूद्ध निलम्बन आदि की कार्यवाही नहीं की।

उक्त शिकायत के संबंध में शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.7.11 के द्वारा अवगत कराया कि श्री **गोपाल सिंह चौहान तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़** को श्री गोवर्धन लाल साल्वी, ग्राम सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कर जिला परिषद, राजसमन्द को नहीं भिजवाने का दोषी पाये जाने पर **17 सीसीए** के अन्तर्गत की गई विभागीय कार्यवाही में दोष साबित होने पर आदेश दिनांक 21.7.11 के द्वारा **एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तथा श्री गोवर्धन लाल साल्वी के विरूद्ध 16 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही दिनांक 15.9.10 को ज्ञापन जारी कर प्रारंभ करदी गई है। निलम्बन के विरूद्ध उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 10208/10 में स्थगन प्राप्त हो गया है।

इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ने अपने पत्र दिनांक 29.7.11 के द्वारा अवगत कराया कि एफ.आई.आर. सं. 178/09 थाना देवगढ़ में श्री गोवर्धन लाल साल्वी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने पर श्री गोवर्धन लाल साल्वी व अन्य 5 के विरूद्ध चालान नम्बर 230/10 दिनांक 24.10.10 कता

कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। उक्त स्थिति में इस पत्रावली को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 26.8.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 40. एफ.11(48)लोआस/2010

यह परिवाद राजेन्द्र सिंह भाटी, भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर जिला चूरू ने प्रस्तुत किया। परिवाद में बुकनसर बड़ा, तहसील सरदारशहर के स्कूल के बच्चों के लिए आरक्षित भूमि खसरा नं. 580 व 581 में कब्जेधारियों से सांठ-गांठ कर अवैध निर्माण करवाने एवं सरकारी भूमि पर कब्जा करने व पट्टा जारी करवाने एवं प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।

इस शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.8.10 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बुकनसर बड़ा के खसरा नं. 580 क्षेत्रफल 18 बिस्वा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुकनसर बड़ा का भवन बना हुआ है तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। खसरा नं. 581 रकबा 38 बीघा 8 बिस्वा खेल मैदान के नाम दर्ज है जिसमें कुल 16 व्यक्तियों के पक्के मकान बने हुए हैं जो लगभग 30 वर्ष पुराने हैं। इन सभी ने पट्टा/विक्रय पत्र होने बतलाये हैं। इसी खसरा नम्बर में राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत का भवन नया व पुराना, भैरूजी का मंदिर, सार्वजनिक जल कुण्ड, तीन आंगनबाड़ी केन्द्र व राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का आवासीय आवास बना हुआ है। इस खसरा नम्बर की लगभग 20 बीघा भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है जो विद्यालय के खेल के मैदान के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

उक्त खसरा नं. 581 खेल मैदान की भूमि शिक्षा विभाग की है जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने का दायित्व भी शिक्षा विभाग का है। प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बुकनसर बाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 6.5.11 के द्वारा खेल मैदान की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध पुलिस थाना, भानीपुरा में एफ.आई.आर. सं. 39 दिनांक 6.5.10 दर्ज करवाई जा चुकी है तथा पत्र दिनांक 18.2.11 के अनुसार उक्त एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा मुल्जिम सीताराम पुत्र बालूराम अग्रवाल उम्र 76 वर्ष, मंगतूराम पुत्र नत्थूराम लौहार उम्र 70 वर्ष के खिलाफ धारा 447 भादस में घटित होना पाये जाने पर नतीजा जरिये चार्जशीट नम्बर 28 दिनांक 31.5.10 को कता किया जाकर दिनांक 7.6.10 को चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया पट्टों को निरस्त करने हेतु जिला कलेक्टर न्यायालय में रेफरेन्स/अपील विचाराधीन है। इसी संबंध में ग्राम सेवक के विरूद्ध गलत सूचना देने के आरोप के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है।

अनाधिकृत रूप से जारी किये गये पट्टा प्रकरण में दोषी कार्मिक तत्कालीन ग्रामसेवक **श्री महेन्द्र सिंह राजवी** एवं **महावीर सिंह सुण्ड** को **17 सीसीए** के अन्तर्गत 7.1.11 को आरोप पत्र

जारी कर दिये गये हैं। श्री महेन्द्र सिंह, तत्कालीन ग्राम सेवक का निधन हो चुका है। **श्री सांवताराम,** ग्राम सेवक के विरूद्ध गलत सूचना देने के कारण 18.5.11 को **17 सीसी**ए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। विभागीय जांचें अभी लंबित है।

पत्र दिनांक 17.10.11 के अनुसार 9 अतिक्रमियों को दिनांक 28.6.11 को मौके पर से बेदखल किया जा चुका है

## 41. एफ.11(14)लोआस/2010

यह परिवाद श्री सीताराम पुत्र श्री प्रभात निवासी नांगल गोविन्द तहसील एवं जिला दौसा ने दिनांक 16. 4.10 को प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि आराजी खसरा नं. 95,96,97,98,99,100,101 कुल किता 7 कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगल में स्थित है व राजस्व रिकार्ड में मुस्तगीस के पिता का नाम व अन्य सहखातेदारान का नाम बतौर खातेदार अंकित है। परिवादी का पिता अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने पर आमादा था जिस पर परिवादी ने न्यायालय में बेचान के विरूद्ध वाद पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। स्थगन आदेश की की प्रति पालना हेतु पटवारी हलका को भेजी गई किन्तु पटवारी हलका ने राजस्व रिकार्ड में स्थगन का नोट लगाये बिना ही जमाबन्दी की नकल कूटरचित तरीके से जारी करदी जिसके आधार पर उक्त आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 17.8.09 को प्रेमदेवी के नाम कर दिया गया। परिवादी ने दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, दौसा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.8.10 व अनुवर्ती पत्र दिनांक 20.9.10, 4.2.11, 20.7.11 एवं 21.7.11 द्वारा आरोप को सही बताते हुए अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक श्री जगदीश नारायण शर्मा पटवारी हलका नांगल गोविन्द, तहसील दौसा के विरूद्ध दिनांक 31.8.10 को **17 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच की गई जिसमें दोष साबित होने पर उसे आदेश दिनांक 5.1.11 के द्वारा **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया कि रजिस्ट्री के निरस्तीकरण का अनुतोष परिवादी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करके ही प्राप्त हो सकता है। परिवादी को एतराजात प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात् यह परिवाद दिनांक 25.8.11 को नस्तीबद्ध किया गया।

## 42. एफ.11(45)लोआस/2010

श्री जगदीश नारायण जाट निवासी गांव गोठड़ा, तहसील बस्सी जिला जयपुर ने यह शिकायत दिनांक 3.6.10 को प्रस्तुत की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि-

1. श्रीमती विद्यादेवी के द्वारा ग्राम गोठड़ा में आम रास्ते की खसरा नं. 645 में 8 मीटर चौड़ा एवं 86 मीटर लम्बाई में पुख्ता दीवार बना कर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया जिसकी लिखित में रिपोर्ट दिनांक 6.2.09 व 5.3.09 को एस.डी.एम. बस्सी को पेश की गई जिन्होंने तहसीलदार को पाबन्द किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2. आम रास्ते की खसरा नं.127 की 2.62 हैक्टेयर भूमि पर पर श्री संजय करनानी ने पुख्ता दीवार बना कर कब्जा कर लिया जिसकी रिपोर्ट किये जाने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

3. जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 23.9.05 के द्वारा स्कूल के मैदान के लिए चारागाह भूमि खसरा नं. 329 एवं 330 में से 0.38 हैक्टेयर भूमि ऑपरेशन गुरूकुल अभियान के अन्तर्गत आवंटित की गई थी जिसका नामान्तरण भी शाला के नाम से हो चुका है एवं नक्शा तरमीम हो चुका है। दिनांक 11.3.09 को कुछ लोगों के द्वारा उक्त शाला ग्राउण्ड पर रातों-रात कब्जा कर लिया गया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार एवं एस.डी.एम. को दी गई, साथ ही जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को दी गई। संभागीय आयुक्त, जयपुर के कार्यालय से पत्र दिनांक 15.1.09 के द्वारा एस.डी.एम., बस्सी को अतिक्रमण हटवाने के लिए लिखा गया परन्तु तहसीलदार के द्वारा उक्त अतिक्रमण नहीं हटाया गया। परिवादी का यह भी आरोप है कि उक्त मामले में धारा 91 लागू नहीं होती है, परन्तु फिर भी तहसीलदार ने जानबूझकर धारा 91 के नोटिस दिये तथा अतिक्रमियों से सांठ-गांठ करली। परिवादी ने दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 30.0.10 के द्वारा अवगत कराया गया कि-

1. ग्राम गोठड़ा के खसरा नं. 645 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में लगाई गई दीवार पूर्व में ही अतिक्रमी द्वारा तोड़ दी गई थी। दिनांक 16.9.10 को मौके पर अतिक्रमण हटाने हेतु पहुंची टीम द्वारा मौके पर पड़ा **मलबा जब्त कर दिनांक 17.9.10 को नीलाम कर हटवा दिया गया है। मौके से अतिक्रमण भौतिक रूप से हटवाकर रास्ता चालू** करवा दिया गया है। प्रकरण में हुए विलम्ब के लिए दोषी लिपिक **श्री मनीष सोगरवाल हाल उपखण्ड चाकसू के विरूद्ध तहसीलदार, बस्सी द्वारा चार्जशीट तैयार कर कलेक्टर,** जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।

2. ग्राम गोठड़ा के खसरा नं. 127 पर मैसर्स करनानी सोलवेक्स प्रा.लि. द्वारा चारदीवार बनाकर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 16.9.10 को दीवार तुड़वाकर मौके से हटा दिया गया है तथा मलबा एक जगह संकलित कर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। मौके से **अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा दिया गया है** व रास्ता चालू कर दिया गया है।

3. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोठड़ा के खेल मैदान पर अतिक्रमण के विरूद्ध **प्रधानाध्यापक द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाने के लिए उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु** ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को तहसीलदार, बस्सी के द्वारा लिखा गया है। खेल मैदान पर अतिक्रमण के 9 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें से **एक प्रकरण में सिविल न्यायालय, बस्सी का स्थगन** होने के कारण अतिक्रमण नहीं

हटवाया जा सका है। **शेष 8 अतिक्रमणों को भौतिक रूप से हटा कर** प्रधानाध्यापक को खेल मैदान का कब्जा संभला दिया गया है। तहसीलदार के विरूद्ध अतिक्रमियों से सांठा-गांठ का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

पत्र दिनांक 25.5.11 एवं 13.6.11 के अनुसार श्री मनीष सोगरवाल, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू को दिनांक 8.8.05 से 10.8.09 की अवधि में तहसील, बस्सी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहते अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में समय पर पत्रावलियां नहीं खोले जाने के दोष के लिए दिनांक 20.4.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। इसी प्रकार श्री भगवान सहाय मीणा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमि विद्यालय, गोठड़ा के विरूद्ध भी दिनांक 20.5.11 को ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बस्सी के द्वारा 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। उक्त परिस्थितियों में यह पत्रावली दिनांक 11.11.11 को नस्तीबद्ध की गई।

## 43. एफ.11(80)लोआस/2010

यह परिवाद श्री रामकुमार मीणा निवासी रिजाणी, तहसील व जिला झुन्झूनू ने प्रस्तुत किया और परिवाद में तहसील, झुन्झुनू के लोकसेवकों पर अतिक्रमियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मिलीभगत करके पत्रावलियां गायब करने व प्रतिलिपियां नहीं देने का आरोप लगाया गया।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, झुन्झूनू ने अपने पत्र दिनांक 23.12.10 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में दोषी कार्मिक श्री महावीर सिंह महला एवं श्री मूलचन्द कुमावत के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली, झुन्झूनू में एफ.आई.आर. नम्बर 341/10 दर्ज करवाई जा चुकी है एवं दोनों कार्मिकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ करदी गई है। इस पर पत्रावली दिनांक 26.5.11 नस्तीबद्ध की गई।

पत्रावली नस्तीबद्ध होने के पश्चात् जिला कलेक्टर, झुन्झूनू से प्राप्त पत्र दिनांक 8.12.11 के अनुसार उक्त एफ.आई.आर. में जांच के पश्चात् पुलिस द्वारा एफ.आर. नं. 10 दिनांक 31.7.10 अदम वकु तथ्य की भूल में दी जाकर दिनांक 19.8.11 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झूनू में पेश की जा चुकी है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी, झुन्झूनू ने प्रकरण में आरोपित कर्मचारियों के विरूद्ध जांच कर जांच रिपोर्ट पेश की है जिसमें उक्त दोनों ही लोकसेवकों के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये हैं हालांकि विभागीय जांच अभी तक लंबित है।

## 44. एफ.11(106)लोआस/2010

यह परिवाद श्री चौथमल पुत्र श्री कानाराम निवासी भीखा बास, पोस्ट कालख वाया जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ने दिनांक 25.8.10 को प्रस्तुत किया।

परिवादी का कथन है कि ग्राम भीखावास स्थित खसरा नं. 127/1/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, जिसके नये नम्बर 182/127, 183/127, 184/127 हैं, के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां से दिनांक 24.1.04 को स्थगन आदेश जारी किया गया था जिसमें विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने व विक्रय व रहन, स्थानान्तरण नहीं करने का आदेश दिया गया था जिसकी सूचना तहसीलदार, फलेरा मुख्यालय सांभर को रजिस्टर्ड ए.डी. से दिनांक 28.4.06 को प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत, कालख को भी रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा सूचना देदी गई थी परन्तु इसके उपरान्त भी उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 415 रामप्यारी देवी पत्नी चौथमल जाट के नाम से खोल दिया गया जिसमें प्रार्थी के हितों को नुकसान हुआ। अतः दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। परिवादी ने उसकी शिकायत के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 1.5.09 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.1.11 तथा अनुवर्ती पत्र दिनांक 21.2.11, 31.5.11, 13.6.11, 14.10.11 एवं 26.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि स्थगन आदेश के बावजूद भी नामान्तरण खोलने के दोषी पाये गये लोकसेवक श्री रविवर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये हेतु प्रस्ताव राजस्व मण्डल को दिनांक 2.6.11 को प्रेषित कर गये हैं। श्री रमेश चन्द शर्मा, तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, जोबनेर के विरूद्ध 17 सीसीए के तहत् दिनांक 16.6.11 को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। श्री श्रवण नायक, पटवारी हलका बस्सी नागा तहसील सांभर को 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय की जाकर लोकसेवक के दोषी नहीं पाये जाने पर उसे निर्णय दिनांक 1.9.11 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। श्रीमती कमली देवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, कालख, तहसील सांभर को दोषी साबित होने पर उसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 10.5.10 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(3) अन्तर्गत परिनिर्णय लेखबद्ध कर दिया गया है।

श्री रविवर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्णय सूचना राजस्व मण्डल से एवं श्री रमेश चन्द शर्मा, तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्णय की सूचना जिला कलेक्टर, जयपुर से प्राप्त होना शेष है।

## 45. एफ.11(135)लोआस/2010

यह परिवाद श्री गिरधारी, निवासी ग्राम चन्देरा मजरा पारखन्दा, तहसील व उपखण्ड अरनोद, जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक 6.10.10 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसे दिनांक 18.12.04 को ग्राम चन्देरा की आराजी नं. 2548/472 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु कब्जा सुपूर्दगी के आदेश के बावजूद उक्त भूमि का नामान्तरण उसके पक्ष में नहीं किया जाकर उक्त भूमि को दिनांक 24.1.06 को एक अन्य व्यक्ति श्री कन्हैयालाल कुमावत, जो कि सर्वण जाति का है और जो आवेदक भी नहीं था, को आवंटित कर

दिया गया। इसकी शिकायत उसने उपखण्ड अधिकारी को की, किन्तु उन्होंने बदनीयति के कारण कोई कार्यवाही नहीं की। परिवादी ने शिकायत की जांच कर दोषियों को दण्डित कराने की प्रार्थना की।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.3.11 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री गिरधारी व नारूड़ी को भू-आवंटन समिति द्वारा मिसल संख्या 168/04 में चन्देरिया, तहसील अरनोद की सिवायचक आराजी खसरा नं. 250, 251, 252 एवं 2548/472 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। भू-आवंटन के समय पटवारी श्री धीरजमल द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् प्रार्थीगणों को न तो कब्जा दिया गया और न ही गैर खातेदारी का नामान्तरण खोला गया। दो वर्ष बाद पुनः वर्ष 2006 में तत्कालीन पटवारी श्री कमलेश मैनारिया ने पुराने आवंटन का तथ्य छिपाकर आवंटन समिति को गुमराह करके उक्त भूमि का आवंटन श्री प्रकाश पिता कन्हैयालाल को करवा दिया। प्रकरण में दोषी पाये गये **पटवारीगण श्री धीरजमल सुथार, श्री कमलेश मैनारिया एवं श्री बालाराम मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक** को दिनांक 17.6.10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करदी गई है तथा दोहरे आवंटन को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 19.9.11 व 20.9.11 द्वारा सूचित किया कि **श्री बी.एल. सुनारिया, तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ हाल सेवानिवृत्त** के विरूद्ध दोहरा आवंटन करने के आरोप के संबंध में 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही के प्रस्ताव शासन उप सचिव, कार्मिक(क-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवा दिये गये हैं तथा अन्य पत्र दिनांक 19.9.11 द्वारा **श्री औंकार लाल मीणा, तत्कालीन तहसीलदार, अरनोद**, **श्री कमल सिंह यादव, तत्कालीन, भू अभिलेख निरीक्षक, अरनोद हाल नायब तहसीलदार, अरनोद** के विरूद्ध भी गलत/दोहरा आवंटन कराने के आरोप के संबंध में 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित कर दिये गये हैं।
**श्री बद्री लाल रावत, तत्कालीन पटवारी हलका दलोट हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत अरनोद, श्री शौकत अली, तत्कालीन पटवारी, पटवार हलका दलोट हाल ऑफिस कानूनगो तहसील अरनोद** को भी 16 सीसीए के अन्तर्गत दिनांक 19.9.11 को आरोप पत्र जारी कर दिये गये है।

जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 10.1.12 के अनुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 2.1.12 को निर्णय पारित कर नियम 14(04), राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 में आदेश पारित कर दिनांक 18.12.04 व 24.1.06 को विवादित भूमि के हुये दोहरे आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।

## 46. एफ.11(186)लोआस/2010

परिवादी श्री सत्यनारायण सोनी वार्ड नं. 14, करोल बाजार, खेतड़ी, जिला झुन्झूनू ने दिनांक 15.12.10 को यह शिकायत प्रस्तुत कर लोकसेवक श्री पवन कुमार शर्मा, पटवारी हलका खेतड़ी के विरूद्ध आय प्रमाण पत्र बनाने की एवज में रिश्वत की मांग करने व बाद में दुर्व्यवहार करने व आय प्रमाण पत्र में अनावश्यक नोट लगा कर वृद्ध परिवादी को परेशान करने का आरोप लगाया।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, झुन्झूनू ने अपने पत्र दिनांक 26.8.11 के द्वारा अवगत कराया कि आरोपित लोकसेवक श्री पवन कुमार शर्मा, पटवारी के विरूद्ध **17 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर दोष साबित पाये जाने पर उसे आदेश दिनांक 23.8.11 के द्वारा **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 47. एफ.11(215)लोआस/2010

श्री पांचूराम यादव, निवासी मूण्डरू रोड़ हरदरामपुरा तन खेजरोली, तहसील चौमू जिला जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री सागरमल पटवारी, पटवार हलका, खेजरोली के द्वारा दिनांक 20.9.10 को झूथा पिता नाथू जाट एवं नारायण उर्फ नन्दराम पुत्र छोटूराम दोनों रहन पत्रों पर नामान्तरण संख्या 1291 दिनांक 20.8.10 द्वारा रहन एस.बी.बी.जे. शाखा, खेजरोली मुर्तहीन स्वीकृत हुआ, की टिप्पणी अंकित की गई जबकि नामान्तरण संख्या 1291 दिनांक 20.10.10 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत हुआ जो किसी अन्य व्यक्ति के विक्रय पत्र का है। झूँथा पुत्र नाथू के रहन का नामान्तरण दर्ज किया जाकर दिनांक 22.10.10 को स्वीकार हुआ है जबकि पटवारी ने रहन का नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व ही उक्त दोनों रहननामों पर दिनांक 20.9.10 को नामान्तरण स्वीकृत होने की टिप्पणी भी अंकित करदी।

इस शिकायत के संबंध जिला कलेक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 5.7.11 व 11.8.11 द्वारा अवगत कराया है कि दोषी पाये गये लोकसेवक श्री सागरमल पटवारी, पटवार हलका खेजरोली को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। इस पर यह पत्रावली दिनांक 13.10.11 को नस्तीबद्ध करदी गई।

## 48. एफ.12(65)लोआस/2004

इस प्रकरण में ग्राम पंचायत बालेटा, पंचायत समिति, उमरैण, जिला अलवर में राज्य सभा सांसद कोटे से स्वीकृत कार्य के तहत् बरामदा निर्माण, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के कार्य में अनियमितता बरतते हुए घटिया सामग्री का उपयोग करने के आरोप में दिनांक 24.4.10 को श्री **राजेश मीणा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव**, ग्राम पंचायत, बालेटा तथा श्री गोविन्द सिंह शेखावत, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, उमरैण के विरूद्ध दिनांक 1.7.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी किये जाकर विभागीय जांच प्रारंभ की गई जो अभी लंबित हैं। इस परिस्थिति में यह परिवाद दिनांक 11.10.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 49. एफ.12(49)लोआस/2006

श्री किशोर सिंह तंवर, वाहन चालक, पंचायत समिति, सुमेरपुर जिला पाली ने यह शिकायत दिनांक 17.1.07 को प्रस्तुत की। शिकायत में कथन किया गया कि उसकी नियुक्ति दिनांक 15.11.85 को पंचायत समिति, सरदार शहर, जिला चूरू में चालक के पद पर हुई थी। उसने इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय से मुकदमा भी जीत लिया जिसमें दिये गये निर्णय में दिनांक 15.11.85 से 30.4.01 तक का वेतन मय भत्ते की जो भी राशि बने उसका 50 प्रतिशत का भुगतान करने के आदेश दिये गये। परन्तु विभाग द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही बजट ही आवंटित किया जा रहा है।

इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र दिनांक 9.1.08 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी द्वारा दायर डी.बी. स्पे. अपील संख्या 1205/97 में पारित आदेश दिनांक 2.8.2000 के विरूद्ध आगे अपील नहीं करने का निर्णय विधि विभाग की राय के आधार पर दिनांक 2.11.2000 को लिया गया। इस संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर को निजी आय से भुगतान करने एवं नियुक्ति दिये जाने के दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर भुगतान की गई राशि की वसूली के निर्देश दिये गये। वित्त विभाग ने राज्य कोष से व्यक्तिगत दायित्व के भुगतान से इंकार करते हुए बजट आवंटन की पत्रावली लौटा दी है।

पत्र दिनांक 7.12.10 के अनुसार परिवादी को नियुक्ति दिये जाने के दोषी पाये गये लोकसेवक **श्री मिरजूराम शर्मा, आर.ए.एस., तत्कालीन विकास** अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर हाल सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के विरूद्ध दिनांक 7.12.10 को **16 सीसीए के अन्तर्गत** परिवादी को भुगतान की जाने वाली राशि रूपये 2,61,763/- की वसूली के संबंध में विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है। पत्र दिनांक 19.8.11 के अनुसार परिवादी को जरिये चैक सं. 981250 दिनांक 9.8.11 के द्वारा **रूपये 2,61,763/- का भुगतान किया जा चुका है**।

## 50. एफ.12(24)लोआस/2007

यह शिकायत श्री डूँगरसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह निवासी बूटड़ी, तहसील रेवदर, जिला सिरोही ने दिनांक 26.6.07 को प्रस्तुत की जिसमें ग्राम पंचायत, मकावल, पंचायत समिति, रेवदर के भूतपूर्व सरपंच श्री शिवनाथ सिंह द्वारा मेरिट को दरकिनार कर स्वयं अपने पुत्र केसर सिंह एवं अपने सहयोगी मीटिंग प्रभारी के भाई को पैराटीचर के पद पर नियुक्ति प्रदान करने व अवैध पट्टे जारी करने के आरोप लगाये गये।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही ने जांच कराकर अपने पत्र दिनांक 8.11.07 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम सभा के आयोजन बाबत प्रस्ताव संख्या 1 से 21 लिखा गया व बैठक समाप्त होने के पश्चात् पुनः अलग से प्रस्ताव सं. 22 भी लिखा गया जिसमें श्री केसर सिंह व श्री हनुमन्त सिंह को पैराटीचर के पद पर नियुक्ति दिये जाने का अंकन किया गया। अन्य किसी भी आवेदन पत्र

का जिक्र नहीं पाया गया। उक्त पैराटीचरों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सिरोही को निर्देशित कर दिया गया है।

जांच में उक्त सरपंच के कार्यकाल में उसके भतीजे श्री महेन्द्र सिंह, भैरूसिंह, इनके पुत्र इन्दर सिंह एवं जाति भाई दौलत सिंह को राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत् नियमविरूद्ध तरीके से विक्रय विलेख जारी करना तथा सरपंच स्वयं के द्वारा ग्राम बूटड़ी में ग्राम पंचायत की 2 बीघा आबादी भूमि में मकानात बनाया जाना पाया गया जिसमें तत्कालीन ग्राम सेवक के भी शामिल होना पाया गया। इस संबंध में नियमविरूद्ध जारी विक्रय विलेखों को निरस्त कराये जाने हेतु तथा पूर्व सरपंच श्री शिवनाथ सिंह के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने व तत्कालीन ग्राम सेवक के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही को निर्देशित कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र दिनांक 20.5.09, 6/8.7.09, 6.10.09 व 31.3.10 के द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही के निर्णय दिनांक 29.5.09 के द्वारा श्री भैरूसिह, केसरसिंह, इन्द्रसिंह, महेन्द्र सिंह व दौलतसिंह को जारी विक्रय विलेखों को निरस्त कर दिया है। **श्री रतन सिंह, ग्राम सेवक** को 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करके अधिक सतर्क रहकर कार्य करने की हिदायत देदी गई है। **श्री जसवन्तसिंह, प्रधानाध्यापक हाल सीआरसीएफ** के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर उसे आदेश दिनांक 22.3.10 से **दो वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

संभागीय आयुक्त, जोधपुर के पत्र दिनांक 7.4.11 के साथ प्राप्त न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 17.3.09 के अनुसार श्री शिवनाथसिंह, पूर्व सरपंच को उक्त कृत्यों के लिए दोषी पाये जाने पर पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए आगामी पांच वर्षो के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 29.6.11 के साथ प्राप्त कार्यालय आदेश दिनांक 2.6.11 के अनुसार श्री हनुमन्तसिंह एवं केशर सिंह, प्रबोधक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है व निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 12.7.11 के साथ प्राप्त ज्ञापन दिनांक 21.6.11 के अनुसार श्री केसर सिंह व श्री हनुमन्तसिंह के विरूद्ध नियमविरूद्ध तरीके से प्रबोधक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के आरोपे के संबंध में सेवा समाप्ति के लिए 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है।

इन परिस्थितियों में यह परिवाद दिनांक 26.7.11 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 51. एफ.12(93)लोआस/2007

यह शिकायत ग्रामवासी, ग्राम पंचायत, जयसिंहपुरा तन गुवारड़ी तहसील चौमू, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के द्वारा दिनांक 18.1.08 को प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम जयसिंहपुरा गुवारड़ी में ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव के विरूद्ध विकास अधिकारी की मिलीभगत से आबादी भूमि पर बाहर के व्यक्तियों का अतिक्रमण करवाने, हरे पेड़ों की कटाई करवाने के आरोप लगाये गये।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.7.08 एवं दिनांक 3.2. 09 के द्वारा जांच उपरान्त अवगत कराया कि श्रीमती भूरी देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत, जयसिंहपुरा ग्वारड़ी ने सरपंच पद पर रहते हुए पद के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में अवचार करते हुए पद का दुरूपयोग किया है। वनों का संरक्षण नहीं कर पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 32 का उल्लंघन किया है। सरपंच को अयोग्य घोषित करने व वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण के पत्र दिनांक 19.6.09 एवं संभागीय आयुक्त के पत्र दिनांक 13.7.10 के अनुसार दिनांक 26.7.07 को श्री रमेश कुमार यादव, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ की रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 562/07 धारा 379 ता.हि. व 41.42 वन अधिनियम थाना चौमू पर दर्ज हुआ था। अनुसंधान में ठेकेदार श्री गोकुलचन्द के विरूद्ध धारा 379 ता.हि. व श्रीमती भूरीदेवी, सरपंच के विरूद्ध जुर्म धारा 41.42 वन अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरूद्ध चालान पेश किया जा चुका है। **पेड़ों की अवैध कटाई से रूपये 70,28,769/-** का नुकसान हुआ है जिसे श्रीमती भूरी देवी, सरपंच से **वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।** श्रीमती भूरी देवी को आदेश दिनांक 13.11.09 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 25(1)(ख) के तहत् सरपंच पद के **अयोग्य घोषित कर दिया गया है।** श्रीमती भूरी देवी द्वारा अयोग्य घोषित करने के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 14704/09 को प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 27.11.09 को संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 13.11.09 पर रोक लगाई गई। इस रिट को फलहीन हो जाने के कारण (इनफ्रक्चुअस) माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 2.8.11 के द्वारा निस्तारित कर दिया है।

## 52. एफ.12(13)लोआस/2008

परिवादी श्री गंगाराम पुत्र श्री भूराराम मेघवाल निवासी खिदरपुरा, तहसील परबतसर, जिला नागौर ने यह शिकायत दिनांक 5.5.08 को प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, किनसरिया द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने के आरोप लगाये।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, नागौर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगाया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 23.7.08 व 26.3.09 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से करवाये जाने पर अधिकांश आरोप सही पाये गये हैं। **श्री हरदीनराम, तत्कालीन ग्रामसेवक** एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, किनसरिया को सी.सी.रोड का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं कराने, बिना खण्डे लगाये ही पुरानी खेल के मरम्मत के पेटे

रूपये 12,284/- व्यय होना बताकर गबन करने, मौके पर 310 मीटर कम पी.वी.सी. पाइप लाइन डलवा कर गबन करने, **श्री रामदिनेश छीपा**, तत्कालीन ग्रामसेवक को रामदेवजी के मंदिर व तालाब के पास रपट निर्माण में रूपये 13,141/- का गबन करने, **श्री किशनगोपाल कथारिया**, तत्कालीन ग्रामसेवक को 15 बैग सीमेंट के अधिक क्रय कर अनियमितता करने के आरोप में दिनांक 1.1.09 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये जाकर विभागीय जांच प्रारंभ की गई।

पत्र दिनांक 19.1.10 के अनुसार श्री किशनगोपाल कंथारिया से 15 सीमेन्ट के कट्टों की राशि रूपये 3150/- एवं ब्याज राशि तथा पशुओं को पानी पिलाने की खेली पर लगे पत्थर पांच ट्रोली की मूल राशि रूपये 1500/- एवं ब्याज राशि, दोनों वस्तुओं की राशि मूल एवं ब्याज सहित रूपये 7022/- रसीद सं. 87 दिनांक 7.1.10 के द्वारा वसूल किये जा चुके हैं।

श्री छोगाराम ढाका, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को भी लगभग इन्हीं आरोपों के संबंध में ज्ञापन दिनांक 23.2.10 के द्वारा 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई।

जिला कलेक्टर, नागौर के पत्र दिनांक 25.6.10 के अनुसार श्री हरदीनराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण गबन की गई राशि उसके परिवार को मिलने वाले परिलाभ से वसूल करने व प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया। श्री किशनगोपाल कंथारिया द्वारा गबन की गई राशि जमा करादी गई है तथा उसे एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डादिष्ट कर दिया गया है। श्री रामदिनेश छीपा के विरूद्ध आरोपों को देखते हुए 16 सीसीए की कार्यवाही को 17 सीसीए में परिवर्तित किया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 1.3.11 व 18.3.11 के अनुसार श्री शंकर लाल, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, किनसरिया के विरूद्ध परिनिर्णय लेखबद्ध किया जा चुका है तथा उससे राशि रूपये 35,257/- मय ब्याज रूपये 24,856/- कुल राशि रूपये 60,113/- वसूल कर लिये गये हैं।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, भवानीसिंह रोड, जयपुर के पत्र दिनांक 7.4.11 के अनुसार श्री छोगाराम, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के सेवानिवृत्त हो जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के उपरान्त विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाये जाने पर आदेश दिनांक 19.1.12 के द्वारा श्री छोगाराम को देय पेंशन का 10 प्रतिशत भाग 6 माह के लिए रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 53. एफ.12(57)लोआस/2008

यह शिकायत श्री चतुर्भुज जांगिड़, ग्राम इटावा, पोस्ट जौला, ग्राम पंचायत, रामड़ी, तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर ने दिनांक 28.8.08 को प्रस्तुत की। शिकायत में श्री रामबाबू शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, रामड़ी, पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध

श्रीमती छोटी देवी जांगिड़ के पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने की एवज में रूपये 200/- की रिश्वत की मांग करने एवं राशि नहीं देने पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा श्री राधेश्याम मीणा के जॉब कार्ड पर बिना पंचायत के रिकार्ड में कार्यवाही किये एवं बिना सरपंच की सहमति के अपने स्तर से ही जॉब कार्ड नं. 1040 जारी करने के आरोप लगाये गये।

जांच के पश्चात् आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर श्री रामबाबू शर्मा के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ की गई। विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर श्री रामबाबू शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक को निर्णय दिनांक 25.8.11 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। कार्यवाही शेष न रहने के कारण प्रकरण को दिनांक 8.11.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 54. एफ.12(67)लोआस/2008

श्री अब्दुल रहमान निवासी ग्राम लावा सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द ने दिनांक 16.9.08 को शिकायत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, लावा सरदारगढ़ की भूमि को नाजायज तरीके से खुर्दबुर्द करने का आरोप लगाया।

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने परिवाद की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से करवाकर अपने पत्र दिनांक 10.7.09 के द्वारा यह अवगत कराया कि तत्कालीन उप सरपंच श्री किशन लाल दुग्गड़ की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.95 को हुई ग्राम पंचायत की बैठक में मिसल संख्या 16 में स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव एक के पूर्व इबारत उप सरपंच एवं वार्ड पंचों की बिना जानकारी एवं सहमति के बैठक पश्चात् बदनीयतिपूर्वक लिखने हेतु तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री गोरधन सिंह को दोषी माना गया जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पत्र दिनांक 11.3.10 के अनुसार श्री गोरधनसिंह के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं. 15/10 पुलिस थाना, आमेट में दर्ज करवादी गई।

इसके पश्चात् मामले में काफी लम्बी कार्यवाही चली। तत्पश्चात् जिला परिषद, राजसमन्द के पत्र दिनांक 1.2.12 के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सरदारगढ़ में सार्वजनिक नाले पर से अतिक्रमी श्रीमती शरीफन बेगम, मोहम्मद हुसैन एवं जगदीश खटीक द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 14.11.11 को हटा दिया गया है। अतिक्रमियों के द्वारा दायर वादों में जवाब दावा प्रस्तुत करने में लापरवाही बरतने वाले श्री रामचन्द्र बंजारा, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेट हाल पंचायत प्रसार अधिकारी के विरूद्ध **17 सीसीए के** अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर उसे लिखित चेतावनी दी जा चुकी है। तत्कालीन ग्रामसेवक श्री गोरधनसिंह के विरूद्ध पुलिस थाना, आमेट में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 15/10 दर्ज कराई गई थी जिसमें दिनांक 8.10.11 को न्यायालय एम.जे.एम., आमेट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 466 व 467 में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर दिनांक 17.2.12 को नस्तीबद्ध किया गया।

## 55. एफ.12(69)लोआस/2008

इस प्रकरण में परिवादी श्री बृजलाल विश्नोई निवासी चक 2 पी.बी.एम. ''बी'', ग्राम पंचायत 34 के. वाई.डी., तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा दिनांक 25.9.08 को शिकायत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, 34 के.वाई.डी., पंचायत समिति, बीकानेर में सरपंच, ग्राम सेवक आदि के विरूद्ध आरोप लगाया गया कि इन्होंने इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृत लाभर्थियों के वरीयताक्रम को जानबूझकर गांव से पलायन करना बताकर तोड़ा, लिच्छुराम के नाम कृषि भूमि नहीं होते हुए भी उसके नाम से डिग्गी स्वीकृत कर कार्य मानाराम मेघवाल निवासी चक 1 एसएसम के मुरब्बा नम्बर 218/27 के किला नं. 22 में करवा जाकर रूपये 30,800/- का अनियमित भुगतान करवाया, श्री मदन लाल पुत्र श्री रामकरण के नाम से नियमों के विरूद्ध दो जॉब कार्ड संख्या 2 व 257 जारी कर उसे 100 दिन से अधिक का भुगतान कराया, उग्रसेन द्वारा चाही गई सूचनाएं विलम्ब से दी, एस.जी.आर.वाई 30 प्रतिशत योजनान्तर्गत सड़क का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं करवा कर राजकीय राशि 1,99,992/-राशि का भुगतान प्राप्त कर दुरूपयोग किया तथा ग्राम पंचायत में अकाल राहत योजनान्तर्गत संवत 2061 में चलाये गये अकाल राहत कार्यो में खाला डाटा क्वरिंग कार्यो में मिट्टी हटाने व मल्चिंग का कार्य कारवाये जाने में प्रयुक्त मस्टररोलों में 6 व्यक्तियों दानाराम, मदन लाल, राजूराम, भंवराराम, भागीरथ एवं गंगाजल को एक ही अवधि में दो अलग-अलग कार्यो पर नियोजित करके राजकीय राशि का दुरूपयोग किया।

इस शिकायत के संबंध में शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 2.7.09 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक लेखाधिकारी (नरेगा), जिला परिषद, ग्रामीण प्रकोष्ठ, बीकानेर द्वारा की गई जांच में श्रीमती सोनी देवी, सरपंच एवं श्री भवानी सिंह, ग्राम सेवक को दोषी पाया गया है। सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं ग्राम सेवक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये जा रहे हैं। जांच में ग्रेवल सड़क का अनियमित भुगतान करवाने हेतु संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को भी दोषी पाये जाने पर ज्ञापन दिनांक 4.11.11 के द्वारा श्रीमती आराधना शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को 17 सीसीए में आरोप पत्र दिया जा चुका है जो व्यक्तिगत सुनवाई में लंबित है। श्रीमती सोनी देवी, सरपंच के विरूद्ध भी लंबित जांच का निर्णय वांछित है।

जांच के उपरान्त आदेश दिनांक 30.5.11 के द्वारा श्री **भवानी सिंह, ग्राम सेवक** को अधिकतर आरोप सिद्ध पाये जाने पर **दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव** से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 56. एफ.12(72)लोआस/2008

इस प्रकरण में श्री **सूरजमल सैनी, वरिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति, खण्डेला के** विरूद्ध मृत राज्य कर्मचारी श्री रामगोपाल सैनी, ग्राम सेवक के आश्रित के कोटे से पूर्व में बनवारी लाल सैनी के कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद दूसरी नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत की गई। शिकायत में लगाया गया आरोप जांच में सही पाये जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र

दिनांक 23.8.10, 15.12.10 एवं 11.8.11 के अनुसार श्री सूरजमल सैनी के **विरूद्ध 16 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्री सैनी ने उक्त जांच के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो अभी तक प्रभावी है। उक्त कार्मिक के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाने हेतु पत्र दिनांक 16.4.10 के द्वारा पंचायत समिति, खण्डेला द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, खण्डेला को लिखा जा चुका था। पूर्व लाभान्वित बनवारी लाल सैनी दिनांक 3.10.08 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है।

## 57. एफ.12(98)लोआस/2008

यह शिकायत श्री मालाराम निवासी तौगड़ा कलां, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू ने दिनांक 2.2.09 को परिवाद प्रस्तुत की। शिकायत में ग्राम पंचायत तौगड़ा कला के सरपंच व नवनियुक्त ग्राम सेवक श्री अनार सिंह के विरूद्ध नरेगा के अन्तर्गत जोहड़ की खुदाई में निकली मिट्टी को रूपये 16,000/- में बेच कर राशि को हड़प करने व अपने चहेतों के घरो पर गंदे पानी के लिए सोख्ते बनाने के आरोप लगाये गये।

प्रकरण में की गई जांच के परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 19.10.10 के द्वारा श्री उपेन्द बलवदा, पूर्व सरपंच एवं श्री अनार सिंह, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, तौगड़ा कलां को दोषी पाये जाने पर उनसे संयुक्त रूप से राजकीय राशि रूपये 11,660.50 मय दण्डनीय ब्याज वसूली एवं श्री बलवदा के विरूद्ध **परिनिर्णय लेखबद्ध किये जाने के आदेश दिये गये।** पत्र दिनांक 7.6.11 व 16.8.11 के अनुसार उक्त राशि रूपये 11,661/- रसीद संख्या 824 दिनांक 9.5.11 के द्वारा पंचायत समिति, नवलगढ़ में जमा करादी गई है तथा ब्याज राशि रूपये 5,073/- रसीद संख्या 834 दिनांक 3.8.11 के द्वारा जमा कराई जा चुकी है।

## 58. एफ.12(24)लोआस/2009

यह परिवाद श्री गणेशदान बिठू, जिला उपाध्यक्ष, जिला देहात युवक कांग्रेस कमेटी, बीकानेर ने दिनांक 19.6.09 को प्रस्तुत किया। परिवाद में ग्राम पंचायत, सींथल, पंचायत समिति, बीकानेर के सरपंच श्री नत्थूराम व ग्रामसेवक कल्याण सिंह के विरूद्ध बी.पी.एल. जनगणना 2002 की सूची में फर्जी तरीके से नाबालिग व अविवाहित और अपने पिता के साथ निवास करने वाले मनोज पुत्र भवानीदान को इन्दिरा आवास का 35000/- रूपये का लाभ दिये जाने की शिकायत की गई।

इस शिकायत को शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 10.8.09 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया तथा दिनांक 21.8.09 के पत्र के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 26.4.10 के द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत की जांच संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से कराई है जिसमें शिकायत में लगाये गये आरोप सही पाये गये हैं। सरपंच नत्थूराम के विरूद्ध पंचायतीराज नियम 1996

के नियम 22(1) के तहत् नोटिस जारी किया गया है व दोषी ग्राम सेवक श्री कल्याण सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला परिषद को लिखा गया है।

तदुपरान्त जिला परिषद, बीकानेर से प्राप्त पत्र दिनांक 9.11.11 के अनुसार श्री नत्थूराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, सींथल को पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 38(1) के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। दोषी लोकसेवक **श्री कल्याण सिंह, ग्राम सेवक** से अनियमित रूप से व्यय की गई राशि रूपये 35,000/- की वसूली करली गई है तथा आदेश दिनांक 9.11.11 द्वारा उसे 17 सीसीए के अन्तर्गत की गई विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। उक्त स्थिति में यह शिकायत दिनांक 12.12.11 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करदी गई।

## 59. एफ.12(28)लोआस/2009

यह शिकायत श्री प्रेमसिंह राठौड़, मानद मंत्री श्री गुरूमंछ शिक्षण संस्थान, सिवाना, बाड़मेर की शिकायत पर दिनांक 2.7.09 को पंजीबद्ध की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर के आदेश क्रमांकः 327 दिनांक 19.10.05 के द्वारा ग्राम पंचायत कुशीप, पंचायत समिति, सिवाना जिला बाड़मेर में खसरा नं. 609/02 में निर्माण कार्य कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी, परन्तु ग्रामसेवक श्री आमसिंह व श्री सोहन लाल, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा **निर्माण कार्य स्वीकृत स्थल पर नहीं कराकर खसरा नं. 609/02 में करा दिया गया** जिससे निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि निष्फल हो गई।

इस प्रकरण में श्रीमती हरकू देवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, कुशीप के विरूद्ध आरोप साबित नहीं पाये जाने पर आदेश दिनांक 18.8.10 के द्वारा उसके विरूद्ध जांच समाप्त करदी गई है। अन्य दोषी पाये गये उक्त लोकसेवकगण श्री आमसिंह, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, कुशीप के विरूद्ध **16 सीसीए के अन्तर्गत व श्री सोहन लाल, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, सिवाना के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिये जाकर** विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है।

## 60. एफ.12(32)लोआस/2009

इस प्रकरण में ग्राम पंचायत, हरनावदागजा, पंचायत समिति, सुनेल जिला झालावाड़ में रोजगार गारन्टी योजना में भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये गये जिसकी जांच राज्यस्तरीय पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि हरनावदा खेड़ा से ठीकली तक सम्पर्क सड़क बनाने के लिए श्रम के पेटे रूपये 3,60,000/- एवं सामग्री के पेटे रूपये 1,40,000/- का भुगतान उठाया गया, किन्तु मौके पर कोई सड़क का निर्माण नहीं पाया गया। इसी प्रकार बालाजी मंदिर से भारत जैन के मकान तक खरंजा निर्माण मय नाली के लिए श्रम के पेटे एवं सामग्री के पेटे राशि उठाई गई, परन्तु मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया। इसी प्रकार पंचायत भवन से पटेलों के मोहल्ले तक सी.सी. रोड के निर्माण के संबंध में यह पाया गया कि उक्त कार्य को निर्धारित स्थल पर न

करवा कर रामलाल मेघवाल के मकान से चन्दरसिंह पटेल के मकान तक बिना तखमीने के करवाया गया व केवल बजरी डालकर साधारण प्लास्टर करके बहुत घटिया स्तर का निर्माण करवाया गया। जांच में दोषी पाये गये ग्रामसेवक श्री दिनेश जैन को दिनांक 23.9.09 को निलम्बित किया जा चुका है व 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिये जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है तथा श्री नारायणसिंह, सरपंच के विरूद्ध पुलिस थाना, पिड़ावा में एफ.आई.आर. सं. 32 दिनांक 3.3.10 दर्ज करवादी गई है। श्री नारायण सिंह को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38-39 के अधीन नोटिस भी जारी किया जाक चुका है।

पत्र दिनांक 13.5.11 के अनुसार सरपंच के विरूद्ध दर्ज करवाई गई उक्त एफ.आई.आर. में उसे दोषमुक्त मानते हुए पेश की गई एफ.आर. 45/2010 को दिनांक 17.7.10 को अदालत ने स्वीकार कर लिया है व श्री दिनेश जैन, ग्राम सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है।

## 61. एफ.12(68)लोआस/2009

इस परिवाद में श्री भीखाराम की शिकायत पर कार्यवाही करने पर श्री तेजसिंह, ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत, बीसलपुर से पंचायत के विद्युत मीटर से बिजली का उपभोग करने पर कुल बिल राशि रूप्ये 8189/- की आधी राशि 4094 की वसूली पंचायत की रसीद संख्या 45 दिनांक 8.6.11 के द्वारा की जा चुकी है व उसके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी लंबित है।

## 62. एफ.12(100)लोआस/2009

## 63. लिंक एफ.12(6)लोआस/2010

इस परिवाद में सरपंच श्रीमती विद्यादेवी, सरपंच, ग्राम पंचायत, दिवाकरी, पंचायत समिति, उमरैण, जिला अलवर के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इकरामुद्दीन पुत्र श्री हुसनदीन निवासी घाटी बास चांदोली को आवासीय प्लाट नं. 70 का नया पट्टा दिसम्बर, 2006 में जारी किया जिसमें उसे जनता कोलोनी बेलाका का निवासी बताया गया जबकि वह घाटी बास चांदोली का निवासी था। इकरामुद्दीन ग्राम दिवाकरी का निवासी भी नहीं था और न ही पात्रता रखता था। इसी प्रकार श्री श्यामसिंह पुत्र मंगलसिंह के नाम से प्लाट नं. 35 का पट्टा जारी कर दिया जबकि उक्त प्लाट का मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

श्री बन्नाराम मीणा, ग्राम सेवक पर आरोप लगाया गया कि उसने ग्राम पंचायत, दिवाकरी के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को वर्ष 1979 में आवंटित भूखण्डों में से नि:शुल्क आवंटित भूमि को हस्तान्तरण कर देने वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, प्रदीप सिंह पुत्र हनुमान सिंह को प्लाट नं. 10 का पट्टा संख्या 22 नियमविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया तथा निरस्त किये गये भूखण्ड के आवंटन जिन व्यक्तियों को किये गये हैं, उनके पूर्व रहवास के संबंध में कोई जांच या प्रमाणीकरण नहीं कराया और बिना जांच पड़ताल के नियमों के विरूद्ध पट्टे जारी कर दिये। यहां तक कि प्रभावशाली व सक्षम

व्यक्तियों, जिनमें जिला परिषद के तत्कालीन सदस्य, सरपंच के निकट रिश्तेदार शामिले थे, को भी अनियमित ढंग से पट्टे जारी कर दिये।

इस सचिवालय द्वारा इस शिकायत पर कार्यवाही करने पर विभाग द्वारा श्री बन्नाराम मीणा, ग्राम सेवक को दिनांक 2.12.10 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ की गई जो अभी विचाराधीन है। पत्र दिनांक 20.7.11 के अनुसार सरपंच व ग्रामसेवक के विरूद्ध पुलिस थाना, उद्योग नगर, अलवर में दिनांक 19.7.11 को एफ.आई.आर. सं. 337 दर्ज करवा दी गई है। शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश दिनांक 6.9.11 के अनुसार श्रीमती विद्यादेवी, सरपंच को दोषी सिद्ध पाये जाने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1)(ख) के अन्तर्गत निष्कर्ष अभिलिखित कर पांच वर्ष की कालावधि तक चुने जाने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

## 64. एफ.12(11)लोआस/2010

यह परिवाद श्री सेवासिंह पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी ग्राम 4 बी बड़ी पक्की तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 16.4.10 को प्रस्तुत किया जिसमें श्री सुरेन्द्र सिंह का फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के जिम्मेदार लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

इस शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर के पत्र दिनांक 22.7.10, 14.3.11, 13.6.11 एवं 29.7.11 के अनुसार फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए दोषी पाये गये पटवारी श्री राजकुमार सिंह, तत्कालीन पटवार मण्डल, कोठा, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल पक्की तहसील श्रीगंगानगर को आदेश दिनांक 14.1.10 के द्वारा 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर लिखित चेतावनी दी जा चुकी है। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह का मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 4.1.11 को निरस्त कर दिया गया है। श्री सन्तलाल, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, पक्की के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत की गई विभागीय कार्यवाही को जवाब संतोषजनक पाये जाने पर भविष्य में अधिक सतर्क होकर कार्य करने की चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया है। सरपंच श्री हरनाम सिंह के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 22(1) के तहत् नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् जांच करने का निर्णय लिया जाकर जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

## 65. एफ.12(15)लोआस/2010

यह परिवाद श्री मनोहर लाल निवासी हजादेश लोहावट, फलोदी, जिला जोधपुर ने दिनांक 29.4.10 को प्रस्तुत किया। परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री हरचन्दराम पुत्र जोराराम निवासी डाबर लोहावट सीमा सुरक्षा बल में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। डॉ. जीवनराम निवासी डाबर लोहावट अपनी पत्नी सहित जयपुर में रहते हैं। श्रीमती सुमित्रा पत्नी जसराज विश्नोई निवासी

डाबर लोहावट राजकीय स्कूल में कार्यरत है। इन तीनों के नाम से ग्राम पंचायत, लोहावट बिश्नावास, पंचायत समिति, फलोदी की रोजगार सहायिका रेखा विश्नोई व सरपंच ने मिल करके फर्जी जॉब कार्ड बनाकर नरेगा में फर्जी रूप से नाम चलाकर उनके नाम से भुगतान उठा लिया। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, जोधपुर, संभागीय आयुक्त, जोधपुर व अन्य अधिकारियों को की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिवादी ने और भी अन्य फर्जी जॉब कार्ड बनाकर भुगतान उठाने के विवरण सहित परिवाद प्रस्तुत किये।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, जोधपुर के पत्र दिनांक 27.8.10 एवं 25.10.10 के अनुसार जांच में आरोप सही पाये जाने पर ग्राम रोजगार सहायिका सुश्री रेखा विश्नोई की सेवा समाप्त करदी गई है तथा सरपंच सत्यनारायण विश्नोई, ग्राम सेवक व रोजगार सहायिका के विरूद्ध पुलिस थाना लोहावट में एफ.आई.आर. नं0 123 दर्ज करवादी गई है ।

जिला कलेक्टर, जोधपुर के पत्र दिनांक 1.9.11 के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री मानाराम विश्नोई को 17 सीसीए के अन्तर्गत दिनांक 19.5.11 को आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। इसी प्रकार तत्कालीन सरपंच श्री सत्यनारायण विश्नोई को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 (ख) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह परिवाद दिनांक 27.9.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 66. एफ.12(32)लोआस/2010

श्री प्रकाश चन्द निवासी देवगढ़ दिनांक 17.6.10 को शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में श्री गोपाल सिंह चौहान, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़ व उनकी पत्नी के विरूद्ध सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग कर राजनीति में खुलकर भाग लेने के आरोप लगाये गये। इस शिकायत के संबंध में की गई जांच के उपरान्त लोकसेवक श्री गोपालसिंह चौहान के विरूद्ध दिनांक 24.8.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई।

विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर आदेश दिनांक 29.11.11 के द्वारा विभागीय कार्यवाही को इस लिखित चेतावनी के साथ समाप्त कर दिया गया कि श्री चौहान भविष्य में राजकीय वाहन व दूरभाष का अपने परिजनों को दुरूपयोग नहीं करने देंगे। कार्यवाही शेष न रहने पर इस पत्रावली को दिनांक 5.12.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 67. एफ.12(92)लोआस/2010

यह परिवाद श्री गोपाल सिंह निवासी भेड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर ने प्रस्तुत किया। परिवाद में ग्राम पंचायत, भेड़, पंचायत समिति, ओसियां में वर्ष 2009 महानरेगा के अन्तर्गत पूर्व सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक एवं मेटों पर मिलीभगती करके योजनाबद्ध तरीके से दूसरे गांवों के 73 परिवारों

के फर्जी जॉब कार्ड बना कर आठ माह निरन्तर उनके नाम से मस्टररोल भरकर फर्जी हाजरियां भरकर भुगतान उठाने के आरोप लगाये गये।

उक्त शिकायत की जांच कराये जाने के उपरान्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.1.12 द्वारा सूचित किया कि गलत उठाई गई मजदूरी की राशि रूपये 1080/- तथा रूपये 1100/- की वसूली करली गई है तथा श्री भवानी लाल सेन, तत्कालीन ग्राम सेवक के विरूद्ध कुछ लोगों के फर्जी जॉब कार्ड बनाने तथा एक ही जॉब कार्ड के श्रमिक को दो जगह कार्य करना दिखाकर भुगतान पारित करने के आरोप के संबंध में दिनांक 23.12.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है तथा साथ ही मेट व श्रमिक के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 8/8.1.12 पुलिस थाना, लोहावट में दर्ज करवा दी गई है।

## 68. एफ.12(97)लोआस/2010

इस प्रकरण में श्री नीलेश ग्राम हेमड़ा तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ द्वारा 22.2.11 को प्रस्तुत की गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत, हेमड़ा की सरपंच **श्रीमती गायत्रीबाई पाटीदार व ग्रामसेवक श्री बाबूलाल खोराल द्वारा बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत** ग्राम पीथाखेड़ी में राम मंदिर से हनुमान मंदिर तक स्वीकृत सी.सी. रोड के निर्माण कार्य हेतु 2.00 लाख रूपये स्वीकृत थे जिसमें से 1.17 लाख रूपये का कार्य करवाकर **शेष 0.83 लाख रूपये का अनियमित भुगतान बता कर गबन कर लिया गया।** इसी प्रकार विधायक कोष योजनान्तर्गत जगन्नाथ के मकान से हनुमान मंदिर की ओर स्वीकृत सी.सी. रोड़ के निर्माण के लिए 2.00 लाख रूपये में से 0.51 लाख रूपये का अनियमित भुगतान बता कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई। दोषी लोकसेवक श्री बाबूलाल खारोल के विरूद्ध **16 सीसीए** के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है तथा श्रीमती गायत्रीबाई पाटीदार, सरपंच के विरूद्ध पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की **धारा 38-39** के तहत् आरोप पत्र जारी कर जांच प्रारंभ की जा चुकी है।

## 69. एफ.12(55)लोआस/2011

श्री रणजीत कड़वासरा, निवासी ए-382, सरस्वती नगर, बासनी मण्डी, जोधपुर द्वारा यह शिकायत दिनांक 10.8.11 को प्रस्तुत की। शिकायत में ग्राम पंचायत, बलाउ जाटी, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर के **सरपंच व ग्राम सेवक पर नरेगा में रूपये 5,81,612/- का घोटाला** करने का आरोप लगाया गया।

शिकायत की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से करवाकर जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने पत्र दिनांक 18.1.12 के द्वारा अवगत कराया कि बिना सामग्री क्रय कर राशि आवंटन हेतु बिल/वाउचर्स प्रस्तुत कर की गई वित्तीय अनियमितता के लिए **ग्रामसेवक श्री दीपाराम प्रथम के विरूद्ध दिनांक 17.1.12 को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ** करदी गई है। प्रकरण में अभी कार्यवाही जारी है।

## 70. एफ.12(65)लोआस/2011

यह परिवाद श्री रूपलाल व अन्य, ग्राम मडकोला मोगजी, पंचायत समिति, आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा ने दिनांक 8.9.11 को बांसवाड़ा कैम्प में प्रस्तुत किया।

परिवाद में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत कभी भी नहीं खुलती है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। सरपंच मणी देवी के बजाय उसका पति ही निर्णय करता है, विधवा पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन अपने चहेतों को ही दी जा रही है, महानरेगा में अनियमितताएं की जा रही हैं आदि। इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा से पत्र दिनांक 10.10.11 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि सचिव के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतों का कार्यभार होने के कारण पंचायत समय पर नहीं खुल पाती है। सचिव की अनुपस्थिति में सहायक सचिव द्वारा पंचायत का कार्य किया जाता है। सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेने पर मार्गदर्शन ही दिया जाता है। ग्राम पंचायत में निर्णय सभी वार्डपंचों की सहमति से लिया जाता है तथा ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। ग्राम में वर्तमान में 150-200 लोगों को वृद्धावस्था, विधवा पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। जांच के दौरान् पात्रता रखने वाले 7 और वृद्धों को पेंशन दिलाने की कार्यवाही विचाराधीन है। खाद वितरण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है। सभी मनरेगा श्रमिकों को बकाया भुगतान कर दिया गया है। व्यवस्थापक, लेम्प्स छाजा के रिकार्ड के आधार पर 2 मृतकों के नाम मस्टररोल में दर्ज कर राशि उठाने के संबंध में एक मृतक की राशि रोक ली गई तथा दूसरे की राशि वापिस लेम्प्स छाजा में जमा कराई गई है। इस संबंध में पुलिस **में एफ.आई.आर. दर्ज कराने** के साथ-साथ **विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आनन्दपुरी** व **ग्राम सेवक** के विरूद्ध **17 सीसीए** के तहत् विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

## 71. एफ.15(7)लोआस/2010

श्री शिवभगवान सोनी निवासी रींगस, जिला सीकर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर **श्री शंकर लाल सोनी, फोरेस्ट गार्ड, वन विभाग, रींगस** के विरूद्ध पेड़ों की कटाई में लिप्त होने आदि के आरोप लगाये। शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर शिकायत की जांच सहायक वन संरक्षक, नीम का थाना, सीकर से करवाई गई जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर लोकसेवक श्री शंकर लाल सोनी के विरूद्ध **17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ की गई।** विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर आदेश दिनांक 18.10.11 के द्वारा **श्री सोनी को दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।**

## 72. एफ.16(146)लोआस/2001

श्री हरिप्रसाद योगी, अध्यक्ष, कन्जूमर लीगल हैल्प सोसाइटी, सवाईमाधोपुर ने यह शिकायत दिनांक 25.10.01 को प्रस्तुत की। शिकायत में नगरपालिका के लोकसेवकों की मिलीभगत से बांगड़ चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा सामाजिक धर्मार्थ धर्मशाला की भूमि का व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर लाखों की दुकानें बेचने व नगरपालिका को व्यावसायिक शुल्क की हानि पहुंचाये जाने के आरोप लगाये गये।

जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 7.12.02 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए आरोपों को काफी हद तक सही बताया।

इसी शिकायत के संबंध में स्थानीय निकाय विभाग से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 31.12.03, 1.11.04, 29.11.04 एवं 22.8.07 के द्वारा अवगत कराया कि नगरपालिका, सवाईमाधोपुर द्वारा व्यवस्थापक, बांगड़ धर्मशाला, बजरिया, सवाईमाधोपुर को दिनांक 20.4.04 के द्वारा बांगड़ धर्मशाला को व्यावसायिक कॉम्पलेक्स में परिवर्तित करने पर राशि रूपये 38,51,742/- जमा कराने का नोटिस दिया गया। **श्री राकेश शर्मा व श्री रामसिंह मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी**, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने के लिए **17 सीसीए के** अन्तर्गत की गई विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर आदेश दिनांक 26.4.07 के द्वारा दोनों लोकसेवकों को **एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। उक्त राशि की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही के विरूद्ध ट्रस्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका नं. 9222/05 प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 22.7.11 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में पार्टी की पुनः सुनवाई की जाकर परीक्षण किये जाने पर वसूली योग्य राशि रूपये 18,54,156/- आई जो पार्टी द्वारा जमा करादी गई है। इस प्रकार परिवाद में सम्पूर्ण कार्यवाही हो जाने के पश्चात् यह पत्रावली दिनांक 8.7.11 को नस्तीबद्ध की गई।

## 73. एफ.16(52)लोआस/2005

यह शिकायत श्री गणेश राज बंसल निवासी आई-273, सिविल लाइन्स, हनुमानगढ़ जंक्शन ने दिनांक 13.7.05 को प्रस्तुत की जिसमें श्री मदन सिंह बुढानिया, तत्कालीन अधीशाषी अधिकारी, नगरपालिका, हनुमानगढ़ के विरूद्ध भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये गये।

प्रारंभ में ही उल्लेख किया जाना उचित होगा कि दिनांक 27.11.04 से 30.4.07 तक लोकायुक्त का पद रिक्त रहा, अतः इस प्रकरण में देरी से कार्यवाही से संभव हो पाई। इस शिकायत में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.9.07 के द्वारा अवगत कराया कि श्री मदन सिंह बुढानिया, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।

पत्र दिनांक 23.6.09 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मदनसिंह बुढानिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफ.आई.आर. सं0 339/06 दर्ज कर अन्वेषण पश्चात् अभियोजन स्वीकृति चाही गई

है। पत्र दिनांक 26.8.09 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लोकसेवक को आदेश दिनांक 27.7.09 के द्वारा **पांच वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पत्र दिनांक 4.1.12 के द्वारा अवगत कराया गया कि चालान पेश करने के क्रम में श्री मदनसिंह बुढानिया को गिरफ्तार कर **दिनांक 21.12.11 को न्यायालय में पेश किया गया जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाने के निर्देश दिये जाने पर उसे केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में भेज दिया गया है।** अन्य अभियुक्त श्रीमती कृष्णा भाटिया, तत्कालीन अध्यक्ष की तलाश की जा रही है।

## 74. एफ.16(121)लोआस/2005

यह प्रकरण श्री नरसिंह पुत्र श्री मन्नीराम निवासी ग्राम चैनपुरा पूंजला, जोधपुर से प्राप्त शिकायत पर पंजीबद्ध किया गया। शिकायत में कथन किया गया कि वर्ष 2002-2003 के दौरान् नगर सुधार न्यास द्वारा जोधपुर में 16 ग्राम नामक योजना के तहत् पट्टा व एक्सचेंज डीड का पट्टा देने का प्रोग्राम चलाया गया जिसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.11.09 के द्वारा अवगत कराया कि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकारण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा नं. 1893 में श्री महेशचन्द्र पुत्र श्री गोकलराम, महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोकलराम, श्री हजारी सिंह पुत्र श्री भोमाराम एवं श्री जयनारायण के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से एक्सचेंज डीड जारी करने के लिए लोकसेवकगण सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन सचिव, राजेन्द्र पुरोहित, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, कन्हैया लाल चौहान, सहायक अभियन्ता, योगेश माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, ओम प्रकाश गहलोत, तत्कालीन पटवारी एवं इन्द्रजीत त्रिपाठी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक को दोषी पाया गया है जिनके स्पष्टीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र दिनांक 12.6.10 के अनुसार न्यायालय, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के निर्णय दिनांक 7.5.10 की पालना में उक्त व्यक्तियों को ग्राम पंचायत, पूंजला के पट्टों की एवज में जारी विनियम संलेखों को खारिज कर दिया गया है।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 16.9.11 के अनुसार श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन पटवारी नगर सुधार न्यास, जोधपुर के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को एवं श्री इन्द्रजीत सिंह त्रिपाठी, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को भिजवा दिये गये हैं। श्री राजेन्द्र मिश्रा, आर.एस.एस., तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। श्री कन्हैया लाल चौहान, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं श्री योगेश माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध 17 सीसीए

के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को भिजवा दिये गये है। पत्रावली दिनांक 17.10.11 को नस्तीबद्ध करदी गई है।

## 75. एफ.16(150)लोआस/2007

श्री ओमप्रकाश अवस्थी, एडवोकेट, बाड़ी एवं श्री राम निवास मित्तल, एडवोकेट, बाड़ी ने यह शिकायत दिनांक 11.3.08 को प्रस्तुत की। शिकायत में श्री हिम्मत सिंह बारहठ, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बाड़ी, जो कि अब आर.ए.एस. अधिकारी हैं, के विरूद्ध अपने नगरपालिका पदस्थापन के दौरान् भ्रष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग करते हुए नीलामी के बजाय नियमविरूद्ध तरीके से विभिन्न भूमियों का खांचा भूमि में बेचान करने के आरोप लगाये गये।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा की गई जांच के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 1.3.12 के अनुसार श्री हिम्मत सिंह बारहठ, आर.ए.एस. को ज्ञापन दिनांक 22.2.12 के द्वारा 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है।

## 76. एफ.16(31)लोआस/2008

इस प्रकरण में परिवादी श्री ओम प्रकाश शर्मा की शिकायत के संबंध में जांच के उपरान्त यह पाया गया जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार के भूखण्डों की वर्ष 1994 व 1999 की दोनों सूचियां संधारित की रही है। परन्तु श्री मोहन लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक ने श्रीमती राधादेवी मुण्ड पत्नी श्री ओम प्रकाश मुण्ड के भूखण्ड संख्या 302 नया-73 नाम हस्तान्तरण के आवेदन पर पत्रावली पर केवल पुरानी सूची से ही रिपोर्ट कर तथ्यों को छिपाया। इस लापरवाही के लिए दोषी पाये जाने पर श्री मोहन लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1984 के विनियम 8 के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी लंबित है।

## 77. एफ.16(53)लोआस/2008

श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, वार्ड नं. 13, खेतड़ी, जिला झुन्झूनू ने यह शिकायत दिनांक 25.7.08 को प्रस्तुत की। शिकायत में खेतड़ी नगरपालिका के अधिकारियों के विरूद्ध मिलीभगत करके परिवादी को नगरपपलिका चैयरमैन के कहने पर तस्दीकशुदा इकरारनामें से क्रय की गई कृषि भूमि खसरा नं. 2629 एवं 2631 की रकबा 253.09 वर्गगज भूमि का पट्टा नहीं देने व परेशान करने का आरोप लगाया गया।

जिला कलेक्टर, झुन्झूनू ने अपने पत्र दिनांक 3.8.09 के द्वारा अवगत कराया कि भूमि खसरा नं. 2629 रकबा 0.061 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआ होने से प्रतिबन्ध भूमि की श्रेणी में आती है। अत: राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.2.05 एवं सिविल रिट पिटीशन

नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय अनुसार पायतन/नदी/तालाब/नाला एवं पानी बहाव क्षेत्र आदि की भूमि का नियमन एवं भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी) के तहत् कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा भूमि खसरा नं. 2631 रकबा 0.04 हैक्टेयर को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी)(2)(3) में प्रदत्त शक्तियातें का प्रयोग करते हुए राज्य हित पुन:गृहीत करते हुए नगरपालिका, खेतड़ी के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 20.5.09 को जारी कर दिये गये है।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.12.09 के द्वारा अवगत कराया कि जांच में यह पाया गया है कि परिवादी एवं अन्य की 90(बी) पत्रावलियां प्राप्त करने हेतु नगरपालिका सक्षम नहीं है बल्कि वे सीधे सक्षम न्यायालय में पेश होनी चाहिए थी। इसके लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। पत्र दिनांक 19.11.10 के अनुसार श्री फूलसिंह सैनी, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खेतड़ी को परिवादी की भूमि रूपान्तरण की पत्रावली में भूमि विक्रय हेतु नोटरी के आधार पर इकरारनामें को समुचित दस्तावेज मानकर प्रकरण को 90बी की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी को भेजने से पहले ही आवेदक से नियम विरूद्ध तरीके से भूखण्ड की विकास शुल्क, पट्टा, लीज एवं रूपान्तरण राशि जमा करा लिये जाने के आरोप में दिनांक 12.11.10 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। विभागीय जांच के पश्चात् आदेश दिनांक 15.7.11 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को भविष्य में त्रुटि नहीं करने की लिखित चेतावनी देते हुए समाप्त कर दिया गया है।

## 78. एफ.16(108)लोआस/2008

यह शिकायत श्री संदीप राव निवासी 143, जनकपुरी द्वितीय, इमलीवाला फाटक, जयपुर ने दिनांक 20. 11.08 को प्रस्तुत की। शिकायत में कथन किया गया कि श्री पारूमल आसनानी को वर्ष 1986 में राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना में आवास संख्या 31/82-11 आवंटित हुआ था। श्री पारूमल उक्त आवास में कभी नहीं रहा, बल्कि वह रिक्त ही पड़ा रहा था। श्री पारूमल ने अपने आवेदन पत्र में अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने भतीजे श्री धर्मदास, बहन श्रीमती कमला देवी एवं भान्जे श्री अशोक कुमार को अपना उत्तराधिकारी नाम-निर्दिष्ट कर मनोनीत किया था। श्री पारूमल की दिनांक 17.1.90 को मुत्यु हो गई। परिवादी का आरोप है कि श्री एस.के.शिवहरे, तत्कालीन उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं श्री आर.के.भट्ट, उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय ने सभी तथ्यों को नजरंदाज करते हुए बिना सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्राप्त किये ही उक्त आवास को एक श्रीमती लक्ष्मी देवी को केवल वसीयत के आधार पर ही अंतरित कर दिया।

इस प्रकरण में कार्यवाही करने पर श्री एस.के.शिवहरे, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. अधिकारी विरूद्ध राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील विनियम, 1976 के नियम 11 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर जांच की गई। जांच में श्री शिवहरे को दोषी पाये जाने पर राजस्थान आवासन

मण्डल, जयपुर के आदेश दिनांक 18.7.11 के द्वारा उन्हें एक वर्ष की पेंशन में से 5 प्रतिशत पेंशन की कटौति के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 79. एफ.16(141)लोआस/2008

श्री सुबोध कुमार निवासी डीग रोड, कुम्हेर, जिला भरतपुर ने यह शिकायत दिनांक 25.3.09 को प्रस्तुत की। शिकायत में यह कथन किया गया कि परिवादी सुबोध कुमार एवं नत्थीलाल के बीच अपनी-अपनी भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद था। निदेशालय द्वारा नगरपालिका को उक्त दोनों व आसपास के अन्य भूखण्डधारियों की भूमि को नक्शे से नापकर मिलान करते हुए स्पष्ट निशानदेही करने हेतु दिनांक 16.9.08 के पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी का आरोप है कि श्री नत्थीलाल द्वारा जिस भूमि पर तामीर चाही गई उसके लगती परिवादी की भूमि को बिना माप किये ही नत्थीलाल को तामीर इजाजत देदी गई।

शिकायत पर कार्यवाही करने पर प्रकरण की जांच की जाकर प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर पत्र दिनांक 25.5.10 के अनुसार **श्री झब्बूलाल मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी**, नगरपालिका, कुम्हेर के विरूद्ध दिनांक 13.5.10 को **17 सीसीए के** अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में आरोप साबित पाये जाने पर श्री झब्बूलाल मीणा को आदेश दिनांक 2117 दिनांक 15.7.11 के द्वारा **दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित** कर दिया गया है।

## 80. एफ.16(6)लोआस/2009

यह परिवाद श्री नेमप्रकाश खण्डाका, खण्डका ज्वैलर्स, हल्दियों का रास्ता, जयपुर ने दिनांक 21.4.09 को प्रस्तुत किया। परिवाद में मकान नं. 244 सीतापुरा हाउस, मनीरामजी की कोठी में बिना स्वीकृति के व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराये जाने व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के पत्र दिनांक 13.11.09 के द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण स्वीकृति के जी प्लस 3 का निर्माण करने पर श्री अनिल कुमार को दिनांक 15.1.09 व 10.2.09 को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इस दौरान् श्री अनिल अग्रवाल ने दो वाद क्रमशः 112/09 दिनांक 26.2.09 व 275/09 दिनांक 22.5.09 दायर किये जिनमें अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नगर निगम, जयपुर को अग्रिम आदेशों तक वर्तमान स्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया। मौके पर गार्ड की व्यवस्था करदी गई है। मौके पर जी प्लस 3 आर.सी.सी. पिलर छत डाल कर निर्माण किया जा चुका है। अवैध निर्माण के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

निदेशालय के पत्र दिनांक 6.7.11 के अनुसार उक्त अवैध निर्माण की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के लिए श्री शिखरचन्द जैन, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, श्री बृजेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मोहतसिम बिल्ला, गजधर, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की जा रही है जो अभी विचाराधीन है। पत्रावली दिनांक 19.10.11 को नस्तीबद्ध की जा चुकी है।

## 81. एफ.16(111)लोआस/2009

यह परिवाद श्री रामस्वरूप विश्नोई निवासी पीलीबंगा ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि नगरपालिका मण्डल, पीलीबंगा की साधारण बैठक दिनांक 24.9.03 के प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा प्रेस क्लब, पीलीबंगा को रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगरपालिका का चुंगी नाका-3 अस्थाई रूप से दिया गया था किन्तु किराये के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही अधिशाषी अधिकारी ने नगरपालिका हित में कोई टिप्पणी अंकित की। यदि उक्त स्थान प्रेस क्लब को किराये पर दिया गया होता तो नगरपालिका को आय होती परन्तु ऐसा नहीं करने से नगरपालिका को आर्थिक नुकसान हुआ। अतः अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 9.7.10 व 27.12.10 के द्वारा अवगत कराया गया कि जांच के उपरान्त श्री पृथ्वीराज जाखड़, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पीलीबंगा को दिनांक 18.11.10 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा चुंगी नाका का कब्जा प्रेस क्लब से वापिस प्राप्त कर लिया गया है। विभागीय जांच लंबित है।

## 82. एफ.16(124)लोआस/2009

इस परिवाद में श्री काना पुत्र हरचंद खटीक ने यह आरोप लगाया कि श्री देवी लाल पुत्र रामनिवास का खरीदशुदा प्लाट मात्र 20 गुणा 15 फुट था लेकिन देवी लाल की पत्नी राजीदेवी, जो कि नगरपालिका, सरवाड़ में पार्षद पद पर कार्यरत है, ने नगरपालिका सरवाड़ के अधिशाषी अधिकारी एवं अध्यक्ष से मिलीभगत कर एक अवैध फर्जी ब्ल्यू प्रिन्ट बनवाकर राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् कुल 224.88 वर्गगज भूमि का पट्टा दिनांक 6.5.08 को पट्टा कमांक 17 से स्वयं के नाम जारी करवा लिया। नगरपालिका अधिनियम के तहत् नगरपालिका में निर्वाचित पार्षद के नाम से पट्टा भी जारी नहीं किया जा सकता है, परन्तु करोड़ों की मौके की भूमि को हड़पने की नीयत से उक्त फर्जी पट्टा जारी करवाया गया है जिसे रद्द करवाया जावे।

निदेशक, स्थानीय निकाय ने अपने पत्र दिनांक 2.8.10व 28.9.10 के द्वारा अवगत कराया कि जांच में आरोप को सही पाया गया है व उक्त अवैध पट्टे के लिए अध्यक्ष श्री शंकरसिंह राठौड़ एवं तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री ईतवारी लाल सारवान (सेवानिवृत्त) एवं पार्षद राजीदेवी तथा उसके पति देवी

लाल को दोषी पाया गया है जिनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है तथा उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

पत्र दिनांक 7.4.11 व 21.4.11 के अनुसार श्री शंकर सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष एवं श्रीमती राजीदेवी पूर्व पार्षद के विरूद्ध न्यायिक जांच हेतु प्रकरण विधि विभाग को दिनांक 9.2.11 को भेज दिया गया है। उक्त अनियमित पट्टे को निरस्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी अपर जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष दिनांक 11.4.11 को दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त परिस्थिति में यह परिवाद दिनांक 3.6.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 83. एफ.16(10)लोआस/2010

यह परिवाद सुश्री ईना भाटिया ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने प्लाट नं. डी 88 सूर्य नगर को री-सेल में पार्टी से क्रय किया था। नगर विकास न्यास, अलवर ने विक्रेता पार्टी को विक्रय की अनुमति दी हुई थी और अदेयता प्रमाण पत्र भी दिया हुआ था। लेकिन जब परिवादिया प्लाट का स्थानान्तरण करवाने नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय में गई तो बकाया निकाल दिया गया। ऐसा किसी कर्मचारी की मिलीभगत से हुआ है जिसकी जांच करके दोषी को दण्डित किया जावे और बकाया भी उन्हीं से जमा करवाया जावे।

इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने पत्र दिनांक 6.10.10 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्लाट के मूल आवंटी श्री एस.के.मेहता को दिनांक 8.12.06 को विक्रय की अनुमति दी गई थी। उसे कोई अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। विक्रय की अनुमति से पूर्व नगरीय कर, निर्माण न करने की शास्ति व दस वर्ष पूर्व बेचान की शास्ति लेनी चाहिए थी। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 15.9.11 के द्वारा यह भी अवगत कराया कि दिनांक 3.8.11 को भूखण्ड को परिवादिया के नाम परिवर्तित कर दिया गया है तथा दोषी पाये गये लोकसेवक श्री रामेश्वर दयाल मीणा, कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 25.3.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में यह परिवाद दिनांक 16.9.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 84. एफ.16(29)लोआस/2010

यह शिकायत श्री रजनीश गुप्ता, अप्रवासी भारतीय ने दिनांक 14.5.10 को इस आशय की प्रस्तुत की कि उसने भूखण्ड संख्या के-42, इन्कम टैक्स कोलोनी, टोंक रोड, जयपुर को श्रीमती राजेन जिन्दल पत्नी श्री वी.एन.जिन्दल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था और जयपुर विकास प्राधिकरण में नियमानुसार राशि जमा करवाकर पट्टा अपने नाम अंतरित करवा लिया था। परिवाद में आरोप लगाया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके पट्टे में कांट-छांट कर उसे बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रकरण में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकार, जयपुर ने दिनांक 19.11.10 को विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि परिवादी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 269/10 में न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 19.5.10 से यह निर्देशित किया गया है कि भूखण्ड संख्या के-42 का पट्टा निरस्त नहीं किया जावे परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर संशोधित पट्टा व साइट प्लान न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.5.10 के पूर्व ही जारी किया जा चुका था। न्यायालय के आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न तो भूखण्ड का पट्टा विलेख निरस्त किया गया है और न ही निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत अपील को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही पृथक से करवाई जा रही है। परिवादी श्री रजनीश गुप्ता द्वारा जविप्रा अपीलीय अधिकरण में दायर रेफरेन्स अभी विचाराधीन है। पत्र दिनांक 26.11.10, 12.1.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्लाट का नियमन किये जाने में हुई अनियमितता के संबंध में **श्री हीरालाल, उप नगर नियोजक के विरूद्ध दिनांक 6.1.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत** ज्ञापन दिया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। पत्र दिनांक 29.12.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री हीरालाल मुख्य को नगर नियोजक कार्यालय से दिनांक 30.6.01 को सेवानिवृत्ति पश्चात अन्य कर्मचारियों की भांति संविदा पर रखा गया था। संविदा पर कार्यरत रहने के दौरान् उक्त कार्यवही में दोषी पाये जाने पर इन्हें प्राधिकरण से हटा दिया गया है जिस पर परिवादी को पत्र दिनांक 16.1.12 के द्वारा यह सलाह देते हुए कि वह अपने प्रकरण में दीवानी अधिकार प्रवृत्त करने के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करें, यह प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 85. एफ.16(67)लोआस/2010

परिवादी श्री मनोज शर्मा निवासी 30, विकास पथ, अलवर ने यह शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय सहायक श्री रामेश्वर दयाल मीणा ने विरूद्ध भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर प्लाट संख्या 8 स्कीम नं. 13, केशव नगर, अलवर के पेटे 20 वर्ष की निर्माण शास्ति रूपये 80,000/- नहीं लेकर राजकोष को हानि पहुंचाई है जिसके लिए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। जिला कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक 6.4.11 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की कराई गई जांच में लोकसेवक श्री रामेश्वर दयाल मीणा, कार्यालय सहायक के विरूद्ध शिकायत में लगाया गया आरोप सही पाये जाने पर उसके विरूद्ध दिनांक 25.3.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ की जा चुकी है। निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के पत्र दिनांक 16.11.11 के अनुसार उक्त निर्माण शास्ति की राशि रूपये 80,000/- रसीद



दिनांक 15.11.11 के द्वारा न्यास कोष में जमा करवादी गई है। ऐसी स्थिति में यह परिवाद दिनांक 18.11.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 86. एफ.16(118)लोआस/2010

श्री सत्यनारायण सोनी निवासी विजय बाड़ी, गली नं. 2, तीन दुकान, सीकर रोड, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 10.11.10 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमती इन्दिरा वर्मा बारोठ जाति की है जो ओ.बी.सी. में आती है, परन्तु श्रीमती इन्दिरा वर्मा पुत्र श्री मगन लाल वर्मा ने ढोली जाति, जो कि अनुसूचित जाति में आती है, का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति कोटे से आवासन मण्डल से आवास संख्या 6/190, शिवाजी नगर, डूँगरपुर का आवंटन करवा लिया जिसे निरस्त कराया जावे। श्रीमती इन्दिरा वर्मा के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज न करवाने के लिए जिम्मेदार व गलत जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे तथा आवास का आवंटन निरस्त करवाया जावे। साथ ही गलत जाति प्रमाण पत्र को भी निरस्त कराया जावे।

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 31.1.11 एवं 4.4.11 के द्वारा परिवादी के दावे की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि श्रीमती इन्दिरा वर्मा को अनुसूचित जाति कोटे से मध्यम आर्य वर्ग ''ब'' श्रेणी का उक्त आवास का आवंटन दिनांक 22.3.02 को किया गया था एव आवंटी द्वारा मकान के पेटे पूर्ण राशि जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र जारी करवाकर पंजीयन भी करवा लिया गया है। इस संबंध में दिनांक 17. 10.11 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 260/11 पुलिस थाना, कोतवाली, डूँगरपुर में तथा बाद में मामला खेरवाड़ा पुलिस थाने से संबंधित होने पर दिनांक 3.10.11 को एफ.आई.आर. सं. 277/11 पुलिस थाना, खेरवाड़ा में दर्ज करवादी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 1990 गलत जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले तत्कालीन तहसीलदार, डूँगरपुर श्री मोहन लाल शर्मा, जो कि बाद में आर.ए.एस. में पदोन्नत होकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवा दिये गये हैं। वर्तमान में उक्त एफ.आई.आर. सं. 277/11 में अनुसंधान की प्रगति की जानकारी चाही जा रही है।

## 87. एफ.16(168)लोआस/2010

यह परिवाद श्री मनोज कुमार जैन, निवासी सुभाष बाजार, टोंक ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमती उषा मंगल पत्नी श्री विमल कुमार गोयल निवासी दरबार स्कूल के सामने, सुभाष बाजार, टोंक ने आई.डी.एस.एम.टी. योजना में भूखण्ड के लिए आवेदन किया था। श्रीमती उषा मंगल ने आवेदन में क्रमांक 75 पर अपनी समस्त स्रोतों की सकल आय 2500 रूपये मासिक बताई थी एवं इस बाबत मिथ्या शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया कि उनके व किसी अन्य सदस्य के पास आवेदन करते समय कोई भूखण्ड या प्लाट नहीं है। परिवादी का आरोप है कि श्री राजेन्द्र जोशी, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, टोंक ने नगर परिषद की भूमि का संरक्षक होने के बावजूद भी श्रीमती उषा मंगल के द्वारा मिथ्या साक्ष्य एवं मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर कपटपूर्वक आवंटन करवाये गये भूखण्ड को निरस्त करवाने के लिए प्रकरण तैयार करवाकर केवल एक दफा नोटिस देने के अलावा कोई विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की।

इस शिकायत के संबंध में स्थानीय निकाय विभाग से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर यह अवगत कराया गया कि शिकायत की जांच करने पर लोकसेवक श्री राजेन्द्र जोशी को दोषी पाया गया। श्री जोशी को दिनांक 24.11.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन दिया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है। प्रकरण में लीज डीड को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद भी दायर कर दिया गया है व एफ.आई.आर. सं. 279/2011 अन्तर्गत धारा 420 भादस भी पुलिस थाना, कोतवाली टोंक में दर्ज की जा चुकी है।

## 88. एफ.23(11)लोआस/2003

यह प्रकरण श्री शैलेन्द्र गोदारा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, चारणवाला ब्रान्च, जीरो आर.डी., भारेवाला तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर की शिकायत पर दिनांक 17.10.03 को दर्ज किया गया। परिवाद में अभियन्ताओं पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिये अवैध रूप से ठोकरे बनाने, पानी बेचने, अवैध बांध बनाने में सहयोग देने के आरोप लगाये गये।

इस प्रकरण में सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.10.04 के द्वारा अवगत कराया कि चारणवाला शाखा की बुर्जी जीरो से अंतिम छोर तक चार ठोकरों को छोड़कर बाकी ठोकरे व बंधे बिना स्वीकृति के पाये गये हैं। चक 1,13,19,21 सीडब्ल्यूबी के मोघों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 29.1.08 को निरस्त होने के फलस्वरूप इन मोघों को निर्धारित पानी लेने हेतु दुरूस्त कर दिया गया है।

यह भी अवगत कराया गया कि चारणवाला शाखा आर.डी. 0 से 90 तक निर्माण के बाद राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987 में जलांक 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ से घटाकर 3.00 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ किये जाने के कारण नहर के पूर्ण क्षमता में बहाव में कमी आ गई। अतः निर्मित सिंचाई प्रणाली को कामयाब करने की दृष्टि से संदर्भित ठोकरों का निर्माण किया गया ताकि कमाण्ड क्षेत्र अनकमाण्ड में परिवर्तित न हो तथा निर्मित नहर का डिजाइन पूर्ण भराव स्तर पर बनाई रखी जा सके। फिलहाल नहर में निर्मित ठोकरों से जल वितरण में कोई बाधा नहीं आ रही है।

सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 7.8.09 एवं 13.1.11 के द्वारा अवगत कराया कि इस प्रकरण में श्री पी.आर.सोनी, अधिशाषी अभियन्ता, चारणवाला शाखा खण्ड-II, इगानप, बीकमपुर के विरूद्ध कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 23.7.09 को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई थी जिसे पुनः परीक्षण के पश्चात् दिनांक 15.7.11 को 16 सीसीए में बदल लिया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

## 89. एफ.23(2)लोआस/2010

यह शिकायत श्री गुलाम फरीद पुत्र श्री नजीर खां, निवासी गंगाशहर रोड, सुनारों की बगीची के पीछे, बीकानेर ने प्रस्तुत की। शिकायत में लोकसेवक श्री गुलाम मुस्तफा, पटवारी, 18

एस.पी.डी., जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़ के विरूद्ध बिना अवकाश लिये व बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के दिनांक 25.10.07 व 10.10.08 को न्यायालय में उपस्थित होने व कार्यालय में उपस्थिति भी दर्ज करने तथा विभिन्न तारीखों पर स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने आदि के संबंध में आरोप लगाये गये। शिकायत के संबंध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत में लगाये गये आरोपों के संबंध में लोकसेवक के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच की गई जिसमें दोष सिद्ध होने पर उसे कार्यालय आदेश दिनांक 23. 12.11 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 90. एफ.31(11)लोआस/2008

यह शिकायत श्री बाबू लाल चावला, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक संस्थान, एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर की शिकायत पर पंजीबद्ध हुई जिसमें श्री जी.आर.गुप्ता, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध पद के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर की गई जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 15.3.11 के अनुसार श्री जी.आर.गुप्ता के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के पश्चात् महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 19.1.11 को 16 सीसीए एवं सपठित राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 7 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। श्री जी.आर.गुप्ता पर लगाये गये आरोप ये हैं कि उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र जयपुर के पद पर कार्यरत रहते वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदान एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर के जांच दल को मीमो देने पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया तथा उन्होंने पूर्व निविदा दरों का ध्यान रखे बिना पंचायत समिति, नीमराना, जिला अलवर में रेतीले धरातल में हैण्डपम्प निर्माण की निविदा संख्या 155/06-07 में 'जी' सारणी में 15 प्रतिशत अधिक दर पर निविदा स्वीकृत कर राजकोष को 2.25 लाख रूपये की हानि पहुंचाई। विभागीय जांच अभी विचाराधीन है। पत्रावली दिनांक 23.9.11 को नस्तीबद्ध की जा चुकी है।

## 91. एफ.31(17)लोआस/2009

यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर 11 दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरूद्ध एक साथ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। यह प्रकरण श्री विकास कुमार द्वारा श्री रमेश भाटिया, गली नं.3, नजदीक एमएम पब्लिक स्कूल, हरदीपसिंह कॉलोनी, श्रीगंगानगर की शिकायत पर दिनांक 27.10.09 को पंजीबद्ध किया गया।

शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि श्रीगंगानगर वृत के अन्तर्गत शहर खण्ड, श्रीगंगानगर की ओर से नेशनल हाईवे संख्या 15 पर कृषि भूमि पर दो लाख वर्गमीटर क्षेत्र पर विकसित निजी कॉलोनी ''होमलैण्ड सिटी'' को दिनांक 17 फरवरी, 2007 को नियमों के विरूद्ध अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए

मात्र 4,357/- रूपये में 10 इंच की राइजिंग मैन पाइपलाइन में से 2 इंच का पेयजल कनेक्शन घरेलु श्रेणी में जारी कर दिया गया जबकि विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पास भी राइजिंग मेन पाइपलाइन से कनेक्शन देने की शक्ति नहीं है। परिवादी के अनुसार जांच करने पर उक्त कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र भी नहीं मिला, केवल यही पता चला कि संजीव मित्तल नाम के किसी शख्स ने होमलैण्ड सिटी में अपने निवास के लिए घरेलु कनेक्शन की मांग की थी और उसी के आधार पर उक्त कनेक्शन जारी कर दिया गया जिसके लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने विभागीय पत्र दिनांक 26.3.10 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता उत्तरदायी पाये गये हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। साथ ही प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी संदर्भित कर दिया गया है। दिनांक 26.3.07 को उक्त कनेक्शन काट दिया गया है।

कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 24.1.12 के अनुसार जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत तथा नगर खण्ड, श्रीगंगानगर के निम्नलिखित अभियान्तागण के विरूद्ध दिनांक 23.1.12 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है :-

1. श्री रूपाराम, तत्कालीन अधीशाषी अभियन्ता
2. श्री अजय कुमार बजाज, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता
3. श्री दिनेश कुमार नागौरी, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता
4. श्री सुधीर कुमार भण्डारी, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता
5. श्री विनोद जैन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक
6. श्री भारतभूषण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता
7. श्री आशीष गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता
8. श्री जसराम, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता
9. श्री मुंशीलाल मनचंदा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता
10. श्री देवपाल गिरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता
11. इसके अतिरिक्त श्री विनोद कुमार जैन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड, रायसिंहनगर को अधिशाषी अभियन्ता की सील लगा कर अनधिकृत रूप से हस्ताक्षर करने के आरोप में 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया जाकर विभागीय जांच की जा रही है।

उक्त विभागीय जांच अभी विचाराधीन है।

## 92. एफ.32(17)लोआस/2007

यह शिकायत श्री राजेश कुमार, मंत्री, आशा शिक्षा समिति, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर ने दिनांक 31.1.08 को प्रस्तुत की। शिकायत में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित डा.भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, छाण, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर में शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा क्रय में गड़बडियां करने का आरोप लगाया गया।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 11.8.10 के अनुसार श्री सतीशचन्द मीना, तत्कालीन प्रधानाचार्य (मूल पद व्याख्याता हिन्दी), श्री नेत्रपाल गौतम, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक एवं श्रीमती सुमित्रा बसवाल, तत्कालीन वार्डन (मूल पद अध्यापिका) को उक्तानुसार दोषी पाये जाने पर **16 सीसीए** के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिये जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। इसके पश्चात् विभाग को विभागीय कार्यवाही की नवीनतम स्थिति से अवगत कराने हेतु लगातार लिखा जा रहा है। विभागीय जांचें अभी तक लंबित हैं। **विभागीय कार्यवाही** प्रारंभ कर दिये जाने के फलस्वरूप पत्रावली को दिनांक 13.5.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 93. एफ.32(18)लोआस/2007

यह शिकायत श्री पांचूराम भाटी पुत्र श्री मालूराम भाटी, ग्राम जावा, तहसील डेगाना, जिला नागौर ने श्रीमती लक्ष्मी भाटी, महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, डेगाना के विरूद्ध फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रस्तुत की। इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर की गई जांच में श्रीमती लक्ष्मी भाटी को दोषी पाया गया। श्रीमती भाटी के विरूद्ध दिनांक 5.8.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी लंबित है।

## 94. एफ.32(9)लोआस/2008

श्री राम लाल मीणा, अध्यक्ष, राजस्थान ग्रामीण विकास समिति, उनियारा, टोंक ने यह शिकायत प्रस्तुत कर श्रीमती पुष्पा कांटिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी, देवली के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप लगाये। परिवाद के साथ अतिरिक्त कलक्टर, प्रशासन, टोंक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 19.10.06 की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की गई जिसमें जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न आरोपों को सारवान पाया गया था।

शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.4.10 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत पर की गई जांच में यह पाया गया कि श्रीमती पुष्पा कांटिया, बाल विकास परियेाजना अधिकारी, देवली ने 138 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रूपये 81,000/- की स्टेशनरी बिना औचित्य के खुली निविदा के बजाय टुकड़ों में कर वित्तीय अनियमितता की, 138 केन्द्रों के लिए सीमित निविदा से खिलौने खरीदे, परन्तु निविदा में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, 4 चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों में

परिवर्तित किये जाने के लिए केन्द्रों पर आवश्यक चित्रकारी, लिखाई, चित्रित कहानियां, गिनती व फल-सब्जी के चित्र नहीं बनवाये और अधूरा कार्य होने पर भी फर्म को भुगतान कर दिया। अतः श्रीमती पुष्पा कांटिया को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच की गई।

विभागीय जांच में उक्त आरोपों के साथ-साथ कुछ अन्य आरोपों के संबंध में दोषी पाये जाने पर आदेश दिनांक 20.9.11 के द्वारा श्रीमती पुष्पा कांटिया, तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, देवली को **दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। तदुपरान्त यह प्रकरण दिनांक 17.11.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 95. एफ.35(12)लोआस/2001

यह शिकायत श्री एस.के.अग्रवाल, सी-20, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर ने दिनांक 11.5.01 को की। शिकायत में डा. बलवीर तोमर के इण्डियन मेडीकल ट्रस्ट द्वारा ग्राम जुगलपुरा, तहसील आमेर की सिवायचक भूमि खसरा नं. 517, 518, 688/734, सड़क भूमि खसरा नं. 515, 363 व चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने व नियमों के विरूद्ध निर्माणकार्य करवाये जाने के आरोप लगाये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर शिकायत की जांच कराये जाने पर पाया गया कि ग्राम जुगलपुरा के खसरा नं. 363 रकबा 1 हेक्टेयर किस्म गैरमुमकिन रास्ता के रकबा 87 गुणा 6 फीट अर्थात् 522 वर्गफुट भूमि राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। इस भूमि पर संचालक, इण्डियन मेडीकल ट्रस्ट (निम्स) द्वारा पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिनांक 23.6.04 को जारी किये गये। उक्त सम्पर्क सड़क ग्राम चिताणु 3 किमी डामर सड़क मूलतः राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सन् 1987-88 में बनाई गई थी। राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह सड़क रख-रखाव हेतु दिनांक 27.1.96 को स्थानान्तरित की गई थी। दिनांक 28.2.02 को उक्त सड़क वापिस कृषि विपणन बोर्ड को स्थानन्तरित की गई।

जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्र दिनांक 10.5.05, 17.12.09 के अनुसार न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर दिये जाने के कारण अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। दोषी कार्मिक **श्री केसर सिंह जाखड़, तत्कालीन पटवारी**, पटवार हलका सिरसली, तहसील आमेर के विरूद्ध 31.8.09 को **17 सीसीए के** अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। पत्र दिनांक 11.8.10 के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 31/05 को निर्णय दिनांक 25.8.06 द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध सिविल विविध अपील संख्या 108/2006 अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी इण्डियन मेडीकल ट्रस्ट बनाम सरकार जरिये तहसीलदार आमेर दायर की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा दिनांक 31.8.06 को यथास्थिति के आदेश पारित किये गये।

जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्र दिनांक 20.9.10, 9.12.10 एवं 3.3.11 के अनुसार दिनांक 16.3.03 से 23.2.05 के मध्य यथास्थिति के आदेश नहीं थे, अतः उक्त अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर लापरवाही रही। उक्त अवधि में सहायक अभियन्ता, आमेर के पद पर पदस्थापित रहे सहायक अभियन्तागण सर्वश्री **वी.के.जैन, एन.के.जोशी एवं आर.के.लूथरा** के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को दिनांक 11.2.11 को लिखा जा चुका है। अपील संख्या 108/2006 में यथास्थिति के आदेश अभी तक भी प्रभावी होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

## 96. एफ.35(37)लोआस/2008

यह शिकायत श्री पूनाराम मेघवाल निवासी ग्राम झूपेलाव, पोस्ट चाडवास, तहसील सोजत, जिला पाली ने प्रस्तुत की। शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, पाली ने अपने पत्र दिनांक 28.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच कराये जाने पर **श्री बजरंग लाल, तत्कालीन ग्राम सेवक** एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, झूपेलाव, पंचायत समिति, सोजत को वर्ष 2004-05 में सी.डी.पी. योजनान्तर्गत ग्राम झूपेलाव में स्वीकृत वृक्षारोपण एवं खाई फेन्सिंग का कार्य मजदूरों के बजाय जे.सी.बी. मशीन से करवाये जाने व कार्य मजदूरों से करवाया जाना दर्शाते हुए फर्जी रूप से मस्टररोल बना कर रूपये 1,26,060/- का दुर्विनियोजन करने का दोषी पाया गया है। श्री बजरंग लाल के विरूद्ध **16 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है। अन्य लोकसेवक **श्री भीकाराम चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता** के विरूद्ध **17 सीसीए** का मामला नहीं बनने के कारण कार्यवाही ड्रॉप करदी गई है। इस शिकायत को दिनांक 20.1.12 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

## 97. एफ.35(85)लोआस/2008

परिवादी श्री भोलाराम चौधरी निवासी महरमपुर जिला झुन्झूनू ने अपनी इस शिकायत में राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना क्षेत्र महरमपुर, पंचायत क्षेत्र, सोलाना, पंचायत समिति, चिड़ावा जिला झुन्झूनू में करवाये गये कार्यो में गबन के आरोप लगाये।

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.6.09 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत में लगाये गये आरोपों के संबंध में की गई जांच में जोहड़ खुदाई निरपाणा के मस्टररोल के भुगतान में अनियमितता पाये जाने पर पुलिस थाना, चिड़ावा में एफ.आई.आर. संख्या 134/09 अन्तर्गत धारा 409 आईपीसी दर्ज करवादी गई है। भुगतान में पर्यवेक्षण अधिकारी की उदासीनता के लिए उत्तरादायी लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं। चैक के स्थान पर नियमविरूद्ध तरीके से नगद भुगतान करने के लिए भी दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये है।

पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ने अपने पत्र दिनांक 4.3.10 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त एफ.आई.आर. संख्या 134/09 में एफ.आर. नं. 102/6.10.09 अदम वकू गलत फहमी में दिनांक 24. 10.09 को न्यायालय में पेश करदी गई है।

यह भी अवगत कराया गया कि **श्री बी.के.श्रीवास्तव**, **सहायक अभियन्ता, भू-संरक्षण,** जिनके पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना क्षेत्र महरमपुर ग्राम पंचायत सोलाना में निरपाणा जोहड़ खुदाई का कार्य करवाया गया था, ने कार्य ट्रेक्टर से करवा कर बाद में रिकार्ड बनाने के लिए मजदूरी के काल्पनिक नामों से रिकार्ड तैयार करवा कर रूपये 75,506/- हेराफेरी की। **श्री विक्रम सिंह कटेवा, कनिष्ठ अभियन्ता** को भी इस संबंध में दोषी पाया गया। अत: उक्त दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध दिनांक 9.9.10 को **17 सीसीए** के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।

इसी शिकायत के संबंध में की गई जांच में पाया गया कि **श्री नरेन्द्र सिंह बीका**, अधिशाषी अभियन्ता, भू-संसाधन, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, झुन्झूनू ने उक्त परियोजना में खाद-बीज क्रय राशि रूपये 85,385/- का भुगतान चैक के बजाय नियमविरूद्ध तरीके से नगद कर दिया व योजना का लाभ केवल गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषि श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को ही दिया जाना था, परन्तु श्री बीका ने इसका लाभ राजकीय कर्मचारियों व सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों को भी प्रदान कर दिया जिसके संबंध में श्री बीका के विरूद्ध दिनांक 9.9.10 को **17 सीसीए** के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है।

इसी प्रकार **श्री श्योपाल सिंह**, **तत्कालीन विकास अधिकारी**, पंचायत समिति, चिड़ावा को उक्त परियोजना में खाद, बीज की क्रय राशि रूपये 63,800/- का भुगतान चैक के बजाय नियम विरूद्ध तरीके से नकद करने पर पर्यवेक्षणीय लापरवाही के आरोप में दिनांक 20.9.10 को **17 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर उसके विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है।

**श्री धर्मवीरसिंह पूनिया, तत्कालीन विकास अधिकारी** एवं **राजकुमार सोनी, कनिष्ठ अभियन्ता,** पंचायत समिति, चिड़ावा को उक्त परियोजना में खाद, बीज क्रय राशि रूपये 27,370/- का चैक के बजाय नियमविरूद्ध तरीके से नगद भुगतान करने पर पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए दिनांक 20.9.10 को **17 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है।

विभागीय जांच के उपरान्त **श्री राजकुमार सोनी**, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, **श्री धर्मवीर सिंह पूनिया,** तत्कालीन विकास अधिकारी एवं **श्री श्योपाल सिंह,** तत्कालीन विकास अधिकारी को दोष प्रमाणित पाये जाने पर तीन विभिन्न आदेश दिनांक 4.7.11 के द्वारा **एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

**श्री बी.के.श्रीवास्तव**, सहायक अभियन्ता, **नरेन्द्र सिंह बीका,** अधिशाषी अभियन्ता एवं **श्री विक्रम सिंह कटेवा** को दो विभिन्न आदेश दिनांक 2.1.12 के द्वारा **एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। श्री बी.के.श्रीवास्तव व श्री नरेन्द्र सिंह बीका सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.6.03 के अनुसार 17 सीसीए के अन्तर्गत दिये गये दण्ड का अभित्याग मान लिया गया है।

## 98. एफ.35(11)लोआस/2010

यह परिवाद श्री गोकुलनाथ झा, सेवानिवृत्त व्याख्याता ने दिनांक 9.4.10 को इस आशय का पेश किया कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़, अलवर से अगस्त, 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें कई बार लिखने पर भी 2006 का संशोधित वेतनमान नहीं मिला है।
इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 3.2.11 के द्वारा अवगत कराया कि श्री गोकुलनाथ झा की पेंशन की संशोधित अधिकृतियां जारी करदी गई हैं तथा संशोधित पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. व एडीशनल सी.पी.ओ. जारी कर दिये गये हैं।

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 5.7.11 के अनुसार मामले में कार्यवाही करने में विलम्ब के दोषी लोकसेवक श्री **गिरीश कुमार शर्मा,** वरिष्ठ लिपिक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़ एवं **श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,** वरिष्ठ लिपिक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजबपुरा, अलवर के विरूद्ध दिनांक 5.5.11 को **16 सीसीए** के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी विचाराधीन है।

## 99. एफ.35(24)लोआस/2010

इस प्रकरण में श्री भारतभूषण सक्सेना ने श्री ललित गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार, उपकोष, आमेर के विरूद्ध कार्यालय में हाजिरी लगा कर चॉइसेस्ट मीडिया प्रा.लि. फर्म में निजी व्यापार करने की शिकायत की। निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 30.8.11 व पत्र दिनांक 30.11.11 के अनुसार श्री ललित गुप्ता के विरूद्ध चॉइसेस्ट मीडिया प्रा.लि. के दस्तावेजों, भागीदारों के ब्रॉशर के विस्तृत परीक्षण, उक्त फर्म की निदेशक श्रीमती मनीला गुप्ता पत्नी श्री ललित गुप्ता व उपकोष, आमेर में लोकसेवक द्वारा किये गये कार्य एवं व्यवहारों के परिपेक्ष्य में जांच कराये जाने के उपरान्त श्री ललित गुप्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 18(3) के उल्लंघन के संबंध में 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है जो अभी लंबित है।

## 100. एफ.35(50)लोआस/2010

श्री अब्दुल सलीम, मुबारक मंजिल के पास, घोषियों का मोहल्ला, पांच बत्ती, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस शिकायत में श्री रामेश्वर खोखर, कनिष्ठ लेखाकार, जिला परिषद नरेगा, टोंक के विरूद्ध राजकीय

कर्मचारी होते हुए दो-दो पत्नियां रखने, उनके चिकित्सा पुनर्भरण बिल उठाने, बिना सक्षम अनुमति के रूपयों का लेन-देन करने व 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि खरीदने के आरोप लगाये गये।

शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 2.9.11 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी, टोंक से कराये जाने पर शिकायत में लगाये गये उक्त आरोप सही पाये गये। फलस्वरूप लोकसेवक **श्री रामेश्वर खोखर के विरूद्ध 16 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ की जा जाकर दिनांक 4. 11.11 को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

## 101. एफ.35(54)लोआस/2010

श्री छीतरमल बुनकर ने इस परिवाद में आरोप लगाया कि श्री अशोक कुमार पुत्र रामलाल बुनकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत है। इसके दादाजी ग्राम पंचायत, सिरसली में संविदा पर कार्यरत हैं। इसके दादाजी ने अपने परिवारजनों व ग्राम सचिव से मिल कर बी.पी.एल. श्रेणी में अपना नाम जुड़वा लिया जिसका क्रमांक 9559070 पी-10 है। इस व्यक्ति ने अपने नाम से स्वयं ने एक फर्जी पट्टा लिया जो अशोक कुमार के नाम ले लिया आदि।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.12.10 एवं 17.8.11 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, आमेर एवं प्रभारी अधिकारी, पंचायत शाखा से कराई गई। जांच में ग्राम पंचायत, सिरसली द्वारा जारी किये गये 10 पट्टे कानूनी प्रावधान के विपरीत व सक्षम व्यक्तियों को जारी किये के कारण निरस्त किये जाने योग्य पाये गये हैं। सभी 10 आवासीय भूखण्डों के पट्टों को निरस्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, तृतीय जयपुर के यहां निगरानी करवादी गई है। प्रकरण में दोषी पाये गये **सरपंच श्री कालूराम** एवं **सचिव श्री प्रभात बिहारी माथुर को** आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

## 102. एफ.35(64)लोआस/2011

यह प्रकरण राजस्थान पत्रिका में दिनांक 21 जून, 2011 के अंक में *'वन विभाग की जमीन आरटीडीसी ने निजी कम्पनी को दी-लीज विवाद में तिजारा फोर्ट'* के शीर्षक से छपे समाचार तथा दिनांक 22 जून, 11 के अंक में *'तिजारा फोर्ट लीज प्रकरण-रसूख के आगे नियम बौने'* के शीर्षक से छपे समाचार के आधार पर स्वप्रस्तावानुसार प्रसंज्ञान लिया जाकर संस्थित किया गया। समाचार पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.9.11 के द्वारा यह अवगत कराया कि श्री मोहन लाल खटनावलिया, उप पंजीयक, तिजारा (अलवर) (तहसीलदार) ने दिनांक 13.11.09 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम व मैसर्स नीमराना होटल्स प्रा.लि. के मध्य निष्पादित तिजारा फोर्ट के 60 वर्षीय अवधि हेतु लीज के दस्तावेज को राज्य अधिसूचना क्रमांक पं.2(26)वित्त/कर/98-45 दिनांक 22.5.03 के अन्तर्गत 2 वर्षीय औसत किराया एवं एडवान्स राशि को शामिल कर कुल मालियत राशि 60,14,072/- पर

क्रमांक 2363/09 पर पंजीबद्ध कर स्टाम्प ड्यूटी रूपये 34,53,316/- की राजस्व हानि पहुंचाई। इस आरोप के संबंध में श्री खटनावलिया के विरूद्ध **16 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर को दिनांक 17.8.10 को भिजवा दिये गये हैं।

पत्र दिनांक 20.12.11 के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में इस संबंध में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/10 में दिनांक 16.9.11 का निर्णय दिनांक 22.11.11 को होकर राशि रूपये 69,06,632/- की वसूली कायम की गई है एवं श्री मोहन लाल खटनावलिया के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है।

वन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 19.1.12 के द्वारा अवगत कराया है कि लीज डीड पर दिया गया किला वनक्षेत्र में आता है। वन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है बल्कि उक्त किले को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विधिवत वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति जारी की गई है।

## 103. एफ.35(92)लोआस/2011

## 104. लिंक एफ.11(155)लोआस/2010

श्री शंकर लाल यादव पुत्र श्री देवाजी यादव, निवासी-सी-13, कबीर नगर, एचबी फेज 3, डूँगरपुर ने दिनांक 22.7.11 को शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि श्री मगन लाल वर्मा पुत्र श्री धन्नाजी बारोठ जाति के हैं जो कि ओ.बी.सी. में आती है। इन्होंने एवं इनकी पुत्रियों श्रीमती इन्दिरा वर्मा एवं श्रीमती मीना वर्मा ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा कर राजस्थान आवासन मण्डल के डूँगरपुर में आवास सं. एस.एफ. 28 एवं 6/90, 3/26 आंवटित करा लिया जो निरस्त कराया जावे। परिवादी ने श्री महिपाल यादव, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध दो पत्नियां रखने का भी आरोप लगाया। इस शिकायत पर परिवाद संख्या एफ.35(92)लोआस/2011 संस्थित किया गया। इसी तरह का एक अन्य परिवाद श्री सत्यनारायण सोनी ने दिनांक 10.11.10 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण संख्या एफ.11(155)लोआस/2010 संस्थित कर श्री शंकर लाल यादव के परिवाद के साथ लिंक किया गया।

परिवाद में लगाये गये आरोपों के संबंध में जिला कलेक्टर, डूँगरपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 18.11.11 द्वारा अवगत कराया कि जांच उपरान्त श्रीमती इन्दिरा वर्मा का जाति प्रमाण पत्र सं. 3773 दिनांक 13.9.90 गलत जारी किया जाना किया जाना पाये जाने पर तहसीलदार, डूँगरपुर के आदेश दिनांक 14.10.11 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। श्री महिपाल यादव, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला परिषद, डूँगरपुर के विरूद्ध दो पत्नियां रखने के आरोप में दिनांक 2.8.11 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। इसी शिकायत के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि जाति का प्रमाण पत्र शून्य व अवैध घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश दिनांक 13.2.12 के द्वारा श्री मगन लाल वर्मा को शिवजी नगर, डूँगरपुर में आवंटित आवास संख्या 3/26 का

आवंटन तथा श्रीमती मीना वर्मा को आवंटित आवास संख्या एसएफ-28 एचआईजी का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

## 105. एफ.40(2)लोआस/2010

परिवादी श्री अनिल कुमार शर्मा, पिटीशन राइटर, कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर ने दिनांक 19.11.10 को शिकायत प्रस्तुत कर श्रीमती मनोज शर्मा, तृतीय श्रेणी अध्यापिका पत्नी श्री अश्वनी कुमार शर्मा हाल कार्यरत राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिरस, तहसील निवाई जिला टोंक के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया।

शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि लोकसेविका श्रीमती मनोज शर्मा के विरूद्ध शिकायत में लगाये गये आरोपों के संबंध में 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में आय से अधिक सम्पत्ति का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया परन्तु उसे सूचना अधिकार के तहत् मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करने का दोषी पाया गया। अतः श्रीमती मनोज शर्मा को आदेश दिनांक 7.8.11 के द्वारा 1 **वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

## 106. एफ.41(5)लोआस/2010

परिवादी श्री भवानी शंकर शर्मा निवासी 391-ए, तलवण्डी कोटा हाल निवासी 1-डी-8-ए, एस.एफ.एस. कोलोनी, तलवण्डी, कोटा ने यह शिकायत दिनांक 6.9.10 को इस आशय की प्रस्तुत की कि वह एक वरिष्ठ नागरिक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी है। उसका पुत्र राजकुमार शर्मा दाउदयाल जोशी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, तलवण्डी, कोटा में कम्पाउण्डर के पद पर कार्यरत है। पुत्र से परिवादी का विवाद हो जाने के कारण परिवादी को किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। पुत्र द्वारा परिवादी के विरूद्ध झूँठा मुकदमा कर दिया गया था जिसके सिलसिले में उसने वैद्य दाउदयाल जोशी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, तलवण्डी, कोटा से सूचना के अधिकार के तहत् कुछ दस्तावेजात प्राप्ति हेतु आवेदन किया था। परिवादी का आरोप है कि उसे जानबूझ कर बिना किसी कारण के दस्तावेजात की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई। उसने यह भी आरोप लगाया कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा ने नकल प्राप्त करने के लिए 100/- की मांग की जो उसने दे दिये। जब परिवादी ने रसीद मांगी तो श्री योगेन्द्र कुमार ने तैश में आकर गालियां देते हुए धक्के देकर परिवादी को बाहर निकाल दिया। बाद में दिनांक 9.8.10 को दस्तावेजात की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। परिवादी ने श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध सूचना देने में कोताही करने व बिना रसीद रूपये 100/- प्राप्त करने के लिए उसे दण्डित करने की प्रार्थना की।

इस संबंध में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 10.11.10 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र दिनांक 8.4.11 व 4.5.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत की जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर वरिष्ठ चिकित्सक श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध दिनांक 9.3.11 को 17 सीसीए के अन्तर्गत ज्ञापन एवं आरोप पत्र दिया जाकर विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच में सूचना के अधिकार के तहत् दिये गये दस्तावेजों के संबंध में प्राप्त की गई शुल्क राशि में अनियमितता किया जाना पाये जाने पर आदेश दिनांक 2.5.11 के द्वारा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी जाकर 17 सीसीए की विभागीय जांच को समाप्त कर दिया गया है।

## 107. एफ.44(2)लोआस/2003

यह शिकायत श्री विक्रम सिंह, श्रीचामुण्डा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बूगांव, तहसील भीनमाल, जिला जालौर द्वारा प्रस्तुत की गई। शिकायत में यह कथन किया गया कि वाणिज्य कर विभाग, पाली द्वारा जालौर जिले में वाणिज्य कर वसूली के ठेके हेतु निकाली गई निविदा सूचना दिनांक 13.1.01 में 31 महत्वपूर्ण शर्ते थी। यह ठेका मेसनरी स्टोन, खण्डे, कंकरी का हुआ था जो रानीवाड़ा तहसील के मंगलाराम के नाम हुआ, परन्तु वाणिज्य कर अधिकारी श्री सागरमल चौधरी ने स्वयं एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 31 शर्तों में से महत्वपूर्ण शर्तो को छोड़ते हुए केवल 23 शर्तो पर ही दिनांक 4.10. 01 को अनुबन्ध कर राजकोष को हानि पहुंचाई। परिवादी का आरोप है कि निविदा 31वीं शर्त में स्पष्ट लिखा था कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायियों से ठेकेदार विक्रय कर वसूल नहीं करेगा बल्कि वे पूर्व के अनुसार ही वाणिज्य कर विभाग में जमा कराते रहेंगे। परन्तु श्री सागरमल चौधरी, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अनुबन्ध में इस महत्वपूर्ण शर्त को हटा दिया गया जिससे पंजीकृत व्यापारियों से 50 से 60 लाख रूपये का कर राजकोष में जमा नहीं होकर सीधे ठेकेदार के पास जमा हो गया और इसका सीधे-सीधे लाभ ठेकेदार को हुआ और इतनी ही हानि राजकोष को हुई।

शिकायत के संबंध में आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 4.10.07 में आरोप को सही बताते हुए जिम्मेदारी तय कर सूचित करने हेतु बताया गया। यह भी बताया गया कि ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार बकाया मांग राशि रूपये 21.11 लाख सृजित की गई है जिसमें से रूपये 12.22 लाख की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा स्थगन दिया हुआ है।

पत्र दिनांक 21.12.09 के द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार व जमानतियों से इस प्रकरण में अब तक 2,18,000/- रूपये की वसूली की जा चुकी है। दोषी ठेकेदार के पास कुर्की योग्य अचल सम्पत्ति नहीं होने से वसूली नहीं हो पा रही है। कुर्की वारंट जारी किये जाकर बकाया वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। स्थगन को वेकेट करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वाद ड्यू कोर्स में है। पत्र दिनांक 8.11.10 के अनुसार उक्त 2,18,000 रूपये के अतिरिक्त बाकीदार मंगलाराम से 35,000 रूपये, जमानती से रूपये 25,000/- कुल 60,000 रूपये वसूल किये जा चुके हैं। शेष 6,11,000/- की वसूली के लिए बाकीदार एवं जमानतियों से वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी करने दिये जाने पर दिनांक 30.10.10 को

बाकीदार के गांव तवाब, तहसील भीनमाल के खसरा नं. 1263 की 7.26 हेक्टेयर भूमि, जिसमें श्री मंगलाराम का 2/3 हिस्सा है, को वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा कुर्क करके कब्जे राज लिया गया है। कुर्कशुदा जमीन को सार्वजनिक नीलामी कर वसूली के प्रयास किये जा रहे है।

पत्र दिनांक 31.5.11 के साथ वित्त (कर) विभाग के पत्र क्रमांकः प.8(36)वित्त/कर/07 दिनांक 6.10. 08 की प्रति संलग्न कर भिजवाते हुए सूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा श्री सागरमल चौधरी, वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरूद्ध **16 सीसीए** की प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाही को संबंधित दस्तावेजों एवं अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर समाप्त कर दिया गया है।

## 108. एफ.44(4)लोआस/2003

यह ध्यान में लाये जाने पर कि ग्राम कालवाड़ जिला जयपुर में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत एवं लापरवाही के चलते मैसर्स इण्डियन स्टोन क्रेशर के द्वारा अवैध रूप से खनन एवं स्टोन क्रेशर का कार्य किया जा रहा है, यह प्रकरण स्वप्रस्तावानानुसार दिनांक 28.4.03 को संस्थित किया गया।

प्रकरण में लम्बे समय तक कार्यवाही चली। अंततोगत्वा यह तथ्य सामने आये कि मैसर्स इण्डियन स्टोन क्रेशर अपंजीकृत इकाई थी एवं करापवंचन में भी लिप्त थी व स्टोन क्रेशर का कार्य भी कर रही थी, इसके बावजूद उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 26.9.11 एवं 14.10.12 के अनुसार उक्त फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने में लापरवाही के लिए दोषी पाये गये लोकसेवक श्री राकेश कुमार मीणा, तत्कालीन वाणिज्यिक कर निरीक्षक को 17 सीसीए के अन्तर्गत दिनांक 8.4.11 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच में दोष साबित न होने पर आदेश दिनांक 20.9.11 के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करदी गई है। पत्रावली दिनांक 16.11.11 को नस्तीबद्ध करदी गई है।

## अध्याय–5

# अनुतोष के प्रकरण

### 1. एफ.3(56)लोआस/2010

### 2. लिंक फाइल एफ.3(195)लोआस/2010

परिवादी श्री जुगलकिशोर सांखला, निवासी त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने यह शिकायत दिनांक 27.5.10 को प्रस्तुत की। शिकायत में कथन किया गया कि उसने चंचल बिहार कोलोनी, कुन्हाड़ी, कोटा में अवस्थित प्लाट नं.28 को श्री श्रवण कुमार बंसल से वर्ष 2005 में क्रय किया था। उस पर चारदीवारी बना कर गेट लगा दिया था। बीच–बीच में जाकर उसे संभालता रहता था। दिनांक 10.3.10 को कोटा जाने पर पता चला कि उस पर किसी नितेश श्रृंगी उर्फ लल्ला ने कब्जा कर लिया है। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94 दिनांक 12.3.10 को पुलिस थाना, कुन्हाड़ी में दर्ज करवाई। परिवादी का आरोप है कि ढाई माह गुजर जाने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा लल्ला के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 22. 7.10, 3.8.10, 14.10.10, 10.1.11, 2.10.11 एवं 20.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि अनुसंधान में लल्ला के विरूद्ध अपराध साबित होने पर उसे दिनांक 12.10.11 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। प्रकरण में बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 348/11.11.11 कता की जाकर चालान न्यायालय ए.सी.जे. (जे.डी.) जे.एम.नं.1 दक्षिण कोटा में दिनांक 24.11.11 को पेश किया जा चुका है। वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह पत्रावली दिनांक 5.1.12 को नस्तीबद्ध करदी गई है।

### 3. एफ. 5(59)लोआस/2008

श्रीमती तारादेवी ने दिनांक 17.9.08 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति स्व. श्री बनवारी लाल रैगर की मृत्यु पंचायत समिति, विराटनगर में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 18.8.03 को हो गई थी। उसने समय पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। परिवादिया ने प्रार्थना की कि उसे शीघ्र अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलाई जावे ताकि वह अपने बच्चों का पालन–पोषण कर सके।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 16.5.11 के अनुसार आदेश दिनांक 29.3.11 के द्वारा परिवादिया श्रीमती तारादेवी को चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करदी गई है। अनुतोष प्रदान कर दिये जाने पर पत्रावली दिनांक 1. 6.11 को नस्तीबद्ध की गई।

## 4. एफ.5(11)लोआस/2009

श्रीमती सरिता देवी, अध्यापिका, पूल बजट, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 27 ए, अनूपगढ़ ने दिनांक 15. 5.09 को यह शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि उसके पूर्व पदस्थापन स्थान से उसकी सेवापुस्तिका एवं निजी पत्रावली प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण उसे वेतनवृद्धि, समर्पित अवकाश, वेतन स्थिरीकरण एवं एरियर का भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है।

चूँकि परिवादिया स्वयं लोकसेवक होने के कारण परिवाद करने में सक्षम नहीं थी, इसलिये उसका परिवाद नस्तीबद्ध कर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 28.5.09 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 2.9.11 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती सरितादेवी, अध्यापिका का वेतन स्थिरीकरण कर, समर्पित अवकाश एवं बकाया एरियर सहित समस्त प्रकार के देय का भुगतान कर दिया गया है। **आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रकरण में विभाग द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को दर्शित करता है।**

## 5. एफ. 5(28)लोआस/2010

श्री विष्णु दत्त शर्मा निवासी मालाखेड़ा दरवाजे के बाहर, पील खाने के पास, अलवर ने यह शिकायत दिनांक 5.7.10 को प्रस्तुत की। परिवादी ने कथन किया कि वह दिनांक 18.6.98 से 12.5.99 तक पंचायत समिति, उमरैण में शिक्षकर्मी सहयोगी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहा था। उसके पश्चात् उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई थी तथा वह अपने मूल विभाग में चला गया था। राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर द्वारा पेंशन अंशदान की राशि वर्ष 1999 में ही जमा करवा देनी चाहिए थी, जो समय पर जमा नहीं करवाकर दिनांक 14.8.07 को जमा करवाई गई। इसके कारण निदेशक, पेंशन, जयपुर द्वारा रूपये 10,193/- ब्याज के मांगे जा रहे हैं। इस बारे में कई पत्र राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर को लिखे जा चुके हैं, किन्तु उसका पेंशन अंशदान पूरी तरह जमा न होने के कारण उसका सेवा सत्यापन का कार्य नहीं हो रहा है तथा उसको 20 वर्ष का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

इस शिकायत के संबंध में कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 27.7.11 के द्वारा अवगत कराया कि विदेशी सहायता से संचालित शिक्षाकर्मी बोर्ड का अस्तित्व 30.6.05 को समाप्त हो गया था। इससे पूर्व शिक्षाकर्मी बोर्ड ने पत्र दिनांक 4.5.05 द्वारा निदेशक, पेंशन विभाग को सूचित किया था कि यदि किसी भी कार्मिक का पेंशन अंशदान बकाया है तो दिनांक 30.6.05 से पूर्व अवगत करावें, किन्तु पेंशन विभाग द्वारा कोई प्रकरण बकाया नहीं बताया गया। अब परिवादी श्री विष्णुदत्त शर्मा के पेंशन अंशदान की राशि रूपये 15,120/- दिनांक 14.8.07 को जमा करवा दी गई है। विशेषाधिकारी, वित्त, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 24.10.11 के अनुसार परिवादी के प्रति पेंशन ब्याज प्रभार राशि रूपये 10,193/- को विभाग

के पत्र दिनांक 19.10.11 द्वारा माफ कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को दिनांक 17.11.11 को नस्तीबद्ध किया गया।

## 6. एफ. 5(71)लोआस/2010

श्रीमती दयाल प्यारी सक्सैना, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, दौलतगढ़ जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 15.12.10 को यह शिकायत इस आशय की प्रेषित की थी कि वह दिनांक 30.9.10 को सेवानिवृत्त हो गई थी, किन्तु उसे अभी तक अवकाश नकदीकरण एवं प्रावधायी निधि का भुगतान नहीं हुआ है जबकि उसे पी.पी.ओ. नं. 771704आर, जी.पी.ओ. नं. 799031आर एवं सी.पी.ओ. नं. 775075 आर प्राप्त हो चुके हैं।

इस परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 18.10.11 द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती दयाल प्यारी सक्सैना का राज्य बीमा अन्तर्गत भुगतान बिल नं.3 दिनांक 19.4.11 रूपये 2,07,247/- दिनांक 3.5.11 को, जी.पी.एफ. का अन्तरिम भुगतान बिल रूपये 9,60,330/- का दिनांक 8.12.10 को जमा करा दिया गया है। माह जुलाई एवं अगस्त, 2010 का 10 प्रतिशत बढी हुई महंगाई भत्ते की राशि रूपये 5,272/- दिनांक 28.3.11 के परिवादिया के खाते में जमा करादी गई है। इसी प्रकार अवकाश के बदले भुगतान की राशि रूपये 2,77,746/- भी दिनांक 2.8.11 को परिवादिया के बचत खाते में जमा करादी गई है।

## 7. एफ. 5(5)लोआस/2011

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक, राजकीय उच्च माध्य माध्यमिक विद्यालय, पारी, जिला चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 19.4.11 को शिकायत प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं. 13262/09 में दिये गये निर्णय की पालना में उसका वेतन स्थिरीकरण करवाये जाने की प्रार्थना की।

इस संबंध में कार्यवाही करने पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 9. 8.11 द्वारा अवगत कराया कि लेखाकार से जांच कराकर वांछित संशोधित वेतन स्थिरीकरण करा दिया गया है। **इस प्रकार शिकायत प्रस्तुत करने के लगभग 4 माह में ही परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो गया।**

## 8. एफ. 7(18)लोआस/2009

परिवादी श्री बंशीधर यादव, ग्रा.पो. जैतपुर खींची वाया अचरोल, जिला जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 22.3.10 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि जिला रसद अधिकारी श्री यू.डी.खान व श्रीमती आभा जैन, जिला रसद अधिकारी, ग्रामीण एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ओ.पी.यादव, जयपुर द्वारा राशन विक्रेता श्री गिरधारी लाल गूर्जर को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार कर बचाया जा रहा है। इन्हीं की मिलीभगत से यह लोगों को राशन नहीं देता है।

इस शिकायत पर कार्यवाही करने पर प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.8.10, 29.10.10, 27.12.10, 15.4.11 एवं 23.12.11 द्वारा अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये जाने पर डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 14.8.10 को निलम्बित कर दिया गया है। बार-बार राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता किये जाने पर डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 413/2010 पुलिस थाना, आमेर में दर्ज करवादी गई है जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 14.3.11 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर में चालान प्रस्तुत प्रस्तुत किया जा चुका है। न्यायालय खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पुनरीक्षण याचिका संख्या 78/09 गिरधारी लाल गूर्जर बनाम जिला कलेक्टर व अन्य को दिनांक 2.9.11 को खारिज किये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 23.9.11 के द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

## 9. एफ. 7(4)लोआस/2010

परिवादी श्री हरगोविन्द चौधरी, युवक कांग्रेस ई नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता, सुनार गली, बयाना ने दिनांक 27.8.10 को शिकायत प्रस्तुत कर भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित राशन डीलर हजारी लाल वार्ड नं. 6 तथा राम प्रकाश गर्ग वार्ड सं. 24 पर राशन सामग्री नहीं देने, फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सामग्री हड़पने, केरोसीन वितरण में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से घोटाला करने आदि के आरोप लगाये।

परिवादी द्वारा शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र मांगे जाने पर भी प्रस्तुत न करने पर यह परिवाद नस्तीबद्ध कर दिनांक 1.10.10 को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, भरतपुर को प्रेषित किया गया जिन्होंने पत्र दिनांक 19.7.11 एवं तत्पश्चात् 12.1.12 द्वारा अवगत कराया कि जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा उक्त दोनों डीलरों के अनुज्ञा पत्र निलम्बित कर दिये गये हैं। दोनों के विरूद्ध क्रमशः एफ.आई.आर. नं. 400/10 एवं 517/10 दर्ज करवादी गई है। तत्पश्चात् इनके प्राधिकार निरस्त कर उनकी जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करली गई है। एफ.आई.आर. नं. 517/10 में एफ.आर. नं. 123/11 बरूए अदम वकु झूठ दी जा चुकी है तथा एफ.आई.आर. नं. 400/10 में अनुसंधान लंबित है।

**आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।**

## 10. एफ. 8(8)लोआस/2011

यह शिकायत डा. किशन नारायण पुरोहित, सेवानिवृत खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलाड़ा, जोधपुर दिनांक 9.7.11 को प्रस्तुत की। इस पर कार्यवाही करने पर अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 2.12.11 के द्वारा अवगत

कराया कि डा. पुरोहित दिनांक 31.3.10 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें पेंशन विभाग द्वारा पी.पी.ओ. नं. 449088 एवं जी.पी.ओ. नं. 4800210 जारी कर दिये गये हैं। वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह परिवाद दिनांक 23.12.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 11. एफ. 9(7)लोआस/2010

परिवादी श्री जमील अहमद, निवासी बृजराजपुरा, मकबरा बाजार, कोटा ने यह शिकायत दिनांक 23.12.10 को प्रस्तुत की। शिकायत में कथन किया गया कि परिवादी की फर्म मैसर्स हबीबुल्लाह कॉन्ट्रेक्टर्स ने सार्वजनिक निर्माण विभाग वर्क आर्डर नं. 4530 दिनांक 18.9.07 एवं वर्क ऑर्डर नं. 4531 दिनांक 18.9.07 के अनुसार जिला परिषद मीटिंग हॉल, कोटा की पेन्टिंग का कार्य किया था। कार्य पूर्ण होने के बाद उसने दिनांक 15.10.07 को भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु 3 वर्ष 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शीघ्र दिलवाया जावे।

इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 8.3.11 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो पत्र दिनांक 2.5.11 के द्वारा प्राप्त हुआ। इसी बीच परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 12.4.11 द्वारा सूचित किया कि उसे दिनांक 30.3.11 को भुगतान प्राप्त हो गया है, अत: प्रकरण को बंद कर दिया जावे।

## 12. एफ. 9(11)लोआस/2011

## 13. एफ. 35(99)लोआस/2011

प्रकरण संख्या एफ.9(11)2011 परिवादी श्री सतीश अग्रवाल से प्राप्त शिकायत के आधार पर तथा प्रकरण संख्या 35(99)2011 परिवादी श्री ब्रहमानन्द से प्राप्त शिकायत के आधार पर संस्थित किया गया। दोनों ही शिकायतों में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के अधिशाषी अभियन्ता श्री रामेश्वर सिंह राजपुरोहित के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुचित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया।

इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई तो उन्होंने अवगत कराया कि श्री रामेश्वर सिंह राजपुरोहित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/07 दर्ज की जा कर अनुसंधान के पश्चात् आय से अधिक सम्पत्ति होने का मामला धारा 13(1)(ई) व 13(2) पी.सी. एक्ट के तहत् प्रमाणित पाया गया। प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को अभियोजन स्वीकृति के लिए लिखा गया परन्तु विभाग ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की राय लेकर मामला आय से अधिक सम्पत्ति का बनना नहीं बताया।

प्रबन्ध निदेशक, सड़क निगम ने अपने नवीन आदेश दिनांक 8.2.12 द्वारा पूर्व में अनुसंधान अधिकारी को सुने बिना ही अभियोजन स्वीकृति से मना करने के आदेश दिनांक 18.8.11 को निरस्त करते हुए

अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। **स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोकायुक्त सचिवालय द्वारा हस्तक्षेप करने पर अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।**

इस प्रकरण के परीक्षण से यह तथ्य प्रकट हुआ कि सक्षम प्राधिकारी ने भ्रष्ट लोकसेवक को बचाने हेतु अभियोजन स्वीकृति से इंकार करने के लिए एक अपूर्व प्रक्रिया अपनाई। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी ने मामले की जांच **निजी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवा कर उसकी राय के आधार पर बिना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सुनवाई या आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिये ही अभियोजन स्वीकृति देने से इंकार कर दिया। यही नहीं सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन स्वीकृति की पत्रावली को छः माह से अधिक समय तक रोके रखा।**

यह संभव है कि अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही हो। अतः मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को निम्नलिखित पत्र लिखकर अभियोजन स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक परिपत्र जारी करने हेतु सलाह दी गई :–

"The Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

F.35(99)LAS/2011/12254 Jaipur, dated: 28.02.2012

Sub:- Issuance of circular/guidelines to all the H.O.Ds. about according prosecution sanction under the Prevention of Corruption Act, 1988.

Ref:- Grant of prosecution sanction against Shri Rajeshwar Singh Rajpurohit, Superintending Engineer, R.S.R.D.C.

Dear Sir,

During the course of hearing of complaint No. F.35(99)LAS/2011, this office came to know about the unusual procedure adopted by the competent authority while considering request of grant of sanction for prosecution. The authority concerned chose to get the matter investigated by a private Chartered Accountant and on receipt of opinion of the Chartered Accountant, the request of sanction made by the A.C.B., was refused. Even no opportunity was given to the A.C.B. on the opinion given by the private Chartered Accountant. It was also noticed in that case that the competent authority retained the file for more than six months. It is possible that such things are being done by the other authorities also.

I have been directed to advise you that a circular be issued directing all the authorities to keep following guidelines in mind while according sanction for prosecution:-

(i) The authority competent to accord sanction should take final decision within four months from the date of receipt of letter of request by the A.C.B. as has been directed by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Civil Appeal No.1193 of 2012 Dr. Subramanian Swamy Appellant v. Dr. Manmohan Singh & Another.

(ii) The authority concerned may seek further clarification, if any, in the matter from the A.C.B. but the exercise is to be completed within aforesaid period of four months.

(iii) In no case the matter should be got investigated or inquired by any private agency. Even if in a case where peculiar facts exist and some investigation or inquiry is considered to be necessary, it should be got done by some Government agency other than A.C.B. but in that case if different opinion is received than the one given by the A.C.B., an opportunity should be given to the A.C.B. to explain the matter. But the entire exercise is to be completed within a period of four months.

It is requested that a copy of the circular issued to the above effect may kindly be sent to this Sachivalaya for placing it before Hon'ble Lokayukta.

Yours faithfully,
Sd/-
**(R.K.Bansal)**
Secretary"

उक्त पत्र के संदर्भ में अभी तक कोई परिपत्र/दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

## 14. एफ.10(16)लोआस/2009

परिवादी श्री मदन लाल सिडाना निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ने यह परिवाद दिनांक 21.8.09 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने विद्युत संबंध को स्वयं के नाम से स्थानान्तरित कराने व पुराने मीटर के स्थान पर नया थ्री फेज का मीटर लगा कर लोड़ बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया था। परिवादी का आरोप है कि जोधपुर डिस्कॉम ने उससे स्थाई शुल्क के नाम पर रूपये 3000/- अधिक वसूल कर लिये जो वापिस नहीं लौटाये जा रहे हैं। परिवादी ने प्रार्थना की है कि उसे उक्त राशि वापिस लौटाई जावे।

इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर प्रबन्धक निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम ने अपने पत्र दिनांक 1.7.10, 17.2.11, 21.6.11, 1.8.11 द्वारा अवगत कराया कि उक्त राशि रूपये 3000/- का चैक परिवादी द्वारा लेने से इंकार करने पर यह राशि उसके खाता संख्या 1832-2203-159 में सी.सी.ए.आर. नं. 35/105 दिनांक 26.5.10 के द्वारा क्रेडिट करदी गई है। अधिक राशि जमा कराने के लिए दोषी कार्मिक श्री राकेश बेरी, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर उसे भविष्य में अपना कार्य सावधानीपूर्वक करने चेतावनी देदी गई है।

## 15. एफ.10(32)लोआस/2010

परिवादी श्री भगवत सिंह सोलंकी निवासी ग्राम भटवाड़ा कलां, पोस्ट बनाकिया कलां, वाया सिंहपुर, जिला चितौड़गढ़ ने दिनांक 24.11.10 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता स्व. श्री नवल सिंह सोलंकी की अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ में सहायक अभियन्ता (प व स) के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 3.8.10 को मृत्यु हो गई थी, परन्तु अब तक न तो जी.पी.एफ., ग्रेच्यूटी का भुगतान किया गया है और न ही पेंशन ही दी गई है। यह भी प्रार्थना की कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय उसकी उम्र 38 वर्ष 6 माह 22 दिन थी, परन्तु उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

इस संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 22.12.10, 2.5.11, 9.8.11 द्वारा अवगत कराया कि मृतक कर्मचारी के जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान की राशि रूपये 3,19,542/- बैंक खाते में जमा करादी गई है। दिनांक 8.3.11 को ग्रेज्यूटी का अंतिम भुगतान रूपये 2,89,020/- कर्मचारी की पत्नी को व रूपये 2,65,508/- का भुगतान कर्मचारी के पुत्र को कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक कर्मचारी की पेंशन की स्वीकृति पीपीओ नं. 24364 दिनांक 21.12.10 को जारी हो चुकी है। दिनांक 4.8.10 से 28.2.11 तक की पेंशन के एरियर की राशि रूपये 64,963/- का भुगतान दिनांक 8.3.11 को किया जा चुका है। सहायक के पद पर निर्धारित आयु सीमा 28 वर्ष है। अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की छूट की पश्चात् भी परिवादी की उम्र 33 वर्ष से अधिक के कारण उसे नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है। मृतक की पत्नी के लिए उम्र की सीमा नहीं है। वह चाहे तो आवेदन कर सकती है।

## 16. एफ.10(4)लोआस/2011

परिवादी श्री किशन लाल भील निवासी डूडवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर ने यह शिकायत प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि उसे अजमेर डिस्कॉम से कनेक्शन पेटे जमा कराई गई राशि वापिस दिलाई जावे क्योंकि उसने किन्हीं कारणों से कनेक्शन लेने में असमर्थ होने पर लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।

शिकायत पर कार्यवाही करने पर अजमेर डिस्कॉम के पत्र दिनांक 8.9.11 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा घरेलु कनेक्शन के लिए दिनांक 5.7.03 को राशि रूपये 14,100/- जमा कराई गई थी। विवाद के कारण तत्समय कनेक्शन नहीं दिया जा सका। परिवादी ने दिनांक 11.10.04 को अपरिहार्य कारणों से कनेक्शन न लेने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु कनेक्शन के लिए दिया गया सामान वापिस जमा नहीं कराया जिसके कारण जमा राशि वापिस नहीं लौटाई जा सकी। अब परिवादी द्वारा सामान वापिस जमा करा देने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि रूपये 14100/- दिनांक 11.8.11 को वापिस करदी गई है।

## 17. एफ.10(6)लोआस/2011

श्री खेमचन्द निवासी गोल बिल्डिंग होली चौक, शिवगंज ने दिनांक 30.5.11 को यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि उसने अपनी दुकान के सामने लगे पोल को शिफ्ट करवाने हेतु दिनांक 12.1.11 को नियमानुसार रूपये 1625/- जमा करवा दिये थे और दुकान पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.3.11 को रूपये 8900/- जमा करवा दिये, परन्तु न तो उक्त पोल को ही शिफ्ट किया जा रहा है और न ही कनेक्शन ही दिया जा रहा है जो कि राशि जमा कराने के 15-20 दिन में भीतर दे दिया जाना चाहिए थ।

इस शिकायत पर कार्यवाही करने पर प्रबन्ध निदेशक, जोधुपर डिस्कॉम ने अपने पत्र दिनांक 18.10.11 के द्वारा कारणों से अवगत कराते हुए सूचित किया कि दिनांक 30.6.11 को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया है तथा दिनांक 12.9.11 को विद्युत पोल को भी हटा दिया गया है।

## 18. एफ.11(119)लोआस/2009

परिवादी श्री जोरा व उना रेबारी व भैरा वगैरह निवासी दांतराई ने दिनांक 19.12.09 को यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 229/1 रकबा 10 बीघा व खसरा नं. 229/3 रकबा 20 बीघा कुल रकबा 30 बीघा सिंचाई परियोजना में डूब में आ गई थी जिसके लिए रूपये 5,59,977/- का अवार्ड पारित किया गया था, किन्तु कई चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शीघ्र दिलवाया जावे।

इस शिकायत में कार्यवाही करने पर मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.5.11 द्वारा अवगत कराया कि श्री भैरा, रतना, माना, निम्बा पिसरान गेला, श्रीमती तुलसी,

रबा पिसरान सवा साकिन दांतराई को खसरा नं. 229/3 रकबा 20 बीघा के मुआवजे की राशि रूपये 3,73,318/- का भुगतान डीडी नं. 449031/24.3.11 के द्वारा तथा श्री जोरा पुत्र गेना व उना पुत्र सबला साकिन दांतराई को खसरा नं. 229/1 रकबा 10 बीघा के मुआवजे की राशि रूपये 1,86,659/- का भुगतान डीडी नं. 449032/24.3.11 के द्वारा कर दिया गया है। अब कोई भुगतान शेष नहीं है।

## 19. एफ.11(149)लोआस/2009

ग्राम करसोली जिला करौली के ग्रामवासियों ने यह शिकायत दिनांक 1.2.10 को प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि ग्राम करसोली की चरागाह भूमि खसरा नं. 317 पर श्री महेन्द्र सिंह वगैरह ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है जिसे हटवाया जावे। चूँकि शिकायत में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप अंकित नहीं थे, इसलिये शिकायत को नस्तीबद्ध करते हुए जिला कलेक्टर, करौली को दिनांक 17.2.10 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया जिसके संदर्भ में जिला कलेक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 14.7.11 द्वारा अवगत कराया कि भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। तत्समय भगवान सिंह, महेन्द्र, लखन, फत्तेसिंह, पूरण सिंह द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसे गांव के लोगों ने समझाइश से खाली करवा लिया है।

## 20. एफ.11(139)लोआस/2010

यह परिवाद श्री जगदीश गूर्जर आदि निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत बोसरिया, उप तहसील बनेठा, जिला टोंक ने दिनांक 11.10.10 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल बोसरिया तहसील उनियारा के खसरा नं. 443/273 रकबा 4 एर राजकीय सिवायचक भूमि पर कन्हैयालाल पुत्र मथुरा लाल तथा रामकुंवर ने अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटवाया जावे।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, टोंक से पत्र दिनांक 22.11.10 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 5.7.11 के द्वारा अवगत कराया कि अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए प्रकरण संख्या 44/10 में दिनांक 26. 8.10 को एवं प्रकरण संख्या 42/10 में दिनांक 26.8.10 को दिये गये निर्णयों की पालना में अतिक्रमी श्री रामकुंवार के मौके पर पड़े पत्थरों को नीलाम कर दिया गया है व दोनों अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है।

## 21. एफ.11(187)लोआस/2010

परिवादी श्री अनिल कुमार सेठिया निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 15. 12.10 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने जिला पंजीयन अधिकारी, भीलवाड़ा के यहां 21.1.10 को प्रलेख लेखक अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। दिनांक 26.3.10 को इस बाबत परीक्षा दी। दिनांक 7.7.10 को निर्धारित फीस रूपये 200/- जमा करादी, परन्तु इसके बावजूद भी उसे प्रलेख लेखक अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जा रहा है जो दिलवाया जावे।

परिवादी को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो प्राप्त नहीं होने पर परिवाद को दिनांक 3.3.11 को नस्तीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को भिजवा दिया गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.4.11 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी को दिनांक 19.1.11 को वांछित साइसेन्स भिजवा दिया गया है।

## 22. एफ.11(194)लोआस/2010

परिवादिया श्रीमती देवकन्या पत्नी श्री शिवनारायण भट्ट निवासी अन्नपूर्णा मंदिर के पास, दुर्ग चित्तौड़गढ़ ने यह परिवाद दिनांक 22.12.10 को प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आवंटन कमेटी दिनांक 18.1.83 को परिवादिया को नेतावलगढ़ पाछली मौजा सूरजपोल, चित्तौड़गढ़ के खसरा नं. 370 में से 5 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित की थी। दिनांक 12.2.83 को पर्चा मौका सुपूर्दगी बनाया जाकर उसे भूमि नाप कर सुपूर्द करदी गई थी जिस पर वह आज दिनांक तक खेती करती आ रही है। उसने खातेदारी अधिकार दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर उसे डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत की दर से रूपये जमा कराने हेतु कहा गया जिसकी पालना में उसने रूपये 43,258/- जरिये चालान नम्बर 1756/5.1.08 जमा करा दिये परन्तु फिर भी उसे खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र दिनांक 4.4.11 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में आवंटित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की होकर पैराफेरी एरिया में स्थित होने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने की स्वीकृति हेतु प्रकरण दिनांक 25.3.11 को राजस्व विभाग (उपनिवेशन) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को भेजा हुआ है।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर इस सचिवालय द्वारा राजस्व विभाग को पत्र दिनांक 28.4.11 के द्वारा मामले को अधिकतम एक माह में निर्णीत करने तथा सूचना इस सचिवालय को भेजे जाने हेतु लिखा गया। राजस्व विभाग ने अपने पत्र दिनांक 31.5.11 के द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को स्वीकृति जारी कर सूचना इस सचिवालय को पृष्ठांकित करदी है। इस प्रकार परिवादिया को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह प्रकरण दिनांक 11.7.11 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 23. एफ.11(225)लोआस/2010

परिवादी श्री डासूराम पुत्र श्री पन्नाजी मीणा, ग्राम कोदरला, पोस्ट धनारी, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही ने यह शिकायत दिनांक 8.2.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि वीराराम पुत्र फौजाजी रावल को बिलानाम तलाई व रास्ते भूमि का पट्टा संख्या 103/1 गलत रूप से जारी किया गया है और उसके द्वारा जो होटल का निर्माण किया जा रहा है वहे अतिक्रमण की परिभाषा में आता है जिसे हटाया जावे और पट्टे को निरस्त किया जावे।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने पत्र दिनांक 30.8.11, 14.9.11 एवं 20.1.12 के द्वारा अवगत कराया कि मामले की जांच कराने पर यह पाया गया कि विकास अधिकारी द्वारा वीराराम को जो पट्टा संख्या 103/1 जारी किया गया वह भूमि बिलानाम तलाई व रास्ते की भूमि है। इस भूमि में खसरा न. 268 रकबा 0-14 बीघा किस्म तलाई एवं खसरा नम्बर 269 रकबा 0-03 बीघा किस्म रास्ता की बिलानाम भूमि स्थित है एवं श्री वीराराम रावल को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाड़ा द्वारा पट्टा संख्या 103/1 दिनांक 29.8.82 को बिलानाम भूमि में जारी किया गया है जो नियमानुसार नहीं है। यह भी पाया गया कि पट्टा आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किया गया था, किन्तु वीराराम द्वारा चाय होटल आदि बनाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार पट्टे की शर्त संख्या 1 से 5 का पूर्ण उल्लंघन किया गया है। उक्त विलेख को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में निगरानी सं. 120/12 प्रस्तुत करदी गई है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पश्चात् ही निर्माण को हटाया जाना संभव हो सकेगा।

इस प्रकरण में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप जांच की गई एवं पट्टा गलत पाये जाने पर उसे निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत करदी गई है।

## 24. एफ.11(5)लोआस/2011

श्री शेख नजर मोहम्मद, राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस (ई) कमेटी, जिला बून्दी ने यह शिकायत दिनांक 9.4.11 को इस आशय की प्रस्तुत की कि मौजा लाखेरी में स्थित चारागाह भूमि खसरा नं. 813 रकबा 1.39 पर श्री जगदीश आत्मज देवलाल कलाल द्वारा धर्मकांटा व ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है जिसे हटवाया जावे।

परिवादी को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर यह परिवाद नस्तीबद्ध करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु संभागीय आयुक्त, कोटा को पत्र दिनांक 13.7.11 के द्वारा प्रेषित किया गया।

संभागीय आयुक्त, कोटा ने शिकायत पर कार्यवाही कर अपने पत्र दिनांक 5.12.11 के द्वारा सूचित किया कि अतिक्रमी को न्यायालय नायब तहसीलदार, इन्द्रगढ़ द्वारा 3 महीने के सिविल कारावास व जुर्माने से दण्डित कर दिया गया है।

## 25. एफ.11(11)लोआस/2011

परिवादी श्री राजेश शर्मा, वार्ड सं.4, खैरथल, अलवर ने दिनांक 19.4.11 को शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि किशनगढ़ बास तहसील में एक कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 4436 के रकबा 4300 एर का दिनांक 27.12.10 को रूपये 12,40,000/- प्रति बीघा के हिसाब से एग्रीमेन्ट हुआ मगर क्रेता व विक्रेता ने तहसीलदार से मिलीभगत करके दिनांक 17.1.11 को मात्र रूपये 12,41,000 में रजिस्ट्री करवाई जबकि भूमि की स्टाम्प फीस रूपये 21,70,00/- बनती थी। यह भी कथन किया कि एक

सिन्धी परिवार को 16 लाख रूपये बीघा से सौदा किया गया मगर दिनांक 4.4.11 को 8 लाख रूपये प्रति बीघा के हिसाब से रजिस्ट्री करवाई। यादव परिवार से भी इसी तरह का सौदा किया जाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया।

इस शिकायत के संबंध में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 14.10.11 के द्वारा जांच कराये जाने के उपरान्त अवगत कराया कि खसरा नं. 4436 वाके ग्राम खैरथल के रकबा 0.43 हैक्टेयर का दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय, किशनगढ़बास, अलवर में क्रम संख्या 234 पर दिनांक 31.1.11 को निर्धारित डी.एल.सी. दर रूपये 7,30,000/- प्रति बीघा से पंजीयन किया गया। शिकायत के साथ उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 27.12.10 के अनुसार उक्त आराजी का सौदा रूपये 12,40,000/- प्रति बीघा के आधार पर होने का पता चलने पर रूपये 12,40,000/- की दर से अंतर राशि मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क रूपये 43,350/- वसूल कर जमा किये जा चुके हैं।

सिन्धी परिवार के खसरा नं. 4444 रकबा 0.33 हैक्टेयर के पंजीयन सं. 823 दिनांक 4.4.11 के संबंध में यह अवगत कराया गया कि निर्धारित जिला स्तरीय समिति की दर रूपये 8,39,500/- प्रति बीघा से पंजीयन किया गया था। जांच में रूपये 16,00,000/- प्रति बीघा के हिसाब से सौदा होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं हुआ। अतः खसरा नं. 4436 की भूमि का रूपये 12,40,000/- प्रति बीघा की दर से लिखित इकरारनामा पाये जाने के कारण पक्षकारों को नोटिस जारी कर कर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। यादव परिवार के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिलने से जांच किया जाना संभव नहीं है।

शिकायत पर विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् यह पत्रावली दिनांक 28.12.11 को नस्तीबद्ध करदी गई है।

## 26. एफ.11(13)लोआस/2011

श्री देवाराम पुत्र वागाराम जी चौधरी निवासी बिठूडा पीरान, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली ने दिनांक 21. 4.11 को यह शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में ग्राम बीठूडा के खसरा नं. 643 गैरमुमकिन नदी के किराने से होकर परिवादीगण के खेतों में जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा नं. 721 से 724 तक नदी में 0-08 हैक्टेयर पर श्री जुहारसिंह व श्री जय सिंह ने अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया है। इसकी शिकायत तहसीलदार एवं पटवारी को की गई, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

परिवादी को शिकायत में लगाये गये आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो परिवादी द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में परिवाद को नस्तीबद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, पाली को दिनांक 27.7.11 को लिखा गया। पत्र की पालना में जिला कलेक्टर, पाली ने अपने पत्र दिनांक 9.3.12 के द्वारा अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर

के अनुसार ग्राम बिठुडा पिरान के खसरा नं. 663, जो राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज है, में अतिक्रमी जुहारसिंह, जयसिंह ने अपनी खातेदारी से लगती गैरमुमकिन नदी की भूमि पर 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। उपरोक्त अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् कार्यवाही कर मौके से बेदखल कर दिया गया है। मौके पर रास्ता पूर्ण रूप से खुला हुआ है।

## 27. एफ.11(20)लोआस/2011

परिवादी श्री मदन लाल ने दिनांक 25.4.11 को यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर में चक 6 बी.के.एम. पत्थर नं. 78/34 में रकबा 5.996 हैक्टेयर कृषि भूमि को बैयनामा दिनांक 22.11.10 द्वारा खरीद किया था, परन्तु राजनीतिक दबाव के कारण भूमि का नामान्तरण उसके नाम नहीं किया जा रहा है, जो करवाया जावे।

शिकायत के समर्थन में परिवादी से शपथ पत्र मांगा गया जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को दिनांक 19.7.11 को प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर ने पत्र दिनांक 25.1.12 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के नामान्तरण संख्या 135 को दिनांक 20.5.11 को स्वीकृत कर दिया गया है।

**आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।**

## 28. एफ.11(28)लोआस/2011

श्री मुकेश कुमार निवासी रेलवे कोलोनी, सवाईमाधोपुर हाल निवासी नैनवां जिला बूंदी ने यह शिकायत दिनांक 9.5.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि नैनवां की राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 782 रकबा 8 बीघा पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जावे। परिवादी द्वारा दिनांक 6.7.11 को निर्धारित प्रारूप में शिकायत मय शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलेक्टर, बूंदी से पत्र दिनांक 14.7.11 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी ने अपने पत्र दिनांक 10.1.12 द्वारा अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी, नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार कस्बा नैनवां की भूमि खसरा संख्या 782 किस्म चारागाह में अतिक्रमी कल्याण आत्मज श्रीराम खारोल द्वारा खरीफ सम्वत् 2068 में फसल उड़द बोकर 07 बीघा पर अतिक्रमण किया गया था। तहसीलदार, नैनवां द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमी को शास्ति के साथ-साथ 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया है। इस पर पत्रावली दिनांक 17.1.12 को नस्तीबद्ध करदी गई।

## 29. एफ.11(33)लोआस/2011

यह परिवाद श्रीमती कुसुमलता मीणा निवासी ग्राम बरड़ावदा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ ने दिनांक 12.5.11 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा आसलपुर में एम.पी.बोर्डर से तीन किलोमीटर अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर कृषि भूमि खसरा नं. 677 रकबा 2025 वर्गमीटर का पेट्रोल पम्प

(वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कराने हेतु रूपये 20,250/- जरिये चालान दिनांक 20.2.10 को जमा करवा दिये थे, परन्तु उक्त सम्परिवर्तन अभी तक भी नहीं किया जा रहा है।
इस शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपने पत्र दिनांक 27.12.11 में देरी के विभिन्न उचित कारणों का विवरण देते हुए सूचित किया कि अब जिला कलेक्टर, झालावाड़ के आदेश संख्या 4273 दिनांक 13.10.11 के द्वारा वांछित सम्परिवर्तन कर दिया गया है।

## 30. एफ.11(129)लोआस/2011

श्री सुभाष पुत्र लादूराम निवासी ग्राम रड़साना बास, तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने यह शिकायत दिनांक 17.8.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण संख्या 88/2010 सरकार बनाम सुगनाराम में न्यायालय तहसीलदार, राजगढ़ जिला चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 4.4.11 द्वारा श्री सुगनाराम द्वारा खसरा नं. 545/497 में किये गये अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में आदेश प्रदान कर दिये थे, परन्तु उक्त अतिक्रमण को अभी तक भी नहीं हटाया जा रहा है जिसे शीघ्र हटवाया जावे।

चूँकि परिवाद में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप नहीं लगाये गये थे, इसलिये इस शिकायत को नस्तीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, चूरू को दिनांक 24.11.11 को प्रेषित किया गया। जिला कलेक्टर, चूरू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.1.12 द्वारा अवगत कराया कि परिवाद की जांच करवाये जाने पर उक्त ग्राम के खसरा नं. 733/514, 545/497, 507, 543/494 में 64 व्यक्तियों द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत् कार्यवाही की जाकर न्यायालय द्वारा बेदखली के निर्णय पारित किये गये जिनकी पालना में दिनांक 6.1.12 को पुलिस जाप्ता के साथ सुगनाराम के अतिक्रमण व अन्य 63 अतिक्रमियों यानि कुल **64 अतिक्रमियों के द्वारा किये गये अतिक्रमणों को मौके पर से हटा दिया गया है।**

**आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।**

## 31. एफ.11(157)लोआस/2011

श्री जगदीश सिंह वगैरह ग्राम पीमूण तहसील मालपुरा जिला टोंक ने दिनांक 5.9.11 को यह शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उक्त ग्राम के खसरा नं. 321/2 रकबा 187 बीघा, 287 रकबा 38 बीघा चरागाह भूमि में से 60 बीघा को छोड़ कर शेष पर कच्चे-पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसे मुक्त करवाया जावे।

परिवादी श्री जगदीश सिंह को परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया जो प्राप्त नहीं होने पर परिवाद को नस्तीबद्ध करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, टोंक को दिनांक 13.12.11 को प्रेषित कर दिया गया। इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, टोंक ने अपनी

रिपोर्ट दिनांक 11.1.12 के द्वारा अवगत कराया कि **ग्राम पीमूण के आराजी खसरा नं. 321/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर 2 अतिक्रमी तथा खसरा नं. 287/1 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा पर 18 अतिक्रमियों द्वारा सम्वत् 2068 में अतिक्रमण कर लेना पाया गया। उक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर दिनांक 14.11.11 को बेदखली के आदेश दिये गये।** अतिक्रमित रकबे पर पूर्व से ही अतिक्रमण होकर बाड़े, कच्चे/पक्के मकान बने हुए थे। तीन अतिक्रमियों के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम की **धारा 91(6) के अन्तर्गत कार्यवाही करदी गई है, शे**ष अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है।

**आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।**

## 32. एफ.11(174)लोआस/2011

श्री नेमीचन्द, एस.डी.एम. कोर्ट के पास, उनियारा, जिला टोंक ने यह शिकायत दिनांक 9.9.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उनियारा, जिला टोंक के खसरा नं. 1256 रकबा 0.59 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की 0.04 हैक्टेयर भूमि पर श्री गुलशेर पुत्र अल्लाबेली द्वारा तारबन्दी कर कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

परिवादी को शपथ पत्र प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया जो प्राप्त नहीं होने पर परिवाद को नस्तीबद्ध करते हुए जिला कलेक्टर, टोंक को दिनांक 21.12.11 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जिला कलेक्टर, टोंक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.1.12 के द्वारा अवगत कराया कि अतिक्रमी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उसे भौतिक रूप से बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिया गया है।

## 33. एफ.12(27)लोआस/2009

परिवादी श्री मदन सिंह ग्राम तांतवास, तहसील खीमसर, जिला नागौर ने यह शिकायत दिनांक 2.7.09 को प्रस्तुत कर सरपंच, ग्रामसेवक आदि पर फर्जी अंगूठा निशान लगाकर सरकारी राशि का गबन किये जाने का आरोप लगाया। इस शिकायत के संबंध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर यह अवगत कराया गया कि न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 29.1.10 में सरपंच को दोषी नहीं माना।

पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 22.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि इस प्रकरण में दर्ज मुकदमा नं. 18/09 थाना पांचौड़ी व 24/09 थाना पांचौड़ी में फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पाया गया कि मुल्जिम **केशराराम पुत्र गुमानाराम जाट** निवासी तांतवास व **श्रवणराम पुत्र अमानाराम** प्रजापत **तत्कालीन ग्रामसेवक, तांतवास** निवासी सिन्धीपुरा ने षड़यंत्र रचकर श्रमिकों के फर्जी अंगुष्ठ व हस्ताक्षर निशान लगाकर रूपये उठाकर हड़प कर लिये। सम्पूर्ण अनुसंधान

से मुल्जिमान केशराराम व श्रवणराम के विरूद्ध जुर्म धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया। मु.नं. 24/09 थाना पांचौड़ी में भी मुल्जिमान केशराराम व श्रवणराम द्वारा षड़यंत्र रचकर फर्जी अंगुष्ठ व हस्ताक्षर निशान लगाकर रूपये हड़प करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध अनुसंधान से जुर्म धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया। केशराराम को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान अदालत में पेश कर दिया गया है। मुकदमा नं. 18/09 में चार्जशीट नं. 58 दिनांक 30.11.11 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी व मुकदमा नं. 24/09 में नतीजा चार्जशीट नं. 59 दिनांक 30.11.11 धारा 409, 420, 467, 468, `471, 120बी आईपीसी व 3(2) (5) एससी/एसटी एक्ट में कता किया जाकर दोनों प्रकरणों में दिनांक 20. 12.11 को चालान संबंधित न्यायालय में पेश किये जा चुके है। उक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् इस प्रकरण को दिनांक 30.1.12 को नस्तीबद्ध किया गया।

## 34. एफ.12(106)लोआस/2010

श्री कृष्णमुरारी ग्राम-पोस्ट धूलेट, तहसील सांगोद, जिला कोटा ने दिनांक 18.3.11 को यह शिकायत प्रस्तुत कथन किया कि उसके पिता श्री सोहनलाल की तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते मृत्यु हो गई थी। उसने मृतक आश्रित के नाते अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने हेतु 27.3.01 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। चूँकि शिकायत में भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग के आरोप नहीं लगाये गये थे, इसलिये शिकायत को नस्तीबद्ध कर उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, कोटा को दिनांक 8.4.11 को प्रेषित कर दिया गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.5.11 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करदी गई है।

**आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।**

## 35. एफ.15(6)लोआस/2009

यह प्रकरण श्री अशोक कुमार जैन, सक्रिय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, रेलवे कोलोनी, शिव मंदिर के पास, सवाईमाधोपुर की शिकायत पर दिनांक 9.9.09 को दर्ज किया गया। शिकायत में कथन किया गया कि रणथम्भोर रोड पर बुकिंग ऑफिस के पास वन विभाग व गैरमुमकिन बरसाती नाला की खसरा नं. 728, 729 भूमि पर नगर पालिका के कर्मचारी गिर्राज बैरवा द्वारा अतिक्रमण कर पक्की दुकानों का निर्माण करा लिया गया है जिसे हटवाया जावे। इस संबंध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.6.10 के द्वारा अवगत कराया कि खसरा नं. 728/3189 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन नाला सिवायचक में गिर्राज बैरवा द्वारा अतिक्रमण कर जो दो पुख्ता कमरे एवं बिना छत का बाथरूम आदि बना कर जो अतिक्रमण कर लिया गया था उसे मौके पर जेसीबी द्वारा दिनांक 29.5.10 को ध्वस्त कर दिया गया है।

इसके पश्चात् परिवादी ने दिनांक 22.10.10 को पुनः शिकायत की कि अतिक्रमी ने पुनः उसी प्रकार अतिक्रमण कर लिया है। इस पर जिला कलेक्टर से पुनः टिप्पणी मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.2.11 एवं तत्पश्चात् पत्र दिनांक 8.8.11 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को अतिक्रमण हटाने हेतु दिये गये नोटिस पर उसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है व अतिक्रमी की रिट याचिका संख्या 8202/2010 अभी तक विचाराधीन है।

## 36. एफ.16(125)लोआस/2007

श्री बाबू खां पुत्र श्री अलादीन खां निवासी वार्ड नं.3, उनियारा, जिला टोंक ने यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि वार्ड नं. 2 कस्बा उनियारा जिला टोंक में भूमि विकास बैंक के पास रोड के किनारे एक बुर्ज बनी हुई थी। उस पर बाबू खां पुत्र वजीर खां देशवाली ने अतिक्रमण कर लिया। नगरपालिका, उनियारा के अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी ने मिलीभगत करके उक्त भूमि को सस्ती दर पर मकान बनाने हेतु बेचान कर दी जबकि उक्त कीमती भूमि एवं बुर्ज को बेचने का अधिकार नगरपालिका को नहीं था।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, टोंक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 7.6.08 व 16.3.09 तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, उनियारा ने अपने पत्र दिनांक 27.1.11 के द्वारा अवगत कराया कि श्री बाबू खां पुत्र वजीर खां द्वारा अपने आवासीय मकान के पास नगरपालिका भूमि पर 4 दुकानें एवं टीनशेड लगाकर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है।

## 37. एफ.16(108)लोआस/2010

श्री ब्रहमदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने यह शिकायत दिनांक 19.10.10 को प्रस्तुत कर सीपीएफ, उपार्जित अवकाश व ग्रेच्यूटी आदि का भुगतान करवाने की प्रार्थन की।

इस शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने पर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अवगत कराया कि परिवादी को सी.पी.एफ. की राशि रूपये 1,49,116/- एवं उपार्जित अवकाश की राशि रूपये 72,000/- का भुगतान कर दिया गया है। ग्रेच्यूटी की बकाया राशि रूपये 2,03,478/- का भुगतान नगरपालिका, बूंदी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। निकट भविष्य में पालिका की आय होने पर परिवादी को शेष राशि का भी भुगतान कर दिया जावेगा।

## 38. एफ.16(160)लोआस/2010

यह शिकायत श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री ओम प्रकाश पारीक, निवासी मकान नं. 2744-ए, जाट के कुए का रास्ता, जयपुर ने दिनांक 3.2.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके द्वारा प्लाट नं. 46, कृष्णा कोलोनी, नयाखेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर श्री हरिकिशन बजाज से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.3.

08 खरीद किया गया था। परन्तु भू-माफियाओं द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त प्लाट का दूसरा पट्टा श्री चैनाराम के नाम से भी बना दिया गया जिसकी एफ.आई.आर. सं. 56/11 पुलिस थाना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में दिनांक 30.1.11 को दर्ज करवाई गई है। परिवादिया ने दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 9.9.11 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में प्राधिकरण स्तर पर सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की जाकर परिवादिया श्रीमती गीतादेवी के पक्ष में भूखण्ड संख्या 46, स्कीम नम्बर 6, कृष्णा कोलोनी, संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति योजना का हस्तान्तरण पत्र उनके कार्यालय के पत्र क्रमांकः 2382 दिनांक 25.8.11 को जारी किया जा चुका है। उप अधीक्षक पुलिस, पुलिस थाना, ज.वि.प्रा., जयपुर के पत्र दिनांक 11.10.11 के अनुसार उक्त एफ.आई.आर. सं. 56/11 में बाद अनुसंधान मुल्जिमान राजेश जैन, लोकेश जांगिड़, गजेन्द्र सिह, श्रीमती तोफ कंवर, मौसिन खान एवं सुदेश राघव के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 419, 120बी भा.द.स. बखूबी पाये जाने पर चार्जशीट नं. 8/11 दिनांक 30.3.11 किता की जाकर न्यायालय सी.एम.एम., जयपुर सिटी में पेश किया जा चुका है जिसका कोर्ट केस नं. 1225 ए.सी.जे.एम. नं. 7 में जैर तजवीज अदालत चल रहा है।

## 39. एफ.16(33)लोआस/2011

श्री भवानी सिंह चारण ने यह शिकायत दिनांक 30.5.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पिता स्व.श्री नपरपतसिंह देवल, सब-नाकेदार, नगरपालिका, आबूरोड की मृत्यु सेवा में रहते हो गई थी। अतः उसे आश्रित होने के नाते अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलाई जावे।

नगरपालिका, आबूरोड के आदेश दिनांक 6.7.11 के द्वारा परिवादी श्री भवानी सिंह चारण को उसके पिता स्व. श्री नरपतसिंह देवल, सब-नाकेदार के मृत आश्रित के रूप में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करदी गई है। परिवादी ने पत्र दिनांक 18.10.11 लिख यह अवगत कराया कि वह इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से पूर्णतया संतुष्ट है।

## 40. एफ.16(96)लोआस/2011

श्री उदयवीर सिंह, निवासी 213, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर-ए, 200 फीट बाइपास के पास, अजमेर रोड, जयपुर ने दिनांक 29.7.11 को यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर में अवस्थित भूमि खसरा नं. नं. 165/139/2 कुल रकबा 20 बीघा पर 100 बाई 150 फीट में चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसे शीघ्र हटवाया जावे।

इस शिकायत के संबंध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 17.2.12 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त अतिक्रमण को दिनांक 16.4.

11 को हटा दिया गया है। इसी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दर्ज मुकदमा नम्बर 53/2010 पुलिस थाना, जविप्रा, जयपुर में अनुसंधान किया जा रहा है तथा इसी संबंध में सुभाष यादव, नरेन्द्र यादव, सुरेन्द्र जाट व भंवरलाल कुमावत के विरूद्ध दिनांक 23.12.11 को धारा 72, जेडीए एक्ट के तहत् न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, जविप्रा में इस्तगासा पेश कर दिया गया है।

## 41. एफ.16(106)लोआस/2011

श्री हरप्रीतसिंह निवासी तिजारा फाटक, शिव कोलोनी, अलवर से यह शिकायत दिनांक 2.9.11 को प्राप्त हुई। परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मैसर्स जिन्दल प्रोमोटर्स प्रा.लि. द्वारा शर्तो के विपरीत 'ओएसिस ग्रीन' में 60 फीट सेक्टर रोड पर गेट लगाकर उसे बंद कर दिया गया है जिसे खुलवाया जावे।

इस प्रकरण में नगर विकास न्यास, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 15.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि 60 फीट सेक्टर रोड पर गेट लगा कर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 24.11.11 को हटवाया जाकर रास्ते को खुलवा दिया गया है।

## 42. एफ.32(4)लोआस/2010

परिवादिया श्रीमती राजदुलारी पत्नी श्री कल्याणपुरी गांव बड़गांव, रानीवाड़ा, जालौर, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 30.7.10 को यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि वह आंगनबाड़ी केन्द्र, बड़गांव प्रथम पर 14 वर्ष से कार्यरत थी परन्तु सी.पी.डी.ओ. श्रीमती संतोष शर्मा ने अपने स्वार्थवश झूँठे आरोप लगा कर उसे आंगनबाड़ी केन्द्र से हटा दिया।

इस प्रकरण में जिला कलेक्टर, जालौर ने अपने पत्र दिनांक 3.8.11 एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 15.11.11 के द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती राजदुलारी के प्रकरण का दिनांक 29.7.11 को आयोजित जिला सतर्कता समिति की बैठक में पुनर्विलोकन किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.10.09 एवं उप निदेशक, आईसीडीएस, जालौर की जांच रिपोर्ट दिनांक 14.5.10 का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमती राजदुलारी को मानदेय सेवा से जिस प्रकार से पृथक किया गया था, वह उचित नहीं था। अतः आदेश दिनांक 9.6. 10 के द्वारा उसे पुनः आंगनबाड़ी केन्द्र, बड़गांव-प्रथम पर मानदेय सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत बहाल कर दिया गया है।

## 43. एफ.32(4)लोआस/2011

परिवादी श्री रामावतार गोयल, प्रोपराइटर, मैसर्स माधव प्रसाद हजारी लाल निवासी, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला सिरोही ने दिनांक 6.6.11 को यह शिकायत प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी फर्म द्वारा समाज कल्याण विभाग के कन्या एवं अम्बेडकर छात्रावास को वर्ष 2008 में 18 बिलों के द्वारा कुल रूपये 42,398/- का राशन सप्लाई किया गया था, किन्तु उसका भुगतान उसे आज तक नहीं किया गया है जो शीघ्र दिलवाया जावे।

इस प्रकरण में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 18. 7.11 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर उनके पत्र दिनांक 28.11.11 के द्वारा प्राप्ति रसीद

भिजवाते हुए यह अवगत कराया गया कि परिवादी को उक्त राशि का भुगतान दिनांक 11.11.11 को कर दिया गया है।

## 44. एफ.35(3)लोआस/2007

श्री श्रीप्रकाश पालीवाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रारूपकार, 92, इन्द्रा कॉलोनी, सवाईमाधोपुर ने यह शिकायत दिनांक 15.5.07 को परिवाद प्रस्तुत की व पुनरीक्षित वेतनमान, 1983 से वेतन निर्धारण करवाये जाने की प्रार्थना की।

इस संबंध में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 11.7.07 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, जन संसाधन वृत मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 23.7.07 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी का पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1983 एवं 1987 में वेतन निर्धारण प्रपत्र अनुमोदित कर दिया गया व पत्र दिनांक 16.5.07 एवं दिनांक 2.7.07 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सवाईमाधोपुर को इसकी सूचना प्रेषित करते हुए परिवादी को भी प्रति प्रेषित की जा चुकी है। परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 9.8.07 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

परिवादी ने दिनांक 14.9.11 को पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि उसे 27 वर्षीय संशोधित चयनित वेतनमान सेवानिवृत्ति के 11 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी स्वीकृत नहीं किया गया है, जो शीघ्र ही स्वीकृत करवाया जावे। परिवादी की व्यथा को देखते हुए दिनांक 16.9.11 को यह परिवाद पुनः खोलते हुए अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर वृत, जयपुर से पत्र दिनांक 21.9.11 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को कार्यालय आदेश क्रमांकः 4968-72 दिनांक 21.12.11 से पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1989 में 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत कर वेतन निर्धारण कर दिया गया है। उक्त आदेश की एक प्रति अवलोकन हेतु इस सचिवालय को भी प्रेषित की गई। इस सचिवालय द्वारा परिवादी को प्राप्त रिपोर्ट की प्रति भिजवाते हुए यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिनांक 1.3.12 के द्वारा लिखा गया। परिवादी की ओर से कोई आपत्ति न प्राप्त होने पर यह मानते हुए कि उसे सम्पूर्ण वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है, यह परिवाद पुनः दिनांक 21.3.12 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

## 45. एफ.32(7)लोआस/2011

सचिव, सत्संग सहयोग समिति, उदयपुर ने यह शिकायत दिनांक 12.9.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि उदयपुर जिले में लगभग 58 संस्थाओं के द्वारा 120 विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित किये गये जो सत्र 2006 से 2010 मार्च तक अपना कार्यकाल पूर्ण कर चुके थे। सभी विद्यालयों में 50-50 बच्चे अध्ययनरत थे। सभी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के 50 विद्यार्थियों के खाते ग्रामीण बैंक या डाकघरों में खुलवाये गये। संस्थाओं द्वारा खातों में 100-100 रूपये के हिसाब से 36 माह तक 3600/- रूपये प्रत्येक बच्चे के नामांकित खाते में जमा करवाये गये। परन्तु उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस शिकायत को श्रम विभाग के साथ उठाया गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 4.11.11 के द्वारा अवगत कराया कि मठ मादड़ी-ाा विद्यालय में दिनांक 4.1.10 का भुगतान कर दिया गया है तथा दिनांक 8.4. 10 को पासबुक बच्चों को वितरित करदी गई है तथा समस्त प्रकार के बकाया का भुगतान परिवादी की संस्था को दिनांक 22.9.09 को किया जा चुका है व किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है। इस प्रकार वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 5.1.12 को नस्तीबद्ध किया गया।

## 46. एफ.35(113)लोआस/2010

सुश्री पोन्नम्मा एमजी, गोल्डी भवन, मेझूवेली पी.ओ., पठानामिथीटा (जिला), केरल ने एक परिवाद दिनांक 8.9.10 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 31.3.08 को सेवानिवृत्त हुई थी। उसे जुलाई, 09 तक की पेंशन मिल चुकी है। वह मूलत: केरल की रहने वाली है, इसलिये आगे से पेंशन केरल में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में प्राप्त करना चाहती है। अत: उसकी पेंशन की पत्रावली वहां स्थानान्तरित करवादी जावे।

इस प्रार्थना पत्र को दिनांक 4.11.10 को नस्तीबद्ध कर निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित दिया गया जिसकी पालना में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.1.12 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थिया की पेंशन ओ.एस.ए. नं. 11542 पत्रांक 501 दिनांक 30.9.10 तथा एसएस नं. 14689 (आर) दिनांक 6.10.10 द्वारा केरल को स्थानान्तरित करदी गई है।

**आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।**

## 47. एफ.35(129)लोआस/2010

श्रीमती रेणु शर्मा निवासी शांति नगर, अलवर ने यह शिकायत दिनांक 6.10.10 को इस आशय की। शिकायत में कथन किया गया कि उसके पति स्व. श्री विमल किशोर शर्मा की प्रथम नियुक्ति प्लान्ट ऑपरेटर के पद पर कम्पोजिट मीट प्लान्ट, अलवर में हुई थी। वहां श्री शर्मा दिनांक 1.4.85 से 18. 7.2000 तक पदस्थापित रहे। उक्त प्लान्ट के बंद किये जाने पर अधिशेष होने पर सरकार द्वारा उसे ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर पंचायत समिति, डीग में पदस्थापित किया गया जहां श्री शर्मा ने 19.7.2000 को कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 12.11.07 को सेवारत रहते श्री शर्मा की मृत्यु हो गई, परन्तु उसे आज दिन तक भी पारिवारिक पेंशन व अन्य पेंशन परिलाभ नहीं दिये जा रहे हैं जो शीघ्र दिलवाये जावें।

इस संबंध में शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 22.2.11 एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 25.8.11 के द्वारा उचित कारण दर्शाते हुए अवगत कराया कि परिवादिया के पक्ष में पारिवारिक पेंशन

भुगतान आदेश दिनांक 20.6.11 को जारी किया जा चुका है, उपार्जित अवकाश व छठे वेतन आयोग का भुगतान भी किया जा चुका है।

## 48. एफ.35(175)लोआस/2010

परिवादी श्री वृद्धिचन्द करवा निवासी कस्बा अशोक स्तम्भ के पास, छापर, जिला चूरू ने यह शिकायत दिनांक 15.12.10 को प्रस्तुत की और छापर के आम रास्ते की 714 वर्गफुट भूमि पर किये गये कब्जे को हटाने तथा श्री ओम प्रकाश हरिजन द्वारा वार्ड नं. 14 के आम रास्ते की 682 वर्गफुट भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रार्थना की।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, चूरू से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 15.9. 11 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त अतिक्रमणों को मौके पर से हटा दिया गया है।

## 49. एफ.35(225)लोआस/2010

श्री भाकराराम निवासी सिणधरी जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 21.3.11 को प्रस्तुत इस शिकायत में ग्राम पंचायत, सिणधरी द्वारा जारी आवासीय भूमि के पट्टों को रजिस्टर कराने एवं नियमन कराने का निवेदन किया गया था। चूँकि परिवाद में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग के आरोप नहीं लगाये गये थे, इसलिये इस परिवाद को नस्तीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, बाड़मेर को प्रेषित कर दिया गया।

जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामलानी से कराकर अपने पत्र दिनांक 20.4.11 द्वारा अवगत कराया कि शिकायत में अंकित व्यक्तियों के मकान व झूंपे सिणधरी गांव के खसरा नं. 4/6 की भूमि में आये हुए हैं जिसमें दो मकान इन्दिरा आवास योजना के तहत् बनाये गये हैं। परन्तु यह भूमि राजस्व रिकार्ड में पंचायत समिति के नाम दर्ज है और ग्राम पंचायत को इस भूमि पर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। श्री हिम्मताराम सैन, पूर्व सरपंच ने ये अवैध पट्टे दिनांक 20.12.07 को जारी किये। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापन स्थायी समिति की बैठक दिनांक 3.10.11 में गलत जारी पट्टों को निरस्त कर दिया गया है।

## 50. एफ.35(93)लोआस/2011

डा.बी.के.गोयल, सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी, निवासी 14, शाहजी का चौक, पाली मारवाड़ ने यह शिकायत दिनांक 22.7.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि वह दिनांक 8.7.08 को अहिंसा एक्सप्रेस से घरेलु कार्य के लिए यात्रा पर थे। उन्हें सीने में एन्जाइना का दर्द हुआ। जब दर्द निवारक दवा से भी कोई आराम नहीं मिला तो उन्हें कृष्णा हार्ट एण्ड सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद के डॉ. तेजस पटेल, कार्डियोलोजिस्ट को दिखाया गया जिन्होंने जांच करने के बाद आपातकालीन एन्जियोग्राफी की सलाह दी और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए उसकी एन्जियोप्लास्टी की गई।

परिवादी का कथन है कि एन्जियोप्लास्टी पर रूपये 1,64,820/- व्यय हुए जिसका बिल पुनर्भरण हेतु कोषाधिकारी, पाली को प्रस्तुत किया गया, परन्तु कोषाधिकारी ने पुनर्भरण करने से इंकार कर दिया जबकि नियमानुसार वह पुनर्भरण का अधिकारी है। परिवादी ने मामले में हस्तक्षेप कर उक्त राशि का पुनर्भरण करवाये जाने की प्रार्थना की।

इस प्रकरण में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 22.9.11 के द्वारा तथा संयुक्त सचिव, राजस्थान पेंशनर्स मेडीकल फण्ड, जयपुर से पत्र दिनांक 8.11.11 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

सदस्य सचिव एवं निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, न्यासी बोर्ड, राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 1.12.11 के द्वारा अवगत कराया कि पेंशनर द्वारा 8.7.08 से 9.7.08 की अवधि में जिस अस्पताल में इलाज कराया गया है, वह गैर मान्यताप्राप्त है।

यह भी अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा मेडीकल डायरी का नवीनीकरण दि: 23.7.08 को कराया गया था इसलिये कोषाधिकारी द्वारा उसका बिल लौटा दिया गया। राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के पैरा 6(1)(ख) के अनुसार आजीवन मेडीकल डायरी धारक पेंशनर्स के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में चिकित्सा डायरी का नवीनीकरण प्रतिवर्ष निर्धारित नवीनीकरण शुल्क अदा करने पर कराना होता है। पेंशनर इस योजना के अधीन रियायत के लिए उस वर्ष के लिए चिकित्सा डायरी के नवीनीकरण के पश्चात् ही हकदार होगा। परिवादी के पास नवीनीकरण कराने के लिए तीन माह से अधिक का समय उपलब्ध रहा, परन्तु उसने उपचार कराने के बाद ही मेडीकल डायरी का नवीनीकरण कराया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में गंभीर आपातकालीन स्थिति में कराये गये उपचार के प्रकरणों में शिथिलन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

यह मामला इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.1.12 के जरिय प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर के साथ उठाया गया। पत्र में उन्हें यह लिखा गया कि पेंशन विभाग की अनुशंसा पर वित्त विभाग में यह निर्णय लिया जाना है कि एक पेंशनर, जिसकी मेडीकल डायरी का नवीनीकरण समय पर नहीं हो पाया तथा उसी वर्ष मेडीकल डायरी का नवीनीकरण एक अन्तराल के बाद करा लिया गया तो उस अन्तराल में उसके द्वारा कराये गये इलाज का पुनर्भरण वह प्राप्त कर सकता है, अत: वे इस संबंध में एक माह में निर्णय लेकर उसकी एक प्रति इस सचिवालय को भिजवावें।

उक्त पत्र की पालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने अपने पत्र कमांक: पीएस/एसीएस/फिन/2012/31 दिनांक 23.1.12 द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर्स मेडीकल रियायत योजना, 2009 के पैरा 6(1)(बी) में अपवाद जोड़ कर इस बाबत किये गये संशोधन के आदेश दिनांक 20.1.12 की

प्रति भिजवाई जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष में मेडीकल डायरी के जारी होने/नवीनीकरण होने से पूर्व लिये इण्डोर/स्पेशियलाइज्ड ट्रीटमेंट का पुनर्भरण किया जा सकेगा। आदेश निम्नानुसार है :-

"GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
RULES DIVISION

No.F.1(14)FD/Rules/2008 Jaipur, dated: 20 Jan 2012

Sub: Amendment in the Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2009

The Governor is pleased tomake the folowing amendment in the Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2009, namely:

In the said Scheme-
Below the existing para 6(1)(b), the following exception may be inserted as under:

Exception:
In cases where Indoor/specialized treatment is taken prior to the date of issue/renewal of Medical Diary during that particular year, the cost of Medical Claim for such treatment shall be reimbursed as per the Scheme.

By Order of the Governor
Sd/-
(Akhil Arora)
Secretary, Finance (Budget)

---
(RSR- 02/2012)"

## 51. एफ.35(109)लोआस/2011

श्री श्यामसुन्दर शर्मा निवासी कृपालनगर, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर ने यह शिकायत दिनांक 2.9.11 को प्रस्तुत कर कथन किया कि श्री ईशाक मेव सहित कई लोगों द्वारा गांव डोटाना की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करत है। यह भी कथन किया कि ईशाक मेव नकली दूध, मावा एवं कलाकंद के व्यापार में भी सक्रिय है व प्राचीन हिन्दू पूजा स्थलों को तोड़ने व पेड़ों को काटने में भी सक्रिय है। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि फूलाबास ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा मिलीभगत करके एक ही महिला शरबती के दो-दो तारीख के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिये।

जिला कलेक्टर, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 27.12.11 के द्वारा अवगत कराया है कि शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, तिजारा से कराई गई। जांच में ग्राम डोटाना के खसरा नं. 41/263 गैर मुमकिन जोहड़ पर हसन मोहम्मद, अलादीन, सरसमल एवं ईसाक द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण किया हुआ पाये जाने पर उनके विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही की गई तथा निर्णय दिनांक 16.11.11 से बेदखली व पेनल्टी लगाकर दण्डित कर दिया गया है। जांच में वन सम्पदा व पूजा स्थलों को तोड़कर खण्डित करने की शिकायत को सही नहीं पाया गया।

प्रकरण में वर्तमान में जिला कलेक्टर, अलवर से श्रीमती सरबती के दो विरोधाभासी मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा जा रहा है तथा यह भी पूछा जा रहा है कि क्या उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के निषेधाज्ञा के बावजूद ईसाक मेव ने खसरा नं. 153 पर कब्जा कर लिया है? पत्रावली अभी विचाराधीन है।

## 52. एफ.42(5)लोआस/2010

यह शिकायत पं. पुरूषोत्तम भोजक निवासी फतेहपुरिया मोहल्ला वार्ड नं.7, राजगढ़, जिला चूरू ने दिनांक 9.6.10 को प्रस्तुत की। शिकायत में राजगढ़ कस्बे में देवस्थान विभाग के अधीनस्थ स्थित श्री लक्ष्मीनारायण जी मंदिर की कृषि भूमि में से खसरा नं. 392 तादादी 14 बीघा 14 बिस्वा पर पुजारी मोहन लाल व उसके पुत्रों शंकर लाल, दयाशंकर द्वारा अन्य का कब्जा करवाने, विक्रय करने का आरोप लगाया गया व इसे वापिस लिये जाने की प्रार्थना की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का निर्माण विक्रम संवत 1880 में फतेहपुरिया परिवार द्वारा करवाया जाकर महाराज गंगासिंह जी के सुपुर्द कर दिया गया था। उस वक्त रियासत बीकानेर में देवस्थान कमेटी के नाम से स्वतंत्र विभाग था। मंदिर के सामान रिकार्ड के लिए देवस्थान कमेटी की तरफ से एक बही होती थी जिसमें मंदिर का सभी सामान दर्ज रहता था। सन् 1932 की एक बही परिवादी के पास सुरक्षित है जिसमें मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के रत्न जड़ित गहने, सोना, चांदी, पीतल व ताम्बा के बर्तन आदि सभी सामान दर्ज हैं जिसकी कीमत आज के समय में लाखों में है। पुजारी मोहन लाल ने एक फर्जी बही बना कर उसमें मंदिर के सामान में हेरफेर कर रखी है जो कि मूल बही से मिलान नहीं होता है। अत: मूल बही के अनुसार सामान वापिस दिलवाया जावे।

इस शिकायत के संबंध में आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 7.9.10 के द्वारा अवगत कराया कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार 13,2300 हेक्टेयर भूमि मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी में दर्ज है। इसी भूमि में से 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर मंदिर के पुजारियों में आपसी विवाद होने से प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है तथा तहसीलदार, राजगढ़ रिसीवर नियुक्त है। इसी भूमि में से 14.14 बीघा भूमि पर भैरा पुत्र लेखु जाट के पुत्रों का कब्जा है। इसी भूमि में से 17.04 बीघा भूमि पर पुजारी मोहन लाल का कब्जा है। सहायक आयुक्त, देवस्थान, बीकानेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26.12.10 को हुए भौतिक सत्यापन में कम पाये गये आभूषणों में से इन्वेन्टरी क्रमांक 30, 34, 35, 37, 40 सभी आभूषण चांदी के पुजारी मोहन लाल द्वारा समिति के समक्ष उपलब्ध करा दिये गये। इसके उपरान्त कुल 10 सोने के जेवरातों के आइटम कम पाये गये जिनका कुल वजन 94.770 ग्राम है जिसका आज की बाजार दर पर मूल्य रूपये 2,65,356/- है जिसकी पुजारी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की स्वीकृति दिनांक 4.8.11 को प्रदान करदी गई है।

## 53. एफ.47(5)लोआस/2009

श्रीमती सुभद्रा देवी निवासी ग्रा.पो. मोरडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली ने यह शिकायत दिनांक 30.10.09 को प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पति स्व. श्री महावीर सिंह नरूका की पुलिस थाना, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रहते सड़क दुर्घटना में दिनांक 24.5.09 को मृत्यु हो गई थी। उसने पारिवारिक पेंशन, जी.पी.एफ., एस.आई. व दुर्घटना बीमा आदि के लिए मृत्यु के एक माह के अंदर ही आवेदन कर दिया था, किन्तु उसे आज दिनांक तक भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है जिससे बच्चों का पालन-पोषण करना कठिन हो गया है।

इस प्रकरण को पुलिस विभाग के साथ उठाने पर अंततोत्वा परिवादिया को दिनांक 24.11.09 को राज्य बीमा की राशि रूपये 3,08,358/-, दिनांक 23.7.09 को उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि रूपये 79,764/-, दिनांक 11.8.09 को वेलफेयर फण्ड की राशि रूपये 16,500/- का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास की राशि रूपये 20,000/-, जी.पी.एफ. की राशि रूपये 98,263/- में से रूपये 73,697/- परिवादिया को व रूपये 24,566/- मृतक की माता श्रीमती लक्ष्मीदेवी को कर दिया गया है तथा ग्रेच्यूटी की राशि रूपये 1,40,832/- मय जीपीओ नं. 599521 आर एवं मृत्यु दावा प्रकरण के तहत् राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा परिवादिया को राजकीय अंशदान के अन्तर्गत रूपये 1,00,000/- का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही पारिवारिक पेंशन पी.पी.ओ. नं. 554523 आर.एस.एफ. के जरिये स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार समस्त परिलाभों का भुगतान होने के पश्चात् पत्रावली को दिनांक 21.12.11 को नस्तीबद्ध किया गया।

# अध्याय-6

# लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता

## 6.1 लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे-

देश में विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना राज्य विधियों के अन्तर्गत की गई है व इनके प्रावधानों में एकरूपता नहीं है। संस्था का संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण इस संस्था के साथ मन-माना व्यवहार किया जाता रहा है। यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में तो लोकायुक्तों व उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है और कुछ में राजनीतिक या अन्य कारणों से इस संस्था को ही समाप्त कर दिया गया और फिर कुछ समय बाद पुनः बना दिया गया।

**अतः सभी राज्यों में लोकायुक्त विधियों के प्रावधान एकसमान हों, इस हेतु संविधान में प्रावधान किया जाना एवं केन्द्रीय विधि बनाया जाना आवश्यक है।** लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की मांग इसकी स्थापना के समय से विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों द्वारा, अनेक प्रख्यात विशिष्टजनों एवं लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में पूर्व के प्रतिवेदनों में भी लिखा जाता रहा है।

आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून (27 से 29 सितम्बर, 2004) में अपने उद्घाटन भाषण में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने तथा माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने समापन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने व संस्था को अधिक प्रभावी बनाये जाने की वकालत की थी। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसरण में लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त एसोसियेशन द्वारा गठित लोकायुक्तों की उप समिति ने एक केन्द्रीय लोकायुक्त विधि के लिए **'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त बिल 2005'** तैयार किया जिसे दिनांक 10.2.05 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन केबीनेट द्वारा संस्थापित मंत्रियों के समूह, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री एवं विज्ञान एवं टेक्नोलोजी मंत्री सम्मिलित थे, को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **उक्त बिल को 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है।** इस बिल को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट के चैप्टर 4 के पैरा 4.4.5 में उद्धृत किया है। **आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने** तथा राज्यों के **लोकायुक्त संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान** करने की सिफारिश की है।

## 6.2 लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की प्रस्तावना में इसे बनाये जाने का एक प्रमुख उद्देश्य कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करना है, परन्तु **'लोकसेवक'** की परिभाषा में पंच/सरपंचों सहित कई ऐसे लोकसेवक व लोककृत्यकारी सम्मिलित नहीं हैं जो कि सरकार/स्थानीय निकायों/निगमों/समितियों/ बोर्डो/विश्वविद्यालयों की सेवा में हैं या उनके वेतनभोगी हैं।

यहां तक कि **'अभिकथन'** की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक जमा की गई सम्पत्ति को भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

लोकायुक्त के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की पालना को बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया है और न ही वार्षिक प्रतिवेदनों व विशेष प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने की समय सीमा तय की गई है जिससे उनमें की गई सिफारिशों व सुझावों की सामयिकता व प्रासंगिता प्रायः समाप्त हो जाती है।

मेरे द्वारा व पूर्ववर्ती सभी लोकायुक्तों द्वारा इस अधिनियम को प्रभावी बनाये जाने पर जोर दिया जाता रहा है और इस हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों व पत्रों के माध्यम से विभिन्न संशोधन समय-समय पर प्रस्तावित किये गये हैं। मेरा यह अभिमत है कि लोकायुक्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये बिना, स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी प्रदान किये जाने बिना व वर्तमान लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी बनाये बनाये बिना, इसे बनाये जाने के प्रयोजन को पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी बनाये जाने हेतु अब तक दिये गये प्रमुख सुझावों को समेकित करके यहां पुनः दिये जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं :-

### 6.2.1 धारा 2(b) में संशोधन की आवश्यकताः-

*'अभिकथन'* की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने को सम्मिलित नहीं किया हुआ है जबकि ये सभी अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए है। दूसरे शब्दों में कुप्रशासन, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही एवं भाई-भतीजावाद के परिणामस्वरूप ही ग्रीवान्सेज (परिवदेनाओं) की उत्पत्ति होती है और भ्रष्टाचार ही आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने के अवसरों का जनक है। इनके संबंध में जांच/अन्वेषण नहीं किये जाने से भ्रष्टाचार, पदीय स्थिति के दुरूपयोग व परिवेदनाओं की रोकथाम किया जाना लगभग असंभव है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2(b) में समुचित रूप से संशोधन किया जाकर **'अभिकथन'** की परिभाषा **में 'कुप्रशासन', 'ग्रीवान्सेज', 'आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने', 'पक्षपातपूर्ण कार्यवाही' एवं 'भाई-भतीजावाद'** को भी सम्मिलित किया जावे।

### 6.2.2 धारा 2 (i)(iv)(b) में संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (iv) के भाग (b) में प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो, **राज्य अधिनियम** के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो), की सेवामें या वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' होंगे। **राजस्थान पथ परिवहन निगम** की स्थापना केन्द्रीय अधिनियम के अधीन की गई है, ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो इसकी सेवामें हैं या वेतनभोगी है, लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में नहीं आते हैं। प्रतिवर्ष परिवहन निगम के बहुत सारे लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, परन्तु अधिकारिता के अभाव में यह सचिवालय उन शिकायतों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है :-

> ''धारा 2 (i)(iv)(b) किसी **राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित** और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),''

कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य अधिनियम के साथ-साथ केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित निगम के वेतनभोगियों को भी लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत् है :-

> "2(12)(g)(ii) a statutory body or a corporation (not being a local authority) **established by or under a State or CentralAct**, owned or controlled by the State Government and any other board or Corporation as the State Government may, having regard to its financial interest therein by notification, from time to time, specify;"

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त प्रावधान में आंशिक संशोधन करके शब्द **'राज्य अधिनियम'** के पश्चात् व शब्द **'के अधीन'** के पहिले शब्द **'या केन्द्रीय अधिनियम'** को जोड़ा जावे ताकि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवामें है या उसका वेतनभोगी है, को लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र में लाया जा सके और उनके विरूद्ध प्राप्त होने वाली पद के दुरूपयोग आदि की शिकायतों की जांच/अन्वेषण किया जा सके।

### 6.2.3 धारा 2(i)(iv)(d) में संशोधन की आवश्यकता :-

वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' की परिभाषा में आता है।

परन्तु सच्चाई यह है कि वर्ष 1973 में लोकायुक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसी सोसाइटी को इस अधिनियम के निमित्त अधिसूचित नहीं किया गया है। ***राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, जयपुर डेयरी, सहकारी बैंकों व राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसाइटी सहित विभिन्न सहकारी समितियों*** के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार करने

की शिकायतें प्राप्त होती रहती है, परन्तु इनके लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित न होने के कारण कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान धारा 2(i)(iv)(d) निम्नवत् है :-

> ''2(i)(iv)(d) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है,''

कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की सेवामें या वेतनभोगी है, लोकसेवक है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त धारा 2 के खण्ड (i) उपखण्ड (iv) के भाग (d) में से शब्द *'और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है'* को विलोपित कर दिया जावे ताकि **राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, आर.सी.डी.एफ., जयपुर डेयरी, सहकारी बैंक आदि जैसी प्रत्येक रजिस्टर्ड सोसाइटी** व उसके वेतनभोगियों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार आदि की प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी अन्वेषण किया जा सके।

### 6.2.4 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में विश्वविद्यालय के कर्मचारी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। यह अधिनियम 1973 में प्रभावशील हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक सारा परिदृश्य ही बदल चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संशोधित किया जा चुका है यहां तक कि नया भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 लाया जा चुका है जिसमें दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में 12 उपखण्ड दिये गये हैं। संबंधित धारा 2(C)(Xi) निम्नवत् है :-

> "2(c)(xi)Any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;"

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की उक्त धारा 2 के उपखण्ड (C)(Xi) में वर्णित कार्मिकों के विरूद्ध इन दिनों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना असामान्य नहीं रहा है। प्रश्नपत्रों को लीक किये जाने की घटनाएं आये दिन होने लग गई हैं। वीक्षकों (Invigilators) के विरूद्ध भी कई शिकायत देखने को मिलती हैं। इसी तरह की शिकायतें परीक्षकों के विरूद्ध भी देखने को मिल रही हैं। अत: उक्त संदर्भित उप खण्ड (Xi) के अनुसार राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी समुचित संशोधन वांछनीय है।

यहां यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2(12)(g)(vi) के प्रावधान के अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में या उसका वेतनभोगी है, 'लोकसेवक' माना गया है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित किया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(xi) में किये गये प्रावधान को जोड़ा जावे जिससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत पर भी कार्यवाही की जा सके।

**6.2.5 सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-**

सरपंच, उप-सरपंच व पंचों तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी पंचायत की सेवामें है, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। जब से पंचायतों को नरेगा/मनरेगा व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी दी गई है व इस हेतु सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, तब से उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग किये जाने की शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं।

यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जिला परिषद के प्रमुख व उप-प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान व स्थाई समिति के अध्यक्ष को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (i) के खण्ड (iii) के भाग (a) में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, परन्तु सरपंच, उप-सरपंच व पंच तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि किसी पंचायत की सेवामें है, को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत **के सरपंच, उप-सरपंच व पंच तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सेवामें है को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

**6.2.6 समितियों/बोर्डो के कार्मिकों को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित करने की आवश्यकता :-**

सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों व बोर्डो का गठन किया जाता है जिनमें से कुछ स्टेट्यूटरी होते है और कुछ नॉन-स्टेट्यूटरी होते हैं। इस तरह की समितियों व मण्डलों के संचालन हेतु नियुक्त व्यक्ति व वे व्यक्ति जो ऐसी समितियों/बोर्डो की सेवामें या वेतनभोगी होते हैं, उन्हें 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया हुआ है।

जैसाकि पहिले कहा जा चुका है, राजस्थान का लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1973 में प्रभाव में आया था, तब इस तरह की समितियां/बोर्ड नहीं होंगे। संभवत: इसीलिये इनकी सेवामें या इनके वेतनभोगी

कार्मिकों को **'लोकसेवक'** की परिभाषा में सम्मिलित किया गया होगा। परन्तु परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर सरकार द्वारा **स्टेट्यूटरी या नॉन-स्टेट्यूटरी आधार पर समय-समय पर गठित प्रत्येक समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों व प्रत्येक वह व्यक्ति जो इनकी सेवामें व इनके वेतनभोगी है, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

### 6.2.7 पूर्व लोकसेवक को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में रखे जाने की आवश्यकता:-

लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में पदधारण न करने वाले व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई लोकसेवक भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करने के पश्चात् स्वयं त्यागपत्र देदे, या सेवानिवृत्त हो जावे या पद त्याग करदे तो वह धारा 2 में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार 'लोकसेवक' नहीं माना जावेगा। भ्रष्टाचार के आरोपी लोकसेवकों को इस प्रावधान का अनुचित लाभ उठाने दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में यथोचित संशोधन किया **जाकर पूर्व लोकसेवकों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

### 6.2.8 राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राज्य विधान सभा के सदस्यों के विरूद्ध भी इन दिनों कई भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप लगते रहते हैं, परन्तु लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में राज्य विधानसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध इस सचिवालय द्वारा कोई जांच किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' माना गया है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक शुचिता को बनाये रखने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 2 में यथोचित संशोधन किया जाकर राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।

### 6.2.9 धारा 5 (1) में संशोधन की आवश्यकता :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष की है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि छ: वर्ष है। पदावधि की इस विसंगति को दूर करने एवं इसे छ: वर्ष करने के लिये पूर्व में 12वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी लिखा गया था, जो निम्नानुसार है -

**"Sec. 5 (1) Conditions of Service.**
The term of office of the Member of the Public Service Commission as provided inArticle 316 (2) of Constitution is six years. Similarly the term of office the Comptroller andAuditor General of India is six years as provided in Section 2 of the Comptroller andAuditor General (Conditions of Service)Act, (XXI of 1953). To make the law uniform, the State of Uttar Pradesh has also amended Section regarding the term of the Office of Lokayukta and now the term of Office of the Lokayukta is six years. Similarly amendments have been moved in the Acts of other States**.**

**It is, therefore, proposed that in Section 5 (1) the words "six years" should be substituted for the words "five years".**

अत: सुझाव दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया जाकर लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि को भी 6 वर्ष किया जावे।

### 6.2.10 धारा 8(3) के संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 8(3) शिकायत प्रस्तुत किये जाने की जो पांच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है। कई मामलों में यह देखा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे अपने प्रभाव से या उनके डर के कारण उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की कोई शिकायत उनके पदासीन रहते नहीं की जाती। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले पांच वर्ष बाद उजागर होते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों को केवल समय सीमा लाभ देकर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: धारा 8(3) के नीचे यह परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी शिकायतों के संबंध में अन्वेषण कर सकेंगे, जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत को उक्त अवधि में प्रस्तुत न करने के शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट हों।

### 6.2.11 धारा 9(1) में संशोधन कर लोकसेवकों को भी शिकायत किये जाने की अधिकारिता दिये जाने की आवश्यकता:-

भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग, भाई-भतीजावाद आदि कृत्य लोकसेवकों द्वारा ही किये जाते हैं और इनकी सबसे अधिक जानकारी भी लोकसेवकों को ही होती है, परन्तु उन्हें लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं दी गई है। इसका कोई उचित कारण नजर नहीं आता है। इसी कारण बहुत सारी शिकायतें गुमनाम या छद्मनाम से प्राप्त होती हैं, जिनमें से जांच किये जाने योग्य मामला बनना पाये जाने पर लोकायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जांच के आदेश दिये जाते हैं। दिल्ली, आन्धप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल के

लोकायुक्त अधिनियमों में लोकसेवकों को भी शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है। राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में **लोकसेवक को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता न देना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं लगता है।**

यदि हम वास्तव में भ्रष्टाचारमुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सभी उपायों को अपनाना ही होगा और इस हेतु लोकसेवकों को भी, जो कि भ्रष्टाचार के स्रोतों एवं भ्रष्टाचारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सबूतों के बारे में जानते हैं, को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता देनी ही होगी।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) में आंशिक संशोधन करते हुए शब्द *'लोक सेवक से भिन्न'* को विलोपित कर दिया जावे।

### 6.2.12 शपथ पत्र को समाप्त किये जाने की आवश्यकता :-

धारा 9(2) सपठित नियम 4, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शिकायत ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायगी जो विहित किये जायें।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश जनता अब भी अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है। लोग अब भी कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जहां उन्हें वकीलों और अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता न पड़े और यह सब लोकायुक्त सचिवालय प्रदान कर सकता है। आज अधिकाधिक लोग फैक्स व ई-मेल का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण मूल शपथ पत्र आदि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है।

लोकायुक्त सचिवालय के लिये अब इन नवीनतम माध्यमों को नकारना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जब लोकायुक्त को स्वमेव स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने की शक्ति प्रदत है और लोकायुक्त का कार्य केवल जांच करना व मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर केवल अपनी सिफारिश करना है तो फिर किसी शिकायत के संबंध में प्रारूप निर्धारित किये जाने या उसके समर्थन में कोई शपथ पत्र को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि समय की आवश्यकता को देखते हुए व आम जनता के हित को देखते हुए धारा 9 की उप-धारा (2) को विलोपित कर दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूप राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 को भी संशोधित किया जावे।

### 6.2.13 धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (a) एवं (b) को समाप्त करने की आवश्यकताः-

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (a) एवं (b) में यह प्रावधान है कि जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) लोकायुक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करते हैं, तो वह उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे, संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

जहां तक औपचारिक अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रावधान है, वह उचित है, परन्तु अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व ही संबंधित लोकसेवक को प्रतिलिपि या सारांश दिये जाने और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने से अन्वेषण का महत्व ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में संबंधित लोकसेवक द्वारा रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किये जाने और गवाहों को डराने-धमकाने या अपने प्रभाव में लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोकसेवक को विभागीय जांच अथवा अभियोजन के दौरान् अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (a) एवं (b) को विलोपित कर दिया जावे और अन्वेषण के दौरान् क्या प्रक्रिया अपनाई जावे, इसे लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विवेक पर छोड़ दिया जावे।

**6.2.14 तलाशी एवं जब्ती की शक्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकताः-**

धारा 11(2)(b) के अनुसार लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त को किसी भी अन्वेषण एवं प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है, एवं अनैतिकता से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती का आदेश भी दिया जा सकता है।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात के लोकायुक्त अधिनियमों में तलाशी एवं जब्ती का वारंट जारी करने की शक्ति विशिष्ट रूप से प्रदत्त हैं।

अतः सुझाव दिया जाता है कि अन्वेषण/जांच के उचित एवं लाभदायक निस्तारण के लिये राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी तलाशी एवं जब्ती का विशिष्ट प्रावधान किया जावे।

**6.2.15 सिफारिश की पालना :-**

वर्तमान धारा-12 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा(1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा।

अभी तक का अनुभव यह बताता है कि इस वैधानिक प्रावधान की पालना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में सूचना कई स्मृति पत्र जारी करने के बाद महीनों एवं वर्षो के बाद दी जाती है। तब तक सिफारिश का महत्व ही समाप्त हो जाता है।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बिना किसी अग्रिम जांच के किसी लोकसेवक को अपने पद से हटाया जा सकता है। कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त इस संबंध में संतुष्ट हो कि संबंधित लोकसेवक को उसके पद पर से हटना चाहिए, तो उस स्थिति में इस आशय की घोषणा कर दी जावेगी।

यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा यदि 3 माह में अस्वीकार नहीं की जाती है, तो उसे स्वीकृत माना जायेगा। यदि संबंधित लोकसेवक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ऐसे लोकसेवक को उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार निलम्बित रखने की कार्यवाही करेगी।

महाराष्ट्र, उड़ीसा व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में परिवेदना के मामलों में लोकायुक्त की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को महत्व देने हेतु धारा 12 को समुचित रूप से संशोधित किया जावे ताकि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिश का क्रियान्वयन तत्काल हो जावे।

**6.2.16 अंतरिम सिफारिश किये जाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता:-**

कई बार शिकायतें लोकसेवक की किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को होने वाले अन्याय या अनुचित परेशानी के बारे में, लोकसम्पत्ति, राजकोष को क्षति पहुंचाने वाले आदेश की विरूद्ध या ऐसी कार्रवाही के विरूद्ध की जाती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। परन्तु वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उनके क्रियान्वयन को रोकने हेतु अंतरिम सिफारिश कर सके।

अत: वर्तमान अधिनियम में अंतरिम सिफारिश किये जाने का एक नया प्रावधान यह जोड़ा जावे कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का यदि प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि शिकायतकर्ता को लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए अन्याय या अनुचित परेशानी की अंतरिम सहायता की मंजूरी की सिफारिश करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के प्रशासनिक कृत्यों से होने वाले लोक सम्पत्ति या लोक राजस्व के होने वाले अपव्यय को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के अवचार के कृत्यों को रोकना आवश्यक है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को समुचित निर्देश देते हुए अंतरिम सिफारिश अग्रेषित कर सके।

यह भी प्रावधान किया जावे कि यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि जिस लोकसेवक या लोककृत्यकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है, उसका उस पद पर बने रहना उचित नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी को उसके निलम्बन या स्थानान्तरण की सिफारिश कर सके।

### 6.2.17 धारा 22 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता:-

धारा 22(a) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, परन्तु इसके साथ ही धारा 22(b) में प्रावधान किया गया है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण विभिन्न विधियों के तहत् न्यायालय की तरह कार्य करने वाले राजस्व न्यायालयों व उन अन्य न्यायालयों को भी धारा 22(a) में परिभाषित न्यायालयों के समान लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र के बाहर माना जा रहा है, जबकि ये सीधे रूप से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं।

इसी प्रावधान के कारण राजस्व न्यायालयों के आरोपित पीठासीन अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का आश्रय लिया जाता रहा है।

अत: किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिये धारा 22 के खण्ड (a) व (b) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावे :-

> ''(a) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा भारत के संविधान के पार्ट VI के चैप्टर VI में यथापरिभाषित अधीनस्थ न्यायालय के किसी न्यायिक अधिकारी,
>
> (b) खण्ड (a) में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,''

**6.2.18 लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों (public functionary) द्वारा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता :-**

अधिकतर लोकसेवक भ्रष्टाचार से अर्जित धन को जमीन जायदाद व अन्य चल-अचल सम्पत्तियों को स्वयं एवं अपने रक्त सम्बन्धियों के नाम से या बेनामी क्रय करने में निवेश करते हैं।

हालांकि राज्य सरकार ने हाल ही इस दिशा में कदम उठा कर सभी उच्चाधिकारियों व राजपत्रित अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने पर उनकी वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश दिये गये हैं। परन्तु इस संबंध में हमारा सुझाव है कि लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर यह नवीन प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी लोकसेवक एवं लोककृत्यकारी (public functionary) अपने एवं निकट संबंधियों की सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रेल तक आवश्यक रूप से लोकायुक्त को प्रस्तुत करें, जिन्हें लोकायुक्त द्वारा प्रकाशित करवाया जावे ताकि यदि किसी लोकसेवक या लोककृत्यकारी (public functionary) के प्रकाशित किये गये सम्पत्ति विवरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह लोकायुक्त को प्रस्तुत कर सके और लोकायुक्त उनका अन्वेषण कर सके।

सम्पत्ति के विवरण की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि उनके पास सम्पत्ति विवरण में दी गई सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है और न ही कोई बेनामी सम्पत्ति है।

यदि शपथ पत्र को झूठा पाया जावे तो ऐसे लोकसेवक को अभियोजित करने की शक्तियां भी लोकायुक्त में निहित किये जाने की आवश्यकता है। यह प्रावधान किये जाने पर भ्रष्ट लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा।

अतः उपर्युक्तानुसार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने व नवीन प्रावधान जोड़े जाने पर गंभीरता से विचार किया जावे।

## 6.3 अन्वेषण मशीनरी एवं स्टाफ की आवश्यकता -

इस सचिवालय में वर्तमान में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के केवल दो अधिकारी, सचिव एवं उप सचिव, ही अन्वेषण कार्य सम्पन्न कराने में भागीदारी निभाते हैं जिनमें से भी एक पद अधिकांश समय तक रिक्त ही रहता है।

राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और निरन्तर विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर है। बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यो के साथ-साथ शिकायतों की संख्या में भी उत्तरोत्तर भारी वृद्धि हो रही है। कतिपय शिकायतें ऐसी प्रकृति की शिकायतें होती है जिनमें इस सचिवालय स्तर पर सुविधा एवं संसाधनों के अभाव में त्वरित अन्वेषण किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः ऐसे मामलों के

अन्वेषण में हमारे राज्य की जांच एजेन्सी 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' एवं केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सी 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' की सेवाओं की इस सचिवालय द्वारा उपयोगिता बहुधा अपेक्षित होती है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य व केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे।

इस प्रावधान का कर्नाटक, गुजरात एवं केरल के लोकायुक्त अधिनियमों से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि इन अधिनियमों के तहत् लोकायुक्त को अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की किसी भी एजेन्सी अथवा अधिकारी की सेवाएं लेने हेतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारी-वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे।

वर्ष 1977 से ही इस संस्था एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी उपलब्ध कराये जाने या लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऊपर पर्यवेक्षणीय शक्तियां प्रदान किये जाने की मांग समय-समय पर पत्रों एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के माध्यम से की जाती रही है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये 23वें, 24वें, 25वें व 26वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था तथा प्रतिवेदनाधीन अवधि में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पत्र क्रमांकः एफ.1(4)/लोआस/2006/4806 दिनांक 18.8.11 **(परिशिष्ट-बी)** व समसंख्यक अ0शा0 स्मरण पत्र दिनांक 16.9.11 **(परिशिष्ट-बी-1)**, 30.11.11 एवं 17.1.12 लिखे गये परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

**अन्वेषण एजेन्सी व पर्याप्त स्टाफ के अभाव में यह संस्था कई प्रकरणों के अन्वेषण में कठिनाई महसूस करती है।**

यहां अन्वेषण मशीनरी व स्टाफ की उपलब्धता के संबंध में राजस्थान, मध्यप्रदेश व कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक विवरण दिया जाना उचित होगा जिससे स्पष्ट होता है कि जहां मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों में अन्वेषण कार्य के लिए अन्वेषण मशीनरी व पर्याप्त

संख्या में स्टाफ है, वहीं राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की न तो कोई अन्वेषण मशीनरी है और न ही पर्याप्त स्टाफ है। तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

| | मध्यप्रदेश | कर्नाटक | राजस्थान |
|---|---|---|---|
| प्रशासनिक शाखा | 1 सचिव<br>1 उप सचिव<br>1 अवर सचिव<br>1 लेखाधिकारी<br>4 अनुभाग अधिकारी | 1 रजिस्ट्रार, 2 उप रजिस्ट्रार (प्रशा.)<br>3 सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.)<br>4 प्रबन्धक (प्रशा.)<br>7 कार्यालय अधीक्षक<br>2 लेखा अधीक्षक, 1 अनुवादक | 1 सचिव,<br>1 उप सचिव<br>1 सहायक सचिव<br>2 अनुभाग अधिकारी |
| विधि एवं जांच शाखा | 3 विधि सलाहकार<br>(जिला जज रैंक के अधिकारी)<br>1 उप विधि सलाहकार<br>(सी.जे.एम. रैंक के अधिकारी) | 9 अतिरिक्त रजिस्ट्रार-जांच<br>5 उप रजिस्ट्रार-जांच<br>4 सहायक रजिस्ट्रार (लीगल ऑपिनियन)<br>1 कोर्ट ऑफिसर, 1पब्लिक प्रोसीक्यूटर<br>9 प्रेजेन्टिंग ऑफिसर | कोई नहीं |
| पुलिस शाखा | 1 महानिदेशक, 1 महानिरीक्षक<br>2 उप महानिरीक्षक पुलिस<br>8 पुलिस अधीक्षक<br>26 उप पुलिस अधीक्षक<br>41 पुलिस निरीक्षक<br>162 अन्य रैंक के पुलिसकर्मी | 1 अतिरिक्त महानिदेशक<br>1 महानिरीक्षक पुलिस<br>1 संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)<br>22 पुलिस अधीक्षक<br>35 उप पुलिस अधीक्षक<br>78 पुलिस निरीक्षक | कोई नहीं |
| तकनीकी शाखा | 1 मुख्य अभियन्ता<br>3 अधीक्षण अभियन्ता<br>(1 जल संसाधन, 1 सार्वजनिक निर्माण एवं 1 जन अभियांत्रिकी)<br>6 सहायक अभियन्ता<br>4 तकनीकी सहायक | 1 मुख्य अभियन्ता,<br>1 अधी. अभियन्ता<br>3 अधी. अभि., 5 सहा.अधी.अभियन्ता<br>8 सहा.अभियन्ता, 1 उपलेखा नियंत्रक<br>1 अंकेक्षण अधिकारी, 5 लेखा अधीक्षक | कोई नहीं |

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) में यह सिफारिश की है कि **लोकायुक्त की खुद की अन्वेषण मशीनरी होनी चाहिए।** आयोग के अनुसार प्रारंभ में वह राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी ले सकते हैं, परन्तु पांच वर्ष के पश्चात् उसे स्वयं केडर में भर्ती करने एवं उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करने के कदम उठाने चाहिए। सिफारिश का संबंधित अंश निम्नानुसार है :-

"4.4.9 Recommendations:

---

h. **The Lokayukta should have its own machinery for investigation**. Initially, it may take officers on deputation from the State Government, but over a period of five years, it should take steps to recruit its own cadre, and train them properly.

---"

अतः सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में लोकायुक्त सचिवालय को अन्वेषण कार्य हेतु पर्याप्त स्टाफ एवं स्वयं की एक स्वतंत्र अन्वेषण मशीनरी तुरन्त प्रदान की जावे तथा साथ ही लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षणीय शक्ति प्रदान की जावे।

**परिशिष्ट–बी**

D.O.letter No.F.1(4)/LAS/2006/4806-7
Jaipur, dated: 18August 2011

Dear Shri

I am directed to invite your attention to the provisions of the section 14(3) of the Rajasthan Lokayukta and Upa-LokayuktaAct, 1973, reproduced hereunder:-

"14(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Lokayukta or an Up-Lokayukta may for the purpose of conducting investigations under thisAct utilise the services of-

(i) any officer or investigation agency of the State or Central Government with the concurrence of that Government; or

(ii) any other person or agency."

A bare reading of the above provisions shows that the Lokayukta is empowered to utilize the services of any officer or investigating agency of the State Government under theAct after seeking concurrence of the State Government.

It is well-known that the expectations of the people are high from the institutions like Lokpal and Lokayuktas. The Hon'ble Lokayukta of Rajasthan has been additionally given the job of handling Mathur Commission's cases as per the directions of the Hon'ble Rajasthan High Court and affirmed by the Hon'ble Supreme Court. The work of Mathur Commission is not only secret but also needs some specialized investigation in many cases. Even otherwise, the cases of complaint of corruption in high places, need enquiry/investigation to be conducted by expert investigation team likeAnti-corruption Bureau.

Hence, concurrence may kindly be accorded to Lokayukta for utilizing the services ofAnti-Corruption Bureau in cases, in which Hon'ble Lokayukta considers that their services are required to be utilized under section 14(3) of the Rajasthan Lokayukta and Upa-LokayuktasAct, 1973.

I, therefore, request you kindly to place the matter before the appropriate authority and convey the decision taken at an early date.

With warm regards,

Yours sincerely,
Sd/-
**(R.K.Bansal)**

**Shri SalauddinAhmed IAS**
Chief Secretary,
Government of Rajasthan, Jaipur.
Cc. to:-
**Shri Shrimat Pandey IAS,**
Principal Secretary to Hon'ble the Chief Minister,
Government of Rajasthan, Jaipur for necessary action.

Sd/-
(R.K.Bansal)

D.O.letter No.F.1(4)/LAS/2006/5729-30
Jaipur, dated: September 16, 2011

Dear Shri

I am directed to invite your kind attention to my D.O.letter No.F.1(4)/LAS/2006/4806 dated: 18thAugust, 2011 for according concurrence of the State Government to utilize the services of theAnti-Corruption Bureau for the purpose of conducting investigations under the Rajasthan Lokayukta and Up-LokayuktasAct, 1973. No response has been received so far.

I shall be highly obliged if you pay personal attention to the matter and convey the concurrence of the State Government at an early date.

With warm regards,

Yours sincerely,
Sd/-
**(R.K.Bansal)**

**Shri SalauddinAhmed IAS**
Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

Copy for necessary action to:-
**Shri Shrimat Pandey IAS,**
Principal Secretary to Hon'ble the Chief Minister,
Government of Rajasthan, Jaipur

(R.K.Bansal)